



छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत समस्त विभागों में पदों का चिन्हांकन

[समाज कल्याण]

1. (*क्र. 2463) श्री प्रबोध मिंज : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राज्य में समस्त विभागों हेतु दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांगजन हेतु पदों का चिन्हांकन कब किया गया था? क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों का चिन्हांकन किया गया है? यदि नहीं तो कब तक कर लिया जायेगा? (ख) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 अनुसार दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित संवर्गवार पदों को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन किये जाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) राज्य में समस्त विभागों हेतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकन दिनांक 25.09.2014 द्वारा किया गया था। जी नहीं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों के चिन्हांकन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पदों का चिन्हांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 अनुसार दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित संवर्गवार पदों को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन किये जाने की कार्यवाही हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

2. (*क्र. 1928) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? जनवरी, 2025 तक की स्थिति में विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) क्या संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पदस्थ हैं ? यदि नहीं तो, कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या योजनाएं हैं ? बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 609 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। जनवरी, 2025 तक की स्थिति में विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**

अनुसार है। **(ख)** उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में 607 कार्यकर्ता एवं 607 सहायिका पदस्थ हैं। कार्यकर्ता एवं सहायिका के 02-02 पद रिक्त है। इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के भर्ती हेतु जारी नियुक्ति निर्देश क्रमांक 728/1098/2008/मबावि/50 दिनांक 02.04.2008 अनुसार भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक" \]](#)

महतारी वंदन योजना अंतर्गत लाभान्वित महिलाएं

[महिला एवं बाल विकास]

3. (*क्र. 2456) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितनी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है? **(ख)** महतारी वंदन योजना प्राप्त करने की पात्रता क्या थी और किस अंतिम अवधि से विवाहित महिलाओं को आवेदन हेतु पात्र माना गया है? **(ग)** क्या शेष महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त होगा ? अगर होगा तो कब से होगा और नए आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश में जनवरी 2025 की स्थिति में महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन करने वाली कुल 6969399 महिलाएं योजना का लाभ लिए जाने हेतु पात्र थी, जिन्हें भुगतान अनुमोदित किया गया है। **(ख)** महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों के पात्रता एवं अपात्रता हेतु निर्धारित मापदंड **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए आवेदन के प्रकरणों में कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली तथा पात्रता एवं अपात्रता संबंधी मापदंड को पूरा करने वाली विवाहित महिलाओं को पात्र माना गया है। **(ग)** महतारी वंदन योजना से विभाग के आंकलन अनुसार सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। नए हितग्राहियों को शामिल किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों के भण्डारण स्थल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 2403) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण (खाद्यान्न) प्रणाली के कितने केंद्र संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के सभी केन्द्रों में स्वयं के खाद्यान्न गोदाम हैं ? **(ग)** भवन-विहीन कितने केंद्र हैं? विकासखंडवार जानकारी दें ? **(घ)** भवन-विहीन खाद्यान्न वितरण केन्द्रों का खाद्यान्न भंडारण कहां-कहां, कौन-कौन से भवन में किया जाता है ? केन्द्रवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 688 उचित मूल्य दुकान संचालित हैं, विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' के उचित मूल्य दुकानों में से 206 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान-सह-गोदाम हैं। **(ग)** 482 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है, विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

शासकीय उचित मूल्य के दुकान संचालकों को कमीशन एवं बारदाना की लंबित राशि का भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (*क्र. 2352) श्री बालेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को एपीएल, अंत्योदय, निराश्रित एवं प्राथमिकता कार्ड और बारदाना में किस - किस दर से किस - किस आधार पर कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान किया जाता है ? कृपया, जानकारी दें? **(ख)** क्या यह सच है कि जिला-सक्ति में 2023 से प्रश्नांक "क" के अनुसार निर्धारित कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान किया जाना लंबित है ? यदि हां तो, 15.02.2025 की स्थिति में स्वीकृत कमीशन एवं अन्य राशि में से कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? कृपया, वर्षवार जानकारी प्रदान करेंगे? **(ग)** क्या यह भी सच है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक संघ सक्ती ने भी दिसंबर 2024, में कलेक्टर सक्ती को ज्ञापन देकर प्रश्नांक "ख" के अनुसार लंबित कमीशन एवं अन्य राशि की भुगतान का मांग की है ? यदि हां तो, इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? कृपया, जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांक "क", "ख" एवं "ग" के अनुसार लंबित कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालकों को सामान्य एपीएल, अंत्योदय, निराश्रित एवं प्राथमिकता राशनकार्डों पर चावल वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल वितरण हेतु 90 रूपये प्रति किंटल तथा राज्य योजना के अंतर्गत चावल वितरण हेतु 30 रूपये प्रति किंटल की दर से कमीशन भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण सहायता की राशि 50 किंटल तक मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकान को ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 रूपये, शहरी क्षेत्र में 9,000 रूपये, 51 से 100 किंटल मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकानों को ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 रूपये, शहरी क्षेत्र में 6,500 रूपये, 101 से 150 किंटल मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकानों को ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 रूपये शहरी क्षेत्र में 3,000 रूपये प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उचित मूल्य दुकानों से लिये जाने वाले पीडीएस बारदाना के लिए 25 रूपये प्रति नग का भुगतान किया जाता है। **(ख)** जी हां, उचित मूल्य दुकानों के कमीशन की भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जी हां, उचित मूल्य दुकान संघ सक्ती के ज्ञापन के संबंध में प्रश्नांकित अवधि तक उचित मूल्य दुकानों को चावल के कमीशन की राशि 1,01,30,975 रूपये तथा पीडीएस बारदाना की राशि 1,32,580 रूपये का भुगतान किया गया है। **(घ)** चावल के कमीशन की राशि एवं पीडीएस बारदाना की राशि भुगतान हेतु शेष 59 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष उचित मूल्य दुकानों को कमीशन एवं पीडीएस बारदाना की शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

पालना योजना अंतर्गत व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

6. (*क्र. 2398) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में पालना योजना कब से प्रारंभ की गई? योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य किए जाने थे? वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश एवं राज्यांश कितना प्रावधानित/स्वीकृत किया गया ? 15 फरवरी, 2025 तक कितना व्यय हुआ? किस-किस कार्य में व्यय हुआ? कितना शेष है? कृपया बतावें ? **(ख)** क्या वर्ष 2024-25 में पालना घर संचालित किया जाना था ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना किया गया ? सम्पूर्ण जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : क) कंडिका 'क' के अनुसार-

- प्रदेश में पालना योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारंभ की गई ।
- योजना अंतर्गत योजना प्रावधान के अनुसार कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पालना (आंगनबाड़ी सह-पालना) का संचालन किया जाना है।
- वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश 60 प्रतिशत के मान से 48251250/- रूपये का मदर सेन्शन प्राप्त है। 40 प्रतिशत राज्य का अंशदान उपलब्ध है।
- 15 फरवरी 2025 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। उपलब्ध केन्द्रांश 48251250/- रूपये (60 प्रतिशत) तथा 40 प्रतिशत राज्य का अंशदान शेष है।

(ख) कंडिका 'ख' के अनुसार-

- जी हां, वर्ष 2024-25 में पालना घर संचालित किया जाना था।
- संचालित पालना केन्द्र का जिलेवार विवरणसंलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 2360) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत पेंशन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? इन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी, 2024 से लेकर दिनांक 15.02.2025 तक पेंशन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना था ? कितना भुगतान किया गया ? योजनावार जानकारी दें ? समय पर भुगतान न होने के क्या कारण है तथा पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार उपरोक्त योजना में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कितने हितग्राहियों को, किस-किस योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक इन योजनाओं के तहत भुगतान किये जाने वाली राशि व की गयी भुगतान राशि की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है -

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	693.95	693.95
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	404.81	404.81
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	48.06	48.06
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1298.16	1298.16
5.	सुखद सहारा योजना	446.69	446.69
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	2274.72	2274.72
योग		5166.39	5166.39

पेंशन राशि का भुगतान समय पर किया गया है। पेंशन राशि का समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सीधे लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer (DBT)) के माध्यम से पेंशन राशि को सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा कराया जा रही है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत अनाथालय से गुम/लापता बच्चे

[महिला एवं बाल विकास]

8. (*क्र. 2357) श्री ब्यास कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत कितने अनाथालय, वृद्धाश्रम, संचालित हैं? वर्ष 2021 से दिनांक 15.02.2025 तक विभिन्न अनाथालयों से कितने बच्चों गुम या लापता हुए हैं? वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के गुम या लापता बच्चों में से कितने बच्चों को वापस लाया गया एवं उन्हें कहां-कहां व्यवस्थापन में रखा गया? कितने बच्चों अभी भी लापता हैं? वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला जांजगीर-चांपा में कोई भी अनाथालय संचालित नहीं है, अपितु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला जांजगीर - चांपा में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों हेतु 01 बालगृह एवं 01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है। उक्त बालगृह एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण से प्रश्नावधि में गुम या लापता हुए बालकों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिला जांजगीर-चांपा में समाज कल्याण विभाग द्वारा 01 वृद्धाश्रम संचालित है, जिसमें कोई भी बालक निवासरत नहीं है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत राशनकार्डधारियों की संख्या एवं खाद्यान्न प्रदाय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (*क्र. 1851) श्री देवेन्द्र यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने निःशक्तजन अत्योदय, प्राथमिक एवं ए.पी.एल. राशनकार्ड धारी परिवार हैं? इन परिवारों को कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सा खाद्यान्न, कितनी-कितनी कीमत पर राशन दुकानों से प्राप्त होता है? क्या वर्ष 2024-25 में 15.2.2025 की स्थिति में हितग्राही द्वारा चावल एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की ई-पॉस मशीन में एन्ट्री कर राशन दुकान संचालकों को बेच देने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो हितग्राही एवं दुकान संचालकों पर नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाही का प्रावधान है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में 8,351 अत्योदय राशनकार्ड, 20,163 प्राथमिकता राशनकार्ड, 109 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 19,219 सामान्य एपीएल राशनकार्ड प्रचलित है। इन परिवारों को प्रतिमाह प्रदाय खाद्यान्न की पात्रता एवं उपभोक्ता दर की जानकारी "**संलग्न प्रपत्र**" अनुसार है। वर्ष 2024-25 में 15.02.2025 तक हितग्राही द्वारा चावल एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की ई-पॉस मशीन में एन्ट्री कर राशन दुकान संचालकों को बेचने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित चावल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (*क्र. 2406) श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारों के लिए प्रतिमाह कितना चावल राज्य को आबंटित किया जाता है? (ख) राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2023 से फरवरी, 2025 तक इस योजना अंतर्गत कितने चावल का वितरण किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक प्रात्रता अनुसार वर्तमान में 1,15,338 टन चावल प्रतिमाह आबंटित किया जा रहा है। (ख) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक 25,70,780 टन चावल का वितरण किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों में अनियमितता की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

11. (*क्र. 2261) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या प्रदेश में विगत दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान किये जाने वाले गुड़, चना, नमक, शक्कर के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हां तो निविदा में किन-किन निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई तथा किस निविदाकार को आपूर्ति हेतु कार्यदिश दिया गया, पृथक-पृथक बतावें? गुड़, चना, नमक, शक्कर का क्रय कितनी मात्रा में, कितनी राशि का किया गया तथा किन-किन जिलों में, कितने हितग्राहियों को, कितने के मान से, किस दर पर वितरण किया गया? जिलावार बतावें? (ख) क्या प्रश्नांक (क) अनुसार क्या गुड़, चना, नमक, शक्कर के गुणवत्ता अथवा वितरण में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई तो उन शिकायतों के अधार पर क्या कार्यवाही की गई क्या गुणवत्ताहीन सामग्री सप्लाई में शिकायत प्राप्त होने के कारण संबंधित सप्लायर/ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां तो क्या सप्लायर/ठेकेदार के नाम सहित जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रदेश में विगत 02 वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु गुड, चना, नमक क्रय निविदा संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** शक्कर का क्रय निविदा के माध्यम से नहीं किया जाता है। शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 69,718 टन शक्कर राशि 241.57 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 2023-24 में 67,433 टन शक्कर 233.65 करोड़ रुपये का क्रय किया गया। प्रश्नांकित अवधि में नमक, शक्कर, गुड एवं चना वितरण के लिए प्रचलित राशनकार्डों की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** नमक का वितरण अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क किया जाता है। शक्कर का वितरण अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को 01 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 17 रुपये प्रति किलो की दर पर किया जाता है। चना का वितरण अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को 02 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 05 रुपये प्रति किलो की दर पर किया जाता है। गुड का वितरण बस्तर संभाग के अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को 02 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 17 रुपये प्रति किलो की दर पर किया जाता है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में चना की गुणवत्ता के संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत जांच में सही नहीं पायी गयी। नमक, शक्कर एवं गुड में गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चना, नमक, शक्कर, गुड वितरण में अनियमितता

की 268 शिकायत प्राप्त हुई। इनमें से जांच में 221 शिकायत सही नहीं पायी गयी, 30 शिकायत सही पायी गयी। शेष 17 शिकायत लंबित है। सही पाये गये शिकायत में 02 उचित मूल्य दुकान निलंबित तथा 01 उचित मूल्य दुकान निरस्त किया गया। 02 उचित मूल्य दुकान को चेतावनी दिया गया, 07 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रक्रियाधीन, 18 प्रकरण में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराया गया।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामग्री खरीदी में अनियमितता की शिकायतों की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

12. (*क्र. 2424) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत किन-किन तिथियों में, कहां-कहां पर एवं कितने जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है? **(ख)** विवाहित जोड़ों को शासन द्वारा क्या-क्या उपहार/सामग्री का वितरण किया गया है? जिलेवार एवं वर्षवार बतावें? क्या उक्त उपहार सामग्री की खरीदी निविदा के माध्यम से की गई है? यदि हां तो चयनित निविदाकारों का नाम, पता एवं संस्थान की जानकारी, वर्षवार एवं जिलेवार दें? **(ग)** क्या उपहार सामग्री वितरण में ब्राण्डेड के स्थान पर लोकल सामग्री वितरण करने की शिकायतें शासन/प्रशासन को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच हुई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है? वर्षवार एवं जिलेवार विस्तृत जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। **(ग)** जी नहीं, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं

[महिला एवं बाल विकास]

13. (*क्र. 1178) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला- राजनांदगांव अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत वर्ष 2024 में बच्चों और उनकी माताओं को क्या-क्या सेवायें और सुविधायें प्रदान की गई? विकासखंडवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला राजनांदगांव अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत वर्ष 2024 में बच्चों को और उनकी माताओं को आईसीडीएस सेवा अंतर्गत 06 सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है:-

1. पूरक पोषण आहार,
2. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा,
3. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
4. टीकाकरण,
5. स्वास्थ्य जांच,
6. संदर्भ सेवाएं।

विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की प्रस्तावित नवीन शाखाएं

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (*क्र. 2282) श्री रिकेश सेन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा जिला कबीरधाम, बेमेतरा व दुर्ग में नवीन शाखा कहां- कहां प्रस्तावित हैं एवं वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने कर्मचारियों को श्रमिक के रूप में कार्य पर रखा गया है ? जानकारी दें और कार्य पर रखने के क्या मापदंड हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की नवीन शाखा जिला बेमेतरा में नवागढ़ में प्रस्तावित है। जिला कबीरधाम एवं दुर्ग में नवीन शाखा प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2023-24 में जिला कबीरधाम में 03 श्रमिक, जिला दुर्ग में 10 श्रमिक तथा वर्ष 2024-25 में जिला कबीरधाम में 07 श्रमिक, जिला बेमेतरा में 09 श्रमिक कार्य पर रखे गये है। वर्ष 2023-24 में जिला बेमेतरा तथा वर्ष 2024-25 में जिला दुर्ग में श्रमिक नहीं रखे गये है। श्रमिकों को कार्य पर रखने के मापदण्ड **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

महासमुंद जिले के राईस मिलों को दी गई प्रोत्साहन/बोनस राशि

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (*क्र. 2410) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिला अंतर्गत खाद्य विभाग में किन-किन राईस मिलों की मिलिंग क्षमता कितनी-कितनी है ? उपार्जन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 15.02.2025 तक किन-किन राईस मिलों को कितनी-कितनी प्रोत्साहन और बोनस राशि दी गयी है ? **(ख)** जिले में किन-किन राईस मिलों की मिलिंग क्षमता का भौतिक सत्यापन किया गया है ? भौतिक सत्यापन में मिलिंग क्षमता कितनी-कितनी पाई गयी? **(ग)** किन-किन राईस मिलों द्वारा कम मिलिंग क्षमता दर्शाकर प्रोत्साहन और बोनस राशि ली गयी है, जबकि उनकी उद्योग विभाग में मिलिंग क्षमता अधिक पंजीकृत है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** महासमुंद जिला अंतर्गत खाद्य विभाग में राईस मिलों की मिलिंग क्षमता की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। उपार्जन वर्ष 2022-23 के लिए महासमुंद जिले के राईस मिलों को 15.02.2025 तक प्रदत्त प्रोत्साहन राशि का विवरण **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। उपार्जन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय नहीं किया गया है। **(ख)** जिले में राईस मिलों का भौतिक सत्यापन कर मिल पंजीयन की कार्यवाही की जाती है। **(ग)** जिले में राईस मिलों द्वारा कम मिलिंग क्षमता दर्शाकर प्रोत्साहन और बोनस राशि लेने का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

प्रदेश में संचालित भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र

[समाज कल्याण]

16. (*क्र. 2394) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने तथा कहां-कहां भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र स्थापित और संचालित हैं? इनकी क्षमता कितनी-कितनी है? इनकी संचालनकर्ता एजेंसी कौन है? **(ख)** क्या उक्त केन्द्र पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो क्या केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जाएगी? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** इन केन्द्रों को आर्थिक सहायताएं प्रदान करने के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं? उक्त केन्द्रों को आर्थिक सहायताएं समय पर दिये जाने हेतु व्यवस्था की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में 02 भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र रायपुर एवं दुर्ग में स्थापित एवं संचालित है। इनकी क्षमता क्रमशः 100 सीटर तथा 50 सीटर है। रायपुर में संगी मितान सेवा संस्थान एवं दुर्ग में ब्राइट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति संचालनकर्ता एजेंसी है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश में 02 केन्द्र संचालित है। भविष्य में जिलों से यदि प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र खोलने पर विचार किया जाएगा। कब तक खोला जाएगा इसकी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) इन केन्द्रों के संचालन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला निराश्रित निधि से अनुदान दिए जाते हैं। जी हाँ।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं व लाभान्वित हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

17. (*क्र. 2434) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कितनी योजनाएं संचालित हैं ? 1 जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 तक योजनांतर्गत जिला-बालोद के लाभान्वित लाभार्थियों की योजनावार, विकासखण्डवार संख्या एवं उस पर हुए व्यय की राशि कितनी है ? जानकारी दें ? (ख) राज्य सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना अंतर्गत सरकार बनने के प्रथम माह एवं जनवरी, 2025 में योजना अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या एवं उस पर होने वाले व्यय की जानकारी विकासखण्डवार पृथक-पृथक दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु आबंटित एवं व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

18. (*क्र. 2415) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुपोषित बच्चों के पहचान कार्यक्रम के तहत विगत 3 वर्षों में कितने कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया? विकासखण्डवार व संख्यात्मक विवरण प्रदान करें? (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र में कुपोषण को दूर करने हेतु प्रचार-प्रसार हेतु क्या-क्या गतिविधियां आयोजित की गईं एवं इसके लिए कितनी राशि आबंटित कर व्यय की गई? जानकारी प्रदान करें? (ग) उक्त विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) कंडिका 'क' अनुसार प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्डवार जानकारी

जिला	विकासखण्ड	उपचार कराये गये बच्चों की संख्या		
		2021-22	2022-23	2023-24
सूरजपुर	प्रतापपुर	705	310	212
बलरामपुर	वाड्रफनगर	863	400	281
कुल		1568	710	493

(ख) कुपोषण के स्तर में कमी लाने हेतु जनजागरूकता, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन, सुपोषण चौपाल इत्यादि गतिविधियों पर प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए व्ही.एच.एस.एन.डी. का आयोजन, केन्द्र की कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट, गर्भवती का पंजीयन कर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयरन फोलिक एसिड, की दवा, प्रतिमाह बच्चों के वजन का मापन, पोषण

स्तर ज्ञात करना, गंभीर कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी. भोजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय सुविधाएं एवं दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है। एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पोषण हेतु जागरूकता कार्यक्रम।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

जिला रायपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अंतर्गत संचालित गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

19. (*क्र. 2376) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर जिले में 15.02.2025 की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के कितने गोदाम स्वयं के तथा कितने गोदाम किराये में लेकर किन-किन स्थानों में, किनसे किराये से लेकर संचालित किये जा रहे हैं? किराये में लिये गये गोदामों को किस दर पर भुगतान किये जाने का प्रावधान है? **(ख)** रायपुर जिले में जनवरी, 2024 से प्रश्नांक अवधि तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम अंतर्गत संचालित गोदामों में चावल की बोरियों के गायब होने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** रायपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के स्वयं के गोदाम नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम तथा केन्द्रीय भण्डार गृह निगम से किराये पर लेकर खाद्यान्न भण्डारण किया गया है। किराये पर लिये गोदाम एवं किराया दर की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** रायपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से चावल की बोरियों के गायब होने अथवा अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के निराकृत व लंबित प्रकरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (*क्र. 2368) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में 01 जनवरी, 2021 से दिनांक 15.02.2025 तक उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के कितने मामले संज्ञान में आए अथवा पंजीकृत हुए? उनमें कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें। उक्त पंजीकृत प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है? कितने प्रकरण लंबित हैं? वर्षवार, जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के प्रकरणों के शीघ्र निपटारन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है? जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विभाग द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में रिक्त सदस्यों की नियुक्ति, अंशकालिक जिला उपभोक्ता आयोग को पूर्णकालिक बनाए जाने तथा नवगठित जिलों में आवश्यकतानुसार जिला उपभोक्ता आयोग के गठन हेतु कार्य किया जा रहा है। इस अनुक्रम में राज्य उपभोक्ता आयोग हेतु 01 अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति हेतु नवीन पद सृजित किया गया है। 05 अंशकालिक जिला उपभोक्ता आयोग को पूर्णकालिक घोषित कर 10 पूर्णकालिक सदस्यों की स्वीकृति दी गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह"]

धमतरी जिले में विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर तथा सामूहिक विवाह हेतु क्रय सामग्री
[महिला एवं बाल विकास]

21. (*क्र. 2448) श्री ओंकार साह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 562, दिनांक 19/12/2024 के द्वारा धमतरी जिले में अनाथ निराश्रित बच्चों के लिए संचालित अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर में 3 वर्षों में सामग्रियों पर व्यय की जानकारी चाही गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त सामग्रियों का क्रय विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सामग्रियों की प्रति इकाई दर क्या थी एवं किन-किन फर्मों से खरीदी की गई? क्या उक्त सामग्री का भौतिक सत्यापन कर भुगतान किया गया? क्या खरीदे गई सामग्रियों की जीएसटी का भुगतान किया गया है? **(ख)** संदर्भित प्रश्न में वर्ष 2021-22 से नवंबर 2024 तक धमतरी जिले में आयोजित सामूहिक विवाह में प्रत्येक हितग्राही के लिए देय राशि एवं प्रदाय सामग्रियों की जानकारी चाही गई थी? क्या उक्त क्रय सामग्रियों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि हां उच्च निविदा में कौन-कौन से फर्म ने भाग लिया था? निविदा किस अखबार में प्रकाशित की गई थी? संबंधित फर्मों को निविदा की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जानकारी देवें? क्रय की गई सामग्रियों को किस-किस दर पर, किन-किन फर्मों से खरीदा गया था? क्या क्रय की गई सामग्रियों का जीएसटी भुगतान प्रमाण पत्र संबंधित फर्म से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ। सामग्री का क्रय विभाग द्वारा नहीं किया गया है, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ख)** जी हाँ, प्रचलित छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए ई-मानक पोर्टल से तथा जो सामग्री ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी सामग्रियों को निविदा के माध्यम से क्रय किया गया है। निविदा में भाग लिये फर्मों की जानकारी तथा निविदा प्रकाशित अखबारों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। सीमित निविदा में भाग लेने वाले फर्मों को पत्र के माध्यम से तथा खुली निविदा में भाग लेने वाले फर्मों को इसकी जानकारी अखबार के माध्यम से संभवतः प्राप्त हुई। निविदा के माध्यम से क्रय की गई सामग्रियों के दर, फर्मों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जी हाँ जीएसटी भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह" \]](#)

जिला बस्तर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

[महिला एवं बाल विकास]

22. (*क्र. 2419) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला- बस्तर में कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने भवनयुक्त व भवन-विहीन हैं? विकासखण्डवार जानकारी देंवें? **(ख)** भवनविहीन केन्द्रों का संचालन कहां किया जाता है? **(ग)** ऐसे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनका भवन अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, शौचालय अत्यंत ही जर्जर अथवा शौचालयविहीन हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है? विकासखण्डवार जानकारी देंवें? **(घ)** क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की क्या कार्य योजना है? कृपया बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** भवनविहीन केन्द्रों का संचालन किराये के भवनों, अन्य शासकीय भवनों एवं सामुदायिक भवनों में किया जाता है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(घ)** वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमशः मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

23. (*क्र. 1733) श्री राजेश मूणत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि प्रदेश में 52233 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें से 39935 स्वयं के शासकीय भवन में एवं 8181 किराए के भवन में संचालित हैं, तथा रायपुर जिले में कुल 446 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं ? यदि हां तो इनके लिए स्वयं का भवन बनाने की क्या कार्य योजना है? **(ख)** कंडिका "क" के परिप्रेक्ष्य में कैलेण्डर वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में रायपुर जिले में कितने भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई? कितने भवन बने, कितने अपूर्ण हैं इसकी एजेंसी कौन है? जानकारी विधानसभावार दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** वर्तमान में प्रदेश में 52167 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें से 39252 स्वयं के शासकीय भवन में एवं 9261 किराए के भवन में संचालित हैं, तथा रायपुर जिले में कुल 479 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति क्रमशः दी जा रही है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का स्टॉक सत्यापन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

24. (*क्र. 2440) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के खाद्यान्न सामग्रियों के बचत स्टॉक का भौतिक सत्यापन अंतिम बार कब किया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के भौतिक सत्यापन में बचत स्टॉक एवं वर्तमान स्टॉक के मध्य कौन-कौन से उचित मूल्य के दुकानों में कितना-कितना एवं कौन-कौन से खाद्यान्न सामग्रियों में अंतर पाया गया है? **(ग)** क्या कंडिका "ख" के वास्तविक आबंटन एवं भौतिक सत्यापन के मध्य जो अंतर पाया गया है, उसकी रिकवरी की गयी है ? यदि हां तो कब और किस-किस दुकान से कितनी-कितनी?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के बचत स्टॉक का विगत वर्ष भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2024 की स्थिति में 05 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 के दौरान किया गया है। **(ख)** भौतिक सत्यापन में केवल, सामुदायिक महिला विकास समिति बेलसरी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान में चावल 429.70 क्विंटल तथा नमक 9.36 क्विंटल का अंतर पाया गया है। **(ग)** भौतिक सत्यापन में अंतर पाए गए राशन सामग्री के लिए उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी को आबंटित दुकान के आबंटन को निलंबित कर अंतर पाए गए स्टॉक की वसूली आर.आर.सी. के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

बिलासपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों के सत्यापन में खाद्यान्नों की पायी गयी कमी एवं वसूली

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

25. (*क्र. 2444) श्री सुशांत शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के उचित मूल्य की संचालित दुकानों में भौतिक सत्यापन में पायी गई खाद्यान्नों की कमी की वसूली हेतु क्या नियम/निर्देश हैं ? **(ख)** बिलासपुर जिला में सितम्बर, 2022 में किए गए भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य की कितनी दुकानों में किन-किन खाद्यान्नों की कितनी-कितनी मात्रा में कमी पाई गयी थी ? कितनी मात्रा की

वसूली की गई ? जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) कितने दुकानदारों से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की वसूली शेष है ? कब तक वसूल कर ली जावेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की कम पायी गयी मात्रा के संबंध में वसूली की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खण्ड 16 (7) के प्रावधानों के अनुसार दोषी पाये गये व्यक्ति से खाद्यान्न के प्रचलित बाजार मूल्य अथवा आर्थिक लागत जो भी अधिक हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है। (ख) बिलासपुर जिला में सितम्बर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता को साड़ी का वितरण**

[महिला एवं बाल विकास]

1. (क्र. 1150) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता कार्यरत हैं? उनको राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें एवं कितना मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है? **(ख)** उक्त महिलाओं को एक वर्ष में कितनी साड़ी प्रति महिला वितरित की जाती है? इसके लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रति/साड़ी के अनुसार प्राप्त होती है, तथा वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितनी-कितनी राशि आबंटन की गयी थी? कितने महिलाओं के लिये, किन-किन सप्लायरों/एजेंसी द्वारा, किस दर पर साड़ी वितरण किया गया था? उसकी गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई थी? जिलावार, वर्षवार बतायें? **(ग)** उक्त साड़ी की गुणवत्ता के संबंध में किन-किन जिलों से शिकायतें प्राप्त हुयी थी? तथा उन शिकायतों के आधार पर जांच कर, आरोप सिद्ध होने की स्थिति में, शामिल किन-किन सप्लायरों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश में कुल 51860 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 49877 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को एक वर्ष में 02 साड़ी प्रति महिला वितरित की जाती है। इसके लिये वर्तमान में 500/- प्रति साड़ी की दर निर्धारित है। इस राशि में 300 रूपये केन्द्रांश है तथा 200 रूपये राज्यांश है। 1. वर्ष 2019-20 में 400 रूपये प्रति साड़ी के मान से कुल 1490.50 लाख रूपये उपलब्ध थी तथा राज्य सरकार द्वारा 157.21 रूपये प्रति साड़ी अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रकार कुल 2076.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत प्राप्त हुई थी। उक्त अवधि में 557.21 रूपये की दर से 372660 नग साड़ी प्रदाय हेतु संचालक ग्रामोद्योग को प्रदाय आदेश दिया गया था। 2. वर्ष 2021-21 में 400 रूपये प्रति साड़ी के मान से कुल 1551.71 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त स्वीकृति अनुसार कुल 365924 नग साड़ी का प्रदाय आदेश संचालक ग्रामोद्योग को दिया गया था। 3. वर्ष 2022-23 में कुल 950 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध 187892 नग यूनिफॉर्म प्रदाय हेतु संचालक ग्रामोद्योग को प्रदाय आदेश दिया गया था। 4. वर्ष 2023-24 में साड़ी प्रदाय की कार्यवाही नहीं की गई। 5. गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व संचालक ग्रामोद्योग को सौंपा गया था। तथापि संचालक ग्रामोद्योग द्वारा गुणवत्ता के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए पत्र क्रमांक 2698 दिनांक 02.02.2024 द्वारा उल्लेख किया गया कि "सभी साड़ी गुणवत्तापूर्व प्रदाय की गई है तथा इसकी लैब टेस्टिंग भी कराई गई है। जहां भी शिकायत होगी वहां साड़ी बदलकर नई साड़ी प्रदाय किया जायेगा।" **(ग)** प्रदायित साड़ी की गुणवत्ता के संबंध में जिला-राजनांदगांव, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगली, कांकेर, धमतरी एवं दुर्ग जिले से शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की प्रति संचालक ग्रामोद्योग को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया। प्रेषित पत्र के निरंतर में संचालक ग्रामोद्योग द्वारा उपरोक्त पत्र क्रमांक 2698 दिनांक 02.02.2024 अनुसार कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है। **[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]**

छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर एवं रोकथाम हेतु संचालित योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

2. (क्र. 1151) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक छत्तीसगढ़ के बच्चों में कुपोषण दर क्या रही है तथा इसके अंतर्गत कितने बच्चे पीड़ित थे ? कितने बच्चों की मृत्यु हुयी तथा राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग कितनी थी? वर्षवार बतायें? **(ख)** उक्त वर्ष में कुपोषण की रोकथाम हेतु, कितनी योजनायें, कब-कब संचालित की गयी? उसके अंतर्गत कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया था तथा कितने कार्य, कितनी राशि से किए गए ? वर्षवार बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर व कुपोषण से पीड़ित बच्चों-

छत्तीसगढ़	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुपोषण का प्रतिशत	23.37	कोविड 19 के कारण वजन त्रौहार का	19.86	17.76	14.99
कुपोषित बच्चों की संख्या	492176	आयोजन नहीं किया गया है	432304	422413	299059

1. कुपोषण के कारण किसी भी बच्चों की मृत्यु प्रतिवेदित नहीं है। 2. राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019-21 के अनुसार कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत पाया गया जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण 31.3 प्रतिशत पाया गया । राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ 35 राज्यों में 23वें स्थान पर रहा है तथापि कुपोषण की दर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत से कम है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (क्र. 1179) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला राजनांदगांव अंतर्गत वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 15.2.2025 तक विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत बाट माप या भुगतान से कम मात्रा में सामान बेचने पर व्यक्ति, दुकान, कंपनी आदि पर कब-कब, कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? प्रकरणवार, विकासखंडवार, कार्यवाहीवार, जानकारी दें। अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों और निवारण के संबंध में कितने प्रकरण दर्ज किये गये? तथा दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई? की कार्यवाही की जानकारी विकासखण्डवार दें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जिला राजनांदगांव अंतर्गत वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 15.02.2025 तक विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत बाट माप या भुगतान से कम मात्रा में सामान बेचने पर व्यक्ति, दुकान, कंपनी आदि पर दर्ज प्रकरण, विकासखण्डवार निम्नानुसार है:-

दर्ज प्रकरण वर्ष	संस्था जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया	विकासखंड का नाम	प्रकरण का विवरण	प्राप्त राजीनामा
2023-24	मेसर्स टी.सी.आई. फ्रेट, मठपारा राजनांदगांव	राजनांदगांव	तौल मशीन में वजन में अनिमियता पाई गई।	रु. 2000
2024-25	मेसर्स जलाराम स्वीट्स अनुपम नगर राजनांदगांव	राजनांदगांव	विक्रय किये गये डिब्बा सहित मिठाई का कुल वजन कम पाया गया।	रु. 3000

शेष विकासखंड में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। राजनांदगांव जिले से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों और निवारण के संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग में प्रश्नांश "क" की अवधि में कुल 381 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 201 प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं तथा 180 प्रकरण विचाराधीन हैं। जिला उपभोक्ता आयोग में प्रकरण जिला स्तर पर दर्ज होता है, विकासखंड स्तर पर प्रकरण दर्ज नहीं होता है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में आंगनबाड़ी भवनों का रखरखाव/अनुरक्षण

[महिला एवं बाल विकास]

4. (क्र. 1734) श्री राजेश मूणत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि केन्द्र शासन के मापदंड अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों के रखरखाव/अनुरक्षण हेतु प्रति वर्ष 3 हजार रुपए का प्रावधान है ? यदि हां तो यह नियम कब का है ? क्या इसे पुनरीक्षित कर बढ़ोतरी हेतु कोई आग्रह या अनुरोध केन्द्र शासन से किया गया है ? हां तो कब, नहीं तो क्यों? **(ख)** रखरखाव/अनुरक्षण अंतर्गत कार्यों की क्या परिभाषा है? उक्त राशि रंगाई और पोताई में क्यों खर्च की जाती है ? क्या इससे आंगनबाड़ी के दूसरे कार्य नहीं हो सकते हैं ? नियम सहित जानकारी दें। **(ग)** कण्डिका "क" की राशि को पर्यवेक्षकों के खाते में ट्रांसफर करने के बजाय जिलेवार अथवा विधानसभावार एकजाई निविदा आमंत्रित कर कार्य क्यों नहीं किया जाता? जानकारी दे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हां। केन्द्र शासन द्वारा इस मद में समय-समय पर पुनरीक्षित किया गया है वर्तमान में भारत शासन द्वारा प्रसारित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के मार्गदर्शी निर्देश क्रमांक छवण् 11/4/2021-CD-1 (e-95706) दिनांक 1 अगस्त 2022 के अनुसार राशि का निर्धारण किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनुरक्षण मद में बढ़ोतरी के लिए तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा पत्र क्रमांक 964 दिनांक 16.07.2019 तथा इसके पश्चात् वर्तमान माननीय मंत्री महोदय द्वारा केन्द्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास के छत्तीसगढ़ भ्रमण के दौरान योजनाओं की प्रस्तुतीकरण व आने वाली कठिनाईयों के साथ ही विभिन्न मदों में दर बढ़ोतरी का अनुरोध किया गया था। वार्षिक क्रियान्वयन कार्ययोजना के लिए आहुत बैठक दिनांक 24.06.2022, बैठक दिनांक 04.06.2023, बैठक दिनांक 23.02.2024 तथा बैठक दिनांक 10.02.2025 में आहुत बैठकों में विभागीय सचिव द्वारा केन्द्र शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को दर बढ़ोतरी के लिए निरंतर अनुरोध किया गया है। **(ख)** आंगनबाड़ी केन्द्र के मेन्टेनेन्स से आशय है कि आंगनबाड़ी भवन में छोटे-मोटे मरम्मत, सुधार व रंगाई-पोताई के कार्य से है। इस राशि के आबंटन के साथ ही दिये गये निर्देश का विवरण निम्नानुसार है:- 1. अनुरक्षण मद का आबंटन जिलेवार स्वयं के भवनों में संचालित केन्द्रों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। अद्यतन स्थिति का सत्यापन जिला/परियोजना स्तर से किया जाकर पक्के आधिपत्य में लिये गये भवनों की वास्तविक संख्या के आधार पर ही उपरोक्त राशि व्यय करेंगे। यदि कोई भवन जर्जर है अथवा उपयोग में नहीं है तो ऐसे भवनों पर यह राशि व्यय न किया जाये। 2. प्रथमतः इस राशि का उपयोग आंगनबाड़ी भवन के संधारण में यथा शौचालय की मरम्मत, खिड़की एवं दरवाजे की मरम्मत इत्यादि आवश्यक कार्य कराया जावे। यह सुनिश्चित करें कि भवन मरम्मत के लिए यदि कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है और निर्माण शाखा से राशि प्राप्त कर रहे हैं तो इस राशि का उपयोग न किया जाये। 3. राशि का उपयोग आंतरिक/बाह्य विद्युतीकरण के लिये भी किया जा सकेगा बशर्ते स्थानीय स्तर पर कोई निधि उपलब्ध न हो अथवा भवन के प्राक्कलन में यह राशि शामिल न हो अथवा निर्माण शाखा से कोई राशि प्राप्त न की जा रही हो। इन सभी परिस्थितियों का आंकलन करने उपरांत वास्तविक व्यय के आधार पर बाह्य विद्युतीकरण/ मीटर लगाने का कार्य किया जाए। विद्युत कनेक्शन के लिये राशि सीधे सीएसईबी को वेंडर बनाते हुए राशि अंतरित करेंगे। इसका किसी भी दशा में

अग्रिम आहरण नहीं किया जा सकेगा। 4. उपरोक्त दोनों कार्य की आवश्यकता न होने पर आंगनबाड़ी भवनों की पुताई के लिए एक प्रोटो टाईप रंग संयोजन किया गया जो कि अवलोकन हेतु संलग्न है। कलर कॉम्बीनेशन को ध्यान में रखते हुए इसी प्रोटो टाईप या स्थानीय स्तर पर चिन्हांकन अनुसार बाहरी/आंतरिक दीवारों पर पुताई कराया जा सकेगा। 5. प्रत्येक भवन के लिए उपयोग में लाई गई वास्तविक राशि का संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परियोजना स्तर पर संधारित करेंगे तथा एकजाई सूची का प्रारूप संचालनालय में प्रेषित करेंगे। 6. राशि व्यय करते समय मितव्यता के सिद्धान्तों का पालन करते हुए न्यूनतम दर पर उपयुक्त व्यक्ति/संस्था से कार्य कराया जा सकता है। किसी भी दशा में वित्तीय एवं प्रशासकीय निर्देशों की अवहेलना न की जाये। 7. यह कार्य पारदर्शी प्रक्रिया से पूर्ण कराया जाना है। अतः राज्य भंडार क्रय नियमों के प्रकाश में जिला/परियोजना स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करते हुए यह कार्य उपयुक्त एवं सक्षम एजेंसी को सौंपा जाये। कार्य कराने के साथ ही इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी उचित प्रणाली विकसित की जाये। 8. प्रत्येक भवन की पुताई पूर्व एवं पुताई पश्चात फोटोग्राफ लिया जाये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक से इसकी पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। इसी आधार पर परियोजना अधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तर पर जमा करेंगे। जिला स्तर पर एकजाई प्रमाण पत्र संचालनालय को प्रेषित करेंगे। 9. उक्त आबंटन च्छडै के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। च्छडै से भुगतान करने हेतु भारत शासन एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा च्छडै के संदर्भ में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। 10. राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में जमा नहीं की जायेगी। जिला स्तर/परियोजना स्तर पर समिति का गठन करते हुए कार्य संपादित कराया जावे। (ग) परियोजना/जिला स्तर से प्रतिस्पर्धी दरों पर सक्षम एजेंसी का चिन्हांकन करते हुए कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में चना खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (क्र. 1777) श्री भूपेश बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में चना खरीदी कब बंद हुई ? चना खरीदी में क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु चना की खरीदी बंद नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक आवश्यक चना का उपार्जन भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये चने में से कल्याणकारी योजनाओं में चना वितरण योजना के अंतर्गत चने के निर्धारित निर्गम मूल्य पर जारी आबंटन के आधार पर रॉ-चना नाफेड से क्रय किया गया। भारत सरकार द्वारा आबंटित रॉ-चना को नाफेड के गोदामों से उठाव कर इसकी मिलिंग, प्रोसेसिंग आदि कार्य पूर्ण कर नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक चना की आपूर्ति हेतु एनसीसीएफ, नाफेड एवं केन्द्रीय भंडार, रायपुर से ऑफर दर प्राप्त किया गया एवं इसमें न्यूनतम दर दाता केन्द्रीय भंडार रायपुर से उपरोक्त कार्य पूर्ण कराया गया। माह अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2025 तक शेष आवश्यक चना का क्रय ई-आक्शन प्लेटफार्म में निविदा के माध्यम से क्रय किया गया है।

भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में खनिज मद से प्राप्त राशि

[महिला एवं बाल विकास]

6. (क्र. 1850) श्री देवेन्द्र यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में खनिज मद से वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 30 जनवरी, 2025 तक कितनी राशि प्राप्त हुई ? कितनी राशि खर्च की गई ? जानकारी वर्षवार दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में खनिज मद से वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 30 जनवरी, 2025 तक प्राप्त राशि एवं खर्च की गई की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

धमतरी जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत खाद्यान का परिवहन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (क्र. 2003) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक की अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा धमतरी जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान किसके द्वारा किस दर में कितनी मात्रा में कहां से कहां तक का परिवहन कार्य कराया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त कार्य हेतु निविदा किस नाम से, किस दर पर किस दिनांक को स्वीकृत हुई थी ? अनुबंध दिनांक तथा निविदा की शर्तें क्या थी ? (ग) क्या उक्त तिथि में खाद्यान के अवैध परिवहन या खाद्यान परिवहन में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हाँ तो क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में धमतरी जिले में खाद्यान्न के अवैध परिवहन या खाद्यान्न परिवहन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

चावल उपार्जन हेतु निर्धारित लक्ष्य

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 2004) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) भारत सरकार द्वारा छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2022-23, 2023-24 में कितनी-कितनी मात्रा में चावल उपार्जन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर किस-किस मद/पूल में स्वीकृति दी गई है ? वर्षवार जानकारी देंगे ? (ख) उक्त वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में केन्द्र सरकार द्वारा चावल का उपार्जन किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में राशि प्रदान की गई है ? सूखत हेतु कितनी किंटल के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है ? अवगत करावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) भारत सरकार द्वारा छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2022-23, 2023-24 में चावल उपार्जन हेतु वर्षवार केन्द्रीय पूल में चावल जमा का लक्ष्य निम्नानुसार आबंटित किया गया है-

(मात्रा लाख मे.टन में)

वर्ष	केन्द्रीय पूल		कुल
	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम	
2022-23	45.14	15.86	61.00
2023-24	67.28	15.72	83.00

(ख) उक्त वर्षों में भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में केन्द्रीय पूल के चावल का उपार्जन की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल जमा पर राशि 12109.63 करोड़ रुपये एवं सूखत हेतु 479.17 लाख किंटल पर राशि 48.89 करोड़ रुपये प्रदान की गई है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल जमा पर राशि 20896.92 करोड़ रुपये एवं सूखत हेतु 575.43 लाख किंटल पर राशि 62.84 करोड़

रुपये प्रदान की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा केंद्रीय पूल में चावल जमा पर राशि 5043.18 करोड़ रुपये एवं सूखत हेतु 450.74 लाख किंटल पर राशि 46.05 करोड़ रुपये प्रदान की गई है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा केंद्रीय पूल में चावल जमा पर राशि 5599.75 करोड़ रुपये एवं सूखत हेतु 451.77 लाख किंटल पर राशि 49.41 करोड़ रुपये प्रदान की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

जिला रायगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (क्र. 2039) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जनवरी, 2025 की स्थिति किस-किस धान खरीदी केंद्र में कितनी-कितनी मात्रा में धान खरीदी हुई है? किस-किस धान खरीदी केंद्रों से किसानों का धान नहीं लेने, ज़्यादा, कम तौल या धान जप्ती करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है, जानकारी दें? **(ख)** क्या धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खम्हार सोसायटी में किसानों के धान की जप्ती बनाकर स्वयं प्रबंधक द्वारा खरीदी करने की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो क्या उसकी जाँच कराएँगे? **(ग)** कितने धान खरीदी केंद्रों के स्वयं के भवन हैं ? कितने भवनों का निर्माण किया जा रहा है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 की स्थिति में जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की उपार्जन केंद्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। धान खरीदी केंद्रों से किसानों का धान नहीं लेने, ज़्यादा, कम तौल या धान जप्ती करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खम्हार सोसायटी में किसानों के धान की जप्ती बनाकर स्वयं प्रबंधक द्वारा खरीदी करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। **(ग)** रायगढ़ जिला के 86 धान खरीदी केन्द्रों में स्वयं के भवन है 02 उपार्जन केन्द्रों में भवन निर्माण किया जा रहा है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

राज्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लंबित प्रकरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (क्र. 2045) श्री रिकेश सेन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में आज दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या हर जिले में विवाद निपटारा हेतु माननीय न्यायाधीश उपलब्ध हैं? जिलेवार जानकारी दें ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान में 8,166 प्रकरण लंबित है। **(ख)** जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपभोक्ता विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किया जाता है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों पर कृत कार्यवाही

[समाज कल्याण]

11. (क्र. 2187) श्रीमती अनिला भंडिया (श्री कुंवर सिंह निषाद) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** माह- फरवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में फर्जी दिव्यांग

प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त करने के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रकरण/शिकायत पर जांच उपरांत कितने प्रकरणों में शिकायत सही पाई गई? जानकारी देवें? (ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रदेश में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (क्र. 2191) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में जनवरी, 2025 तक कितनी-कितनी धान खरीदी की गई है? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) कंडिका (क) अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा किस-किस मद में कितने-कितने चावल की खरीदी की स्वीकृति दी गई व कितना चावल इस एवज में जमा किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें। (ग) कंडिका (क) अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा धान खरीदी हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रदेश में खरीफ वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में जनवरी, 2025 तक धान खरीदी की जानकारी निम्नानुसार है:- (ख) कंडिका (क) अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ वर्षवार केन्द्रीय पूल में चावल जमा का लक्ष्य एवं लक्ष्य के विरुद्ध चावल जमा की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	खरीफ वर्ष	धान खरीदी की मात्रा (मे.टन में)					
1	2022-23	10753576.66					
2	2023-24	14492123.48					
3	2024-25	14924709.52					
वर्ष	केन्द्रीय पूल में आवंटित लक्ष्य			केन्द्रीय पूल में जमा चावल मात्रा			रिमार्क
	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम	कुल मात्रा	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम	कुल मात्रा	
2022-23	45.14	15.86	61	42.25	15.86	58.11	खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल जमा का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2023-24	67.28	15.72	83	61.94	15.69	77.63	
2024-25	54.28	15.72	70	3.91	5.22	9.13	

(ग) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अपितु विपणन संघ द्वारा ऋण लेकर धान खरीदी का कार्य संपादित किया जाता है। चावल जमा होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधिक लागत पत्रक दर के आधार पर राशि भारतीय खाद्य निगम/नागरिक आपूर्ति निगम से विपणन संघ को प्राप्त होता है। प्रश्नांश 'क' की अवधि में जारी प्रावधिक लागत पत्रक अनुसार मदवार व वर्षवार स्वीकृत दर "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। भारतीय खाद्य निगम/नागरिक आपूर्ति निगम में प्रदाय चावल के लिए स्वीकृत दर अनुसार कुल राशि तथा इनसे प्राप्त राशि की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

मिनी व मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र भवन व उन्नयन

[महिला एवं बाल विकास]

13. (क्र. 2192) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिसम्बर, 2024 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्डवार स्वयं के भवन में एवं किराये या अन्य भवनों में कहां-कहां पर मिनी व मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर/मरम्मत किये जाने योग्य स्वयं के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? केन्द्रवार, स्थानवार जानकारी दें। **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार किराये या अन्य भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं का भवन का निर्माण एवं जर्जर/मरम्मत किये जाने योग्य भवनों का निर्माण कब तक कराया जावेगा तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्रों में उन्नयन/अपग्रेड कब तक किया जावेगा? केन्द्रवार जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 188 आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत किये जाने योग्य स्वयं के भवन में संचालित है। शेषजानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** किराये या अन्य भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन का निर्माण एवं जर्जर/मरम्मत किये जाने योग्य भवनों के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रमशः दी जा रही है। सभी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। केन्द्रवारजानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (क्र. 2260) श्री भूपेश बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- शासन द्वारा पिछले पांच वर्षों में कितना धान खरीदी किया गया है, वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : शासन द्वारा पिछले पांच वर्षों में धान खरीदी की वर्षवार एवं जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

रायगढ़ जिला में बोगस धान खरीदी व भौतिक सत्यापन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (क्र. 2336) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2024-25 में 15.02.2025 की अद्यतन स्थिति में रायगढ़ जिला में बोगस (अनियमित) धान खरीदी के मामले प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो धान खरीदी केन्द्र वार जानकारी दें। कितने धान खरीदी केन्द्रों में भौतिक सत्यापन किया गया? भौतिक सत्यापन पश्चात् अद्यतन स्थिति क्या है? जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जी हाँ, रायगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन केन्द्रों में बोगस (अनियमितता) संबंधी 01 प्रकरण धान उपार्जन केंद्र तमनार में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । जिले के सभी 105 धान उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। भौतिक सत्यापन में एक उपार्जन केंद्र तितुर में 8955.55 क्विंटल धान का स्टॉक कम पाया गया। प्रकरणों में उप आयुक्त सहकारिता विभाग जिला रायगढ़ द्वारा कार्यवाही प्रचलित है।

रायगढ़ जिला में पंजीकृत किसानों से धान खरीदी व रकबा

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (क्र. 2337) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2024-25 में रायगढ़ जिला के कितने किसानों ने धान बेचने के लिए कितना रकबा पंजीकृत किया है? उक्त पंजीकृत रकबा में कितने किसानों ने कितना धान बेचा और कितना रकबा शेष रह गया है? धान खरीदी केन्द्र वार जानकारी देवें। क्या किसानों से रकबा समर्पण कराया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : वर्ष 2024-25 में रायगढ़ जिला के 85241 किसानों ने धान बेचने के लिए 127036.24 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत किया है। 73295 किसानों द्वारा अपने पंजीकृत रकबा के विरुद्ध 508797.64 मेटन धान बेचा और 11946 किसानों द्वारा अपने पंजीकृत रकबा 9236.24 हेक्टेयर के विरुद्ध धान विक्रय नहीं किया गया। धान खरीदी केन्द्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जी नहीं, किसानों द्वारा रकबा समर्पण किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छबीस"]

नगर पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन की स्वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

17. (क्र. 2348) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत अं.चौकी एवं छुरिया के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? इनमें कितने स्वयं के भवन में एवं कितने आंगनबाड़ी किराये के भवन में संचालित की जा रही है ? नगर पंचायतवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" के अनुसार भवन विहीन आंगनबाड़ी में नवीन आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि नहीं तो कब तक नवीन आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? कृपया समय-सीमा बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** वर्तमान में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत छुरिया के अंतर्गत 10 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 03 स्वयं के भवन में एवं 07 आंगनबाड़ी किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। नगर पंचायत अं.चौकी के अंतर्गत 11 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 04 स्वयं के भवन में एवं 07 आंगनबाड़ी किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार भवन विहीन आंगनबाड़ी में नवीन आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति शेष है। भवन स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाती है। इस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त व व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

18. (क्र. 2349) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग को शासन द्वारा किन-किन योजना में कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार जानकारी ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत राशि को कहाँ-कहाँ पर, किन-किन कार्यों में, कितना-कितना खर्च किया गया? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी

जिले अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग को शासन द्वारा प्राप्त आबंटन की वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवारजानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत राशि में से व्यय राशि की विकासखण्डवार, वर्षवारजानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

विधानसभा भाटापारा क्षेत्रांतर्गत ट्राइसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राइसिकल के पात्र हितग्राही

[समाज कल्याण]

19. (क्र. 2361) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा भाटापारा क्षेत्रांतर्गत कितने पात्र दिव्यांग हितग्राही हैं ? विगत जनवरी, 2024 से लेकर दिनांक 15.02.2025 तक कितने आवेदकों से ट्राइसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राइसिकल के लिए मांग/आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं कितने हितग्राहियों को ट्राइसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राइसिकल उपलब्ध कराई गई है ? (ख) विधानसभा भाटापारा क्षेत्रांतर्गत श्रवण बाधित हितग्राहियों एवं अन्य दिव्यांग हितग्राहियों की संख्या की जानकारी, विकासखण्डवार दे ? (ग) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में पात्र दिव्यांग हितग्राही जिन्हें ट्राइसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राइसिकल की आवश्यकता है, जिसके लिए मांग/आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कब तक ट्राइसिकल बैटरी चलित/सामान्य ट्राइसिकल उपलब्ध करा देंगे ? समय सीमा बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत 56 पात्र दिव्यांग हितग्राही हैं । जनवरी, 2024 से दिनांक 15-02-2025 तक 25 आवेदकों द्वारा बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल के लिए मांग/आवेदन प्राप्त हुए हैं । सभी 25 हितग्राहियों को बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल उपलब्ध कराई गई है । (ख) विधानसभा भाटापारा क्षेत्रांतर्गत श्रवण बाधित हितग्राहियों एवं अन्य दिव्यांग हितग्राहियों की विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड	दिव्यांगता श्रेणी					
		श्रवण बाधित	मूक बधिर	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	मानसिक मंदता	बहुदिव्यांग
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	भाटापारा	121	07	933	179	144	255

(ग) सभी आवेदकों को बैटरी चलित ट्रायसायकल/सामान्य ट्रायसायकल उपलब्ध करा दी गई है । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन

[समाज कल्याण]

20. (क्र. 2369) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? पात्रता श्रेणी (शर्त) सहित जानकारी दे? (ख) 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक जांजगीर-चाम्पा जिले के निःशक्तों को कौन-कौन सी सामाग्री प्रदाय की गई? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। (ग) जांजगीर-चाम्पा जिले में 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कहां-कहां शिविर आयोजित किया गया? उक्त आयोजित शिविर में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विकासखण्डवार, शिविरवार जानकारी प्रदान करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की संख्या

[महिला एवं बाल विकास]

21. (क्र. 2395) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की संख्या-बालक एवं बालिकाओं की कितनी-कितनी है? बताएं? (ख) क्या दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र के कार्यकर्तागण प्रशिक्षित हैं? क्या दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल में बुकलेट एवं अन्य क्या-क्या सुविधाएं सभी केंद्रों में उपलब्ध हैं? (ग) क्या सभी दिव्यांग बच्चों का आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत (प्रवेश) किया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों और कब तक इसे पूरा किया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) वजन त्यौहार 2024 के दौरान सितम्बर 2024 में बच्चों का वजन लेते समय दिव्यांग बच्चों का प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण अनुसार पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 6 वर्ष तक के कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या- 27 बालक एवं 09 बालिका है। (ख) दिव्यांग बच्चों की पहचान/चिन्हांकन के पश्चात् समाज कल्याण विभाग से आवश्यक समन्वय के निर्देश दिये गये हैं। तथापि विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल जारी किया गया है। भारत शासन से प्राप्त प्रोटोकॉल अनुसार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने एवं अन्य सेवाओं के लिए सुसंगत कार्यवाही की जा रही है। (ग) दिव्यांग बच्चों का आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत (प्रवेश) दिया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में सभी दिव्यांग बच्चों के पंजीयन के लिए समुदाय को जागरूक किया जा रहा है।

जिला बिलासपुर में महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन

[महिला एवं बाल विकास]

22. (क्र. 2402) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-बिलासपुर में फरवरी, 2025 की स्थिति में "महतारी वंदन योजना" अंतर्गत कितने महिला लाभान्वित हैं ? योजना अंतर्गत किस-किस माह में किस-किस दर से, कितने- कितने हितग्राहियों के लिए राशि जारी की गयी है? माहवार, विकासखंडवार विवरण देवें ? (ख) कंडिका "क" अनुसार कितने हितग्राहियों को राशि भुगतान हेतु लंबित है? भुगतान लंबित होने के कारण क्या हैं ? कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? माहवार, विकासखंडवार विवरण देवें ? (ग) बिलासपुर जिला अंतर्गत कितने हितग्राहियों को ₹1000 की दर से एवं कितने हितग्राहियों को ₹500 की दर से योजना अंतर्गत भुगतान किया जाता है ? विकासखंडवार विवरण देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला-बिलासपुर में फरवरी, 2025 की स्थिति में "महतारी वंदन योजना" अंतर्गत अद्यतन स्थिति तक कुल 4,21,934 पात्र महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने हेतु भुगतान अनुमोदित कर राशि जारी की गयी है। विकासखण्डवार, माहवार एवं राशिवारजानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' के अनुसार पात्र हितग्राहियों को राशि अनुमोदित कर भुगतान प्रेषित किए जाने के उपरांत आधार एवं बैंक खाते संबंधी तकनीकी कारणों से कुछ हितग्राहियों के भुगतान असफल हो जाते हैं, माहवार असफल भुगतान वाले हितग्राहियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। भुगतान लंबित/असफल होने के प्रमुख कारण हितग्राही के खाते से आधार सीडिंग न

होने, आधार नम्बर का निष्क्रिय होना, बैंक खाता अस्तित्व में ना होना या दस्तावेज़ीकरण लंबित होना, खाता नम्बर बंद अथवा स्थानांतरित होना, खाते का भुगतान रोका जाना, अन्य आधार/खाता संबंधी तकनीकी कारण हैं। तकनीकी समस्या के निराकरण उपरांत समय-समय पर पुनः भुगतान की कार्यवाही की जाती है। शत प्रतिशत भुगतान तकनीकी कठिनाईयो के निराकरण के उपरांत ही होगा, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित राशन दुकानों

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 2407) श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित राशन दुकानों के लिए वर्ष 2023-2024 से 1 फरवरी, 2025 तक कितने गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं कितने गोदामों का निर्माण हो चुका है और कितने शेष हैं ? कितने गोदाम जर्जर हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के अंतर्गत उक्त अवधि में कितनी राशन दुकानें भवनविहीन हैं ? इन भवनविहीन दुकानों एवं जर्जर गोदामों का भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार कब तक किया जाएगा ? कृपया बताएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के लिए प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकान-सह-गोदाम निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में विकासखण्ड पण्डरिया में 27 उचित मूल्य दुकान विकासखण्ड कवर्धा में 08 उचित मूल्य दुकान तथा विकासखण्ड सहसपुर लोहारा में 17 उचित मूल्य दुकान के गोदाम मरम्मत किये जाने योग्य है। (ख) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 62 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर नवीन उचित मूल्य दुकान-सह-गोदाम निर्माण स्वीकृत किया जा सकेगा।

महासमुंद जिले में समाज कल्याण विभाग को प्राप्त राशि

[समाज कल्याण]

24. (क्र. 2413) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विगत 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20 फरवरी, 2025 तक महासमुंद जिले में समाज कल्याण विभाग को किस-किस मद से, कितनी कितनी राशि, प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि को कितने कार्यों के लिए खर्च की गई है? व्यय राशि की जानकारी बताएं? (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित समयावधि के दौरान क्या सामग्री क्रय या अन्य कार्य में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

जांजगीर-चांपा व सकृती जिले में संचालित सखी वन स्टाप सेंटर

[महिला एवं बाल विकास]

25. (क्र. 2425) श्री बालेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा व सकृती जिले में अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त

आवासीय परिसर एवम सखी वन स्टाप सेंटर कहां-कहां पर संचालित हैं ? इसके संचालन हेतु क्या दिशा - निर्देश हैं? विगत 02 वर्षों में कितनी राशि, किन-किन सामग्रियों पर खर्च की गई? **(ख)** 2023-24 से फरवरी, 2025 तक जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में कितने सामूहिक विवाह आयोजित किए गए? विकासखण्डवार जानकारी दें? आयोजित किए गए सामूहिक विवाह में प्रत्येक हितग्राही के लिए कितनी राशि व्यय की गई? कौन-कौन सी सामग्री प्रत्येक हितग्राही को प्रदान की गई? सामग्रियों हेतु विभाग द्वारा कब निविदा जारी की गई और किस-किस वेंडर से खरीदी की गई? **(ग)** क्या सामूहिक विवाह में हितग्राहियों को सामग्रियों के अलावा नकद राशि देने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो राशि का विवरण विकासखण्डवार दें? सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए हितग्राहियों के चयन के लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में संचालित अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर एवं इसमें दर्ज प्रवेशित बच्चों की जानकारी तथा इन आवासीय परिसरों के संचालन के दिशा निर्देश **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। सखी वन स्टॉप सेंटर एच.आई.जी.-01, डी.डी. 163 हसदेव विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित है। जिला सक्ती में अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर में एवं सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित नहीं है। भारत शासन महिला एवं बाल विकास द्वारा मिशन शक्ति योजना का क्रियान्वयन अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार संचालित है। जांजगीर-चांपा जिले में संचालित अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर के विगत 02 वर्षों में विभिन्न सामग्रियों पर खर्च राशि का विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। जांजगीर-चांपा जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के विगत 02 वर्षों में विभिन्न सामग्रियों पर खर्च राशि का विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में विकासखण्डवार आयोजित सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह में प्रत्येक हितग्राही के लिए व्यय राशि एवं प्रत्येक हितग्राहियों को प्रदाय सामग्री की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘स’** अनुसार है। सामग्रियों हेतु विभाग द्वारा जारी निविदा एवं वेंडर जिनसे सामग्री क्रय की गई की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘द’** अनुसार है। **(ग)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत वधु को नगद राशि नहीं अपितु बैंक ड्राफ्ट/खाते के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। वितरित राशि की विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘इ’** अनुसार है। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिये हितग्राहियों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिसके उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों की सूची को विकासखण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया अपनाई गई।

छ.ग. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999 के तहत किये कार्यों की जानकारी

[समाज कल्याण]

26. (क्र. 2427) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विभाग में छ.ग. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999 प्रभावशील है? यदि हां तो इस नियम के तहत क्या राज्य निराश्रित निधि संचयित की जाती है? वर्ष 2021 से 15.02.2025 तक इस निधि में कितनी राशि किन-किन जिलों से प्राप्त हुई है एवं इस निधि से कौन से कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि किन किन जिलों को आबंटित की गयी है? राज्य निराश्रित निधी से किये गये कार्यों व स्वीकृति एवं एजेंसीयों को भुगतान की जिलेवार, वर्षवार, कार्यवार, राशिवार एजेंसीवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की स्वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

27. (क्र. 2441) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कितने नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? **(ख)** कंडिका "क" के तहत कितने आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए हैं एवं कितने स्वीकृति हेतु लंबित हैं? **(ग)** कंडिका "ख" के स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन की अद्यतन स्थिति क्या है एवं लंबित आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति कब तक कर ली जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में 32 जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। **(ख)** कंडिका "क" के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन निरंक है। **(ग)** कंडिका "ख" के स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन संख्या निरंक है क्योंकि उक्त 32 भवनों के निष्प्रायोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निष्प्रायोजन के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण -2 अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

28. (क्र. 2445) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारत सरकार की योजना सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण - 2 अंतर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड कर सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई ? योजना अंतर्गत कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई ? योजना में राज्यांश कितना था ? जिलेवार अपग्रेड आंगनबाड़ियों की संख्या बतावें? **(ख)** योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से जिला-बिलासपुर अंतर्गत कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के कराये गये ? कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किन-किन फर्मों से खरीदी गयी ? क्या क्रय सामग्रियों की तकनीकी गुणवत्ता जांच हेतु तकनीकी समिति/तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई ? क्या सामग्रियों का तकनीकी परीक्षण कराया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां तो विवरण देवें? **(ग)** क्या इस योजना में प्रश्नांश **(ख)** अंतर्गत सामग्री क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाना था ? यदि हां तो क्या सामग्रियों की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से ही की गई ? यदि नहीं तो अन्य माध्यमों से क्रय किये जाने का क्या कारण था ? क्रय एजेंसी/क्रय प्रक्रिया का विवरण देवें? **(घ)** क्या उक्त योजना हेतु राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया था ? यदि हां तो समिति के सदस्य कौन-कौन थे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नांश-'क' अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में 1740 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 1740 लाख रूपये है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश है तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। भारत शासन से राशि प्राप्त न होने के कारण सभी स्वीकृत केन्द्रों के लिए अपग्रेडेशन की कार्यवाही लंबित है। **(ख)** कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

29. (क्र. 2449) श्री ओंकार साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या धमतरी जिले में वर्ष 2023 से दिसंबर, 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार व अन्य संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक जिले के कितने राशन दुकानों में शॉर्टेज पाई गई? क्या शॉर्टेज की राशि विभाग द्वारा वसूल की जा चुकी है? पूर्ण जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** धमतरी जिले में प्रश्नांकित अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की 11 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2025 तक 04 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न में शॉर्टेज पायी गई है। उचित मूल्य दुकानवार सामग्रीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** 03 उचित मूल्य दुकानों में शॉर्टेज पायी गई, खाद्यान्न सामग्री की वसूली की जा चुकी है, 01 उचित मूल्य दुकान में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रय सामग्री

[महिला एवं बाल विकास]

30. (क्र. 2458) श्री किरण देव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2025 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित आंगनबाड़ियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कितनी कितनी मात्रा में, कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई? उक्त खरीदी हेतु जिम्मेदारी किस शाखा के किस स्तर के अधिकारियों को दी गई थी? क्रय आदेश दिनांक एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' की सामग्री, प्रदायकर्ता फर्म द्वारा निर्धारित मात्रा से कम आपूर्ति की गई थी? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी कम मात्रा में आपूर्ति की गई? कम आपूर्ति करने पर प्रदायकर्ता फर्म पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की क्रय की गई सामग्री गुणवत्ताहीन होने अथवा निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? संबंधितों पर क्या क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** किसी भी सामग्री के कम मात्रा में आपूर्ति नहीं हुई है। अतः **शेष जानकारी निरंक है। (ग)** सभी प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः **शेष जानकारी निरंक है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

31. (क्र. 2462) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने सरकारी व निजी भवनों में संचालित हैं? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उक्त

विधान सभा क्षेत्र में संचालित किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक के कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर में कुल 960 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 743 स्वयं के भवनों में, 44 किराये के भवनों में, 02 सामुदायिक भवन में एवं 36 अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं। (ख) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार हैं। भर्ती प्रक्रिया निरंतर है। उक्त रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजनांतर्गत प्रदत्त ऋण**

[महिला एवं बाल विकास]

1. (क्र. 1152) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत कितने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा ऋण हेतु आवेदन किये गये हैं? उसके विरुद्ध किन-किन शर्तों पर, अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण, किस ब्याज दर पर, कितनी अवधि के लिये, कितने महिला स्व-सहायता समूहों को प्रदाय किया गया है? वर्षवार बतायें? **(ख)** प्रश्नांक अंतर्गत उक्त समूहों में से कितने स्व-सहायता समूह मूलधन की वापसी कर पाये हैं, कितने शेष है तथा निर्धारित समयावधि के समाप्ति के बाद जो ऋण नहीं चुका पायें हैं, उनके लिये छूट देने के संदर्भ में क्या किसी प्रकार की योजना या निर्णय लिया गया है? यदि हां तो क्या निर्णय लिये गये?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ महिला कोष की महिला स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण योजना से लाभ लिए जाने कुल 6560 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा आवेदन किया गया है। इन समूहों को **संलग्न प्रपत्र- 'अ'** में उल्लेखित शर्तों के अधीन, 3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार आवेदन करने वाले समूहों को मांग अनुसार अधिकतम रू. 1.00 लाख का ऋण 24 माह की अवधि हेतु तथा अधिकतम रू. 2.00 लाख तक का ऋण 36 माह की अवधि हेतु दिया जाता है। द्वितीय बार आवेदन करने पर मांग अनुसार अधिकतम रू. 2.00 लाख से रू. 4.00 लाख तक का ऋण 48 माह की अवधि हेतु तथा अधिकतम रू. 4.00 लाख से रू. 6.00 लाख तक का ऋण 60 माह की अवधि हेतु दिया जाता है। वर्षवारजानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'ब'** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश अंतर्गत उक्त समूहों में से 2627 महिला स्व-सहायता समूह मूलधन की वापसी कर पाये हैं, 3088 शेष है तथा निर्धारित समयावधि के समाप्ति के बाद जो महिला स्व-सहायता समूह ऋण नहीं चुका पायें हैं, उनके लिए छूट देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की योजना नहीं है, न ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है।

[**संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]****प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत प्राप्त व व्यय राशि**

[महिला एवं बाल विकास]

2. (क्र. 1153) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** प्रधानमंत्री जनमन योजना कब से संचालित है? इसके अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य किया जाना है? वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कार्ययोजना के अनुरूप क्या-क्या किया जा चुका है तथा कौन-कौन से कार्य प्रचलन में हैं? वर्षवार, जिलावार बतायें? **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत उक्त वर्ष में कितनी-कितनी राशि केन्द्रांश/राज्यांश की प्राप्त हुयी है तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी और कितनी शेष है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रधानमंत्री जनमन योजना वित्तीय वर्ष

2023-24 से संचालित है। योजना के तहत विभाग अंतर्गत पीवीटीजी बसाहटों में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किया जाना है। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 54 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिनके भवन निर्माण का कार्य प्रचलन में है। प्रश्नाधीन अवधि में जिलावार विवरण:-

जिला	संचालित आं.बा. केन्द्र/स्वीकृत आं.बा. भवन की संख्या
सरगुजा	4
गरियाबंद	9
कोरबा	1
नारायणपुर	7
जशपुर	17
बलरामपुर	1
कबीरधाम	14
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1
योग	54

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में योजना अंतर्गत राशि रूपये 648.00 लाख केन्द्रांश (100 प्रतिशत) प्राप्त हुई है। जिसमें सेव्यय की राशि निरंकहै।

उपभोक्ता आयोग का गठन व दर्ज प्रकरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (क्र. 1181) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य में वर्ष 2022-23 से उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ता विवाद के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? दर्ज प्रकरणों की जिलेवार जानकारी देवें ? इनमें कितने प्रकरण निराकृत व कितने लंबित हैं? जिलेवार जानकारी देवें ? लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक कर लिया जायेगा? (ब) उपभोक्ता आयोग का गठन कैसे किया जाता है? वर्तमान में आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं? सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया एवं योग्यता की जानकारी देवें ? सदस्यों की नियुक्ति कितने दिनों के लिये की जाती है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) राज्य में वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक उपभोक्ता विवादों के दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है।** लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा निराकरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता आयोग तथा धारा 42 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग का राज्य शासन द्वारा गठन किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता आयोग के पदस्थ सदस्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।** उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान धारा 6 में, नियुक्ति हेतु अर्हता/योग्यता संबंधी प्रावधान धारा 3 एवं 4 में तथा नियुक्ति की अवधि संबंधी प्रावधान धारा 10 में है जो **जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु कार्य

[समाज कल्याण]

4. (क्र. 1604) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2021 से 2024 तक कितने दिव्यांगजन चिन्हांकित किए गए हैं ? **(ख)** उक्त अवधि के दौरान चिन्हांकित दिव्यांगजनों को सरकार के द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की गयी ? विकासखण्डवार सूची प्रदान करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2021 से 2024 तक कुल 3313 दिव्यांगजन चिन्हांकित किए गए हैं। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जिला बीजापुर अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु सामग्री क्रय

[समाज कल्याण]

5. (क्र. 1720) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर जिले में दिव्यांगजनों के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में 15.2.2025 तक कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई? इसमें कितनी वितरित हो गई? कितनी शेष है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की सामग्री को सप्लाई करने वाली एजेंसी कौन-कौन सी थी? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** बीजापुर जिले में दिव्यांगजनों के लिए सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) कानपुर एवं मेसर्स कोठारी सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम से अधिकृत डीलर) थी। इन्हें क्रमशः राशि रूपये 1,49,446/- तथा 5,14,782/- का भुगतान किया गया है। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

प्रदेश में धान खरीदी पश्चात् उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (क्र. 1735) श्री राजेश मूगत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान में से दिनांक 15 नवंबर 2024 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में 1.95 लाख मिट्रीक टन धान उपलब्ध था ? यदि हां तो आज दिनांक की स्थिति में इस धान का उठाव हो गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों विवरण देवें। **(ख)** धान खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान में से कितने धान का उठाव हो गया ? जिस धान का उठाव नहीं हो पाया, वह कहाँ संचित है ? उपार्जन केंद्र अथवा संग्रहण केन्द्र ? इस धान का उठाव कब तक कर लिए जाने की योजना है, विवरण दें। **(ग)** उपार्जन मात्रा के अनुपातिक भंडारण क्षमता, अन्य राज्यों में उपयोग हेतु प्रदाय के लिए रेल्वे रिक की कमी, मिलिंग गति में कमी इत्यादि समस्याओं का निराकरण हेतु विभाग स्तर पर क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी हाँ, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य में खरीदे

गए धान में से दिनांक 15 नवंबर 2024 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में 1.95 लाख मे.टन धान उपलब्ध था। दिनांक 05.03.2025 की स्थिति में विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में 0.29 लाख मे. टन धान संग्रहण केन्द्रों में उठाव हेतु शेष है, जिसके विरुद्ध मिलर द्वारा डी.ओ. लगाया जा चुका है तथा धान के उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान निराकरण के संबंध में निर्णय 08/11/2024 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मिलर्स द्वारा धान उठाव में विलंब करने के कारण संग्रहण केंद्रों में भण्डारित धान का उठाव 15 दिसम्बर 2024 के पश्चात प्रारम्भ हुआ। फलस्वरूप, उठाव में विलंब हुआ। **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य में खरीदे गए 149.24 लाख मे. टन धान में से दिनांक 05.03.2025 तक उपार्जन केन्द्रों से 133.50 लाख मे.टन धान का उठाव हो गया है तथा 15.74 लाख मे.टन धान का उठाव हेतु शेष है, जो कि उपार्जन केन्द्रों में संचित है। उपार्जन केन्द्रों से शेष धान का उठाव यथाशीघ्र कर लिया जावेगा। **(ग)** प्रदेश में उपार्जित धान के अनुपातिक चावल के उपार्जन हेतु 36.94 लाख की गोदाम क्षमता उपलब्ध है। पर्याप्त रेल्वे रेक उपलब्ध कराने के लिए खाद्य विभाग भारत सरकार से पत्राचार किया गया है। कस्टम मिलिंग की गति बढ़ाने हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया गया है।

प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (क्र. 1736) श्री राजेश मूणत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के कितने उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम हैं, तथा कितने उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के गोदाम नहीं हैं ? विवरण दें। **(ख)** जिन उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के गोदाम नहीं हैं, वहां खाद्यान्न भण्डारण की क्या व्यवस्था है ? **(ग)** कैलेण्डर वर्ष 2019 से 2024 तक कितने दुकान सह गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी गई ? कितने निर्मित हुए, कितने शेष हैं ? विवरण दें। **(घ)** प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में गोदाम बनाए जाने हेतु क्या कार्य योजना है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित 7,011 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम है तथा 6,805 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। **(ख)** जिन उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है, वे अन्य शासकीय भवन अथवा निजी भवनों में संचालित है। **(ग)** वर्ष 2019 से 2024 तक विभागीय बजट से 13 उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। इनमें से 05 उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का निर्माण पूर्ण हो गया है। 01 दुकान सह गोदाम निर्माणाधीन है तथा 07 दुकान सह गोदाम निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। **(घ)** विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने उपरांत उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन स्वीकृत किया जा सकेगा।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 1756) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (उचित मूल्य की दुकान) के कितने केन्द्र संचालित हैं? कितने केन्द्रों में स्वयं के खाद्यान्न गोदाम निर्मित हैं? भवन विहीन केन्द्र कितने हैं? भवन-विहीन खाद्यान्न वितरण केन्द्रों का खाद्यान्न भण्डारण कहां-कहां, कौन-कौन से भवन में किया जाता है? जानकारी केन्द्रवार दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 114 उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। इनमें से 31 उचित मूल्य दुकान स्वयं के दुकान-सह-गोदाम में तथा 83

उचित मूल्य दुकान, अन्य शासकीय भवन अथवा निजी/किराये के भवन में संचालित है। अन्य शासकीय भवन अथवा निजी/किराये के भवन में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

बसना विधानसभा क्षेत्र में निराश्रित, विधवा, वृद्ध पेंशन योजना के प्राप्त आवेदन

[समाज कल्याण]

9. (क्र. 1958) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिला के बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक निराश्रित, विधवा, वृद्ध पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना अंतर्गत पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? **(ख)** उक्त पेंशन प्रदाय करने हेतु कितने आवेदकों का आवेदन स्वीकृत कर विभिन्न पेंशन का लाभ दिया जा रहा है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला महासमुंद के बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष जनवरी, 2023 से जनवरी, 2025 तक सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए कुल 1,652 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ख)** प्राप्त आवेदनों में से 1,596 पात्र आवेदकों को स्वीकृति प्रदान कर पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जारी राशन कार्ड व प्रदाय खाद्यान्न

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (क्र. 1961) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2025 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-व्यापन करने वाले कितने परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किया गया है? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस दर पर उपलब्ध करायी जाती है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्रांकित अवधि में 598 अंत्योदय राशनकार्ड, 14,490 प्राथमिकता राशनकार्ड, 147 निःशक्तजन राशनकार्ड, 11 निराश्रित राशनकार्ड जारी किये गये हैं। विकासखण्ड पिथौरा में 410 अंत्योदय राशनकार्ड, 8,716 प्राथमिकता राशनकार्ड, 108 निःशक्तजन राशनकार्ड, 09 निराश्रित राशनकार्ड तथा विकासखण्ड बसना में 188 अंत्योदय राशनकार्ड, 5,774 प्राथमिकता राशनकार्ड, 39 निःशक्तजन राशनकार्ड, 02 निराश्रित राशनकार्ड जारी किये गये हैं। **(ख)** जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

धमतरी जिला में निःशुल्क पुर्नवास योजना के तहत स्वीकृत एवं व्यय राशि

[समाज कल्याण]

11. (क्र. 2005) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क पुर्नवास योजना अन्तर्गत जिला को विकलांगों के पुर्नवास हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस योजनाओं से

प्राप्त हुई ? **(ख)** कितनी राशि व्यय की गई कितनी शेष है ? **(ग)** उपरोक्त अवधि में निराश्रितों के लिए किन-किन मदों से कितनी राशि प्राप्त हुई ? कितनी राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई ? कितनी शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क पुनर्वास योजना संचालित नहीं है। विभागीय योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** राशि रूपये 1593.15 लाख व्यय की गई एवं राशि रूपये 53.68 लाख शेष है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत भवन विहीन आंगनबाड़ी, नवीन स्वीकृत भवन तथा स्वीकृत भवन

[महिला एवं बाल विकास]

12. (क्र. 2035) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत कितने भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? वर्ष 2024-25 में दिनांक 15.02.2025 तक कितने नवीन आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किए गए तथा स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन निर्माण की वर्तमान प्रगति क्या है ? कितने पूर्ण कितने अपूर्ण हैं तथा कब तक अपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे, जानकारी देवें? वित्तीय वर्ष में भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण कब तक हो पाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 187 भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 15.02.2025 तक कुल 12 नवीन आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये गये जिसमें से 01 भवन अप्रारंभ एवं 11 भवन अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है। भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाती है। इस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा लिया गया कर्ज व कर्ज माफी

[महिला एवं बाल विकास]

13. (क्र. 2041) श्री ब्यास कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में कुल कितने महिला स्व सहायता समूह कार्यरत हैं तथा कितने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा, किन-किन संस्थाओं से, कितना-कितना कर्ज लिया गया है? वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 के बीच कितने महिला स्व सहायता समूहों का, कितनी राशि का कर्ज माफ किया गया है तथा कितना लंबित है? लंबित होने के क्या कारण हैं? **(ख)** जिले में कितने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? क्या महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित रेडी टू ईट सामग्री का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों को किया जा रहा है? यदि हां तो इसके मानक, गुणवत्ता का निर्धारण, वितरण के लिए नियम क्या हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में जांजगीर-चांपा जिला में अमानक सामग्री वितरण की कितनी शिकायतें वर्ष 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक प्राप्त हुई है? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में कुल 758 महिला स्व सहायता समूह कार्यरत हैं 2476 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष से राशि 6,66,90,800/- रूपये का कर्ज लिया गया है। वर्ष 2023 से जनवरी 2025 के बीच महिला स्व-सहायता समूहों को कर्ज माफ नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ख)** जांजगीर-चांपा जिले में रेडी टू ईट

का निर्माण कार्य महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, अपितु छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में जानकारी निरंक है।

पोषण आहार की आपूर्ति व संचालित योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

14. (क्र. 2193) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किये जाने हेतु शासन की कौन-कौन सी योजना संचालित है तथा क्या-क्या पोषण आहार की आपूर्ति आंगनवाड़ी केन्द्र में किस प्रकार से की जाती है? योजनवार जानकारी दें। **(ख)** विगत 5 वर्षों में गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं एवं 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला बिलासपुर स्तरीय सूचकांक/दर क्या है? जानकारी दें। **(ग)** क्या मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अंतर्गत सुपोषण निधि का गठन किया गया है? यदि हाँ तो निधि का फंड निर्माण एवं संचालन की क्या प्रक्रिया एवं नियम है? जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को नाश्ता में पोहा/रेडी टू ईट का हलवा एवं गर्म पका हुआ भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी एवं तेल मसाला प्रदाय किया जाता है। नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन हेतु कच्ची खाद्य सामग्री की (चावल छोड़कर) आपूर्ति महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों, 03 से 06 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को टेक होम राशन पद्धति से रेडी टू ईट फूड पैकेट आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छ.ग. शासन का उपक्रम) द्वारा किया जाता है। **(ख)** WHO के अनुसार वृद्धि निगरानी 05 वर्ष तक के बच्चों का ही किया जाता है। विगत पांच वर्षों में 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की जानकारी एवं जिला राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019-21 की 'जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। प्रश्नांश अनुसार गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं में कुपोषण की दर के आकड़ों का संधारण नहीं किया जाता है। **(ग)** जी हाँ, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अंतर्गत सुपोषण निधि का संचालन राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश दिनांक 02.05.2020 के तहत किया जाता है। जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपलब्ध संसाधन

[समाज कल्याण]

15. (क्र. 2194) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2023 से दिसम्बर, 2024 तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपलब्ध संसाधनों के संबंध में सर्वेक्षण का कार्य किस-किस जिले में किसके माध्यम से व किस दर/राशि से कराया गया था? इसमें जिलावार कुल कितने-कितने बच्चे (बालक व बालिका) विशेष आवश्यकता वाले पाये गए हैं तथा इन्हें दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना, बालिका शिष्यवृत्ति, एस्कॉर्ट एलाउन्स एवं ट्रांसपोर्ट एलाउन्स के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार व जिलावार जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : वर्ष 2023 से दिसंबर 2024 तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपलब्ध संसाधनों के संबंध में सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। दिव्यांगजनों को

उनकी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उनसे आवेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराया जाता है। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। बालिका शिष्यवृत्ति, एस्कॉर्ट एलाउन्स एवं ट्रांसपोर्ट एलाउन्स विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत पदस्थ पर्यवेक्षकों की पदोन्नति

[महिला एवं बाल विकास]

16. (क्र. 2335) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में कितने पर्यवेक्षक कार्यरत हैं ? ब्लॉकवार नाम सहित जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** पर्यवेक्षकों के कार्य क्या-क्या हैं? **(ग)** कंडिका (क) अनुसार इनका वेतनमान क्या है ? कितने प्रतिशत पर्यवेक्षकों को सीधे पदोन्नति का लाभ दिया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षकों की ब्लॉकवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** पर्यवेक्षकों के कार्यदायित्व संबंधी निर्देश **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** पर्यवेक्षकों का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड वेतन (वेतन मैट्रिक्स लेवल-6) है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पदों पर एवं अधीक्षक, बाल देखरेख संस्था के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पदों पर पर्यवेक्षक पद से पदोन्नति का प्रावधान है। तदनुसार रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 यथा संशोधित 2024 एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप पर्यवेक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

जिला रायगढ़ में ट्राईसायकल/बैटरी युक्त ट्राईसायकल वितरण

[समाज कल्याण]

17. (क्र. 2338) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला रायगढ़ में समाज कल्याण विभाग को दिसंबर, 2023 से दिनांक 15.02.2025 तक ट्राईसायकल हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? ब्लॉकवार जानकारी दें। प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** कितने आवेदकों को ट्रायसायकल का वितरण किया जा चुका है तथा कितने बाकी हैं, जिन्हें वितरण नहीं किया गया है, उनके क्या कारण हैं? **(ग)** बैटरी युक्त ट्राईसायकल वितरण के क्या मापदण्ड हैं, जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला रायगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिसंबर, 2023 से दिनांक 15.02.2025 तक ट्रायसायकल हेतु 36 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण किया गया। ब्लॉकवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ब्लॉक का नाम	ट्रायसायकल हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या
1	रायगढ़	16
2	खरसिया	02
3	पुसौर	01
4	लैलुंगा	06
5	सारंगढ़	11

(ख) सभी 36 आवेदकों को ट्रायसायकल वितरण किया जा चुका है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैटरी चलित ट्रायसायकल वितरण हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है :-

- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हों।
- विद्यार्थियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 60% हों।
- रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 70% हों।
- आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 20000/- प्रतिमाह तक हों।

रायगढ़ जिला में कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध व धान का उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (क्र. 2339) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 15-02-2025 तक कस्टम मिलिंग के लिए कितने मिलरों ने अनुबंध किया है? कितने मिलरों ने उठाव कार्य किया है? कितने ने नहीं किया है? कस्टम मिलिंग नहीं होने से समितियों में कितना धान शेष रह गया है? मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग में रूचि नहीं लेने के क्या कारण हैं? समय पर कस्टम मिलिंग नहीं होने से प्रश्नांकित अवधि तक कितना नुकसान होने का आंकलन किया गया है? समय पर धान उठाव हो इस पर क्या कार्ययोजना बनाई गयी है? जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जिला रायगढ़ अंतर्गत 2024-25 में 15.02.2025 तक कस्टम मिलिंग के लिए 126 मिलरों ने अनुबंध किया है, जिसमें से 125 मिलरों ने उठाव कार्य किया है। दिनांक 04.03.2025 की स्थिति में समितियों में 2542.58 मे. टन धान शेष है। मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु डी.ओ. आवेदन लगातार किया जा रहा है, अब तक 4.13 लाख मे. टन धान का उठाव मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु किया गया है। इस प्रकार मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग का कार्य किया जा रहा है। समिति मिलान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समिति मिलान के उपरांत ही नुकसान का आकलन किया जा सकता है। त्वरित गति से उठाव हेतु रायगढ़ जिले के मिलरों को मिलिंग हेतु 4.41 लाख मे.टन धान आबंटित किया गया है एवं 2 संग्रहण केन्द्र प्रारंभ कर वहाँ पर धान भण्डारण किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गतिविधियों के संचालन हेतु एन.जी.ओ. को कार्यदेश

[महिला एवं बाल विकास]

19. (क्र. 2350) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक किन-किन गतिविधियों के लिए किन-किन एन.जी.ओं को कार्यदेश दिया गया है? वर्षवार, विधानसभावार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार गतिविधियों के संचालन के लिए किन-किन एन.जी.ओ को कितना अनुदान या भुगतान किया गया है? विभाग में संचालित एन.जी.ओ के नाम पता, वर्षवार, विकासखण्डवार, भुगतान दिनांक सहित जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्व-सहायता समूह द्वारा रेडी-टू-ईट वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

20. (क्र. 2351) श्री भोलाराम साह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र खुज्जी अंतर्गत रेडी-टू-ईट वितरण के लिए कुल कितने व कौन-कौन से समूह अनुबंधित हैं ? क्या सभी समूह द्वारा नियमित रूप से रेडी-टू-ईट का वितरण किया जाता है ? यदि हाँ तो इसके एवज में समूहों को कितना एवं किस दर पर भुगतान किया जाता है ? संबंधित समूहों के नाम पता सहित जानकारी दें ? **(ख)** क्या रेडी-टू-ईट का निर्माण स्व-सहायता समूहों से कराये जाने का शासन की कार्य योजना है ? कृपया बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र खुज्जी अंतर्गत रेडी-टू-ईट वितरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर द्वारा 12 अधिकृत/अनुबंधित महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, सभी समूहों के द्वारा नियमित रूप से रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु समूहों को प्रतिमाह 15000/-रूपये मानदेय एवं 1 /-रूपये प्रतिकिलोग्राम के मान से भुगतान किया जा रहा है। संबंधित समूहों के नाम पता कीजानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ प्रथम चरण में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा रेडी टू ईट निर्माण व वितरण का कार्य जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ एवं सूरजपुर में लागू किया जायेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

21. (क्र. 2355) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? मिशन शक्ति, शक्ति सदन, सखी निवास कहां-कहां एवं किनके द्वारा संचालित हैं ? जिलावार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार विधवा पुनर्विवाह योजना कब से संचालित हो रही है? इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए विभाग में छ.ग. महिला कोष की सक्षम योजना, नारी निकेतन, शक्ति सदन, सखी निवास, महतारी वंदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। मिशन शक्ति, शक्ति सदन, सखी निवास की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** विभाग में विधवा पुनर्विवाह योजना संचालित नहीं है अपितु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को लाभांशित किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित राशन दुकानों में सामाग्रियों का भौतिक सत्यापन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

22. (क्र. 2358) श्री इंद्र साव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालित राशन दुकानों में माह 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक के बचत स्टॉक का सत्यापन कब-कब किया गया है ? सत्यापन

उपरांत कौन-कौन सी राशन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कम पाई गई ? दुकानों के नाम सहित बतावें? **(ख)** राशन दुकानों में पाई गई स्टॉक की कमी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस हेतु एफआईआर दर्ज कराई गई ? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की कितने दुकानों का संचालन महिला स्व.सहायता समूहों के द्वारा एवं कितने उचित मूल्य दुकानों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की प्रश्रुतिक अवधि में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 06 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन उपरांत कम पायी गयी राशन सामग्री की दुकानवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** भौतिक सत्यापन में कम पाए गये स्टॉक के लिए उचित मूल्य दुकान संचालक जिम्मेदार है। भौतिक सत्यापन में कम स्टॉक वाले 77 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कम पाई गयी मात्रा की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। भौतिक सत्यापन में स्टॉक में कमी पाए गये उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है। इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 16(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकासखण्ड भाटापारा में 30 उचित मूल्य दुकान तथा विकासखण्ड सिमगा में 35 उचित मूल्य दुकान कुल 65 उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों का संचालन नहीं किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में बीपीएल परिवारों के लिए योजनावार राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 2359) श्री इंद्र साव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 01 जनवरी, 2024 से लेकर दिनांक 15.02.2025 तक जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्रांतर्गत योजनावार राशन कार्डों की संख्या तथा चावल की मासिक आवश्यक मात्राएं क्या-क्या हैं ? **(ख)** उपरोक्त में से किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितने परिवारों के लिए, कितनी-कितनी मात्राओं में चावल का प्रदाय विभाग द्वारा किया जाता है? **(ग)** क्या शासन के नियमानुसार जिले के योजनावार राशन कार्ड धारियों/हितग्राहियों को चावल प्रदाय नहीं करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें ? **(घ)** राज्य सरकार के द्वारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के कितने गरीब परिवारों को कितनी मात्रा में मुफ्त चावल प्रदान किया जा रहा है ? विकासखण्डवार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार हैं। **(ख)** संलग्न प्रपत्र अ में उल्लेखित योजनावार परिवारों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अन्त्योदय राशनकार्डधारियों के लिये प्रतिमाह 35 किलो चावल तथा प्राथमिकता श्रेणी के 01 सदस्य वाले राशनकार्डधारी हेतु 10 किलो, 02 सदस्य वाले राशनकार्डधारी हेतु 20 किलो तथा 03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्डधारी परिवार हेतु 35 किलो तथा 05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों हेतु 07 किलो प्रति सदस्य की पात्रता अनुसार चावल राज्य शासन द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल सामान्य परिवार के

01 सदस्य वाले राशनकार्डधारी हेतु 10 किलो, 02 सदस्य वाले राशनकार्डधारी हेतु 20 किलो तथा 03 या 03 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्डधारी परिवार हेतु प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रदाय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के निराश्रित राशनकार्डधारी तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारी हेतु प्रतिमाह 10 किलो चावल प्रदाय किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में राशनकार्डधारियों को चावल प्रदाय नहीं करने की 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से विकासखण्ड सिमगा में 01 शिकायत में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराया गया तथा विकासखण्ड पलारी में 01 शिकायत, विकासखण्ड भाटापारा में 06 शिकायत, विकासखण्ड कसडोल में 04 शिकायत, विकासखण्ड बलौदाबाजार में 02 शिकायत एवं विकासखण्ड सिमगा में 03 शिकायत कुल 16 शिकायत सही नहीं पायी गयी। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस"]

रोड क्रांसिग और ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षा मागने वाले घुमंतु बच्चों का पुनर्वास

[समाज कल्याण]

24. (क्र. 2366) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या सरकार द्वारा रोड क्रांसिग और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मागने वाले असहाय एवं घुमंतु बच्चों की संख्या में रोक लगाने हेतु किसी प्रकार का सर्वेक्षण कार्य कराया गया है? यदि हां तो बच्चों की संख्या, की जानकारी विकासखण्डवार देवे? क्या सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां तो योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन पर किये गये व्यय की जानकारी जिलेवार देवे। (ख) कितने बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है? कितने शेष है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी नहीं, सर्वेक्षण नहीं कराया गया है अपितु सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चों, असहाय व घुमंतु बच्चों के चिन्हांकन व पुनर्वास हेतु अभियान संचालित किए गए हैं। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के उचित पुनर्वास हेतु "सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बालकों हेतु पुनर्वास नीति 2022" बनाई गई है। योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन पर किये गये व्यय की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) 48 बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंपा गया है, 06 बच्चे बाल देखरेख संस्था में पुनर्वासित है एवं 01 बच्चे को अन्य राज्य में स्थानांतरित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

मापक यंत्रों के सुधार हेतु विभाग द्वारा जारी लायसेंस

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

25. (क्र. 2370) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में माप, कांटे, बाट एवं अन्य मापक यंत्रों के सुधार हेतु अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस धारी) कितने फर्म/एजेंसी अनुबंधित है? जिलावार जानकारी प्रदान करें। (ख) वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस धारी) का नवीनीकरण किया गया है? कितने लंबित है? कारण सहित जिलावार जानकारी प्रदान करें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रदेश में माप, कांटे, बाट एवं अन्य मापक यंत्रों के सुधार हेतु अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस धारी) 215 फर्म/एजेंसी अनुबंधित है, जिसकी जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ

अनुसार है। (ख) वित्तीय वित्त वर्ष 2024-25 में 19 अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस धारी) का नवीनीकरण किया गया है, जिसकी जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवीनीकरण हेतु कुल लंबित 29 आवेदन हैं, जिसकी कारण सहित जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

जांजगीर-चाम्पा जिले में दिव्यांग जनों को प्रदाय छात्रवृत्ति

[समाज कल्याण]

26. (क्र. 2371) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 15.02.2025 तक स्कूल में अध्ययनरत् दिव्यांग छात्र-छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गयी? छात्रवृत्ति के लिए पात्रता अर्हता क्या है? लाभांवित छात्रों की संख्या सहित वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रशंश (क) अवधि में वितरित छात्रवृत्ति में अपात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान करने संबंधित अथवा वितरण में अनिमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रशंश "क" अवधि में वितरित छात्रवृत्ति में अपात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान करने संबंधित अथवा वितरण में अनियमितता संबंधी कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

किराए के भवनों में संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानों हेतु भवन व्यवस्था

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

27. (क्र. 2377) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने शासकीय उचित मूल्य के दुकान स्वयं के भवन में तथा कितने अन्य के भवन में संचालित हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रशंश (क) अनुसार अन्य के भवन में संचालित दुकानों को विभाग द्वारा किस दर पर भुगतान किया जा रहा है? क्या इन किराये के (अन्य) भवनों में संचालित दुकानों के स्थान पर विभाग द्वारा स्वयं के भवन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां तो क्या? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में 31 जनवरी 2025 की स्थिति में 13 उचित मूल्य दुकान स्वयं के दुकान-सह-गोदाम में तथा 111 उचित मूल्य दुकान अन्य भवन में संचालित हैं। विकासखण्डवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) अन्य भवन में संचालित उचित मूल्य दुकानों को विभाग द्वारा किराया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर दुकान-सह-गोदाम भवन स्वीकृत किया जा सकेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

एन.जी.ओ एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संपादित कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

28. (क्र. 2378) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत वर्ष 2022 से दिनांक 15.02.2025 तक विभाग द्वारा किन-किन

एन.जी.ओ और गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं को किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार एवं संस्थावार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इन संस्थाओं के द्वारा किस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया? क्या इन संस्थाओं द्वारा तय मानकों के अंतर्गत कार्यों को संपादित किया गया? क्या इन कार्यों हेतु इस संस्थाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां तो जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नांश 'क' की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश 'ख' की जानकारी निरंक है।

नान तथा एस.डब्ल्यू.सी. में भौतिक सत्यापन के परिणाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

29. (क्र. 2386) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या नागरिक आपूर्ति निगम तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के भंडारण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाता है? विगत तीन भौतिक सत्यापन कब-कब किये गये? **(ख)** भौतिक सत्यापनों में कितनी-कितनी मात्राओं की क्या-क्या कमियां पाई गई? उनका मूल्य क्या-क्या है? कमियों के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** उक्त दोनों संस्थाओं को हुई क्षति की पूर्ति किस प्रकार की गई और की जा रही है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी हां, नागरिक आपूर्ति निगम तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के खाद्यान्न भण्डारण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन वर्ष में 02 बार किया जाता है। नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2023-24 में 01 से 05 अक्टूबर 2023, वर्ष 2024-25 में 01 से 05 अप्रैल 2024 तथा 01 से 05 अक्टूबर 2024 को किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के भण्डारण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2023-24 में 30 सितंबर 2023 के समापन पर, 31 मार्च 2024 के समापन पर तथा वर्ष 2024-25 में 30 सितंबर 2024 के समापन पर किया गया है। **(ख)** नागरिक आपूर्ति निगम के केन्द्रों में भौतिक सत्यापन उपरांत कमी नहीं पायी गयी है। स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के भण्डारण केन्द्रों में पायी गयी कमी की जानकारी "**संलग्न प्रपत्र**" अनुसार है। **(ग)** स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन में हुई क्षति की पूर्ति संबंधित कर्मचारी के वेतन से कटौती कर वसूली की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

समर्थन मूल्य पर धान का उठाव किए राईस मिलर्स

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

30. (क्र. 2389) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान का उठाव किए राईस मिलर्स में से कितने के द्वारा कितनी मात्रा में चावल जमा नहीं किया गया है? जिलावार बताएं? **(ख)** चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर्स के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** केन्द्रीय पूल तथा राज्य पूल में कितना-कितना चावल जमा होना था और कितना-कितना हुआ है? शेष चावल कितना है और क्या यह जमा कराया जा रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव करने वाले राईस मिलर्स में से 2722 राईस मिलर्स के द्वारा 52.65 लाख में. टन चावल जमा नहीं किया गया है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल

जमा का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय पूल में 70.00 लाख में. टन तथा राज्य पूल में 13.34 लाख में. टन चावल जमा किया जाना है। अब तक दिनांक 05.03.2025 के स्थिति में केन्द्रीय पूल में 8.84 लाख में. टन एवं राज्य पूल में 4.85 लाख में. टन चावल जमा किया गया है एवं केन्द्रीय पूल में 61.16 लाख में. टन एवं राज्य पूल में 8.49 लाख में. टन चावल जमा होना शेष है। जी हां शेष चावल जमा कराया जा रहा है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रचलित राशनकार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

31. (क्र. 2393) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस वर्ग के कितने-कितने राशन कार्ड दिसम्बर, 2023 तक प्रचलन में थे ? जनवरी, 2024 से फरवरी, 2025 तक उक्त वर्ग के कितने राशन कार्ड अतिरिक्त बनाए गए ? वर्तमान संख्यात्मक जानकारी बतावें ? (ख) राशनकार्ड नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण में जनवरी, 2024 से फरवरी, 2025 तक कितने हितग्राहियों के राशनकार्ड का नवीनीकरण नहीं हो पाया? उक्त प्रक्रिया के बाद वर्तमान में कितने राशनकार्ड प्रचलन में हैं? विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि तक 2,912 राशनकार्डों का नवीनीकरण शेष है। इनमें से विकासखण्ड नवागढ़ में 1,024 राशनकार्ड तथा विकासखण्ड पामगढ़ में 1,888 राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु शेष है। विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 1,02,799 राशनकार्ड प्रचलित है। विकासखण्ड नवागढ़ में 36,865 राशनकार्ड तथा विकासखण्ड पामगढ़ में 65,934 राशनकार्ड प्रचलित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

32. (क्र. 2401) श्री विक्रम मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के विरूद्ध केन्द्रीय पूल तथा राज्य पूल में कितनी-कितनी मात्रा में मोटा तथा पतला चावल जमा करने का लक्ष्य है ? इस लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति कितनी हुई है? (ख) दोनों पूल में चावल उपार्जन के लक्ष्य से अधिक कितना धान रहेगा? इस धान का क्या किया जाएगा? (ग) क्या एम.ओ.यू. के अनुसार सम्पूर्ण अतिरिक्त चावल केन्द्रीय पूल में लिया जाना है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के विरूद्ध केन्द्रीय पूल में 70.00 लाख में. टन तथा राज्य पूल में 13.34 लाख में. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, चावल के किस्म अनुसार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 05.03.2025 के स्थिति में केन्द्रीय पूल में 8.84 लाख में. टन एवं राज्य पूल में 4.85 लाख में. टन चावल जमा किया गया है। (ख) दोनों पूल में चावल उपार्जन के लक्ष्य से लगभग 35.00 लाख में. टन धान अधिक होने का अनुमान है, जिसे ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने की योजना है। (ग) राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याण कारी योजनाओं के आबंटन अनुरूप आवश्यकता के अतिरिक्त सरप्लस चावल खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल हेतु दिये गये लक्ष्य अनुसार भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किया जाना है।

बिलासपुर जिला अंतर्गत नया राशन कार्ड बनाने हेतु प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

33. (क्र. 2404) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत वर्ष 2024-2025 में फरवरी, 2025 की स्थिति में नवीन राशन कार्ड बनाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गयी है ? कितने आवेदन लंबित हैं ? जानकारी देवें ? **(ख)** लंबित आवेदन कब तक निराकृत किए जाएंगे ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बिलासपुर जिले में वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु 34,078 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर 32,946 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये है। वर्तमान में आवेदन पत्र लंबित नहीं है।**(ख)** नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र लंबित नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

बिलासपुर जिला अंतर्गत पेंशन योजना के प्राप्त आवेदन

[समाज कल्याण]

34. (क्र. 2405) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बिलासपुर अंतर्गत वर्ष 2024-25 में फरवरी, 2025 की स्थिति में पेंशन योजना अंतर्गत कितने नवीन आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गयी है ? कितने आवेदन लंबित हैं? जानकारी देवें ? **(ख)** लंबित आवेदन कब तक निराकृत किए जाएंगे ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला बिलासपुर में वर्ष 2024-25 में फरवरी, 2025 की स्थिति में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के कुल 1,828 नवीन आवेदन प्राप्त हुए हैं । सभी प्राप्त 1,828 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। कोई भी आवेदन लंबित नहीं है ।**(ख)** कोई भी आवेदन लंबित नहीं है । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कबीरधाम जिले में पदस्थ महिला पर्यवेक्षक

[महिला एवं बाल विकास]

35. (क्र. 2408) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कबीरधाम जिले में महिला पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे? विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** रिक्त महिला पर्यवेक्षकों के स्थान पर प्रभारी की भूमिका किसी और को दी जाती है ? यदि हां तो किसे दी जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** कबीरधाम जिला में महिला पर्यवेक्षको के 63 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों में से पर्यवेक्षको के 02 पद रिक्त है। विकासखण्ड वारजानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। रिक्त पद की पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** रिक्त महिला पर्यवेक्षको के स्थान पर प्रभारी की भूमिका अन्य सेक्टर के पर्यवेक्षक को दी जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

महिलाओं एवं नवजात शिशु हेतु संचालित योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

36. (क्र. 2409) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** माह जनवरी, 2024 से 1 फरवरी, 2025 तक प्रदेश में कितने नवजात शिशुओं की 1 वर्ष से कम की आयु में पर्याप्त पोषण ना मिलने से मृत्यु हुई है ? कृपया जिलावार बताएं ? **(ख)** गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु हेतु शासकीय कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? किन-किन योजनाओं में विगत 1 वर्षों में कितने लाभार्थी दर्ज हुए हैं ? उनकी संख्या जिलेवार बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** पर्याप्त पोषण ना मिलने से प्रदेश में किसी भी नवजात शिशु की मृत्यु प्रतिवेदित नहीं हुई है। **(ख)** गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओ (नवजात शिशु के लिए) हेतु संचालित योजनाएं व योजनावार दर्ज लाभार्थी की जिलेवारजानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

राज्य में एपीएल कार्ड का बीपीएल कार्ड में परिवर्तन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

37. (क्र. 2411) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड में परिवर्तित करने के क्या नियम हैं ? जिला-महासमुंद वर्ष 2023-24 से दिनांक 20 फरवरी, 2025 तक कितने एपीएल कार्डधारी परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदान किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड में बदलने में गड़बड़ियां सामने आई हैं ? यदि हां, तो किन-किन विकासखंडों में कितने मामले सामने आए हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है । जिला महासमुंद में प्रश्रांकित अवधि में एपीएल कार्डधारी परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदाय नहीं किया गया है । शेष प्रश्रांश उपस्थित नहीं होता । **(ख)** एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया है । अतः शेष प्रश्रांश उपस्थित नहीं होता ।

आंगनबाड़ी केंद्र भवनों निर्माण हेतु जारी राशि

[महिला एवं बाल विकास]

38. (क्र. 2412) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिले में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितनी राशि जारी की गई है? पूर्ण/अपूर्ण भवनों की जानकारी विकासखंडवार बताएं? **(ख)** अपूर्ण भवनों को कब तक पूर्ण किया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** अपूर्ण भवनों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में अधिकृत राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

39. (क्र. 2416) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वर्तमान में किस-किस सामग्री के वितरण हेतु कितने राशन डीलर अधिकृत हैं? संख्यात्मक विवरण प्रदान करें? (ख) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 02 वर्षों से राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस डीलर के विरुद्ध कब एवं उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कितनी खाद्य सामग्री कितने व्यक्तियों को दी जा रही है? संख्यात्मक विवरण प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल, शक्कर, नमक, चना एवं केरोसिन वितरण हेतु 205 उचित मूल्य दुकान संचालित है। (ख) जी हाँ, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-“अ” अनुसार है।** (ग) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन सामग्री की मासिक पात्रता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-“ब” अनुसार है।** विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित 1,02,372 राशनकार्डों में शामिल 3,26,998 सदस्यों को राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाएं

[महिला एवं बाल विकास]

40. (क्र. 2417) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बस्तर के विकासखण्डों में महतारी वंदन योजना अंतर्गत पंजीकृत फरवरी, 2025 की स्थिति में महिलाओं की संख्या विकासखण्डवार बतावें? कितने प्रकरणों को निरस्त किया गया तथा इनमें से कितने प्रकरणों पर पुनर्विचार कर पुनः स्वीकृत करने आवेदन प्राप्त हुआ तथा इसमें से कितने प्रकरणों को मान्य किया गया? कृपया बतावें? **(ख)** पंजीकृत महिला हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत किस-किस माह का लाभ दिया जा चुका है? लाभान्वितों की माहवार संख्यात्मक जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला बस्तर के विकासखंडों में महतारी वंदन योजना अंतर्गत फरवरी 2025 की स्थिति में, पंजीकृत में से कुल 1,92,344 पात्र हितग्राही है, योजना प्रारंभ की स्थिति में 1,94,511 आवेदकों के आवेदन पंजीकृत किये गये थे। विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। योजना प्रारंभ में प्राप्त प्रकरणों में से 285 प्रकरण निरस्त किए गए थे तथा इनमें से 09 प्रकरणों पर पुनर्विचार का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसे मान्य किया गया है तथा लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है। **(ख)** महतारी वंदन योजना अंतर्गत पंजीकृत पात्र हितग्राहियों को अब तक माह मार्च 2024 से लेकर माह मार्च 2025 तक की कुल 13 किस्तों की राशि अनुमोदित कर लाभ दिया गया है। अनुमोदित लाभार्थियों की माहवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र “ब”** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

विभाग में पंजीकृत एनजीओ एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्य

[समाज कल्याण]

41. (क्र. 2418) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विभाग में कौन-कौन से एनजीओ पंजीकृत हैं? नाम सहित जिलेवार

जानकारी दें? (ख) वर्ष 2022 से 31.01.2025 तक इन एनजीओ के लिए आदेशित कार्यों की संख्या, स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि सहित निर्धारित लक्ष्य एवं लाभान्वितों की संख्या बतावें? (ग) क्या विभाग के द्वारा प्रश्नांकित अवधि में इन एनजीओ के द्वारा गये कार्यों का मूल्यांकन/जांच की गई? यदि हां तो संक्षिप्त में बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े): (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक एन.जी.ओ. (स्वैच्छिक संस्था) के लिए आदेशित कार्यों की कुल संख्या 06, स्वीकृत राशि रूपये 3,91,68,380/- एवं राशि रूपये 3,91,68,380/- का व्यय किया गया। 1,115 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है तथा कुल 906 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। (ग) जी हाँ। विभागीय जिला अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण, राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रोस्टर के आधार पर निरीक्षण, कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर इनके कार्यों का मूल्यांकन/जांच की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ियों हेतु सामग्री का क्रय

[महिला एवं बाल विकास]

42. (क्र. 2428) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या महिला एवं बाल विकास में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ियों हेतु सामग्री क्रय करने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2022 से 15.2.2025 तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ियों के लिए कितनी राशि की, कौन-कौन सी सामग्री का, किन-किन एजेंसी से क्रय किया गया है? वर्षवार, राशिवार, सामग्रीवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हां। क्रय/प्रदाय संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

दुर्ग संभाग अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण हेतु किये गये कार्य

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

43. (क्र. 2429) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2022 से फरवरी, 2025 तक दुर्ग संभाग अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन कौन सी गतिविधियां या कार्य किये गये हैं? उक्त कार्य में कितनी राशि, किन-किन गतिविधियों हेतु व्यय की गयी है? कार्यवार जानकारी दें? संभाग के किन-किन जिलों में उपभोक्ता संरक्षण के कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं एवं कितने प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी है? जिलेवार, वर्षवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : दुर्ग संभाग के जिलों में प्रश्नांकित अवधि में उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस तथा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त आयोजन हेतु विभागीय बजट से राशि का व्यय नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। दुर्ग संभाग के जिला बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव एवं कबीरधाम में जिला उपभोक्ता आयोग कार्यरत है। इन जिलों में प्रश्नांकित अवधि में पंजीकृत एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। जिला बेमेतरा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग कार्यरत नहीं है। अतः बेमेतरा जिले के प्रकरणों की

सुनवाई दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा तथा नवगठित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों के प्रकरणों की सुनवाई राजनांदगांव जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

दिव्यांगजनों को शासन द्वारा आवागमन हेतु साधन उपलब्ध कराया जाना

[समाज कल्याण]

44. (क्र. 2442) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** शासन द्वारा दिव्यांगजनों को आवागमन हेतु कौन-कौन से योजना के तहत कौन-कौन से साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है? **(ख)** कंडिका "क" के योजनांतर्गत विगत 02 वर्षों में बिलासपुर संभाग अंतर्गत साधन उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से योजनांतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कितने आवेदन स्वीकृत कर सामाग्री का वितरण किया गया है एवं कितने लंबित हैं? **(ग)** कंडिका "ख" के लंबित आवेदनों का कब तक निराकरण कर लिया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** शासन द्वारा दिव्यांगजनों को आवागमन हेतु संचालित योजनाएं एवं साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान निम्नानुसार है :-

क्र.	आवागमन हेतु संचालित योजना	साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान
1	सामर्थ्य विकास योजना	सामान्य ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैशाखी एवं वाकर
2	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	सामान्य ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैशाखी एवं वाकर
3	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल

(ख) विगत 02 वर्षों में बिलासपुर संभाग अंतर्गत साधन उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत, वितरित एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत	वितरित
1	सामर्थ्य विकास योजना	532	532	532
2	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	553	553	553
3	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	1812	1812	1812
		2897	2897	2897

कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में धान खरीदी के दौरान व्यय राशि

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

45. (क्र. 2443) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ फसल वर्ष 2022-23, 2023-24, एवं 2024-25 में धान खरीदी कितने रू/क्विंटल की दर से की गई थी तथा उसमें कितनी-कितनी राशि समर्थन मूल्य एवं आदान राशि दी गई थी? वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के तहत केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वृद्धि, किन-किन वर्षों में, कितनी-कितनी राशि की, की गई थी? **(ग)** कंडिका "क" के वर्षों में धान खरीदी के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितने कार्यों व सामग्रियों के लिए, किसके माध्यम से, कितनी राशि, व्यय की गई थी? केंद्र व राज्य सरकार का वर्षवार विवरण देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** खरीफ फसल वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में धान

खरीदी की दर, समर्थन मूल्य पर दी गई राशि तथा आदान सहायता राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. खरीफ फसल वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर (रू. प्रति किं.)		धान की समर्थन मूल्य की राशि (करोड़ रू. में)	प्रति एकड़ आदान सहायता राशि की दर (राशि रू. में)	आदान सहायता राशि (करोड़ रू. में)
	कॉमन	ग्रेड ए			
1 2022-23	2040	2060	21,964	9,000	5,587
2 2023-24	2183	2203	31,665	19,257	13,261
3 2024-25	2300	2320	34,348	16,800	11,929

(ख) कंडिका 'क' के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई वृद्धि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. खरीफ फसल वर्ष	गतवर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य पर वृद्धि की राशि (रू. प्रति किं.)	
	कॉमन	ग्रेड ए
1 2022-23	100	100
2 2023-24	143	143
3 2024-25	117	117

(ग) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अपितु विपणन संघ द्वारा ऋण लेकर धान खरीदी का कार्य संपादित किया जाता है। चावल जमा होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधिक लागत पत्रक दर के आधार पर राशि भारतीय खाद्य निगम/ नागरिक आपूर्ति निगम से विपणन संघ को प्राप्त होता है। प्रश्नांश 'क' की अवधि में जारी प्रावधिक लागत पत्रक अनुसार मदवार व वर्षवार स्वीकृत दर "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। भारतीय खाद्य निगम/नागरिक आपूर्ति निगम में प्रदाय चावल के लिए स्वीकृत दर अनुसार कुल राशि के विरुद्ध प्राप्त राशि, राज्य शासन से प्राप्त राशि की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

[समाज कल्याण]

46. (क्र. 2446) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** समाज कल्याण विभाग अंतर्गत, जिला-बिलासपुर में कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं लागू हैं एवं उसके नियम शर्तें एवं प्रक्रिया क्या-क्या हैं ? कितने हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है ? पेंशन योजनावार, विधानसभा वार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की पेंशन योजनाओं हेतु विगत तीन वित्तीय वर्षों में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने को पेंशन प्रदाय किया जा रहा है ? कितने के आवेदन लंबित है? कितनी पेंशन योजनाओं हेतु आबंटन नहीं प्राप्त होने के कारण पेंशन लंबित है ? लंबित आवेदन/पेंशन का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त आवेदन, प्राप्त आवेदनों में से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है -

क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की स्थिति	
		प्राप्त आवेदन	लाभान्वित हितग्राही
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	90	90

2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	20	20
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	5	5
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	98	98
5.	सुखद सहारा योजना	54	54
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	84	84
योग		351	351

आबंटन के अभाव में कोई भी भुगतान लंबित नहीं है न ही कोई भी आवेदन निराकरण हेतु लंबित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

बेलतरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा कार्य संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

47. (क्र. 2447) श्री सुशांत शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने स्व-सहायता समूहों द्वारा खाद्य विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत कार्य संचालन किया जा रहा है ? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार कितनी एवं किन-किन सोसायटी के संचालन का कार्य किस-किस महिला समूहों को प्रदान किया गया है? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 48 स्व सहायता समूहों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 54 उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा है। **(ख)** जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

जिला महासमुंद में कुपोषण निवारण व पोषण आहार पर व्यय

[महिला एवं बाल विकास]

48. (क्र. 2455) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद में बच्चों में कुपोषण दर 2022, 2023 तथा 2024 में क्या रही है ? वर्ष 2024 में कुपोषित बच्चों की संख्या विकासखंडवार बतायें ? **(ख)** 01 जनवरी, 2024 से 20 फरवरी, 2025 की अवधि में कुपोषण दूर करने हेतु महासमुन्द जिले में पोषण आहार पर व्यय की जानकारी विकासखंडवार, सामग्रीवार बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला-महासमुंद में बच्चों में कुपोषण दर वर्ष 2022, 2023 तथा 2024 में क्रमशः 21.87, 19.67 प्रतिशत तथा 16.32 प्रतिशत रही है। वर्ष 2024 में कुपोषित बच्चों की संख्या का विकासखंडवार विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2024 में कुपोषित बच्चों की संख्या
1	महासमुंद	4072
3	बागबाहरा	3195
4	पिथौरा	3755
5	बसना	2313
6	सरायपाली	1965

(ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

रेडी टू ईट का महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

49. (क्र. 2457) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** फरवरी, 2025 तक कितने हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है? जिलेवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या रेडी टू ईट का निर्माण एवं वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितने महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण एवं वितरण कार्य किया जा रहा है? जिलेवार जानकारी दें ? **(ग)** अगर महिला समूहों द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण नहीं किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है? कब से और किसके आदेश से किया जा रहा है? जिलेवार जानकारी क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** फरवरी, 2025 तक पंजीकृत हितग्राहियों को रेडी टू ईट वितरण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, प्रशंसा की शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छ.ग. शासन के उपक्रम) द्वारा अप्रैल 2022 से रेडी टू ईट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" \]](#)

जिला बस्तर अंतर्गत पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राही

[समाज कल्याण]

50. (क्र. 2459) श्री किरण देव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** समाज कल्याण विभाग अंतर्गत बस्तर जिला में कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं लागू हैं एवं उसके नियम शर्तें एवं प्रक्रिया क्या क्या है ? फरवरी, 2025 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है ? पेंशनयोजनावार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रशंसा 'क' की पेंशन योजनाओं हेतु विगत तीन वित्तीय वर्षों में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने को पेंशन प्रदाय की जा रही है ? कितने के आवेदन लंबित हैं ? कितनी पेंशन योजनाओं हेतु आबंटन नहीं प्राप्त होने के कारण पेंशन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त आवेदन, प्राप्त आवेदनों में से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की स्थिति	
		प्राप्त आवेदन	लाभान्वित हितग्राही
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,270	1,256
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	871	859
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	58	53
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	426	409
5.	सुखद सहारा योजना	301	287
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	339	305
योग		3,265	3,169

आबंटन के अभाव में कोई भी भुगतान लंबित नहीं है न ही कोई भी आवेदन निराकरण हेतु लंबित है
[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुधार एवं कुपोषण मुक्ति हेतु शासन के प्रयास

[महिला एवं बाल विकास]

51. (क्र. 2460) श्री ब्यास कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति में सुधार के लिए शासन की क्या योजनाएं हैं? एवं क्या प्रयास किये जा रहे हैं? **(ख)** प्रदेश को पूर्णतः कुपोषण मुक्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? **(ग)** आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालक-बालिका, गर्भवती, शिशुवती माताओं की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति में सुधार के लिए आंगनबाड़ी भवनों के संरचनात्मक सुधार हेतु भवन के नक्शे में परिवर्तन करते हुए सभी संसाधनों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों को आकर्षक और बाल सुलभ बनाने के लिए चिन्हांकित आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। जिला स्तर पर भी स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति में सुधार की कार्यवाही की जा रही है। सभी केन्द्रों को संसाधनयुक्त बनाये जाने का प्रयास है। **(ख)** कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए 0-6 वर्ष के बच्चों का प्रतिमाह पोषण स्तर का आंकलन करते हुए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु उनके परिवार व पालकों को व्यवहार परिवर्तन के लिए समझाईश दी जा रही है। इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सामुदायिक जनजागरण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, सुपोषण चौपाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संवर्धित टीएचआर का वितरण, कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख हैं। **(ग)** विवरण उपरोक्त-‘ख’ अनुसार है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्य - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1928) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी 2025 की स्थिति में डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आं.बा.केंद्र एवं कार्यकर्ता सहायिका के भरे रिक्त पद की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संचालित आं.बा.केंद्र	आं.बा.कार्य. के भरे पद	आं.बा.कार्य. के रिक्त पद	आं.बा.सहा. के भरे पद	आं.बा.सहा. के रिक्त पद
1	डौण्डीलोहारा	235	234	1	233	2
2	डौण्डी	374	373	1	374	0
योग		609	607	2	607	2

परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 2456) की जानकारी

प्रपत्र

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों हेतु मापदंड

पात्रता के मापदण्ड :-


योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो -

- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

अपात्रता के मापदण्ड :-

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला अपात्र होंगी -

- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।


 संयुक्त संचालक

 महिला एवं बाल विकास
 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)


पॉरिशेड - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क. 2352) की जानकारी

प्रपत्र

जिला सक्ती में वर्ष 2023 से 15.02.2025 की स्थिति में मार्जिन कमीशन, वित्तीय पोषण एवं पीडीएस बारदाना की राशि के संबंध में स्वीकृत कमीशन, भुगतान की गई राशि एवं लंबित भुगतान की जानकारी (राशि रुपए में)

राशि स्वीकृति वर्ष	भुगतान अवधि	मार्जिन कमीशन राशि			वित्तीय पोषण राशि			पीडीएस बारदाना की राशि			मार्जिन राशि, वित्तीय पोषण राशि के संबंध में रिमार्क	पीडीएस बारदाना राशि के संबंध में रिमार्क
		स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि		
2023	जनवरी 2023 से मार्च 2023	8747318	6822402	703700	0	0	0	0	0	0	सितंबर 2022 के बचत स्टॉक के भौतिक संस्थापन में स्टॉक में कमी पाए गए 54 शा. उ. मू. टुकानों से 1221216.30 रु. राशि समायाजन किया गया, तकनीकी कारणों से 36 शा. उ. मू. टुकानों के 703700 रु. राशि का भुगतान लंबित है, जिसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	वर्ष 2023 के पी.डी.एस. बारदाना का उपयोग खरीफ वर्ष 2023-24 की धान खरीदी में किया गया है, जिसकी राशि समिति लोखा मिलान के पश्चात् अक्टूबर 2024 में मार्कफेड मुख्यालय द्वारा जारी की गई, जिसका टुकान संचालको को भुगतान वर्ष 2024 में किया गया।
	अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023	27340185	27340185	0	3155000	3155000	0	0	0	0		
2024	जनवरी 2024 से दिसंबर 2024	42906593	16950073	25956520.1	0	0	0	15189236	8681343	6507893	भौतिक संस्थापन में स्टॉक में कमी पाए गए 59 उचित मूल्य टुकानों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण जनवरी से दिसंबर 2024 का मार्जिन कमीशन राशि का भुगतान लंबित है।	शेष राशि 6375313 रूपये का भुगतान लंबित है, जिसमें से भौतिक संस्थापन में स्टॉक में कमी पाए गए 43 उचित मूल्य टुकानों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पीडीएस बारदाना राशि का भुगतान लंबित है।
	जनवरी 2025 से दिनांक 15.02.2025 तक		10130975	15825545.1	0	0	0		132580	6375313		
	योग	78994096	61243635	16529245	3155000	3155000	0	15189236	8813923	6375313		


 अनुभाग संचालक-2
 कक्षा प्रशासक-2
 खाद्य आर्थिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

वर्ष 2024-25 में जिलों में संचालित पालना केन्द्र की जानकारी

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
1	बालोद	6	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना गुरुर, सेक्टर गुरुर के गुरुर 4 में । परियोजना डोंडी-1, सेक्टर दोदनी के जवाहर पारा में । परियोजना बालोद सेक्टर बालोद शहरी के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 12 । परियोजना बालोद सेक्टर सिवनी के सिवनी-2 में । परियोजना बालोद सेक्टर बालोद शहरी के शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड 14 परियोजना दल्लीराजहरा सेक्टर लोडिंग सेडिंग के अंबेडकर वार्ड में
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	8	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना बलौदाबाजार, पंचशील नगर, केन्द्र 6 परियोजना बलौदाबाजार, छुईहा मा. परियोजना बलौदाबाजार, संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार परियोजना भाटापारा, गांधी मंदिर वार्ड 2 परियोजना भाटापारा, संत माताकर्मा वार्ड परियोजना भाटापारा, बजरंग वार्ड 2 परियोजना कसडोल, पर्यवेक्षक आवास, कसडोल 12 परियोजना सिमगा, श्री पंकज सामुदायिक भवन, सिमगा वार्ड 10
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	1	परियोजना रामचन्द्रपुर अंतर्गत खोपा महुआ में
4	बस्तर	4	<ol style="list-style-type: none"> कुशाभाउ ठाकरे वार्ड अटल आवास (कालीपुर) मोती लाला नेहरू वार्ड, महारानी अस्पताल गांधी नगर वार्ड, कलेक्टर परिसर संयुक्त जिला कार्यालय (किलकारी केन्द्र) श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 1, अटल आवास सनसिटी।
5	बीजापुर	1	1. मंडीपारा बीजापुर में पालना केन्द्र संचालित है।
6	दंतेवाड़ा	6	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना किरन्दुल, नेहरू कॉलोनी परियोजना किरन्दुल डबल स्टोरी परियोजना बचेली, वार्ड क्रमांक 16-1 परियोजना बचेली, वार्ड क्रामंक 17-1 परियोजना दंतेवाड़ा, चूड़ीटिकरा सियापारा कलेक्ट्रेड परिसर दंतेवाड़ा
7	कबीरधाम	3	<ol style="list-style-type: none"> कवर्धा वार्ड क्रमांक 09 नवापारा (वार्ड नंबर-14) सहसपुर लोहारा-01 पटेलपारा (वार्ड क्रमांक - 06) सहसपुर लोहारा-02

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
8	बिलासपुर	19	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना बिलासपुर शहरी, जिला अस्पताल, परियोजना बिलासपुर शहरी, शनिचरी बाजार परियोजना बिलासपुर शहरी, गणेश नगर परियोजना बिलासपुर शहरी, जिला कोर्ट परियोजना बिलासपुर शहरी, कलेक्टर परिसर परियोजना बिलासपुर शहरी, जिला पंचायत परिसर परियोजना बिलासपुर शहरी, पुलिस लाईन परियोजना बिलासपुर शहरी, बृहस्पति बाजार परियोजना बिलासपुर शहरी, सिम्स हॉस्पिटल 1 परियोजना बिलासपुर शहरी, सिम्स हॉस्पिटल 2 परियोजना बिलासपुर शहरी, रेल्वे स्टेडियम परियोजना बिल्हा, वार्ड क्रमांक 4, शहीद भगत सिंह परियोजना बिल्हा, सिरगिट्टी वार्ड क्र. 11 संत कबीर परियोजना तखतपुर, महाराणा प्रताप वार्ड 2 परियोजना सरकण्डा, वार्ड क्र. 52 लिंगियाडीह परियोजना सरकण्डा, वार्ड क्र. 68 बड़ी कोनी परियोजना सरकण्डा, वार्ड क्र. 68 छोटी कोनी परियोजना कोटा, नगर पंचायत कोटा परियोजना बिल्हा, तिफरा वार्ड क्र 1 कालिका नगर
9	धमतरी	7	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना धमतरी शहरी, सेक्टर धमतरी 1 के वार्ड हटकेश्वर क्र. 1 में परियोजना धमतरी शहरी, सेक्टर धमतरी 2 के सोरिद वार्ड क्रमांक 2 परियोजना धमतरी शहरी, सेक्टर धमतरी 3 के वार्ड क्रमांक जोधापुर परियोजना कुरुद, सेक्टर कुरुद शहरी में परियोजना कुरुद, सेक्टर भखारा के पूर्व ग्राम पंचायत भवन भठेली में परियोजना मगरलोड, सेक्टर मगरलोड के सामुदायिक भवन वार्ड क्र. 7 भैसमुण्डी में परियोजना धमतरी ग्रामीण, सेक्टर रूद्री 2 के कलेक्टर परिसर में
10	दुर्ग	16	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना भिलाई-2, विद्युत मंडल भिलाई-03, वार्ड क्र.11 विद्युत मंडल कालोनी में परियोजना भिलाई-2, सिरसाकला, वार्ड क्र. 36 सिरसाकला में परियोजना पाटन, नगर पंचायत पाटन परियोजना जामगांव एम, अमलेश्वर

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
			5. परियोजना भिलाई-01, सुमरित नगर खम्हरिया, जुनवानी वार्ड क्र 01 6. परियोजना भिलाई-01, बिजली पारा छावनी, छावनी बस्ती वार्ड क्र. 41 7. परियोजना भिलाई-01, आजाद मार्केट रिसाली, वार्ड क्र. 24 8. परियोजना भिलाई-01, हुडको, शहीद कौशल यादव वार्ड क्र. 70 9. परियोजना भिलाई -01, आरक्षी नगर, राजीव नगर वार्ड क्र. 09 10. परियोजना दुर्ग शहरी, सिकोला भाठा वार्ड क्र. 14 11. परियोजना दुर्ग शहरी, सिकोला बस्ती, हनुमान मंदिर गली सिलोला वार्ड क्र. 16 12. परियोजना दुर्ग शहरी, शक्ति नगर, वार्ड क्र. 17 13 परियोजना दुर्ग शहरी, पुलगांव केन्द्र 01, शिवपारा वार्ड क्र. 55 14. परियोजना कार्यालय दुर्ग शहरी, बैजनाथ पारा कलेक्ट्रेड के पीछे, कचहरी वार्ड क्र. 39 15. परियोजना दुर्ग शहरी, मोचीपारा, सुराना कॉलेज, वार्ड क्र. 40 16 परियोजना दुर्ग शहरी, केन्द्रीय जेल, पद्मनाभपुर पूर्व वार्ड क्र. 48
11	गरियाबंद	7	1. राजिम 18 के शिवाजी वार्ड 11 राजिम 2. कोपरा 02 के गांधी चौक वार्ड 09 कोपरा 3. फिंगेश्वर 06 के गरीबनाथ वार्ड क्र. 14 फिंगेश्वर 4. छुरा क्र. 04 महात्मा बुद्ध वार्ड 05 के नगर पंचायत छुरा 5. कलेक्ट्रेट परिसर संयुक्त जिला कार्यालय 6. रायपुर देवभोग मुख्य मार्ग आं.बा. केन्द्र क्र. 01 के सामने किराये के भवन मैनपुर में। 7. देवभोग 04 नगर पंचायत वार्ड क्र. देवभोग
12	जशपुर	1	बालाजी वार्ड, ब्लाक कॉलोनी , जशपुर में
13	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	2	1. परियोजना गौरैला, गुरुकुल 2. परियोजना मरवाही बरेहाटोला
14	कांकेर (उत्तर बस्तर)	2	1. परियोजना कांकेर के शहरी सेक्टर के कंकालीपारा में 2. परियोजना पखंजुर के वार्ड क्र. 04 शीतलापारा में
15	जांजगीर-चांपा	5	1. परियोजना बम्हनीडीह, सेक्टर चाम्पा शहरी के गौशाला वार्ड क्र. 01 चांपा। 2. परियोजना बम्हनीडीह, सेक्टर चांपा शहरी के लक्ष्मीदेवी

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
			<p>वार्ड क्र. 11 चांपा।</p> <p>3. परियोजना बम्हनीडीह, सेक्टर चांपा ग्रामीण के प्रेमनगर, सबरिया डेरा, चांपा</p> <p>4. परियोजना नवागढ़, सेक्टर शिवरीनारायण के जनकपुर वार्ड क्र 01 शिवरीनारायण ।</p> <p>5. परियोजना अकलतरा, सेक्टर अकलतरा शहरी के सी.सी.आई लेबर कालोनी अकलतरा वार्ड क्र. 18।</p>
16	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	1	वार्ड न. 14 टिकरीपारा, गंडई
17	कोण्डागांव	2	<p>1. कोण्डागांव कलेक्ट्रेट परिसर</p> <p>2. कोण्डागांव जिला अस्पताल</p>
18	कोरबा	16	<p>1. परियोजना कोरबा (श.) के कुसमुड़ा-02</p> <p>2. परियोजना कोरबा (श.) के गंगानगर</p> <p>3. परियोजना कोरबा (श.) के भदरापारा</p> <p>4. परियोजना कोरबा (श.) के नेहरूनगर</p> <p>5. परियोजना कोरबा (श.) के गजरा-01</p> <p>6. परियोजना कोरबा (श.) के कटाईनार</p> <p>7. परियोजना कोरबा (श.) के कुदरीपारा</p> <p>8. परियोजना कोरबा (श.) के पंप हाऊस</p> <p>9. परियोजना कोरबा (श.) के मेंगजीनपारा</p> <p>10. परियोजना कोरबा (श.) के किशोरन्याय बोर्ड क्षेत्र</p> <p>11. परियोजना कोरबा (श.) के कलेक्ट्रेट परिसर</p> <p>12. परियोजना कोरबा (श.) के जिला सत्र न्यायालय FTSC (पॉक्सो)</p> <p>13. परियोजना कटघोरा के डीपरापारा-02</p> <p>14. परियोजना कटघोरा के दीपका-09</p> <p>15. परियोजना कटघोरा के दीपका-07</p> <p>16. परियोजना कटघोरा के दीपका-04</p>
19	कोरिया	2	<p>1. परियोजना बैकुण्ठपुर अंतर्गत भट्ठीपारा नया</p> <p>2. परियोजना बैकुण्ठपुर अंतर्गत छिदडांड में</p>
20	महासमुंद	6	<p>1. परियोजना महासमुन्द शहरी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड</p> <p>2. परियोजना महासमुन्द ग्रामीण, तुमगांव 1</p> <p>3. परियोजना महासमुन्द ग्रामीण, बिरकोनी 4</p> <p>4. परियोजना बागबाहरा, बागबाहरा वार्ड 7</p> <p>5. परियोजना बसना, बसना वार्ड 14</p> <p>6. परियोजना सरायपाली, सरायपाली वार्ड 1 अ</p>

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2	1. वार्ड 29 इंदिरा नगर, बड़ा बाजार 2. वार्ड 22 संजय वार्ड रांपाखेरा
22	मुंगेली	1	1. परियोजना मुंगेली में जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित
23	नारायणपुर	1	1. कलेक्ट्रेड परिसर, नारायणपुर
24	रायगढ़	11	1. परियोजना खरसिया, सेक्टर मदनपुर के ब्राम्हनपाली 1 में 2. परियोजना खरसिया, के पानी पत्थर बस्तीपारा में 3. परियोजना खरसिया, खरसिया शहरी के हनुमान चौक में 4. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर रायगढ़ 02 के झोपड़ीपारा पथरापाली में 5. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर रायगढ़ 2 के पुलिस लाईन में 6. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर रायगढ़ के बड़े अतरमुड़ा 1 में 7. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर चक्रधर नगर के पंजरी प्लांट में 8. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर जूटमील के गांधी नगर वार्ड क्रमांक 33 9. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर जूटमील के समाधीगली वार्ड क्रमांक 31 10. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर दरोगापारा के चामदा गोदाम वार्ड क्रमांक 38 11. परियोजना रायगढ़ ग्रामीण, सेक्टर राजापारा के चामदा कोस्तापारा वार्ड क्रमांक 20
25	राजनांदगांव	10	1. परियोजना डोंगरगढ़ के वार्ड नं. 03 (1) केदार बाड़ी 2. परियोजना डोंगरगढ़ के वार्ड नं. 10 (1) कालका पारा 3. परियोजना डोंगरगढ़ के वार्ड नं. 15 राजेन्द्र वार्ड, बुधवारी पारा डोंगरगढ़ 4. परियोजना राजनांदगांव (शहरी) के पुराना ढाबा वार्ड नं. 04 5. परियोजना राजनांदगांव (शहरी) के कलेक्ट्रेड परिसर 6. परियोजना राजनांदगांव (शहरी) के वर्धमान नगर वार्ड 19 7. परियोजना राजनांदगांव (शहरी) के मेडिकल कॉलेज पेण्डी

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
			<p>8. परियोजना राजनांदगांव (शहरी) के आर.के. नगर वार्ड 45</p> <p>9. परियोजना राजनांदगांव (शहरी) के जिला अस्पताल बसंतपुर</p> <p>10. परियोजना डोंगरगांव के पीपरपारा परना, ग्राम पंचायत परना, डोंगरगांव</p>
26	रायपुर	25	<p>1. परियोजना रायपुर शहरी-01 के महंत लक्ष्मी नारायण के पास वार्ड नं. 43</p> <p>2. परियोजना रायपुर शहरी-01 के विमिन बिहारी सुर वार्ड क्रं. 64</p> <p>3. परियोजना रायपुर शहरी-01 के मोरेश्वर रायगन्द्रे वार्ड नं. 59</p> <p>4. परियोजना रायपुर शहरी-01 के अरविन्द दिक्षीत वार्ड नं. 56</p> <p>5. परियोजना रायपुर शहरी-01 के पं. भगवती चरण शुक्ल वार्ड नं. 57</p> <p>6. परियोजना रायपुर शहरी-02 के विवेकानंद आश्रम</p> <p>7. परियोजना आरंग के निसदा-03</p> <p>8. परियोजना तिल्दा के कुदरू</p> <p>9. परियोजना तिल्दा के बरतोरी (सि.)</p> <p>10. परियोजना तिल्दा के मानपुर तुलसी</p> <p>11. परियोजना तिल्दा के छपोरा</p> <p>12. परियोजना तिल्दा के बुडगहन</p> <p>13. परियोजना तिल्दा के मोहदी</p> <p>14. परियोजना तिल्दा के टण्डवा</p> <p>15. परियोजना धरसीवा-01 के टेकारी केन्द्र क्रं.-04</p> <p>16. परियोजना धरसीवा-01 के सारागांव 02</p> <p>17. परियोजना धरसीवा-01 के जरौद-01</p> <p>18. परियोजना धरसीवा-01 के निलजा-01</p> <p>19. परियोजना धरसीवा-02 के सिलतरा</p> <p>20. परियोजना धरसीवा-02 के सांकरा</p> <p>21. परियोजना धरसीवा-02 के मांदर</p> <p>22. परियोजना धरसीवा-02 के वार्ड क्रं. 13, नपानि बीरगांव</p>

क्रमांक	जिला	संचालित पालना केन्द्र की संख्या	संचालित पालना केन्द्र का स्थान
			23. परियोजना धरसीवा-02 के वार्ड क्र. 22, नपानि बीरगांव 24. परियोजना धरसीवा-02 के वार्ड क्र. 04, नपानि बीरगांव 25. परियोजना धरसीवा-02 के वार्ड क्र. 40, नपानि बीरगांव
27	सूरजपुर	4	1. पुराना कलेक्ट्रेड परिसर, लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र.-11, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के बगल में। 2. पालना कलेक्ट्रेड परिसर, लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र.-11, सूरजपुर। 3. बाल विकास परियोजना, भैयाथान में डॉ. अब्दुल कलाम वार्ड क्र.-14, भटगांव । 4. बाल विकास परियोजना प्रतापपुर में चर्च कालोनी वार्ड क्र.-06 प्रतापपुर।
28	सारंगढ़-बिलाईगढ़	2	1. परियोजना सारंगढ़, झरियापारा 2. परियोजना बिलाईगढ़, वार्ड 04
29	सुकमा	1	1. जिला-सुकमा कलेक्ट्रेट परिसर में
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	1	1. हाउसिंग बोर्ड के सामने, श्याम शाह महाविद्यालय के पीछे
31	सरगुजा	2	1. कलेक्ट्रेट परिसर, अंबिकापुर 2. जिला अस्पताल के पीछे, अंबिकापुर
योग		175	

परिशेष - पाँच


तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क. 2360) की जानकारी

प्रपत्र

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं से जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा के लाभान्वित हितग्राहियों को भुगतान की गयी राशि की विकासखण्डवार जानकारी

(राशि रुपये इकाई में)

क्रमांक	योजना का नाम	विकासखंड का नाम											
		बलौदाबाजार		भाटापारा		पलारी		सिमगा		कसडोल			
		हितग्राही संख्या	भुगतान राशि	हितग्राही संख्या	भुगतान राशि	हितग्राही संख्या	भुगतान राशि	हितग्राही संख्या	भुगतान राशि	हितग्राही संख्या	भुगतान राशि		
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1561	72.87	4952	159.92	2605	102.62	4897	173.48	5619	185.06		
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1013	69.48	1633	85.52	791	64.55	2262	102.35	1495	82.91		
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	221	10.4	160	8.12	28	5.22	254	11.31	276	13.01		
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	720	146.13	1198	259.84	2879	260.51	1684	286.85	2704	344.83		
5.	सुखद सहारा योजना	1002	74.88	990	74.19	1473	98.48	1410	94.95	1944	104.19		
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	13229	813.11	5022	383.11	2958	294.15	2146	264.16	7626	520.19		
	योग-	17746	1186.87	13955	970.70	10734	825.53	12653	933.10	19664	1250.19		


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर


प्रश्न

जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत अनाथालय से गुम/लापता बच्चों की जानकारी

क्र.	बाल देखरेख संस्था का नाम	विकास खंड का नाम जहां बाल देखरेख संस्था संचालित है।	गुम हुए बालकों का विवरण				बच्चों के व्यवस्थापन की जानकारी
			वर्ष	बाल देखरेख संस्था से गुम/लापता बालकों की संख्या	वापस लिए गए बालकों की संख्या	वर्तमान में लापता बालकों की संख्या	
1	बाल गृह (बालक) हेल्प एण्ड हेल्प समिति द्वारा संचालित	विकास खंड नवागढ़	2021	7	7	0	<ul style="list-style-type: none"> 06 बालकों को बालगृह (बालक) जांजगीर चांपा में जो हेल्प एण्ड हेल्प समिति द्वारा संचालित है, में संस्थागत पुर्नवास किया गया 01 बालक को परिवार में पुर्नवासित किया गया।
			2022	6	6	0	<ul style="list-style-type: none"> 01 बालक को बालगृह (बालक) जिला कोरबा में जो सोशल रिवाइवल ग्रुप ऑफ अर्बन, रुरल एंड ट्रायबल समिति द्वारा संचालित है, में संस्थागत पुर्नवास किया गया। 01 बालक को बालगृह (बालक) जिला मुंगेली में जो महाकौशल विकास समिति द्वारा संचालित है, में संस्थागत पुर्नवास किया गया। 03 बालकों को परिवार में पुर्नवासित किया गया। 01 बालक को बाल कल्याण समिति जिला पश्चिम सिंहभूमि झारखंड में स्थानांतरित किया गया।

भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन एवं एपीएल राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता एवं उपभोक्ता दर की जानकारी

क्रमांक	राशनकार्ड का प्रकार	मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर		
		चावल	शक्कर	नमक
1	प्राथमिकता राशनकार्ड	01 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 10 किलो, प्रति कार्ड प्रतिमाह, निःशुल्क	01 किलो, 17 रूपये प्रति किलो की दर पर	01 किलो, निःशुल्क
		02 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 20 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह, निःशुल्क		
		03 से 05 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह, निःशुल्क		
		05 से अधिक सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह, निःशुल्क		
2	अंत्योदय राशनकार्ड	35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह, निःशुल्क	01 किलो, 17 रूपये प्रति किलो की दर पर	01 किलो, निःशुल्क
3	निःशक्तजन राशनकार्ड	10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह, निःशुल्क	निरंक	
4	सामान्य राशनकार्ड	01 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 10 किलो, 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह		
		02 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 20 किलो, 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह		
		03 या अधिक सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 35 किलो, 10 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह		


अनुभाग अधिकारी

दस्तावेज क्रमांक-2

स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2261) की जानकारी

प्रपत्र - अ

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सावित्र के तहत हितग्राहियों को प्रदान किये जाने वाले शुद्ध, चना, नमक क्रय निविदाओं की जानकारी

क्र	निविदा/सामग्री का नाम	निविदा वर्ष	समूह/जोन का नाम	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार	सफल निविदाकार लिखित कार्यवाही जारी किया गया	सफल निविदाकार से कुल क्रय मात्रा मे.टन	क्रय दर प्रति मे.टन	कुल क्रय राशि लाख रुपये में
1	चना क्रय निविदा	2022-23 (प्रथम निविदा)	समूह क्र - 01	मेसर्स के.के. एग्री ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर मेसर्स अन्वे इंडस्ट्रीज, रायपुर मेसर्स चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जगदलपुर मेसर्स विकास ट्रेडर्स, रायपुर मेसर्स संजय ग्रैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर मेसर्स श्री श्याम पल्सेस रायपुर मेसर्स संजय ग्रैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	मेसर्स के.के. एग्री ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	15594.044	55707.000	8686.97
			समूह क्र - 02	मेसर्स विकास ट्रेडर्स रायपुर मेसर्स नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निकॉफ) रायपुर	मेसर्स संजय ग्रैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	12971.92	56450.00	7322.65
			समूह क्र - 03	मेसर्स चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जगदलपुर मेसर्स जे.पी.एग्रोटिक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	निविदा निरस्त की गई थी।	-	-	-
			समूह क्र - 04	श्री बजरंग दाल इन्डस्ट्रीज रायपुर मेसर्स अन्वे इंडस्ट्रीज रायपुर मेसर्स सूरज पल्सेस, गंधापारा रायपुर	श्री बजरंग दाल इन्डस्ट्रीज रायपुर	10047.4	56990	5726.01

क्र	निविदा/ सामग्री का नाम	निविदा वर्ष	समूह/ जोन का नाम	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार	सफल निविदाकार जिन्हें कार्यवाही जारी किया गया	सफल निविदाकार से कुल क्रय मात्रा मे.टन	क्रय दर प्रति मे.टन	कुल क्रय राशि लाख रुपये में
		2022-23 (द्वितीय निविदा समूह क्र.-3 के लिए)	समूह क्र - 03	मेसर्स विनोद कुमार जैन एग्री एक्विजम प्रा.लिमि. जशपुरनगर मेसर्स के.के. एग्री ट्रेड वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड, लिमिटेड, मेसर्स संजय ग्रैन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर मेसर्स सूरज पल्सेस, गंजपारा रायपुर मेसर्स नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निकॉफ) रायपुर मेसर्स विकास ट्रेडर्स, रायपुर मेसर्स के.पी. एग्रोटिक प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर मेसर्स प्रथम ट्रेडर्स, रायपुर मेसर्स कैलाश चन्द्र हीरालाल जैन	मेसर्स विनोद कुमार जैन एग्री एक्विजम प्रा.लिमि. जशपुरनगर	10981.543	54259.80	5958.56
2	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक क्रय निविदा	2022-23	जोन ए (रायपुर, दुर्ग एवं वस्तर संभाग)	तेरापंथ फूड्स लिमिटेड बजाज साल्ट प्राईवेट लिमिटेड चिरई साल्ट प्राईवेट लिमिटेड सुपर साल्ट प्राईवेट लिमिटेड श्री राधाकृष्ण साल्ट प्राईवेट लिमिटेड जागनाथ साल्ट प्राईवेट लिमिटेड सम्राट सी ब्राईन प्राईवेट लिमिटेड श्री दुर्गा केम फूड माहेश्वरी साल्ट टेक्नॉलॉजी कंपनी	तेरापंथ फूड्स लिमिटेड	70978.891	9138.00	6486.051

क्र	निविदा/सामग्री का नाम	निविदा वर्ष	समूह/जोन का नाम	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार	सफल निविदाकार बिना कार्यवाही जारी किया गया	सफल निविदाकार से कुल क्रय मात्रा मे.टन	क्रय दर प्रति मे.टन	कुल क्रय राशि लाख रुपये में	
3	मधुर गुड़ क्रय ई-निविदा	2022-23	जोन बी (विलासपुर एवं सरयुजा संभाग)	निविदाकार					
				श्री राधे केम फूड					
				अमरनाथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड					
				कच्छ ब्राईन केम इण्डस्ट्रीज					
				बजाज साल्ट प्राइवेट लिमिटेड					
				वेसटर्न इंडिया सी ब्राईन प्राइवेट लिमिटेड					
				जागनाथ साल्ट प्राइवेट लिमिटेड					
				प्रगति साल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड					
				महावीर नमक उद्योग					
				अरिहंत साल्ट प्रोडक्शन					
मेसर्स विनोद जैन एगो एक्विम प्राई लिमि									
मेसर्स जी.पी.एगोटिक प्राई.लिमि.									
मेसर्स महात्मा गांधी साल्ट सुण्डी									
मेसर्स विकास ट्रेडर्स रायपुर									
मेसर्स मिलाप ट्रेडर्स									
नेशनल को-ऑपरेटिव कज्यूर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर									
नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नेफेड) रायपुर									
मेसर्स विनोद जैन एगो एक्विम प्राई.लिमि. जयपुर नगर						15069.63	49409	7445.75	
नेशनल को-ऑपरेटिव कज्यूर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर						17886.546	37516.700	6710.44	
1	चना क्रय निविदा	2023-24	समूह क्र.- 01						

क्र	निविदा/ सामग्री का नाम	निविदा वर्ष	समूह/ जौन का नाम	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार	सफल निविदाकार जिन्हें कार्यवाही जारी किया गया	सफल निविदाकार से कुल क्रय मात्रा में.टन	क्रय दर प्रति में.टन	कुल क्रय राशि लाख रुपये में
			समूह क्र - 02	नेशनल को-ऑपरेटिव कन्स्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नेफेड) रायपुर	नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नेफेड) रायपुर	16266.405	37361.70	6077.41
			समूह क्र - 03	नेशनल को-ऑपरेटिव कन्स्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नेफेड) रायपुर	नेशनल को-ऑपरेटिव कन्स्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर	14358.26	37626.7	5402.54
			समूह क्र - 04	नेशनल को-ऑपरेटिव कन्स्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नेफेड) रायपुर	नेशनल को-ऑपरेटिव कन्स्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनसीएसएफ) रायपुर	12068.464	37666.7	4545.79
2	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक क्रय निविदा	2023-24		जयदीप केम फूड प्राइवेट लिमिटेड श्री राधे केम फूड सम्राट सी ब्राईन प्राइवेट लिमिटेड अंबिका केम फूड इंडस्ट्रीज आदिनाथ केम फूड श्रीराम केम एच प्राइवेट लिमिटेड				

*क्र	निविदा/ सामग्री का नाम	निविदा वर्ष	समूह / जोन का नाम	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार	सफल निविदाकार जिन्हें कार्यवाही जारी किया गया	सफल निविदाकार से कुल क्रय मात्रा मे.टन	क्रय दर प्रति मे.टन	कुल क्रय राशि लाख रूपये में
			जोन ए (रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग)	तेरापंथ फूड्स लिमिटेड श्री राधाकृष्ण साल्ट प्राइवेट लिमिटेड सागर केम फूड इंडस्ट्रीज आस्था साल्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जागनाथ साल्ट प्राइवेट लिमिटेड भारत साल्ट कंपनी सुपर साल्ट प्राइवेट लिमिटेड वेसटर्न इंडिया सी ब्राईन प्राइवेट लिमिटेड परफेक्ट केमफूड इंडस्ट्रीज मधुसूदन ओमप्रकाश अग्रवाल नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया श्री बालाजी केमफूड इंडस्ट्रीज श्री दुर्गा केम फूड प्राइवेट लिमिटेड नाहता साल्ट एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड पंकज आयोडाइज्ड साल्ट इंडस्ट्रीज आदिनाथ साल्ट केम इंडस्ट्रीज श्री नमक उद्योग	तेरापंथ फूड्स लिमिटेड	-	10449.00	-
3	रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक क्रय निविदा	2023-24						

क्र	निविदा/ सामग्री का नाम	निविदा वर्ष	समूह/ जोन का नाम	निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार	सफल निविदाकार जिन्हें कार्यआदेश जारी किया गया	सफल निविदाकार से कुल क्रय मात्रा मे.टन	क्रय दर प्रति मे.टन	कुल क्रय राशि लाख रुपये में
			जोन बी (बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग)	अमरनाथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड अहिर साल्ट इंडस्ट्रीज महेश्वरी साल्ट ट्रेडिंग कंपनी जेके साल्ट प्राइवेट लिमिटेड श्री राम ब्राईन केम इंडस्ट्रीज बजाज साल्ट प्राइवेट लिमिटेड अरिहंत साल्ट प्रोडक्शन श्री शांकाभर केमफूड इंडस्ट्रीज चौगले साल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ओसियन क्लोराईड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोक्पूरमेंट प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग कॉर्पोरेटिव ऑफ इंडिया मेसर्स विनोद जैन एग्रो एक्विजम प्राई लिमि मेसर्स जी.पी.एग्रोटैक प्राई.लिमि.	श्री दुर्गा केम फूड प्राइवेट लिमिटेड	-	10499.90	-
५	मधुर गुड क्रय ई-निविदा	2023-24	बस्तर संभाग	मेसर्स विनोद जैन एग्रो एक्विजम प्राई लिमि मेसर्स जी.पी.एग्रोटैक प्राई.लिमि.	मेसर्स विनोद जैन एग्रो एक्विजम प्राई.लिमि. जशपुर नगर	9824.83	54320.00	5336.85
			बस्तर संभाग	मेसर्स महात्मा गांधी साल्ट मुण्डी	मेसर्स जी.पी.एग्रोटैक प्राई.लिमि. रायपुर	7948.77	54320.00	4317.77

अनुभाग अधिकारी


कक्ष क्रमांक-2

स्वाध्याय न्यायिक आर्पति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र -ब

प्रदेश में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में घना, नमक, शक्कर, गुड़ वितरण हेतु राशनकार्डधारियों की संख्या

क्रमांक	जिला	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24		
		शक्कर एवं नमक वितरण हेतु राशनकार्डों की संख्या	घना वितरण हेतु राशनकार्डों की संख्या	गुड़ वितरण हेतु राशनकार्डों की संख्या	शक्कर एवं नमक वितरण हेतु राशनकार्डों की संख्या	घना वितरण हेतु राशनकार्डों की संख्या	गुड़ वितरण हेतु राशनकार्डों की संख्या
1	बस्तर	181506	181506	181506	183118	183118	183118
2	बीजापुर	66193	66193	66193	67335	67335	67335
3	दन्तेश्वर	72684	72684	72684	73703	73703	73703
4	कांकेर	156370	156370	156370	162245	162245	162245
5	कौंडागांव	131236	131236	131236	136122	136122	136122
6	नारायणपुर	31830	31830	31830	32096	32096	32096
7	सुकमा	75834	75834	75834	76374	76374	76374
8	दिलासपुर	439581	68291	0	464081	71403	0
9	गोरिला-पेन्ना-मरवाही	103667	103667	0	105236	105236	0
10	जांजगीर-चांपा	266250	0	0	291702	0	0
11	कोरबा	278355	278355	0	295806	295806	0
12	मुंगेली	213194	0	0	220721	0	0
13	रायगढ़	274004	175478	0	283200	181422	0
14	बालोद	182507	32948	0	190826	33902	0
15	बेमेतस	231619	0	0	247817	0	0
16	दुर्ग	320434	0	0	346350	0	0
17	कवर्धा	252354	27193	0	263564	33684	0
18	राजनांदगाव	197019	0	0	202838	0	0
19	बलौदा बाजार	288381	20663	0	321658	23104	0
20	धमतरी	202581	48887	0	215170	51258	0
21	गरियाबंद	184136	103409	0	192978	108411	0
22	महासमुंद	269381	96907	0	287014	104593	0
23	रायपुर	450023	0	0	474188	0	0
24	बलरामपुर	196146	196146	0	209030	209030	0
25	जशपुर	219776	219776	0	229077	229077	0
26	कोरिया	70235	70235	0	72505	72505	0
27	सरगुजा	244651	244651	0	258022	258022	0
28	सुरजपुर	207363	207363	0	216761	216761	0
29	खैरागढ़-सुईखदान-गडई	95032	12328	0	99573	13201	0
30	माहला-मोर्नापुर-जबागढ़ चौकी	64775	64775	0	67101	67101	0
31	सक्ती	191281	11902	0	207058	12462	0
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	182977	29705	0	197709	31927	0
33	मन-द्रगढ़-नचरोमरा-भरतपुर	86129	86129	0	89969	89969	0
	योग	6427504	2814461	715653	6780947	2939867	730993


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य न्यायिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय जयपुर

पारिशेष - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2424) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बलौदाबाजार एवं रायपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सम्पन्न सामूहिक विवाह की जानकारी

वित्तीय वर्ष	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक	विवाहित जोड़ों की	सामूहिक विवाह आयोजन स्थल का पूर्ण पता	
1	2	3	4	5	6	
2022-23	बलौदाबाजार- भाटापारा	बलौदाबाजार	29.04.2022	39	गायत्री मंदिर बलौदाबाजार	
		सिमगा	02.05.2022	46	सुहेला (सिमगा)	
		भाटापारा	15.01.2023	14	मावली माता सिंगारपुर (भाटापारा)	
			03.03.2023	3	गायत्री मंदिर भाटापारा	
			26.03.2023	28	जोगीडीपा गुरा (भाटापारा)	
		पलारी	22.04.2022	66	गायत्री मंदिर पलारी	
		योग		196		
	रायपुर	अभनपुर	11.12.2022	6	कलाम कोठी, नवापारा	
			18.03.2023	29	सामुदायिक भवन, अभनपुर	
			25.03.2023	8	सामुदायिक भवन, अभनपुर	
		धरसीवा 01	20.03.2023	59	शासकीय उच्चतर मा.शाला डूंडा	
		रायपुर शहरी 01	20.03.2023	20	गोंडवाना भवन, धरम नगर, संजय नगर, रायपुर	
		रायपुर शहरी 02	21.03.2023	10	गोंडवाना भवन, सिद्धार्थ चौक, रायपुर	
		धरसीवा 02	19.03.2023	73	बंजारी मंदिर/गुरुकुल विद्या मंदिर परिसर रावाभाठा	
		आरंग	21.03.2023	40	अम्बेडकर भवन, आरंग, रायपुर	
		मंदिर हसौद	21.03.2023	40	अम्बेडकर भवन, आरंग, रायपुर	
		तिल्दा	10.03.2023	27	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला (मिडिल स्कूल) बंगोली	
		योग		312		
	2023-24	बलौदाबाजार- भाटापारा	बलौदाबाजार	24.02.2024	20	ग्राम कोलियारी (ब.बा.)
			कसडोल	17.03.2024	26	देवरीकला, कसडोल
सिमगा			26.06.2023	29	चौरैगा, सिमगा	
			15.02.2024	45	सांस्कृतिक भवन सिमगा	

वित्तीय वर्ष	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक	विवाहित जोड़ों की	सामूहिक विवाह आयोजन स्थल का पूर्ण पता
1	2	3	4	5	6
2023-24	बलौदाबाजार- भाटापारा	भाटापारा	03.03.2024	16	सिंहासन पाठ, भाटापारा
			08.03.2024	7	सिंहासन पाठ, भाटापारा
			12.04.2023	11	सिंहासन पाठ, भाटापारा
			17.03.2024	52	जोगीडीपा, भाटापारा
			19.04.2023	22	बेंदरी, भाटापारा
			24.02.2024	15	बेंदरी, भाटापारा
			25.02.2024	5	मोपका, भाटापारा
		पलारी	22.02.2024	20	नगरभवन पलारी
			11.03.2024	28	छेरकापुर खेल मैदान
			13.03.2024	7	परियोजना पलारी मैदान
		सोनाखान	13.06.2023	23	सोनाखान
			23.02.2024	53	सोनाखान
		लवन	18.02.2024	10	गायत्री मंदिर लवन
योग				389	
2023-24	रायपुर	अभनपुर	03.02.2024	56	प्राथमिक शाला भवन, निमोरा, अभनपुर
		धरसीवा 01	25.06.2023	80	स्व. योगेन्द्र शर्मा उच्चतर मा. शाला, टेकारी
		धरसीवा 01	03.03.2024	61	हरदिहा साहू समाज कांदुल, रायपुर
		धरसीवा 01	05.03.2024	21	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जोरा कृषक नगर जोरा सामूदायिक भवन
		धरसीवा 02	25.06.2023	40	बंजारी मंदिर/गुरुकुल विद्या मंदिर परिसर रावाभाठा
		धरसीवा 02	03.02.2024	45	शिवमंदिर परिसर, ग्राम पंचायत चरौदा
		तिल्दा	03.02.2024	10	के.के. राइस मिल तिल्दा-नेवरा,
		तिल्दा	26.02.2024	10	शिवमंदिर चौक ग्राम पंचायत चरौदा धरसीवा

वित्तीय वर्ष	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक	विवाहित जोड़ों की	सामूहिक विवाह आयोजन स्थल का पूर्ण पता
1	2	3	4	5	6
2023-24	रायपुर	मंदिर हसौद	06.03.2024	20	अम्बेडकर भवन आरंग
		आरंग	06.03.2024	45	अम्बेडकर भवन आरंग
		रायपुर शहरी 01	05.03.2024	22	कृषि वि.वि. रायपुर छ0ग0
		रायपुर शहरी 02	03.03.2024	11	हरदिहा साहू समाज कांदुल, रायपुर
			05.03.2024	19	कृषि वि.वि. रायपुर छ0ग0
		योग		440	
2024-25 में प्रश्नावधि	बलौदाबाजार- भाटापारा	बलौदाबाजार	07.01.2025	25	गायत्री मंदिर बलौदाबाजार
		पलारी	08.01.2025	24	पलारी
		सिमगा	03.12.2024	30	देवांगन समाज सिमगा
		योग		79	
2024-25 में प्रश्नावधि तक	रायपुर	रायपुर 01	12.12.2024	5	मंगल भवन, धरसीवां
		रायपुर 01	15.12.2024	20	महादेवघाट पुन्नी मेला स्थल, रायपुरा, रायपुर
		रायपुर 02	11.12.2024	25	मंगल भवन, धरसीवां
		धरसीवा 01	15.12.2024	37	महादेवघाट पुन्नी मेला स्थल, रायपुरा, रायपुर
		धरसीवा 01	26.02.2025	15	राजिम कुंभ मेला स्थल
		धरसीवा 02	11.12.2024	37	मंगल भवन, धरसीवां
		अभनपुर	15.12.2024	37	आत्मानंद स्कूल परिसर, ग्राम खोरपा, अभनपुर
		अभनपुर	26.02.2025	36	राजिम कुंभ मेला स्थल
		आरंग	15.12.2024	31	अम्बेडकर भवन आरंग
		मंदिर हसौद	15.12.2024	26	अम्बेडकर भवन आरंग
		तिल्दा	11.12.2024	13	मंगल भवन, धरसीवां
		योग		282	

प्रपत्र-ब

जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सम्पन्न सामूहिक विवाह में जोड़ों को प्रदाय सामग्री एवं चयनित निविदाकारों की जानकारी

वित्तीय वर्ष	जिले का नाम	प्रत्येक हितग्राही को प्रदाय सामग्री का विवरण	उक्त उपहार सामग्री की खरीदी निविदा	चयनित निविदाकारों का नाम एवं पूर्ण पता एवं संस्था की जानकारी
1	2	3	4	5
2022-23	बलौदाबाजार- भाटापारा	वैवाहिक साड़ी सेट, कुर्ता-पैजामें का सेट, साफा, चुनरी, जूता-चप्पल, श्रृंगार सामग्री बाक्स, मंगलसूत्र, बिछिया, गद्दा, तकिया, चादर, चटाई, टीन पेटी, हाथ घड़ी, टेबल फेन, थाली, लोटा, गुंडी, गिलास, कटोरी चम्मच, ड्रम, जग, परात, टिफिन बॉक्स, बर्तन जाली, तवा, भगौना, कढ़ाही, बाल्टी, पाटा बेलन, सर्विस चम्मच, प्लास्टिक-टब मग, बाल्टी, दिवाल घड़ी, कुर्सी, छाता।	हां	मेसर्स बजरंग रेडीमेड बलौदाबाजार
		चौंदी का मंगलसूत्र सेट (कान के टॉप्स सहित), चौंदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी, वर के लिये कुर्ता एवं पाजामा, दुल्हे का सेहरा और मुकूट, कलगी एवं हार सहित कम्प्लीट सेट, दुल्हन का और मुकूट एवं हार कम्प्लीट सेट, काँच की चूड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिन्दूर, आलता, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, श्रृंगार बॉक्स, नेल पालिस, लिपस्टिक	हां	जिनेन्द्र यूनिफॉर्म, देवेन्द्र नगर, रायपुर
	स्टील थाली, स्टील प्लेट, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील गुण्डी, स्टील टिफिन बॉक्स, प्रेशर कुकर, स्टील परात, टीन की पेटी, लोटा, आलमारी, गद्दा, चादर, तकिया सेट, बाल्टी, स्टील भगोना	नहीं, सीएसआईडीसी के तत्कालीन ई-मानक पोर्टल से क्रय	आरएटल सल्स कापारशन, समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स, रायपुर अंशुल इंटरप्राइजस, आलमारी मैदान के पास, सुखराम नगर, गोगांव, रायपुर	
2023-24	बलौदाबाजार- भाटापारा	वैवाहिक साड़ी सेट, कुर्ता-पैजामें का सेट, साफा, चुनरी, जूता-चप्पल, श्रृंगार सामग्री	हां	मेसर्स बजरंग रेडीमेड बलौदाबाजार
		थाली, परात, कटोरी, ग्लास, भगोना, जग, पानी ड्रम, बकेट, करछुली, टिफिन, सर्विस चम्मच, झारा, स्पाईस बॉक्स, कढ़ाही, अनाज कोठी, चिमटा, लोटा, टब, मग, स्टूल, कूकर, टिन बॉक्स।	नहीं, सीएसआईडीसी के तत्कालीन ई-मानक पोर्टल से क्रय	मेसर्स आरएटल सल्स कापारेशन, सीएफ 58 सवमेत शिखर, रायपुर नमा इंटरप्राइजस, शाप न. 12, आरडीए कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर, रायपुर

वित्तीय वर्ष	जिले का नाम	प्रत्येक हितग्राही को प्रदाय सामग्री का विवरण	उक्त उपहार सामग्री की खरीदी निविदा	चयनित निविदाकारों का नाम एवं पूर्ण पता एवं संस्था की जानकारी
1	2	3	4	5
2023-24	रायपुर	चाँदी का मंगलसूत्र सेट (कान के टॉप्स सहित), चाँदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी, वर के लिये कुर्ता एवं पाजामा, दुल्हे का सेहरा मोर मुकूट, कलगी एवं हार सहित कम्प्लीट सेट, दुल्हन का मोर मुकूट एवं हार कम्प्लीट सेट, काँच की चूड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिन्दूर, आल्टा, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, श्रृंगार बॉक्स, नेल पालिस, लिपस्टिक,	हां	आयुष ट्रेडिंग कंपनी, अंबिकापुर
		स्टील थाली, स्टील प्लेट, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील गुण्डी, स्टील टिफिन बॉक्स, प्रेशर कुकर, स्टील परात, टीन की पेंटी, लोटा, आलमीरा, गद्दा, चादर, तकिया सेट, बाल्टी, स्टील भगोना	नहीं, सीएसआईडीसी के तत्कालीन ई-मानक पोर्टल से क्रय	आारएटल सल्स कापारशन, समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स, रायपुर अंशुल इंटरप्राजिस, आलमारी मैदान के पास, सुखराम नगर, गोगांव, रायपुर
2024-25 में प्रश्नावधि तक	बलौदाबाजार- भाटापारा	चाँदी का मंगलसूत्र, बिछिया वैवाहिक साड़ी सेट, कुर्ता-पैजामें का सेट, साफा, चुनरी, जूता-चप्पल	हां	मेसर्स बजरंग रेडीमैंड बलौदाबाजार
	रायपुर	चाँदी का मंगलसूत्र सेट, चाँदी की बिछिया, वधु के लिये साड़ी सेट, वर के लिये कुर्ता, पाजामा एवं शर्ट पैंट सेट, दुल्हे का सेहरा मोर मुकूट, कलगी, एवं हार सहित कम्प्लीट सेट, दुल्हन का मोर मुकूट एवं हार कम्प्लीट सेट, काँच की चुड़ी, कंधी, टेल्कमपाउडर, दर्पण, सिन्दूर, आल्टा, बिन्दी, नहाने का साबुन, गठबंधन, चुनरी लाल, मेंहदी, जूती, लेडिज सैंडल, श्रृंगार बॉक्स, नेल पालिस, लिपस्टिक	हां	गोल्डन मेमेंट्स, सदर बाजार, रायपुर

परिशेष - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1178) की जानकारी

प्रपत्र

आईसीडीएस के तहत दी जा रही सेवाएं


क्र.	परियोजना का नाम	विकासखंड का नाम	06 माह से 03 वर्ष के बच्चे	दी गई सेवाएं	03 वर्ष से 06 के बच्चे	दी गई सेवाएं	गर्भवती माताओं की संख्या	दी गई सेवाएं	शिशुवती माताओं की संख्या	दी गई सेवाएं
1	राज. शहरी	राजनांदगांव	4367		4436		763		727	
2	राज. ग्रामीण-01		4450	पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं,	4194	शाला पूर्व शिक्षा, पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं,	918	पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच,	687	पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा,
3	राज. ग्रामीण-02		3094	टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	3314	टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	614	स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	493	स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
4	डोंगरगांव	डोंगरगांव	4940		4907		1005		834	
5	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	8155		8470		1529		1134	
6	छुरिया-01	छुरिया	3837		4055		739		491	
7	छुरिया-02		3201		3492		645		479	
योग:-			32044		32868		6213		4845	

प्रपत्र

कर्मचारियों को कार्य पर रखने के मापदण्ड

निगम के संचालक मण्डल की बैठक क्रमांक 34 दिनांक 14.12.2015 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 34.08 में संचालक मण्डल द्वारा गोदामों की सुरक्षा, साफ-सफाई एवं कीटनाशक औषधियों के छिड़काव आदि कार्यों के लिये श्रमिकों को कार्य पर रखने हेतु निम्न मापदण्डों के अधीन प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है -

- (1) निगम की कार्यशील भण्डारगृह शाखाओं की भण्डारण क्षमता, गोदामों की संख्या, परिसर की संख्या एवं रात्रिकालीन सुरक्षा, धर्मकांटा पर स्कंध की तौलाई तथा कम्प्यूटर कार्य हेतु कार्य के आधार पर अस्थाई श्रमिकों का नियोजन किया जायेगा।
- (2) शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत औचित्य सहित मांग का मुख्यालय स्तर पर समीक्षा उपरांत श्रमिक को कार्य पर रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की जावेगी।
- (3) शाखा पर कार्य की आवश्यकता न होने से अथवा किराये के गोदाम रिक्त होने पर श्रमिकों को कार्य से पृथक किया जावेगा।
- (4) शाखा के गोदाम परिसर की संख्या, कार्यालय से दूरी एवं दूरस्थ वनांचल/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक परिसर में रात्रिकालीन सुरक्षा हेतु 01 श्रमिक अतिरिक्त की व्यवस्था की जावेगी।
- (5) शाखा के 01 परिसर में स्थित गोदामों की भण्डारण क्षमता -
 - (अ) 5000 मे0टन तक 09 श्रमिक
 - (ब) 5001 से 10,000 मे0टन तक 11 श्रमिक,
 - (स) 10,001 से 25,000 मे0टन तक 15 श्रमिक,
 - (द) 25,000 मे0टन से अधिक भण्डारण क्षमता होने पर 20 श्रमिक की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परीशेष्ट - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2410) की जानकारी

पृष्ठ- "अ"

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला महासमुंद से पंजीकृत मिलों की मिलिंग क्षमता की जानकारी

क्र.	मिल का नाम	पंजीयन क्र.	मिलिंग क्षमता (मे.टन प्रति घंटा में)
1	आस्था चावल उद्योग	MA588264	4
2	आदिश्वर राइस मिल	MA581670	8
3	आदित्य राइस मिल	MA585391	4
4	अग्रसेन राइस मिल	MA582237	2
5	एग्रीकल्चर फूड एंड फारेस्ट टूडस	MA587869	4
6	अम्बे राइस इंडस्ट्रीज	MA581739	4
7	आम्बिका पेडी प्रोसेसिंग प्लान्ट	MA582811	4
8	आनंद राइस मिल	MA586985	3
9	अजिना राइस मिल	MA584243	6.1
10	अन्नपूर्णा राइस इंडस्ट्रीज	MA583750	2
11	अन्नपूर्णा राइस मिल	MA585989	4
12	अन्नपूर्णा राइस इंडस्ट्रीज	MA582008	3.98
13	अराधना राइस मिल	MA584188	2
14	आरिहत राइस टेक प्राइवेट लिमिटेड बागबहरा	MA581406	4
15	अरावंद एग्री इंडस्ट्रीज	MA588156	4
16	आरिवन्द राइस इंडस्ट्रीज	MA581598	4
17	ए एस एग्रिपेड प्राइवेट लिमिटेड	MA584057	5
18	ए एस एग्रिपेड प्राइवेट लिमिटेड	MA584887	5
19	ए एस एग्रिपेड प्राइवेट लिमिटेड	MA587537	3
20	आशुतोष राइस	MA587826	4
21	आयुष राइस मिल यूनिट 2	MA588957	2
22	बालाजी राइस मिल	MA58874	4
23	बालोदिया राइस मिल	MA583067	6
24	बालोदिया राइस मिल	MA581614	6
25	भगवन श्री इंडस्ट्रीज	MA587248	6
26	भगवती इंडस्ट्रीज	MA583054	10
27	भगवती इंडस्ट्रीज	MA583092	12
28	भगवती राइस इंडस्ट्रीज	MA581315	2
29	भोलनाथ एग्री प्रोडक्ट	MA584543	4
30	चौडिका एग्री इंडस्ट्रीज	MA58756	3
31	छत्तीसगढ़ राइस मील पिथौरा	MA583044	3
32	छत्तीसगढ़ राइस मील पिथौरा	MA581790	3
33	चोपड़ा ट्रेडिंग कंपनी अरवा	MA583053	4
34	चोपड़ा ट्रेडिंग कंपनी उसना	MA581423	4
35	दादूराम राइस प्रोडक्ट	MA588304	3.5
36	दादूराम राइस प्रोडक्ट्स	MA588373	3.5
37	गणेश एग्री इंडस्ट्रीज	MA582939	5.2
38	गणपति राइस मिल	MA58681	3
39	गर्ग इंडस्ट्रीज बागबहरा	MA583173	5.46
40	गर्ग इंडस्ट्रीज लिस सत्यम	MA583232	4
41	गिरिराज राइस इंडस्ट्रीज	MA582301	3
42	गुलाब टूडस	MA583050	6
43	गुलाब टूडस	MA586077	3
44	गुलाब टूडस	MA5810416	6
45	गुरुदेव इंडस्ट्रीज	MA585531	3
46	गुरुनानक राइस मिल	MA583486	3.58
47	एच आर फूड	MA586438	4
48	हमार बसल राइस मिल	MA584512	4.18
49	हरी ओम राइस	MA581665	3
50	हरिप्रिया राइस मिल जागनिपाली	MA587160	4

मिल का नाम	पंजीयन क्र.	मिलिंग क्षमता (मे.टन प्रति घंटा में)
51 हरकेश एग्रोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	MA58838	3
52 हिन्दुस्तान एग्रोटिक	MA581454	2
53 एच के राईस इंडस्ट्रीज	MA5811017	3
54 इंटीग्रेटी एक्सिम इंडिया	MA582414	2
55 जगत गोविन्द राईस मिल	MA584102	2
56 जगदम्बा ग्रोडिंग एंड प्रोसेसिंग प्लान्ट यूनिट 11	MA581867	4
57 जगदम्बा ग्रोडिंग एंड प्रोसेसिंग प्लान्ट यूनिट	MA582666	2
58 जय चर्डी एग्रोटिक	MA582201	4
59 जिंदल ट्रेडर्स पिथौरा	MA586298	4
60 कलश राईस मिल	MA581288	4
61 कामद राईस एग्रो इंडस्ट्रीज	MA58456	4
62 कमल राईस इंडस्ट्रीज	MA587088	6.1
63 कमल राईस मिल	MA581472	2
64 खेतावत इंडस्ट्रीज	MA581556	6.12
65 खेतावत इंडस्ट्रीज	MA583016	4
66 कृष्णा राईस मिल	MA581570	4
67 कृष्णा ट्रेडर्स	MA582645	3
68 क्षमा ट्रेडर्स धान प्रोसेसिंग	MA581929	2
69 लक्ष्मी देवी राईस मिल	MA587632	4
70 लक्ष्मी राईस मिल	MA583584	3
71 मेसर्स कान्हा राईस मिल	MA585608	3
72 मेसर्स मनाषा एग्रोटिक यूनिट 2	MA588139	2
73 मेसर्स शिव शंकर एग्रोटिक्स	MA587683	4
74 मेसर्स श्री श्याम राईस मिल	MA589687	2.98
75 मेसर्स श्याम एग्रो	MA589896	4
76 मा अन्नपूर्णा एग्रोटिक	MA586888	6
77 मा अन्नपूर्णा राईस मिल	MA583304	4
78 मा गायत्री एग्रोटिक	MA581527	4
79 मा गायत्री राईस मिल	MA581542	2.5
80 मा घटेश्वरी राईस मिल	MA582120	4
81 मा सिद्धदात्रा राईस मिल	MA585866	3
82 मा वनदुर्गा एग्रोटिक	MA582744	2.5
83 मधुश्री एग्रो	MA584664	6
84 महालक्ष्मी राईस मिल	MA583258	4
85 मनाधर राईस मिल	MA58506	4
86 मंडाली राईस मिल	MA582100	5.28
87 मनीष एसोसिएट	MA583041	3.94
88 मनीष एसोसिएट	MA589199	5.2
89 एम एस अग्रवाल धान प्रसाधन	MA585004	2.5
90 बाबा हरिदास राईस मिल	MA582479	4
91 एम एस दीपक एग्रो	MA582222	4
92 एम एस गणपति राईस	MA589437	4
93 एम एस गोपाल राईस इंडस्ट्रीज	MA589578	2.94
94 एम एस कमल राईस इंडस्ट्रीज	MA5811088	4
95 एम एस कान्हा राईस मिल	MA583208	3
96 मेसर्स कृष्णा राईस मिल	MA58703	4
97 मनीषा एग्रोटिक	MA582368	4
98 एम एस फुलझर ट्रेडर्स	MA582614	2
99 एम एस राधा केशव राईस	MA582398	4
100 एम एस सजय राईस इंडस्ट्रीज	MA5810123	2.5
101 एम एस सजय ट्रेडिंग कम्पनी	MA58189	3.34
102 एम एस सीमा सिद्धि राईस मिल	MA588267	2
103 एम एस साई बाबा राईस मिल	MA589037	4
104 एम एस तनिषक फूड इंडस्ट्रीज	MA582451	4
105 एम एस तथास्तु एग्रो टिक	MA582271	3

मिल का नाम	पंजीयन क्र.	मिलिंग क्षमता (मे.टन प्रति घंटा में)
106 एन एल राईस इंडस्ट्रीज	MA587978	4
107 एन आर फूड्स	MA581218	3
108 नाकोडा राईस इंडस्ट्रीज	MA582407	3
109 नाकोडा राईस इंडस्ट्रीज	MA583004	3
110 नीलाचल एग्री टेक	MA583390	1.86
111 नीलाचल राईस मिल	MA588625	3.24
112 एनएल राईस इंडस्ट्रीज	MA589092	7.88
113 एनएल राईस इंडस्ट्रीज	MA588594	4
114 एन एल राईस इंडस्ट्रीज यूनिट 2	MA584715	6
115 आर्म साई राईस मिल	MA584575	4.02
116 आर्म ट्रेडसे	MA581309	4
117 परशु राईस मिल	MA581432	2
118 पटेल राईस मिल	MA582338	2
119 पितावली राईस मिल	MA583327	6
120 पितावली राईस मिल	MA582243	3
121 पूजा राईस इंडस्ट्रीज	MA582393	2
122 प्रशांत राईस	MA583161	4
123 प्रसान्त राईस मिल	MA581900	4
124 प्रियंका इंटरप्राइजेज	MA584283	3
125 प्रियंका ट्रेडिंग कम्पनी	MA586003	2
126 राजबश एसोसिएट	MA583172	4
127 राजबश एसोसिएट	MA581171	3
128 राजाकिरण राईस इंडस्ट्रीज	MA582091	4
129 राम निवास हनुमान प्रसाद	MA582056	4
130 रामचंडा फूड प्राडक्ट्स एंड राईस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	MA587466	6
131 रियाश राईस मिल	MA586281	5.92
132 रियाश राईस मिल	MA587014	3.7
133 आर एन राईस इंडस्ट्रीज	MA582277	4
134 आर एन राईस मिल	MA583005	3
135 आर एन राईस	MA58847	4
136 सालासर बालाजी फूड	MA582971	7
137 सालासर बालाजी फूड	MA586595	6
138 समलेश्वरी इंडस्ट्रीज	MA582515	2
139 सम्राट राईस इंडस्ट्रीज	MA58981	3
140 सताषी राईस मिल	MA581624	3
141 संप्रश्वर राईस इंडस्ट्रीज	MA582658	2
142 सरस्वती राईस इंडस्ट्रीज	MA58405	2
143 सावित्री राईस मिल	MA581829	2
144 सावित्री राईस मिल नवगाव	MA581812	2
145 शंकर राईस मिल	MA581678	4
146 शंकर राईस मिल यूनिट	MA582767	3
147 शारदा राईस मिल	MA581099	4
148 शारदा ट्रेडिंग कम्पनी	MA581279	3
149 शिव शक्ति राईस मिल	MA581521	3
150 शिव शक्ति राईस मिल	MA589507	4
151 शिव शंकर चावल उद्योग	MA582706	4
152 शिव शंकर राईस मिल	MA582616	3
153 शिवम् राईस मिल	MA582766	2
154 शिव शंकर राईस मिल बिखापली	MA587366	3
155 श्री बजरंग एग्री इंडस्ट्रीज	MA588774	3
156 श्री बालाजी राईस मिल	MA583227	3
157 श्री दुर्गा राईस मिल	MA582382	2
158 श्री पतइमाता राईस मिल	MA583914	6
159 श्री पतइमाता राईस मिल यूनिट 1	MA585977	4
160 श्री साई राईस मिल	MA583954	3.98

मिल का नाम	पंजीयन क्र.	मिलिंग क्षमता (मे.टन प्रति घंटा में)
161 श्री सत्यनारायण चावल उद्योग	MA583890	2.98
162 श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज	MA583728	3
163 श्री बालाजी इंडस्ट्रीज झलप	MA587170	5.98
164 श्री बालाजी इंडस्ट्रीज झलप	MA583048	4
165 श्री बालाजी इंडस्ट्रीज यूनिट II	MA583864	5.92
166 श्री बालाजी इंडस्ट्रीज यूनिट II	MA589741	4.08
167 श्री बालाजी राइस इंडस्ट्रीज	MA587555	3
168 श्री बाके बिहारी राइस इंडस्ट्रीज	MA581321	2
169 श्री भीलनाथ इंडस्ट्रीज	MA585854	2
170 श्री कृष्णा चावल उद्योग	MA5811033	3
171 श्री महामाया राइस इंडस्ट्रीज	MA583332	4
172 श्री महावीर राइस मिल	MA581523	3
173 श्री एन लक्ष्मी राइस कृषि इंडस्ट्रीज	MA584203	2.92
174 श्री नारायण राइस इंडस्ट्रीज	MA582264	4.28
175 श्री राम इंडस्ट्रीज	MA581927	8
176 श्री राम इंडस्ट्रीज	MA587363	6
177 श्री राम राइस मिल	MA586530	2.5
178 श्री साई राइस मिल	MA582291	4
179 श्री शांतिविजय एग्रीटेक	MA583942	5.5
180 श्री श्याम राइस मिल	MA585780	4
181 श्री श्याम एग्री टेक	MA582339	3
182 श्री श्याम एग्री टेक	MA589641	3
183 श्रीवास्तव राइस इंडस्ट्रीज	MA585714	2
184 श्यामजी टूडस	MA584924	4
185 सिद्धि विनायक राइस	MA581568	4
186 सिद्धि विनायक ट्रेडिंग को	MA581162	3
187 सिन्हा राइस इंडस्ट्रीज	MA585786	3
188 एस आर राइस मिल	MA581847	2.98
189 ताराचंद प्रेमचंद	MA58688	3
190 उत्तम अक्षत उद्योग	MA581725	4
191 उत्तम राइस मिल	MA587202	4
192 विजय राइस इंडस्ट्रीज	MA581920	2
193 विजय शांति फूड प्रोसेसर्स	MA582891	3
194 विशाखा एग्री	MA589338	6
195 वाइट गोल्ड राइस मिल यूनिट 1	MA582274	4

अनुमान अधिकारी

राज्य न्यायिक आयोग एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मन्त्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

उपत्र-ब

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए जिला-महासमुंद से पंजीकृत मिलों को प्रदत्त
प्रोत्साहन राशि की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र.	मिल का नाम	प्रोत्साहन राशि
1	ए.एस. राइस मिल	1113600.00
2	आस्था चावल उद्योग	3875941.90
3	आदिश्वर राइस मिल	8874888.00
4	आदिश्वर राइसमिल	4089579.80
5	आदित्य राइस मिल	6789592.34
6	अग्रसेन राइस मिल	3358782.06
7	एग्री कल्चर फूड एंड फारेस्ट ट्रेडर्स	4489200.00
8	एग्री कल्चर फूड एंड फारेस्ट ट्रेडर्स	4079999.82
9	अम्बे राइस इंडस्ट्रीज	7680000.00
10	अंबिका धान प्रोसेसिंग प्लांट	10441811.82
11	आनंद राइस मिल	3730799.76
12	अन्नपूर्णा राइस इंडस्ट्रीज	3056396.14
13	अन्नपूर्णा राइस मिल	6981696.24
14	अन्नपूर्णा राइस इंडस्ट्रीज	3454800.00
15	आराधना राइस मिल	1109792.00
16	अरिहत अक्षत उद्योग	7579199.82
17	असविंद राइस इंडस्ट्रीज	2699999.82
18	एएस एग्रीपैड प्राइवेट लिमिटेड,	5620631.76
19	आशुतोष राइस मिल	2852397.86
20	बालाजी राइस मिल	8532574.64
21	बालोदिया राइस मिल	2181728.00
22	बालोदिया राइस मिल	5777182.00
23	भगवान श्री इंडस्ट्रीज	5441348.00
24	भगवती इंडस्ट्रीज	17131765.84
25	भगवती राइस इंडस्ट्रीज	3849312.00
26	भोलिनाथ एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,	9829380.24
27	चंडिका एग्री इंडस्ट्रीज	3780000.00
28	छत्तीसगढ़ राइस मिल पिथौरा	2733645.86
29	छत्तीसगढ़ राइस मिल पिथौरा	4233598.82
30	चोपड़ा ट्रेडिंग कंपनी अरवा	2637600.00
31	चोपड़ा ट्रेडिंग कंपनी USNA	3927599.00
32	दादूराम राइस प्रोडक्ट	3403827.80
33	दादूराम राइस प्रोडक्ट	3466597.90
34	गणेश एग्री इंडस्ट्रीज	5633966.20
35	गणपति राइस मिल	3230391.74
36	गर्म इंडस्ट्रीज बागबहरा	10279120.10
37	गर्म इंडस्ट्रीज लीजर सत्यम इंडस्ट्रीज बागबहरा	6420000.00
38	गिरिराज राइस इंडस्ट्रीज	2302798.58
39	गुलाब ट्रेडर्स	9796975.60
40	गुलाब ट्रेडर्स	7981356.12
41	गुलाब ट्रेडर्स	964800.00
42	एच.आर. फूड्स	3852046.22
43	हरि ओम राइस मिल	6217870.22
44	हरिप्रिया राइस मिल जोगनीपाली	5674320.00
45	हरकेश एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नं	7186296.12
46	हरकेश एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,	6642550.64
47	हिंदुस्तान एग्रीटेक	2692800.00
48	एचकेआरआईसीई इंडस्ट्रीज	6168000.00
49	इटीप्रिटी एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	3664800.00

क्र.	मिल का नाम	प्रति सहान राशि
50	जगत गोविंद राइस मिल	2682503.88
51	जगदंबा ग्रोडिंग और प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट II	1378798.00
52	जगदंबा ग्रोडिंग और प्रोसेसिंग प्लांट	2349800.00
53	कलश राइस मिल	5738400.00
54	कलावती राइस इंडस्ट्रीज	1764000.00
55	कामद राइस एग्री इंडस्ट्रीज	5349694.52
56	खेतावत इंडस्ट्रीज	9729682.10
57	खेतावत इंडस्ट्रीज	5606349.88
58	कृष्णा राइस मिल लक्ष्मीपुर	1933199.00
59	कृष्णा ट्रेडर्स	3563997.56
60	क्षमा ट्रेडर्स धान प्रोसेसिंग केंद्र	3847060.40
61	लक्ष्मी राइस मिल	4488000.00
62	मैसर्स शिव शंकर एग्रोटेक	4299283.00
63	मो गायत्री एग्रोटेक	5628541.60
64	मो गायत्री राइस मिल	3364921.60
65	मो घाटेश्वरी राइस मिल	5244004.58
66	महालक्ष्मी राइस मिल	3157200.00
67	महामाया फूड प्रोडक्ट	2152798.46
68	मानधर राइस मिल	11140800.00
69	मंडोली राइस उद्योग	11258401.60
70	मनीष एंड एसोसिएट्स	8639999.64
71	मनीष एंड एसोसिएट्स	6964055.94
72	मरुति एग्री इंडस्ट्रीज	5928000.00
73	एमएस बाबा हरिदास राइस मिल	6775196.02
74	एमएस गणपति राइस मिल	5313600.00
75	एमएस गोपाल राइस इंडस्ट्रीज	4557599.76
76	एमएस कमल राइस इंडस्ट्रीज	11140390.28
77	एमएस कमल राइस इंडस्ट्रीज	10001910.06
78	एमएस कान्हा राइस मिल	3375310.70
79	एमएस कृष्णा राइस मिल	6807592.34
80	एमएस महालक्ष्मी राइस मिल लीज़र अन्नपूर्णा राइस इंडस्ट्रीज	1597200.00
81	एमएस मनीषा एग्रोटेक	5336239.78
82	एमएस फुलझर ट्रेडर्स	3550800.00
83	एमएस राधा केशव राइस मिल	4747198.28
84	एमएस संजय राइस इंडस्ट्रीज	6733367.76
85	एमएस संजय ट्रेडिंग कंपनी	6737734.52
86	एमएस सीमा सिद्धि राइस मिल	2272800.00
87	एमएस श्री साई बाबा राइस मिल	5722222.46
88	एमएस तथास्तु एग्रोटेक	6654238.40
89	एन एल राइस इंडस्ट्रीज	10816729.54
90	एन आर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	3957277.60
91	नाकोडा राइस इंडस्ट्रीज	3290469.92
92	नाकोडा राइस इंडस्ट्रीज	4739998.10
93	नवकार इंडस्ट्रीज	6868782.30
94	ओम ट्रेडर्स	10047598.58
95	परशु राइस मिल	3523940.44
96	पटेल राइस मिल	2267998.64
97	पूजा राइस इंडस्ट्रीज	2223598.40
98	प्रशांत राइस मिल	8081103.62
99	प्रियंका ट्रेडिंग कंपनी	2116800.00
100	राजकिरण चावल उद्योग	4632000.00
101	रामनिवास हनुमान प्रसाद	6691200.00
102	आरएन राइस इंडस्ट्रीज	5615999.82
103	आरएन राइस मिल	6879169.72
104	आरएन राइस मिल	6047998.64
105	सालासर बालाजी फूड	8639998.46
106	सालासर बालाजी फूड	7972798.64

क्र.	मिलका नाम	प्रतिफल राशि
107	समलेश्वरी इंडस्ट्रीज	1927198.64
108	सम्राट राइस इंडस्ट्रीज	3371998.64
109	संतोषी राइस मिल	3117022.22
110	सपनेश्वर राइस इंडस्ट्रीज	1124048.00
111	सपनेश्वर राइस इंडस्ट्रीज	1490400.00
112	सरस्वती राइस इंडस्ट्रीज	2839528.58
113	सावित्री राइस मिल नवागढ़	3101998.58
114	शंकर चावल मिल यूनिट	3313200.00
115	शंकर राइस मिल	4412880.00
116	शारदा राइस मिल	8785151.64
117	शारदा ट्रेडिंग कंपनी	2914799.76
118	शिव शक्ति राइस मिल	5258400.00
119	शिव शंकर चावल उद्योग	3273867.00
120	शिव शंकर राइस मिल	3436198.00
121	शिवम राइस मिल	3435340.46
122	शिवशंकर राइस मिल भिखापाली	1490040.00
123	श्री बजरंग एग्री इंडस्ट्रीज	2939959.24
124	श्री बालाजी राइस मिल	3154447.60
125	श्री दुर्गा राइस मिल	2398800.00
126	श्री पाटई माता राइस मिल	3386399.00
127	श्री पटईमाता चावल मिल यूनिट 1	4273131.00
128	श्री शंखेश्वर राइस मिल लीज श्री संभव आर	4836000.00
129	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज झलप	9627598.58
130	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज झलप	13610329.90
131	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज यूनिट II	6554913.68
132	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज यूनिट II	3848367.80
133	श्री बालाजी राइस इंडस्ट्रीज	3307199.82
134	श्री बांके बिहारी राइस इंडस्ट्रीज	2336399.76
135	श्री भोलेनाथ इंडस्ट्रीज	4603405.60
136	श्री कृष्णा चावल उद्योग	4139223.62
137	श्री लक्ष्मी राइस मिल	3191998.46
138	श्री महामाया राइस इंडस्ट्रीज	4584000.00
139	श्री महावीर राइस मिल	4545598.46
140	श्री नारायण राइस इंडस्ट्रीज	11499326.20
141	श्री नारायण राइस इंडस्ट्रीज	3847171.66
142	श्री राम इंडस्ट्रीज	6369812.00
143	श्री साई राइस मिल	4131598.58
144	श्री शंखेश्वर राइस मिल	4355183.76
145	श्री श्याम राइस मिल	4229026.40
146	श्री श्यामजी एग्रीटेक	7085767.54
147	श्री श्यामजी एग्रीटेक	4787998.64
148	सिद्धि विनायक चावल मिल	8452546.16
149	सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी	4138730.32
150	एस आर राइस मिल	1686647.00
151	ताराचंद प्रेमचंद	5048354.38
152	उत्तम अक्षत उद्योग	6766754.08
153	उत्तम राइस मिल	3851087.82
154	विजय राइस इंडस्ट्रीज	4723679.76
155	विनायक राइस इंडस्ट्रीज	5087288.08
156	वाइट गोल्ड राइस मिल यूनिट	1937998.00
Total		792088324.72

अनुभाग अधिकारी
राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि.
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुपोषण को दूर करने हेतु प्रचार-प्रसार/ जनजागरूकता हेतु आयोजित गतिविधियां के लिए आबंटित एवं व्यय राशि की जानकारी

जिला	परियोजना	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24	
			प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय
सूरजपुर	प्रतापपुर	सुपोषण चौपाल	204000	204000	204000	204000	204000	204000
		मुख्यमंत्री बाल संदर्भ	255000	254920	110000	110000	87000	74375
		पोषण माह गतिविधि	0	0	0	0	25000	25000
		महिला जागृति शिविर	90000	90000	35000	35000	45000	45000
		वजन त्यौहार	61840	61830	66200	66092	20000	20000
योग			610840	610750	415200	415092	381000	368375
बलरामपुर	वाडूफनगर	सुपोषण चौपाल	276500	276500	276500	276500	276500	276500
		मुख्यमंत्री बाल संदर्भ	431000	429963	310000	310000	196400	191000
		पोषण माह गतिविधि	0	0	0	0	50000	50000
		वजन त्यौहार	79330	79330	248000	248000	0	0
		महिला जागृति शिविर	150000	150000	125000	125000	60000	60000
योग			936830	935793	959500	959500	582900	577500
महायोग			1547670	1546543	1374700	1374592	963900	945875


पॉरीशेष्ट - चोदह

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2376) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों की जानकारी

क्र.	स्थान	किराये पर लिये गये गोदामों की संख्या	गोदाम, जिनसे किराये पर लिया गया है	दर रूपये प्रति बोरा/माह
1	अभनपुर	8	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
2	आरंग	6	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
3	नेवरा	9	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
4	नयापारा	9	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
5	खरोरा	6	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
6	धरसीवा	10	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
7	गुढ़ियारी	6	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
8	मंदिर हसौद	8	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	4.96
9	रायपुर	3	केन्द्रीय राज्य भंडार गृह निगम	4.96


 उपसहायक संचालक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर


 सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

प्रश्न

प्रदेश में 01 जनवरी 2021 से 15.02.2025 तक उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के दर्ज प्रकरण एवं निराकृत प्रकरणों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र.	उपभोक्ता आयोग का नाम	वर्ष 2021			वर्ष 2022			वर्ष 2023			वर्ष 2024			वर्ष 2025 (दिनांक 15.02.2025 तक)		
		पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या
	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग	6	0	13	13	0	9	4	5	2	7	0	0	0	0	
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग रायपुर	546	112	434	45	171	705	104	601	9	472	37	0	0	37	
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग बिंसासपुर	283	187	96	255	138	117	238	89	149	49	218	32	4	28	
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग दुा	788	317	471	646	127	519	821	297	524	31	273	2	0	2	
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग राजनांदगांव	262	251	11	16	0	237	214	23	179	39	140	12	0	12	
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग सरगुजा अंबिकापुर	101	101	0	70	70	0	64	64	0	46	44	10	0	10	
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग सूरजपुर	17	17	0	24	23	1	33	33	0	26	2	2	0	2	
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग बखार-जगदलपुर	2	2	0	93	85	8	52	37	15	94	19	75	3	3	
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग कोरिया-बेकुंठपुर	409	366	43	463	390	73	167	108	59	142	23	119	1	0	
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग रायगढ़	190	182	8	214	198	16	102	71	31	73	25	48	2	2	
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग जयपुर	40	40	0	31	31	0	31	30	1	28	9	19	0	0	
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग जांजगीर चांपा	238	238	0	182	181	1	107	106	1	137	70	67	0	0	
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग मुंगेली	7	7	0	16	15	1	11	10	1	12	2	10	0	0	
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग कोरबा	98	97	1	105	102	3	129	105	24	125	37	88	21	0	
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग कबीरधाम	43	43	0	41	41	0	29	29	0	24	8	16	2	2	
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग धमतरी	15	15	0	26	26	0	76	72	4	43	11	32	1	0	
16	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग महासमुंद	67	65	2	106	103	3	81	57	24	80	11	69	5	0	
17	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग ककर	73	73	0	44	41	3	47	46	1	55	27	28	5	0	
18	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग दंतवाड़ा	7	7	0	10	9	1	9	8	1	12	2	10	1	0	
19	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग गरियाबंद	7	6	1	5	5	0	11	8	3	9	2	7	0	0	
20	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग बालोद	54	29	25	47	23	24	48	17	31	51	3	48	0	0	
21	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग बलोदाबाजार	25	4	21	10	2	8	34	4	30	26	0	26	0	0	
	योग	3272	2159	1113	2620	1671	949	3032	1509	1523	2258	425	1833	156	4	132

अनुभाग अधिकारी
पंजा संयोजक-2
राज्य उपभोक्ता विभाग

राज्य उपभोक्ता विभाग
पंजा संयोजक-2
राज्य उपभोक्ता विभाग

राज्य उपभोक्ता विभाग
पंजा संयोजक-2
राज्य उपभोक्ता विभाग

पारिशेष्य - सोलह

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2448) की जानकारी

प्रश्न

निविदा वर्ष	निविदा प्रकाशित अखबार का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म का नाम	सामग्री क्रय की गई फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्रियां	सामग्री की दर
2021-22	निविदा प्रकाशित नहीं की गई अपितु छ.ग. शासन के ई-मानक पोर्टल से क्रय की गई		नेताम इंजिनियरिंग वर्कशॉप धमतरी श्रीराम क्रिपन्शन रायपुर अर्बन सप्लायर रायपुर	अलमीरा प्रेशर कुकर स्टील थाली 6 नग, गिलास 6 नग, कटोरी 6 नग, ड्रम 1 नग, स्टील प्याल 1 नग, करछुली 1 नग, खुरपा 1 नग, स्टील जग 1 नग, 01 नग सिलिंग पंखा एवं रेगुलेटर	4026 1691 5450
	हरिभूमि दिनांक - 01 फरवरी 2022, प्रखर समाचार दिनांक - 01 फरवरी 2022	01. अंकज इंटरप्राइजेस दंतेवाडा, 02. रॉयल मार्केटिंग राजनांदगाव, 03. रूपेश इंटरप्राइजेस आंवराभांटा दंतेवाडा	रॉयल मार्केटिंग, ताफेर फजली गुडाखु लाईन राजनांदगाव (छ.ग.) अंकज इंटर प्राइजेस दंतेवाडा	गट्टा, चादर, तकिया, ट्राली बेग 1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस 1 दुल्हन साड़ी (लाल/मेहरून), 1 पेटीकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 जोड़ी लेडिज शॉडिल, एवं 1 जोड़ी जूता; 1 चांदी का मंगलसूत्र व चांदी का बिछिया (75 टंच का) लगभग 1 तोला 1 वर मोर मुकुट, 1 वधु मोर मुकुट (माला सहित) श्रृंगार सामग्री 12 नग चुड़ी, 100 एमएल का कोकोनट ब्रान्डेड आयल, 1 पैकेट सिन्दुर, 100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाउडर, 1 नग कंधी, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बककल, 1 सेप्टी पिन, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पत्ता लालबिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी, 75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रान्डेड, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेंहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 दर्पण।	2310 4846

निविदा वर्ष	निविदा प्रकाशित अखबार का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म का नाम	सामग्री क्रय की गई फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्रियां	सामग्री की दर
2022-23	निविदा प्रकाशित नहीं की गई अपितु छ.ग. शासन के ई-मानक पोर्टल से क्रय की गई		नेताम इजिनियरिंग वर्कशॉप धमत्तरी ए.आर.स्टील एंड सर्जिकल श्री बाबूलाल जायसवाल एंड कंपनी कोरिया श्री सागर सेल्स राजनांदगांव अर्बन सप्लायर रायपुर	अलमारी प्रेसर कुकर प्रेसर कुकर स्टील थाली 6 नग, गिलास 6 नग, कटोरी 6 नग, ड्रम 1 नग, स्टील परात 1 नग, करछुली 1 नग, लोटा 1 नग अन्य उपहार बर्तन सामग्री - स्टील थाली 6 नग, गिलास 6 नग, कटोरी 6 नग, ड्रम 1 नग, स्टील परात 1 नग, करछुली 1 नग, खुरपा 1 नग, स्टील जग 1 नग, सिलिंग पंखा, रेगुलेटर गट्टा, चादर, तकिया, ट्राली बेग	4026 1456 1691 4250 5484
	हरिभूमि दिनांक -01.02.2022, प्रखर समाचार दिनांक - 01.02.2022	01. अंकज इंटरप्राइजेस दंतेवाड़ा, 02. रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव, 03. रूपेश इंटरप्राइजेस आंवराभाटा दंतेवाड़ा	रॉयल मार्केटिंग,ताफेर फजली गुडाखु लार्डन राजनांदगांव (छ.ग.) अंकज इंटर प्राइजेस दंतेवाड़ा अंकज इंटर प्राइजेस दंतेवाड़ा	1 चांदी का मंगलसूत्र व चांदी का बिछिया (75 टंच का) लगभग 1 तोला 1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस, 1 दुल्हन साड़ी (लाल/मेहरून), 1 पेटिकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 जोड़ी लेडिज शॉडिल, एवं 1 जोड़ी जूता, 1 वर मौर मुकुट, 1 वधु मौर मुकुट (माला सहित) शृंगार सामग्री 12 नग चुड़ी, 100 एमरल का कोकोनट ब्रान्डेड आयल, 1 पैकेट सिन्दूर, 100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाउडर, 1 नग कंची, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बक्कल, 1 सेप्टी पिन, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पता लालबिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी, 75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रान्डेड, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेंहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 दर्पणा।	2310 991 3855

निविदा वर्ष	निविदा प्रकाशित अखबार का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म का नाम	सामग्री क्रय की गई फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्रियां	सामग्री की दर
	हरिभूमि दिनांक 30.12.2022, आज की जनधारा दिनांक 31.12.2022, प्रखर समाचार दिनांक 30.12.2022	01. अंकज इंटरप्राइजेस दन्तेवाड़ा (छ.ग.), 02. रॉयल मार्केटिंग प्रो. ताहरे फजायी गुडाखू लाईन राजनांदगांव, 03. राज इंटरप्राइजेस मस्जिद के पास राजनांदगांव, 04. विकास टेक्स्टाइंग राजा पारा कांकेर जिला उ.ब. कांकेर	अंकज इंटर प्राईजेस दंतेवाड़ा अंकज इंटर प्राईजेस दंतेवाड़ा	1 चांदी का मंगलसूत्र व चांदी का बिछिया (75 टंच का) लगभग 1 तोला 1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस, 1 दुल्हन साड़ी (लाल/मेहरून), 1 पेटिकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 जोड़ी लेडिज शॉडिल, एवं 1 जोड़ी जूता, 1 वर मौर मुकुट, 1 वधु मौर मुकुट (माला सहित) श्रृंगार सामग्री 12 नग चुड़ी, 100 एमएल का कोकोनट ब्रान्डेड आयल, 1 पैकेट सिन्दूर, 100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाउडर, 1 नग कंची, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बकल, 1 सेप्टी पिन्, 1 लिप्स्टिक लाल रंग, 1 पत्ता लालबिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी, 75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रांडेड, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेंहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 दर्पणा	991 3998
2023-24	निविदा प्रकाशित नहीं की गई अपितु छ.ग. शासन के ई-मानक पोर्टल से क्रय की गई	रॉयल मार्केटिंग, ताफेर फजली गुडाखु लाईन राजनांदगांव (छ.ग.) नेताम इंजीनियरिंग वर्कशॉप धमतरी ओरिएन्टल सेल्फ कार्पो. रायपुर श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कटघोरा	गददा, चादर, तकिया, ट्राली बेग अलमीरा	2235 4026 4161 2288	

निविदा वर्ष	निविदा प्रकाशित अखबार का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म का नाम	सामग्री क्रय की गई फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्रियां	सामग्री की दर
2023-24	निविदा प्रकाशित नहीं की गई अपितु छ.ग. शासन के ई-मानक पोर्टल से क्रय की गई		ओरिएण्टल सेल्फ कार्पो. रायपुर नेताम इंजीनियरिंग वर्कशॉप धमतरी ओरिएण्टल सेल्फ कार्पो. रायपुर ओरिएण्टल सेल्फ कार्पो.	प्रेशर कुकर अलमीरा टील थाली 6 नग, गिलास 6 नग, कटोरी 6 नग, ड्रम 1 नग, स्टील परात 1 नग, लोटा 1 नग, प्रेशर कुकर वधु हेतु चांदी का मंगल सुत्र एवं विछिया सेट वधु हेतु चांदी का मंगल सुत्र एवं विछिया सेट वधु हेतु चांदी का मंगल सुत्र एवं विछिया सेट वधु हेतु चांदी का मंगल सुत्र एवं विछिया सेट गद्दा, चादर, तकिया, ट्राली बेग	1465 8266 3185 1240 2000 2000 1991 2900
	सीमित निविदा पद्धति से क्रय की गई	01. प्रणय ज्वेलर्स धमतरी, 02. किरण ज्वेलर्स धमतरी, 03 अंकज इंटरप्राइजेस दंतेवाडा 01. एम.एस. जेवर नगरी, 02. सोनी ज्वेलर्स नगरी, 03. बस्तीमल ज्वेलर्स नगरी 01 किरण ज्वेलर्स घडी चौक धमतरी, 02. प्रणय ज्वेलर्स धमतरी, 03 अंकज इंटर प्राइजेस दंतेवाडा 01. रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव, 02. सौरभ वस्त्र भंडार धमतरी, 03. अंकज इंटर प्राइजेस दंतेवाडा, 04. अरिहंत मेटल्स धमतरी	प्रणय ज्वेलर्स धमतरी एमएस जेवर नगरी सिहावा अंकज इंटरप्राइजेस दन्तेवाडा रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव		

निविदा वर्ष	निविदा प्रकाशित अखबार का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म का नाम	सामग्री क्रय की गई फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्रियां	सामग्री की दर
			अंकज इंटरप्राइजेस दन्तेवाड़ा	1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस, 1 दुल्हन साड़ी (लाल/मेहरून), 1 पेंटीकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 जोड़ी लेडिज शूडिज, एवं 1 जोड़ी जूता, 1 वर मौर मुकुट, 1 वधु मौर मुकुट (माला सहित) शृंगार सामग्री 12 नग चुड़ी, 100 एमएल का कोकोनट ब्रान्डेड आयल, 1 पैकेट सिन्दूर, 100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाउडर, 1 नग कंघी, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बक्कल, 1 सेप्टी पिन्, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पता लालबिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी, 75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रंडेड, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेंहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 दर्पणा।	3891
	01. रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव, 02. राज इंटरप्राइजेस राजनांदगांव, 03. दाउदी इंटरप्राइजेस रायपुर	रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव		गद्दा, चादर, तकिया, ट्रावी बेग	2304
	01. रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव, 02. रूपेश इंटर प्राइजेस दंतेवाड़ा, 03. अंकज इंटरप्राइजेस दंतेवाड़ा	अंकज इंटरप्राइजेस दन्तेवाड़ा	अंकज इंटरप्राइजेस दन्तेवाड़ा	1 पैजामा सफेद/क्रीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/क्रीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस, 1 दुल्हन साड़ी (लाल/मेहरून), 1 पेंटीकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 जोड़ी लेडिज शूडिज, एवं 1 जोड़ी जूता, 1 वर मौर मुकुट, 1 वधु मौर मुकुट (माला सहित) शृंगार सामग्री 12 नग चुड़ी, 100 एमएल का कोकोनट ब्रान्डेड आयल, 1 पैकेट सिन्दूर, 100 ग्राम का ब्रान्डेड फेस पाउडर, 1 नग कंघी, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बक्कल, 1 सेप्टी पिन्, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पता लालबिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेड कम्पनी, 75 ग्राम का फेस क्रीम ब्रंडेड, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेंहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 दर्पणा।	4000

निविदा वर्ष	निविदा प्रकाशित अखबार का नाम	निविदा में भाग लेने वाले फर्म का नाम	सामग्री क्रय की गई फर्म का नाम	क्रय की गई सामग्रियां	सामग्री की दर
2024-25 (नवम्बर 2024)	सीमित निविदा पद्धति से क्रय की गई	01. सूरज इंटर प्राईजेस धमतरी, 02. अंकज इंटरप्राईजेस दंतेवाड़ा, 03. सूरज फैंसी स्टोर्स धमतरी, 4. पंकज इंटरप्राईजेस दंतेवाड़ा	अंकज इंटरप्राईजेस मेन रोड दंतेवाड़ा	पैजामा क्रीम कलर (नाडा सहित) दोहरी सिलाई, फुल अस्तीन कुर्ता पीला/क्रीम, पीले रंग का दुल्हा साफा, दुल्हा पगड़ी लाल रंग का, गठबंधन गमछा पीला रंग का, दुल्हन साड़ी, दुल्हन चुनरी, पेटीकोट, सिला हुआ ब्लाउज, वर-वधू के लिये मोर मुकुट-माला सहित, वर-वधू के लिए चप्पल 01-01 जोड़ी, नग चुड़ी, 1 नग मांग मोती बिंदिया गला का सेट, 1 पेंकेट सिंधुर, 10 ग्राम ब्रान्डेट फेस पाउडर, 1 नग कंची, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बक्कल, 1 सेफ्टी पिन, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पता लाल बिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेट, 75 ग्राम का फेस क्रीम, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 नग दर्पण।	3990
			सूरज इंटरप्राईजेस धमतरी	1 नग चांदी का मंगलसूत्र व 2 नग चांदी का बिछिया (75 टंच) लगभग 1 तोला	2990
				पैजामा क्रीम कलर (नाडा सहित) दोहरी सिलाई, फुल अस्तीन कुर्ता पीला/क्रीम, पीले रंग का दुल्हा साफा, दुल्हा पगड़ी लाल रंग का, गठबंधन गमछा पीला रंग का, दुल्हन साड़ी, दुल्हन चुनरी, पेटीकोट, सिला हुआ ब्लाउज, वर-वधू के लिये मोर मुकुट-माला सहित, वर-वधू के लिए चप्पल 01-01 जोड़ी, नग चुड़ी, 1 नग मांग मोती बिंदिया गला का सेट, 1 पेंकेट सिंधुर, 10 ग्राम ब्रान्डेट फेस पाउडर, 1 नग कंची, 2 नग फलवारी क्लीप, 1 बेनी-बक्कल, 1 सेफ्टी पिन, 1 लिप्सटिक लाल रंग, 1 पता लाल बिंदी, 1 सीसी नेल पॉलिस ब्रान्डेट, 75 ग्राम का फेस क्रीम, 100 ग्राम आलता, 2 नग कोन मेहंदी, 1 काजल डिबिया, 1 नग दर्पण।	3990
				1 नग चांदी का मंगलसूत्र व 2 नग चांदी का बिछिया (75 टंच) लगभग 1 तोला	2990

परिशेष - सत्रह
तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2419) की जानकारी

प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

क्र	विकासखण्ड का नाम	कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	भवनयुक्त	भवन विहीन	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	शौचालय विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या	पेयजल व्यवस्था नहीं है (रनिंग वाटर/ हैण्डपम्प)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दरभा	165	151	14	7	102	0
2	बस्तर	382	351	31	13	108	0
3	जगदलपुर	409	333	76	17	159	0
4	बकावण्ड	411	396	15	9	111	0
5	तोकापाल	197	183	14	13	15	0
6	लोण्हीगुडा	279	251	28	1	95	0
7	बास्तारनार	157	126	31	10	39	0
कुल योग		2000	1791	209	70	629	0

प्रपत्र

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

वर्ष 2019					
क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	आं.बा. भवन निर्माण हेतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति	एजेंसी का नाम	निर्मित भवन	अपूर्ण भवन
निरंक					
वर्ष 2020					
1	अभनपुर	3	मनरेगा	3	0
2	आरंग	4		4	0
	योग	7		7	0
वर्ष 2021					
1	आरंग	6	मनरेगा	6	0
2	धरसीवा	1	मनरेगा	0	1
3	रायपुर ग्रामीण	2	नगर निगम बीरगांव	2	0
4	रायपुर उत्तर	2	नगर निगम रायपुर	2	0
5	रायपुर पश्चिम	1	नगर निगम रायपुर	1	0
6	रायपुर दक्षिण	1	नगर निगम रायपुर	1	0
	योग	13		12	1
वर्ष 2022					
निरंक					
वर्ष 2023					
निरंक					
वर्ष 2024					
1	धरसीवा	16	मनरेगा	1	15
2	अभनपुर	33		0	33
3	आरंग	17		1	16
4	रायपुर ग्रामीण	1		0	1
5	बलौदाबाजार	1		0	1
	योग	68		2	66

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परोक्ष - उन्नत

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1150) की जानकारी

प्रपत्र

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को प्रावधानित सुविधाओं का विवरण

क्र.	देय सुविधा/मानदेय का विवरण	आं. बा. कार्यकर्ता	आं.बा सहायिका
1	मासिक मानदेय	10000	5000
2	एक वर्ष में आकस्मिक अवकाश	15 दिवस	15 दिवस
3	एक वर्ष में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से 15 जून के मध्य	10 दिवस	10 दिवस
4	प्रसूति अवकाश	180 दिवस	180 दिवस
5	यात्रा भत्ता	तृतीय वर्ग कर्मचारी की पात्रता के अनुसार	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की पात्रता के अनुसार
6	यूनिफार्म	दो यूनिफार्म प्रतिवर्ष	दो यूनिफार्म प्रतिवर्ष
7	मृत्यु उपरांत उपादान/सहायता	50000/- रुपये	50000/- रुपये
8	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा पूर्ण होने पर दी जाने वाली राशि आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा पूर्ण होने पर दी जाने वाली राशि	-	- 50000/- रुपये - 25000/- रुपये
9	पर्यवेक्षक पद पर सीधी भर्ती	पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर पर्यवेक्षक पद में 50 प्रतिशत पद आरक्षित	-
10	कार्यकर्ता पद पर चयन का अवसर	-	पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाली सहायिकाओं हेतु कार्यकर्ता के 50 प्रतिशत पद आरक्षित तथा अन्य केन्द्रों के लिए सेवा अवधि पूर्ण करने पर अनुभव का अतिरिक्त अंक दिया जाता है।

परिशेष - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1151) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक छत्तीसगढ़ में कुपोषण के रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधान व व्यय राशि

योजना का नाम	कार्य	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4	5
पूरक पोषण आहार	06 माह से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को रेडी टू ईट तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन का प्रदाय किया गया है।	2019-20	7450775000	5940501159
		2020-21	7450775000	5244523579
		2021-22	6853286000	4850569113
		2022-23	6839354200	5463650125
		2023-24	7000000000	5897354197
मुख्यमंत्री अमृत योजना प्ताह में 1 दिन मीठे दूध का वितरण किया गया है।	03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को स	2019-20	210650000	167458552
		2020-21	योजना संचालित नहीं है।	
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	06 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों एवं 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदाय किया गया	2019-20	500000000	0
		2020-21	600000000	0
		2021-22	600000000	48078764
		2022-23	600000000	230679430
		2023-24	1500000000	934238313
मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	0 से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को चिकित्सीय सुविधाएं, स्वास्थ्य जांच एवं दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।	2019-20	58066480	48196381
		2020-21	27432061	19600518
		2021-22	47786508	38039472
		2022-23	61760846	52087349
		2023-24	61485338	43247862

योजना का नाम	कार्य	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय राशि
		2019-20	1248264000	476662616
		2020-21	1849232000	142628224
		2021-22	1429569000	683004689
		2022-23	1488817000	148971000
		2023-24	1172265200	702698333

परिशेष - इक्कोस
परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1850) की जानकारी

प्रपत्र

भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में खनिज मद से प्राप्त राशि
(राशि रू. लाख में)

क्र.	मद	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (30 जनवरी, 2025 तक)	
		प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि
1	आं.बा. भवनों में आंशिक मरम्मत	20000	20000	0	0
2	सी सैम प्रशिक्षण	63084	63084	0	0
3	गर्म भोजन	286855	286855	0	0
योग		369939	369939	0	0

परिशेष - बाईस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 2004) की जानकारी

प्रपत्र

(मात्रा लाख में टन में)

खरीफ वर्ष	केन्द्रीय पूल में आबंटित लक्ष्य			केन्द्रीय पूल में जमा चावल मात्रा		
	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम	कुल मात्रा	भारतीय खाद्य निगम	नागरिक आपूर्ति निगम	कुल मात्रा
2022-23	45.14	15.86	61.00	42.25	15.86	58.11
2023-24	67.28	15.72	83.00	61.94	15.69	77.63

केन्द्रीय पूल में जमा सीएमआर की कुल राशि एवं प्राप्त राशि की जानकारी

(राशि करोड़ में)

खरीफ वर्ष	नागरिक आपूर्ति निगम (केन्द्रीय पूल)		भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल)	
	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि
2022-23	5,675.30	5,043.18	14,440.96	12,109.63
2023-24	5,998.61	5,599.75	22,423.01	20,896.92

अनुमाना अधिकारी
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग
भारत सरकार, नया दिल्ली, अटल मंदिर

परिशेष - तेईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 2039) की जानकारी


प्रपत्र

वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की जानकारी
जिला :- रायगढ़

(धान मात्रा मे.टन में)		
क्र.	उपार्जन केन्द्र	कुल खरीदी
1	उरबा	2681.76
2	कछार	4779.72
3	कुडेकेला	11433.80
4	पोडीछाल	4112.80
5	कुडुमकेला	4157.72
6	घरघोडी	3423.88
7	कुमीभेना	4551.76
8	बदुराकछार(कया)	2556.24
9	केशला	5896.88
10	तोलगे	3072.28
11	केशला	6193.48
12	बीजकोट	1886.32
13	काटाहरदी	4092.40
14	कापू	11356.72
15	लिप्ती	11344.52
16	कोकडीतराई	2730.00
17	केराझर	2396.76
18	कोडतराई	3608.60
19	कोडपाली	7115.48
20	छपोरा	2053.44
21	कोडातराई	8320.00
22	कोडासीया	7128.36
23	घटगांव	4826.92
24	खडगांव 180	5093.12
25	हाटी	7728.92
26	कोठोकण्डा	3129.32
27	खडगांव	4681.92
28	खम्हरीया	1421.56
29	खम्हार	4131.76
30	सरियामडवाताल	3305.84
31	खरसिया	3898.92
32	मैनपारा	3083.80
33	गढउसरिया	2461.20
34	छातामुड़ा	1849.84
35	गेरसा	6289.60
36	गोरी	7377.40
37	कोटरीमाल	3254.88
38	घरघोडा	4873.88
39	कूनकुनी	2740.20
40	चपले	3154.60

41	बिन्जकोट	2679.60
42	छराटांगर	4651.16
43	कंटाइपाली सी	4327.32
44	छाल	3952.60
45	छिछोर उमरिया	8533.52
46	नवापारा ब	2019.68
47	जतरौ	4498.60
48	जमरगी डी	8015.92
49	जेमुरा	5455.24
50	बसनाझर	3846.40
51	जरेकेला	5041.00
52	जामगांव	5248.92
53	जीबी	6388.64
54	टेण्डानावापारा	6761.80
55	टारपालि	4240.00
56	तेतला	3899.92
57	सुरी	2585.36
58	तमनार	6947.20
59	तरकेला	4157.80
60	पटेलपाली	1389.84
61	तरकेला	3959.64
62	तिउर	5889.64
63	तेलीपाली	5265.40
64	कोतरा	4861.28
65	तिलगी	5208.68
66	धनागर	4705.52
67	दुगापुर	5179.04
68	धर्मजयगढ	9274.68
69	धीराभाठा	7707.48
70	नंदेली	6435.00
71	नवापारा (माण्ड)	5841.04
72	पाडिगांव	6986.56
73	पुसौर	5380.76
74	फरकानारा	4238.96
75	बगुरासिया	3166.80
76	कोसमदा	3252.20
77	बडे हल्दी	3398.48
78	बडेभंडार	4507.44
79	बुनगा	4722.08
80	बरगड	6835.52
81	बोतल्दा	3063.04
82	बरभीना	2052.44
83	बानिपाथर	5495.08
84	बायंग	4868.76
85	भातपुर	6520.00
86	मुकडगा	6670.92
87	भूपदेवपुर	3202.44

88	मूरा भूपदेवपुर	4820.40
89	बगुडेगा	2580.32
90	राजपुर	4536.48
91	बिरसिघा	4558.12
92	लैलुगा	6935.36
93	लारीपानी	2876.72
94	लारीपानी (झगरपुर)	4955.76
95	लिबरा	9448.96
96	लोईग	7759.60
97	चितवाही	4695.12
98	सराइटोला	3293.44
99	सराइपाली	4402.12
100	ससकोबा	8382.00
101	सिसिरिगा	6087.04
102	हमीरपुर	4190.68
103	गोडगोधरी	2527.16
104	बडे देवगाव	1146.88
105	हालाहली	4075.48
योग:-		508797.64



अनुभाग अधिकारी
 राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशिए - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2191) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रश्नांश 'क' अवधि की जारी प्रावधिक लागत पत्रक अनुसार मद्दवार व वर्षवार स्वीकृत दर

भारत सरकार से केन्द्रीय पूल एवं विकेन्द्रीकृत पूल में अरवा एवं उसना के लिए स्वीकृत प्रावधिक सी.एम.आर. दर की जानकारी निम्नानुसार है-
(रु. प्रति किं.)

क्रमांक	विवरण	खरीक वर्ष 2022.23						खरीक वर्ष 2023.24						खरीक वर्ष 2024.25					
		अरवा		उसना		अरवा		उसना		अरवा		उसना		अरवा		उसना			
		कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए		
1	मूलतम समर्पन मूल्य	2040.00	2060.00	2040.00	2060.00	2183.00	2203.00	2183.00	2203.00	2300.00	2320.00	2300.00	2320.00	2300.00	2320.00	2300.00	2320.00		
2	वैधानिक चार्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2.1 मंडी फीस	40.80	41.20	40.80	41.20	43.66	44.06	43.66	44.06	34.50	34.80	34.50	34.80	34.50	34.80	34.50			
	2.2 कृषक कल्याण शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2.3 निराश्रित शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	मंडी लेबर चार्ज	9.13	9.13	9.13	9.13	17.17	17.17	17.17	17.17	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05			
4	परिवहन चार्ज	23.32	23.32	23.32	23.32	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36			
5	सुखत	10.20	10.30	0.00	0.00	10.92	11.02	0.00	0.00	11.50	11.60	0.00	0.00	11.50	11.60	0.00			
6	समिति कमीशन	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25			
7	सुरक्षा एवं रख-रखाव चार्ज	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80			
8	ब्याज	25.08	25.32	25.08	25.32	30.80	31.07	30.94	31.22	35.17	35.46	35.17	35.46	35.17	35.46	35.17			
9	मिलिंग चार्ज	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00			
10	प्रशासकीय चार्ज	20.40	20.60	20.40	20.60	21.83	22.03	21.83	22.03	23.00	23.20	23.00	23.20	23.00	23.20	23.00			
11	1 किं धान की मिलिंग लागत	2214.98	2236.67	2214.78	2236.37	2367.79	2389.51	2367.01	2388.64	2498.13	2519.87	2496.77	2518.41	2496.77	2518.41	2496.77			
12	ऑडिट टर्न रेसियो	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68			
13	उप-योग	3305.93	3338.32	3257.02	3288.78	3534.01	3566.43	3480.90	3512.70	3728.55	3761.00	3728.55	3761.00	3728.55	3761.00	3728.55			
14	नया बारदाना की लागत	140.30	140.30	140.30	140.30	128.58	128.58	128.58	128.58	129.52	129.52	129.52	129.52	129.52	129.52	129.52			
15	बारदाना उपयोगिता चार्ज	12.66	12.66	12.30	12.30	12.66	12.66	12.30	12.30	12.66	12.66	12.66	12.66	12.66	12.66	12.30			
16	बारदाना अतिरिक्त परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	कुल उपार्जन लागत	3458.89	3491.28	3409.62	3441.38	3677.06	3709.48	3623.59	3655.39	3870.73	3903.18	3813.54	3845.36	3870.73	3903.18	3813.54			

अनुभाग अधिकारी
उच्च न्यायिक अर्जित एवं उपभोगिता संरक्षण वि-
भाग, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

केन्द्रीय पूल में जमा सीएमआर की कुल राशि एवं प्राप्त राशि की जानकारी

खरीफ वर्ष	नागरिक आपूर्ति निगम (केन्द्रीय पूल)		भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल)		(राशि करोड़ में)
	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि	
2022-23	5,675.30	5,043.18	14,440.96	12,109.63	
2023-24	5,998.61	5,599.75	22,423.01	20,896.92	
2024-25	1,558.61	852.27	1,032.51	-	



अनुभाग अधिकारी

राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया सचकर, अटल नगर

परोशष्ट - पचोस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2260) की जानकारी

प्रपत्र

गत पांच वर्षों की धान खरीदी की मात्रा

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	धान खरीदी की मात्रा				
		खरीफ विपणन वर्ष 2020-21	खरीफ विपणन वर्ष 2021-22	खरीफ विपणन वर्ष 2022-23	खरीफ विपणन वर्ष 2023-24	खरीफ विपणन वर्ष 2024-25
1	बस्तर	142633.16	158915.36	199714.02	245226.92	276071.28
2	बीजापुर	60283.96	63710.32	94127.80	101531.84	119788.80
3	दन्तेवाड़ा	16307.12	17437.24	25240.52	27619.04	33431.56
4	कांकेर	296518.24	318974.36	409601.52	492935.32	531429.04
5	कोडागांव	143468.36	153345.60	216117.16	277877.36	312481.00
6	नारायणपुर	19544.12	22794.76	31887.00	29270.92	38075.84
7	सुकमा	38489.92	46290.96	58490.36	73402.28	92938.96
8	बिलासपुर	451142.28	484135.12	513004.52	706806.32	691983.48
9	गौरिला पेन्द्रा मरवाही	74907.24	69524.60	91014.48	117974.08	140579.76
10	जाजगीरचाम्पा	798398.60	824849.04	462065.96	640766.24	632793.08
11	कोरबा	135271.00	170251.40	212925.08	286733.16	291554.88
12	मुंगेली	361356.44	383864.56	397647.36	558612.24	556032.40
13	रायगढ़	533510.04	573871.80	412967.72	539164.08	508797.64
14	सक्ती	0.00	0.00	365107.12	517475.64	513741.16
15	सारगढ़बिलाइगढ़	0.00	0.00	330717.80	469131.08	465671.32
16	बालोद	521715.76	519503.24	568001.16	748714.68	756559.88
17	बेमेतरा	587672.36	630615.52	664225.32	934686.68	937107.04
18	दुर्ग	407348.00	417103.20	431358.12	587369.32	576107.12
19	कवधी	393469.88	416301.20	444875.72	601565.16	649362.24
20	राजनांदगांव	760590.88	825134.80	529471.28	700835.40	701488.36
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	0.00	0.00	281305.68	386170.20	403764.12
22	मोहलामानपुरअ.चौकी	0.00	0.00	182366.20	217188.48	222042.60
23	बलोदाबाजार	669411.68	696430.88	618605.68	872163.24	855396.64
24	धमतरी	427749.56	431397.00	453065.72	610763.08	619813.60
25	गरियाबंद	323584.56	331515.12	381865.68	486182.08	535349.96
26	महासमुंद	750901.32	774342.92	824043.36	1128540.84	1104273.24
27	रायपुर	503714.36	509956.24	516328.76	713439.32	699741.72
28	बलरामपुर	156311.12	193871.32	172641.00	258598.00	297036.12
29	जशपुर	116918.88	154194.80	196675.16	304749.88	373937.16
30	कोरिया	119154.40	140092.68	94016.88	124265.32	128475.12
31	सरगुजा	181108.24	219967.16	238324.60	317987.36	364690.36
32	सुरजपुर	210910.76	250976.04	264984.36	327834.76	397204.48
33	मनन्द्रगढ़चिरामिरीभरतपुर	0.00	0.00	70793.56	86543.16	96989.56
	कुल योग	9202392.24	9799367.24	10753576.66	14492123.48	14924709.52

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाध नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पंरोशष्ट - छब्वीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2337) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में रायगढ़ जिले में धान बेचने वाले किसानों की जानकारी

क्र.	धान खरीदी केन्द्र का नाम	पंजीकृत किसान	पंजीकृत किसानों का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	पंजीकृत रकबा में धान बेचने वाले किसान	किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा (मे.टन में)	पंजीकृत रकबा जिसके विरुद्ध धान का विक्रय नहीं किया गया (हेक्टेयर में)
1	उरबा/ उरबा (41006401)	468	838.34	349	2681.76	87.94
2	कछार/ कछार (41010301)	938	1161.19	862	4779.72	51.16
3	कुडकेला / कुडकेला (41007701)	1534	2747.91	1321	11433.80	215.67
4	कुडकेला / पांडीछाल (41007702)	570	948.71	494	4112.80	55.94
5	कुडमकेला / कुडमकेला (41005701)	663	1149.65	499	4157.72	176.45
6	कुडमकेला / घरघोडा (41005702)	512	992.25	406	3423.88	108.52
7	कुमीभना/ कुमीभना (41005601)	755	1378.03	657	4551.76	97.40
8	कुमीभना/ बट्टराकछार(केया) (41005602)	432	880.80	357	2556.24	118.19
9	केशला 100 / केशला (41006701)	1010	1670.97	887	5896.88	124.66
10	केशला 100 / तोलगे (41006702)	534	944.47	430	3072.28	102.94
11	केशला 331 / केशला (41002001)	1236	1462.11	1083	6193.48	75.02
12	केशला 331 / बीजकोट (41002002)	299	440.55	271	1886.32	20.08
13	कांटाहरदी/ कांटाहरदी (41008101)	561	913.10	520	4092.40	29.69
14	कापू/ कापू (41007501)	1821	3105.36	1436	11356.72	414.05
15	कापू/ लिप्ला (41007502)	1244	2640.37	1099	11344.52	163.99
16	कांकडीतराई / कांकडीतराई (41000801)	678	839.42	520	2730.00	80.39
17	कांडतराई / केराझर (41000502)	434	658.60	373	2396.76	50.13
18	कांडतराई / कांडतराई (41000501)	614	858.98	563	3608.60	29.59
19	कांडपाली / कांडपाली (41001901)	1130	1570.08	1031	7115.48	59.03
20	कांडपाली / छपोरा (41001902)	476	460.99	436	2053.44	12.92
21	कांडतराई / कांडतराई (41001601)	1311	1978.38	1150	8320.00	95.51
22	कांडासिया / कांडासिया (41007101)	1161	1857.90	945	7128.36	161.93
23	कांडासिया / घटगांव (41007102)	700	1299.68	569	4826.92	143.95
24	खडगांव 180 / खडगांव 180 (41007601)	679	1181.75	633	5093.12	44.65
25	खडगांव 180 / हाटा (41007602)	895	1697.02	847	7728.92	50.22
26	खडगांव 83 9/ कोठीकुण्डा (41005302)	421	708.66	390	3129.32	22.87
27	खडगांव 83 9/ खडगांव (41005301)	741	1137.51	647	4681.92	70.26
28	खम्हरिया / खम्हरिया (41006501)	381	464.95	240	1421.56	52.38
29	खम्हार/ खम्हार (41007901)	857	1224.50	604	4131.76	217.08
30	खम्हार/ सरियामडवाताल (41007902)	542	953.21	430	3305.84	126.44
31	खरासिया / खरासिया (41004701)	732	861.49	678	3898.92	22.77
32	खरासिया / मैनपारा (41004702)	672	642.38	646	3083.80	16.71
33	गढउमरिया/ गढउमरिया (41008501)	479	566.30	431	2461.20	23.95
34	गढउमरिया/ छातामुड़ा (41008502)	210	430.09	192	1849.84	24.05
35	गेरसा/ गेरसा (41010101)	869	1509.65	758	6289.60	89.83
36	गौरा / गौरा (41001501)	1220	1680.15	1097	7377.40	54.64
37	घरघोडा / कोटरीमाल (41005402)	687	985.45	486	3254.88	113.25
38	घरघोडा / घरघोडा (41005401)	1095	1777.20	716	4873.88	343.24
39	चपले / कुनकुनी (41004602)	491	641.22	448	2740.20	20.78
40	चपले / चपले (41004601)	700	726.74	646	3154.60	23.65
41	चपले / बिन्जकोट (41004603)	391	595.84	353	2679.60	24.89
42	छरोटागर / छरोटागर (41005801)	863	1344.70	667	4651.16	154.12
43	छाल / कटाईपाली सी (41007802)	690	1101.57	572	4327.32	103.29

क्र.	धान खरीदी केन्द्र का नाम	पंजीकृत किसान	पंजीकृत किसानों का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	पंजीकृत रकबा में धान बेचने वाले किसान	किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा (मे.टन में)	पंजीकृत रकबा जिसके विरुद्ध धान का विक्रय नहीं किया गया (हेक्टेयर में)
44	छाल / छाल (41007801)	713	1066.04	563	3952.60	139.50
45	छिछोर उमरिया/ छिछोर उमरिया (41010601)	1463	1804.89	1329	8533.52	70.49
46	छिछोर उमरिया/ नवापारा ब (41010602)	353	419.47	325	2019.68	11.65
47	जतरी / जतरी (41001701)	748	1003.04	675	4498.60	31.92
48	जमरगी डी/ जमरगी डी (41011001)	1156	1875.95	1058	8015.92	87.92
49	जमुरा / जमुरा (41004501)	908	1230.88	847	5455.24	23.34
50	जमुरा / बसनाझर (41004502)	612	834.70	580	3846.40	25.61
51	जरकेला / जरकेला (41005901)	1016	1861.87	851	5041.00	171.12
52	जामगाँव / जामगाँव (41001001)	879	1224.26	710	5248.92	113.69
53	जोबी / जोबी (41005201)	931	1567.34	852	6388.64	88.27
54	टेण्डानावापारा / टेण्डानावापारा (41005501)	1065	1909.85	817	6761.80	202.48
55	टारपाली/ टारपाली (41000601)	863	1082.30	721	4240.00	78.16
56	तेतला / तेतला (41001801)	687	906.13	620	3899.92	27.28
57	तेतला / सुरी (41001802)	344	556.55	311	2585.36	15.11
58	तमनार / तमनार (41006301)	1354	1956.35	1148	6947.20	162.23
59	तरकेला / तरकेला (41000201)	628	934.10	564	4157.80	38.17
60	तरकेला / पटेलपाली (41000202)	251	320.90	222	1389.84	11.64
61	तरकेला / तरकेला (41004901)	508	783.41	480	3959.64	12.77
62	तरकेला / तिउर (41004902)	881	1214.05	815	5889.64	31.25
63	तेलीपाली/ तेलीपाली (41008401)	760	1161.89	710	5265.40	34.75
64	तारापुर / कोतरा (41000401)	783	1118.63	696	4861.28	58.32
65	तिलगी/ तिलगी (41010501)	801	1125.16	741	5208.68	70.68
66	धनागर/ धनागर (41010401)	792	1186.00	715	4705.52	56.14
67	धर्मजयगढ / दुगापुर (41007302)	813	1158.24	718	5179.04	62.44
68	धर्मजयगढ / धर्मजयगढ (41007301)	1622	2026.67	1379	9274.68	95.99
69	धीराभठा / धीराभठा (41006001)	1517	2639.48	1199	7707.48	299.56
70	नदेली / नदेली (41000101)	835	1378.38	780	6435.00	30.49
71	नवापारा (माण्ड)/ नवापारा (माण्ड) (41008301)	990	1251.37	901	5841.04	35.07
72	पाडेगाँव / पाडेगाँव (41001201)	1201	1480.26	1108	6986.56	44.37
73	पुसीर / पुसीर (41001101)	950	1274.48	849	5380.76	83.31
74	फरकानारा/ फरकानारा (41010201)	590	1074.98	528	4238.96	74.39
75	बगुरसिया / बगुरसिया (41000701)	696	979.22	515	3166.80	112.77
76	बडे हल्दी / कासमदा (41001302)	559	758.60	509	3252.20	42.19
77	बडे हल्दी / बडे हल्दी (41001301)	582	739.55	540	3398.48	30.01
78	बडेभंडार / बडेभंडार (41001401)	974	965.24	914	4507.44	35.49
79	बडेभंडार / बुनगा (41001402)	1020	1002.03	942	4722.08	33.25
80	बरगढ/ बरगड (41005101)	1203	1445.38	1055	6835.52	64.47
81	बरगढ/ बतिल्दा (41005102)	471	632.58	444	3063.04	23.07
82	बानिपाथर / बरभोना (41004802)	354	508.86	315	2052.44	39.85
83	बानिपाथर / बानिपाथर (41004801)	1083	1244.63	988	5495.08	67.47
84	बायंग/ बायंग (41008001)	867	1147.50	793	4868.76	63.15
85	भातपुर / भातपुर (41000301)	957	1390.76	914	6520.00	26.11
86	मुकडेगा / मुकडेगा (41006901)	1093	1816.24	820	6670.92	245.41
87	मुरा भूपदेवपुर/ भूपदेवपुर (41004402)	570	820.19	516	3202.44	30.09

क्र.	धान खरीदी केन्द्र का नाम	पंजीकृत किसान	पंजीकृत किसानों का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	पंजीकृत रकबे में धान बेचने वाले किसान	किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा (मे.टन में)	पंजीकृत रकबा जिसके विरुद्ध धान का विक्रय नहीं किया गया (हेक्टेयर में)
88	मूरा भूपदेवपुर/ मूरा भूपदेवपुर (41004401)	774	1100.20.	704	4820.40	33.52
89	राजपुर / बगुडंगा (41007202)	379	666.33	342	2580.32	40.59
90	राजपुर / राजपुर (41007201)	768	1273.80	649	4536.48	135.44
91	लेलुंगा / बिरासिंघा (41006602)	717	1111.05	600	4558.12	105.49
92	लेलुंगा / लेलुंगा (41006601)	1162	1759.85	989	6935.36	153.26
93	लारीपानी / लारीपानी (41006802)	529	814.65	379	2876.72	117.98
94	लारीपानी / लारीपानी (झगरपुर) (41006801)	953	1309.62	687	4955.76	166.16
95	लिबरा / लिबरा (41007001)	1292	2483.49	1129	9448.96	178.09
96	लाईग / लोईग (41000901)	1282	1813.72	1101	7759.60	112.48
97	सराइटोला / चितवाही (41006102)	1090	1572.29	853	4695.12	177.89
98	सराइटोला / सराइटोला (41006101)	631	1021.84	508	3293.44	96.12
99	सराइपाली / सराइपाली (41006201)	751	1344.65	604	4402.12	165.33
100	सिसौरंगा/ ससकोबा (41007402)	1240	2173.04	1006	8382.00	172.02
101	सिसौरंगा/ सिसौरंगा (41007401)	1208	1815.57	883	6087.04	270.28
102	हमीरपुर/ हमीरपुर (41008201)	805	1287.02	669	4190.68	94.35
103	हालाहली / गोडगोधरी (41005002)	428	497.16	408	2527.16	3.68
104	हालाहली / बडे देवगांव (41005003)	264	253.76	228	1146.88	16.43
105	हालाहली / हालाहली (41005001)	829	831.62	740	4075.48	21.49
	कुल योग	85241	127036.24	73295	508797.64	9236.24

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वायत्त नगरपालिका आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - सप्ताईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2349) की जानकारी

प्रश्न

महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित योजनाओं की प्राप्त एवं व्यय राशि

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)		
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी राजनांदगांव ग्रामीण-01 राजनांदगांव ग्रामीण-02 योग	राजनांदगांव	पूरक पोषण आहार	11982561	7314548	योजना के तहत गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं तथा 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया।	8913000	8176087	योजना के तहत गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं तथा 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया।	15410000	5617867	योजना के तहत गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं तथा 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया।
					13110009	12606450		8450000	8346137		6500000	5441820	
					10254776	9584045		5800000	5793969		5850000	4190298	
					35347346	29505043		23163000	22316193		27760000	15249985	
					12239251	11992912		9650000	9543522		8300000	6074890	
					164436301	16043538		14738000	14736009		12845000	11203132	
					10040000	9867399		8500000	8457903		9000000	6773653	
					11521299	11521299		8505000	8426605		8000000	5944423	
					21561299	21388698		17005000	16884508		17000000	12718076	
					8566922	8566922		8490000	8374888		6874000	5358312	
					12166481	12158921		8000000	7820119		7109000	6299388	
					13266455	13249097		10200000	10199995		9144750	6435518	
					33999858	33974940		26690000	26395002		23127750	18093218	
					27514067	20389033		16100000	15117605		0	0	
16136841	16136841		15400000	13982276		0	0						
43650908	36525874		31500000	29099881		0	0						
163234963	149431005		122746000	118975115		89032750	63339301						
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी राजनांदगांव ग्रामीण-01 राजनांदगांव ग्रामीण-02 योग	राजनांदगांव	महतारी जतन	400000	128272	योजना के तहत गर्भवती माताओं को आंगबाड़ी केन्द्रों में गर्भ भोजन प्रदान किया गया।	0	0		0	0	
					400000	152485		0	0		0	0	
					400000	0		0	0		0	0	
					1200000	280757		0	0		0	0	
					400000	148566		0	0		0	0	
					750000	0		0	0		0	0	
					3195000	74043		0	0		0	0	
					3195000	0		0	0		0	0	
					6390000	74043		0	0		0	0	

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)			
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन मदों में व्यय की गई	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन मदों में व्यय की गई	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय
2	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	महतारी जतन	800000	0	योजना के तहत गर्भवती माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भ भोजन प्रदान किया गया।	0	0		0	0		
					350000	163889	पोषाहार पोषिक खाद्यों एवं पेयों आयोजना	0	0		0	0		0
	खैरागढ़-छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान	योग	1950000	163889		0	0		0	0		
					200000	156323		0	0		0	0		0
	खैरागढ़-छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान	योग	300000	206996		0	0		0	0		
					500000	363319		0	0		0	0		0
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	महायोग	5439000	1030574		0	0		0	0		
					17735374	1062049		8644341	3033353		0	0		0
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	योग	778243	777681		3451089	2551089		0	0		
					790908	790908	योजना के तहत कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान किया गया।	1304570	1304570	पोषाहार पोषिक खाद्यों आयोजना मद	0	0		0
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	योग	19304525	2630638		13400000	6889012		0	0		
					1256398	1256398		5140000	5110582		0	0		0
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	योग	1982094	1982094		7407000	7141146		0	0		
					686142	686142		1300000	1299428		0	0		0
	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	योग	519501	519501		2100000	2009413		0	0		
					1205643	1205643		3400000	3308841		0	0		0
3	चौकी-मोहला-मानपुर	चौकी-मोहला-मानपुर	चौकी-मोहला-मानपुर	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	378015	378015		84000	84000		0	0		
					8492170	8492170		4026000	1866742		0	0		0
	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	योग	899810	899810		2055000	2055000		0	0		
					9769995	9769995		6165000	4005742		0	0		0
	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	योग	13044815	9507197		1160000	1160000		0	0		
					376830	376835		1160000	0		0	0		0
	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	योग	13421645	9884032		2320000	1160000		0	0		
					46940300	26728800		37832000	27615323		0	0		0
4	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	156550	103080		164100	73586		407627	11425		योजना के तहत कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें आवश्यक दवाईया उपलब्ध कराई गई।
					194400	119297		211050	186802		476872	59551		59551
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	योग	382191	276389		104750	104750		353527	14235		योजना के तहत कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें आवश्यक दवाईया उपलब्ध कराई गई।
					733141	498766		479900	365138		1238026	85211		85211

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)		
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई
7	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मोहला	मोहला	पोषण अभियान	239500	184500	आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुपोषण चौपाल आयोजन, पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा आयोजन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में व्यय किया गया।	2341250	2341250	आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुपोषण चौपाल आयोजन, पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा आयोजन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में व्यय किया गया।	2765000	2745000	आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुपोषण चौपाल आयोजन, पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा आयोजन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में व्यय किया गया।
					171000	171000	पोषण ट्रेकर एप	2887000	2887000	पोषण ट्रेकर एप	3399500	3322000	पोषण ट्रेकर एप
					164500	152250	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में व्यय किया गया।	2706750	2706750	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में व्यय किया गया।	3181000	3156000	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि में व्यय किया गया।
		योग	575000	507750		7935000	7935000		9345500	9223000			
		राजनांदगांव शहरी		60000			120667	120667		50000	0		
		राजनांदगांव ग्रामीण-01		60000			195000	195000		65000	20000		
		राजनांदगांव ग्रामीण-02		55000	55000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	261914	261914	महिला जागृति शिविर	50000	0	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	
		योग	175000	175000	महिला जागृति शिविर	577581	577581	महिला जागृति शिविर	165000	20000	महिला जागृति शिविर		
		डोंगरगांव		260000	259760		351175	351175		75000	0		
		डोंगरगांव		65000	64980		252304	252304		75000	0		
छुरिया-01		60000	60000		147128	147128		60000	20000				
छुरिया-02		55000	55000		143362	143362		60000	20000				
योग		115000	115000		290490	290490		120000	40000				
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी		चौकी			60000	60000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		मोहला			60000	60000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		मानपुर			60000	60000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		योग			180000	180000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		खैरागढ़			65000	65000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		खैरागढ़			165000	160000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		हुईखदान			230000	225000	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		हुईखदान			100000	67123	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	0	0				
		हुईखदान			1125000	1086863	विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय	1471550	1471550				
		जिला स्तर पर			200000			200000					
		महायोग			435000			435000	60000				

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)					
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	
8	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी	राजनांदगांव	दिशा दर्शन	175000	145000		245000	245000		350000	0				
		राजनांदगांव ग्रामीण-01			0	0		0	0		0	0				
		राजनांदगांव ग्रामीण-02			0	0	दिशा दर्शन कार्यक्रम पर व्यय	0	0	दिशा दर्शन कार्यक्रम	245000	245000	350000	0		
		योग			175000	145000		175000	145000		175000	175000	0	0		
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		9			राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी	राजनांदगांव	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	700000	640000		568750	568750	350000	0	
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रामीण-01	राजनांदगांव	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0	0		400000	400000		0	0				
		राजनांदगांव ग्रामीण-02			0	0		200000	200000		0	0				
		योग			0	0		0	0		200000	200000	0	0		
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		डोंगरगांव														
		9			राजनांदगांव	छुरिया-01	छुरिया	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0	0		300000	300000	0	0	
9	राजनांदगांव	छुरिया-02	छुरिया	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0	0		200000	200000	0	0					
		योग			0	0		500000	500000	0	0					
			जिला स्तर पर		0	0		150000	43630	600000	47924					

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)					
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई			
	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी	राजनांदगांव	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	300000	300000	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	1650000	1650000	1650000	847930	1650000	847930			
		राजनांदगांव ग्रामीण-01			275000	275000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	2200000	2200000	2700000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	
		राजनांदगांव ग्रामीण-02			275000	275000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	
		डोंगरगांव			850000	850000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	5350000	5350000	5850000	5850000	5850000	5850000	3847930	5850000	3847930
		डोंगरगांव			250000	248002	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	1000000	1000000	650000	650000	650000	650000	0	650000	0
		डोंगरगांव			250000	250000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	1150000	1150000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		डोंगरगांव			250000	250000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	2150000	2150000	1200000	1200000	1200000	1200000	550000	550000	550000
		छुरिया-01			250000	250000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	350000	350000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
		छुरिया-02			250000	250000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	2500000	2500000	2000000	2000000	2000000	2000000	1350000	1350000	1350000
		योग			5000000	5000000		25000000	25000000		25000000	25000000	20000000	20000000	13500000	20000000
मोहला-मानपुर-चौकी					0	0	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	5250000	5250000	5250000	7500000	7500000	7500000			
					चौकी	225000	225000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	1250000	1250000	0	0	0	0	0	
					मोहला	1875000	1875000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	2000000	2000000	3750000	3750000	3750000	3750000	3750000	
					मानपुर	225000	225000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	2000000	2000000	3750000	3750000	3750000	3750000	3750000	
					योग	2325000	2325000	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	5250000	5250000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	
					खैरागढ़	250000	0	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	0	0	0	0	0	0	0	0
					छुईखदान	250000	0	मुख्यमंत्री कन्या विवाह	0	0	0	0	0	0	0	0
					योग	500000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
					महाराजगढ़	4675000	4173002		15250000	15250000	17500000	17500000	17500000	14147930	14147930	14147930
					योग	5000000	4173002		15250000	15250000	17500000	17500000	14147930	14147930	14147930	

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)		
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन-किन कार्यों में व्यय की गई
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़ महिला कोष (ऋण योजना)	0	180000	महिला स्व. सहायता समूहों के महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु ऋण प्रदाय किया गया	0	100000	महिला स्व. सहायता समूहों के महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु ऋण प्रदाय किया गया	0	450000	महिला स्व. सहायता समूहों के महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु ऋण प्रदाय किया गया
		राजनांदगांव ग्रामीण-01			0	1690000		0	3150000				
		राजनांदगांव ग्रामीण-02			0	0		0	100000				
		योग			0	1870000		0	3350000				
		डोंगरगांव			0	1080000		0	950000				
		डोंगरगढ़			0	180000		0	1200000				
		छुरिया-01			0	50000		0	0				
		छुरिया-02			0	0		0	0				
		योग			0	50000		0	0				
		चौकी			0	270000		0	0				
		मोहला			0	0		0	0				
मानपुर	0	0	0	0									
योग	0	270000	0	0									
खैरागढ़	0	50000	0	0									
छुईखदान	0	0	0	0									
योग	0	50000	0	0									
जिला स्तर पर	0	50000	0	0									
महायोग	3000000	3500000	4500000	5500000	3940000	5000000							
12	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहरी	राजनांदगांव	सक्षम योजना	0	200000	विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया है।	0	0	विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया है।	0	0	सक्षम योजना
		राजनांदगांव ग्रामीण-01			0	0		0	0				
		राजनांदगांव ग्रामीण-02			0	0		0	0				
		योग			0	200000		0	1320000				
		डोंगरगांव			0	100000		0	0				
		डोंगरगढ़			0	100000		0	0				
		छुरिया-01			0	0		0	0				
		छुरिया-02			0	0		0	0				
		योग			0	0		0	0				
		डोंगरगांव			0	40000		40000	40000				
		डोंगरगढ़			0	0		0	200000				
छुरिया-01	0	0	0	200000									
छुरिया-02	0	0	0	200000									
योग	0	0	0	400000									

क्रमांक	जिला	परियोजना	विकासखण्ड	योजना का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)		
					प्राप्त आबंटन	व्यय	किन मर्दों में व्यय की गई	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन	व्यय	किन मर्दों में व्यय की गई	किन-किन कार्यों में व्यय की गई	प्राप्त आबंटन
12	मोहला-मानपुर-चौकी	चौकी	चौकी	सक्षम योजना	0	0	विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया है।	0	0	विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया है।	0	0	विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय किया है।
					0	0		0	0				
					0	0		0	0				
					0	0		0	0				
					0	0		0	0				
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	छुईखदान	0	0		0	0		0	0		
				योग	0	0		1320000		620000			
				महायोग	0	400000							
13		-	-	मिशन वात्सल्य योजनातर्गत बाल देखरेख संस्थाएं	10589540	9975097	शासकीय एवं अशासकीय संस्थान के संचालक हेतु	16243679	12191780	शासकीय एवं अशासकीय संस्थान के संचालक हेतु	13304767	1043561	बाल देखरेख संस्थाएं
					673556	673556	देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आर्थिक सहायता	1816000	1728000	देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आर्थिक सहायता	2196000	1464000	प्रवर्तकों कार्यक्रम योजना/स्पां सरशिप/आप्टर केयर
					0	0	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	0	0	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	0	0	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना
					11263096	10648653		18059679	13919780		15500767	2507561	
					योग								

टीप 1. पूरक पोषण आहार, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की जानकारी वर्ष 2022-23 व 2023-24 संयुक्त राजनांदगांव जिले की जानकारी है।

टीप 2. महतारी जतन, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं छत्तीसगढ़ महिला कोष की जानकारी 2022-23 में संयुक्त राजनांदगांव जिले की जानकारी है।

पॉरीशेए - अड्डाईस

परिवातेत अतारांकैत प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2369) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की पात्रता सहित जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजना की पात्रता एवं जानकारी
1	2	3
1.	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है। अधिकतम राशि रूपये 6900/- तक के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, श्वेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदान किया जाता है।
2.	सामर्थ्य विकास योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क प्रदाय किये जाते हैं। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु मेले/शिविरों का आयोजन कर दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण करते हुए आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे कैलीपर्स, ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, श्वेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदान किया जाता है।
3.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे दिव्यांग जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो। युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो। दिव्यांग दम्पति को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 50,000/- एकमुश्त तथा दोनों के दिव्यांग होने पर राशि रूपये 1,00,000/- एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
4.	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा पहली से बारहवीं तक के नियमित दिव्यांग विद्यार्थी हो। गत परीक्षा में उत्तीर्ण हो। दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2,00,000/- तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय 2,50,000/- हो। <p>दिव्यांग विद्यार्थियों को निम्नानुसार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:- प्राथमिक स्तर पर रूपये 150/- प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर पर रूपये 170/- प्रतिमाह एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रूपये 190/- प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।</p>

5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> • 18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु दिव्यांगता गंभीर निःशक्त से तात्पर्य किसी एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो। बहु दिव्यांगता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो। • योजना अंतर्गत राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
6.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	<ul style="list-style-type: none"> • 6-17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी। • 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति। • बौने व्यक्ति। • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो। • योजना अंतर्गत राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।
7.	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • जिला अंतर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो। • आई.टी.आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित विद्यार्थि हो। • चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थि हो। • जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2,000/- एकमुश्त। • जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/- एकमुश्त। • आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि। • चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
8.	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना योजना	<ul style="list-style-type: none"> • संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यार्थी। • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/- एकमुश्त। • मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/- एकमुश्त। • संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/- एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है।

9.	निःशक्तजन छात्रगृह योजना	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। • शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो। <p>05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000 /- (दस हजार) तक देय। 2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000 /- (सात हजार) तक देय। 3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000 /- (पांच हजार) तक देय, का प्रावधान है।
10.	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। • आयु 6 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। उक्त का प्रावधान शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए है। <p>शासकीय एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।</p>
11	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	<ul style="list-style-type: none"> • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, • आवेदक की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो। • वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो। • संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता और अनुभव हो। <p>दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु निम्नानुसार ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 5 हजार से रूपये 50 हजार तक - 5% 2. रूपये 50 हजार से रूपये 5 लाख तक - 6% 3. रूपये 5 लाख से रूपये 15 लाख तक - 7% 4. रूपये 15 लाख से रूपये 30 लाख तक - 8% 5. रूपये 30 लाख से रूपये 50 लाख तक - 9% <p>महिला दिव्यांग हितग्राही को 1 प्रतिशत की वार्षिक विशेष छूट दी गई है एवं दृष्टि/मानसिक/श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को 0.5% वार्षिक छूट, का प्रावधान है।</p>

12.	उत्थान सब्सिडी योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो, ऋण की अदायगी 75 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर हितग्राही को उत्थान सब्सिडी प्राप्त होगी। हितग्राही को ऋण के कुल ब्याज की राशि का 25 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अदा होगी, का प्रावधान है।
13	घरौदा (आश्रय गृह)	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी संस्थाएं जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत हो। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रमस्तिष्क अंगाघात, स्वपरायणता, बौद्धिक मंदता एवं बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए आजीवन निःशुल्क आवासीय व्यवस्था का प्रावधान है।
14	हॉफ-वे-होम	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी संस्थाएं जो छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो। मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों का मानसिक चिकित्सालय से उपचार उपरांत उनके पुनर्वास हेतु निःशुल्क समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
15	अपराजिता (मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र)	<ul style="list-style-type: none"> मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को सभी आधारभूत सुविधा जैसे- आवास/भोजन/चिकित्सा/विधिक सहायता/दैनिक क्रियाकलाप की वस्तुएं आदि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
16	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थस्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।
17.	मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	<ul style="list-style-type: none"> दिव्यांगता का प्रतिशत 60% या उससे अधिक वाले अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं जिनकी न्युनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष हो, दिव्यांगता का प्रतिशत 70% या उससे अधिक के रोजगार एवं स्वरोजगार में संलग्न दिव्यांग व्यक्ति हो, दिव्यांगता का प्रतिशत 80% या उससे अधिक के सामान्य दिव्यांगजन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हों। आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 20,000/- प्रतिमाह तक हों, ऐसे दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।


अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक जांजगीर-चाम्पा जिले के दिव्यांगजनों को प्रदाय सामग्री की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	मोटर्सईज्ड ट्रायसायकल	ट्रायसायकल	श्रवण यंत्र	बैशाखी	व्हीलचेयर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवागढ़	54	15	61	05	09	144
2	पामगढ़	14	01	13	01	00	29
3	अकलतरा	33	09	14	11	05	72
4	बलौदा	14	05	22	06	01	48
5	बम्हीनीडीह	42	12	27	03	05	89
	योग	157	42	137	26	20	382


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-स

जांजगीर-चाम्पा जिले में 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक दिव्यांगजनों के लिए आयोजित शिविरों की विकासखण्डवार, शिविरवार एवं शिविरों में व्यय की गई राशि की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	शिविर दिनांक	शिविर स्थल का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1.	अकलतरा	27.02.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा	78000.00
		17.10.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा	0
		28.12.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा	0
2	बलौदा	23.02.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा	78000.00
		12.09.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा	0
		28.12.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा	0
3	बम्हनीडीह	08.02.2024	सामुदायिक भवन बम्हनीडीह	64440.00
		03.09.2024	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारागांव	0
		05.09.2024	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरा	0
		29.12.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनीडीह	0
4	नवागढ़	07.03.2024	जिला चिकित्सालय जांजगीर	76230.00
		24.09.2024	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केरा	0
		26.09.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़	0
		27.10.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी (नैला)	0
		30.12.2024	जिला चिकित्सालय जांजगीर	0
5	पामगढ़	15.02.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़	78000.00
		19.09.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़	0
		03.10.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राहौद	0
		29.12.2024	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़	0


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - उन्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2402) की जानकारी

प्रपत्र- अ

माहवार राशि जारी किये गये हितग्राहियों की जानकारी

जिले का नाम	माह का नाम	विकासखण्ड का नाम	भुगतान अनुमोदित हितग्राही	रु. 1000 सहायता राशि प्राप्त करने वाले हितग्राही	सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी जिन्हें अंतर की राशि रु. 500 की दर से भुगतान की जा रही है	सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी जिन्हें अंतर की राशि रु. 350 की दर से भुगतान की जा रही है
बिलासपुर	मार्च 2024	बिल्हा	183627	162535	21017	75
	मार्च 2024	कोटा	63370	52988	10333	49
	मार्च 2024	मस्तुरी	94198	81947	12092	159
	मार्च 2024	तखतपुर	85068	72428	12625	15
योग			426263	369898	56067	298
बिलासपुर	अप्रैल 2024	बिल्हा	183625	162676	20871	78
	अप्रैल 2024	कोटा	63358	52968	10341	49
	अप्रैल 2024	मस्तुरी	94198	82029	12010	159
	अप्रैल 2024	तखतपुर	85065	72477	12573	15
योग			426246	370150	55795	301
बिलासपुर	मई 2024	बिल्हा	183481	162627	20775	79
	मई 2024	कोटा	63337	52992	10295	50
	मई 2024	मस्तुरी	94143	82223	11765	155
	मई 2024	तखतपुर	84971	72471	12485	15
योग			425932	370313	55320	299
बिलासपुर	जून 2024	बिल्हा	183306	162493	20734	79
	जून 2024	कोटा	63297	52959	10288	50
	जून 2024	मस्तुरी	94088	82191	11742	155
	जून 2024	तखतपुर	84920	72440	12465	15
योग			425611	370083	55229	299
बिलासपुर	जुलाई 2024	बिल्हा	183262	162473	20710	79
	जुलाई 2024	कोटा	63296	52959	10287	50
	जुलाई 2024	मस्तुरी	94073	82185	11734	154
	जुलाई 2024	तखतपुर	84911	72436	12460	15
योग			425542	370053	55191	298
बिलासपुर	अगस्त 2024	बिल्हा	182841	162072	20690	79
	अगस्त 2024	कोटा	63180	52867	10264	49
	अगस्त 2024	मस्तुरी	93893	82047	11694	152
	अगस्त 2024	तखतपुर	84686	72246	12425	15

जिले का नाम	माह का नाम	विकासखण्ड का नाम	भुगतान अनुमोदित हितग्राही	रु. 1000 सहायता राशि प्राप्त करने वाले हितग्राही	सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी जिन्हें अंतर की राशि रु. 500 की दर से भुगतान की जा रही है	सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी जिन्हें अंतर की राशि रु. 350 की दर से भुगतान की जा रही है
योग			424600	369232	55073	295
बिलासपुर	सितम्बर 2024	बिल्हा	182812	162054	20679	79
	सितम्बर 2024	कोटा	63179	52867	10263	49
	सितम्बर 2024	मस्तुरी	93866	82032	11683	151
	सितम्बर 2024	तखतपुर	84677	72243	12419	15
योग			424534	369196	55044	294
बिलासपुर	अक्टूबर 2024	बिल्हा	182777	162031	20668	78
	अक्टूबर 2024	कोटा	63138	52846	10243	49
	अक्टूबर 2024	मस्तुरी	93803	82002	11652	149
	अक्टूबर 2024	तखतपुर	84594	72198	12381	15
योग			424312	369077	54944	291
बिलासपुर	नवम्बर 2024	बिल्हा	182594	161930	20588	76
	नवम्बर 2024	कोटा	63047	52791	10207	49
	नवम्बर 2024	मस्तुरी	93679	81964	11571	144
	नवम्बर 2024	तखतपुर	84524	72166	12343	15
योग			423844	368851	54709	284
बिलासपुर	दिसम्बर 2024	बिल्हा	182521	161895	20550	76
	दिसम्बर 2024	कोटा	63017	52780	10188	49
	दिसम्बर 2024	मस्तुरी	93605	81939	11525	141
	दिसम्बर 2024	तखतपुर	84470	72143	12312	15
योग			423613	368757	54575	281
बिलासपुर	जनवरी 2025	बिल्हा	182551	161959	20517	75
	जनवरी 2025	कोटा	62941	52727	10166	48
	जनवरी 2025	मस्तुरी	93586	81942	11505	139
	जनवरी 2025	तखतपुर	84488	72202	12271	15
योग			423566	368830	54459	277
बिलासपुर	फरवरी 2025	बिल्हा	181601	161142	20384	75
	फरवरी 2025	कोटा	62660	52501	10113	46
	फरवरी 2025	मस्तुरी	93395	81810	11447	138
	फरवरी 2025	तखतपुर	84278	72057	12206	15
योग			421934	367510	54150	274

भुगतान प्रेषण उपरांत असफल भुगतान हुए हितग्राहियों की जानकारी

जिले का नाम	माह	विकासखण्ड का नाम	असफल भुगतान के कारण भुगतान लंबित हितग्राही
बिलासपुर	मार्च 2024	बिल्हा	136
	मार्च 2024	कोटा	56
	मार्च 2024	मस्तुरी	58
	मार्च 2024	तखतपुर	59
योग			309
बिलासपुर	अप्रैल 2024	बिल्हा	182
	अप्रैल 2024	कोटा	69
	अप्रैल 2024	मस्तुरी	79
	अप्रैल 2024	तखतपुर	80
योग			410
बिलासपुर	मई 2024	बिल्हा	193
	मई 2024	कोटा	80
	मई 2024	मस्तुरी	79
	मई 2024	तखतपुर	91
योग			443
बिलासपुर	जून 2024	बिल्हा	340
	जून 2024	कोटा	108
	जून 2024	मस्तुरी	104
	जून 2024	तखतपुर	140
योग			692
बिलासपुर	जुलाई 2024	बिल्हा	369
	जुलाई 2024	कोटा	135
	जुलाई 2024	मस्तुरी	142
	जुलाई 2024	तखतपुर	160
योग			806
बिलासपुर	अगस्त 2024	बिल्हा	415
	अगस्त 2024	कोटा	162
	अगस्त 2024	मस्तुरी	155
	अगस्त 2024	तखतपुर	184
योग			916

जिले का नाम	माह	विकासखण्ड का नाम	असफल भुगतान के कारण भुगतान लंबित हितग्राही
बिलासपुर	सितम्बर 2024	बिल्हा	461
	सितम्बर 2024	कोटा	192
	सितम्बर 2024	मस्तुरी	178
	सितम्बर 2024	तखतपुर	200
योग			1031
बिलासपुर	अक्टूबर 2024	बिल्हा	607
	अक्टूबर 2024	कोटा	215
	अक्टूबर 2024	मस्तुरी	264
	अक्टूबर 2024	तखतपुर	262
योग			1348
बिलासपुर	नवम्बर 2024	बिल्हा	707
	नवम्बर 2024	कोटा	228
	नवम्बर 2024	मस्तुरी	299
	नवम्बर 2024	तखतपुर	300
योग			1534
बिलासपुर	दिसम्बर 2024	बिल्हा	624
	दिसम्बर 2024	कोटा	213
	दिसम्बर 2024	मस्तुरी	296
	दिसम्बर 2024	तखतपुर	319
योग			1452
बिलासपुर	जनवरी 2025	बिल्हा	711
	जनवरी 2025	कोटा	241
	जनवरी 2025	मस्तुरी	318
	जनवरी 2025	तखतपुर	338
योग			1608
बिलासपुर	फरवरी 2025	बिल्हा	733
	फरवरी 2025	कोटा	241
	फरवरी 2025	मस्तुरी	432
	फरवरी 2025	तखतपुर	319
योग			1725

परिशिष्ट - तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2413) की जानकारी

प्रपत्र

समाज कल्याण विभाग द्वारा विगत 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 20 फरवरी 2025 तक महासमुंद जिले को प्रदत्त राशि,
कार्य/प्रयोजन एवं व्यय की मदवार जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र.	मद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (20 फरवरी 2025)		कार्य/प्रयोजन
		प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	
1	महंगाई भत्ता	1166000	620496	1520000	1147056	1500000	1453616	वेतन
2	गृह भाडा भत्ता	80000	43105	80000	76130	75000	100324	
3	अन्य भत्ता	45000	22350	45000	24600	30000	24600	
4	चिकित्सा व्यय पूर्ति	0	0	35705	35705	0	0	
5	निर्देशन प्रशासन वेतन	5300000	2285746	40000	2944711	3000000	3151563	
6	त्वाहार अग्रिम	32000	50000	32000	40000	40000	60000	
7	महंगाई भत्ता	154000	167472	285000	251544	400000	316232	
8	त्वाहार अग्रिम	0	0	4000	0	0	0	वेतन
9	कलपथक वेतन	700000	643212	750000	665772	800000	682412	
10	अन्य भत्ता	35000	2400	35000	2400	35000	2400	
11	गृह भाडा भत्ता	60000	19440	60000	30829	60000	42294	
12	महंगाई भत्ता	308000	283662	532000	427608	700000	538820	
13	परिवीक्षा ईकाई वेतन	1400000	1081072	1400000	1103850	1400000	1153472	
14	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10000	0	0	0	0	0	वेतन
15	अन्य भत्ता	11000	14100	12000	14100	12000	14100	
16	त्वाहार अग्रिम	10000	30000	10000	10000	10000	30000	
17	गृह भाडा भत्ता	25000	23859	25000	38528	25000	32226	
18	इ.गा.रा दिव्यांग (सा)	1700000	1699800	1700000	1597200	1750000	1588800	
19	इ.गा.रा दिव्यांग (सा)	275000	227100	275000	206700	230000	201600	
20	इ.गा.रा दिव्यांग (सा)	300000	246300	250000	217500	250000	216300	
21	इ.गा.रा दिव्यांग (अजा)	400000	372000	400000	339900	400000	339900	

क्र.	मद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (20 फरवरी 2025)		कार्य/प्रयोजन
		प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	
22	इ.गा.रा दिव्यांग (अजा)	75000	56100	70000	56100	70000	56100	पेंशन वितरण
23	इ.गा.रा दिव्यांग (अजा)	50000	48900	50000	39000	50000	42900	
24	इ.गा.रा दिव्यांग (अजजा)	800000	751800	700000	643500	700000	643500	
25	इ.गा.रा दिव्यांग (अजजा)	100000	97200	90000	89100	90000	90000	पेंशन वितरण
26	इ.गा.रा दिव्यांग (अजजा)	80000	80100	90000	83100	100000	79200	
27	इ.गा.रा विधवा (सा)	15500000	15499800	17800000	16962900	18000000	16642800	
28	इ.गा.रा विधवा (सा)	3500000	3540600	3300000	3141600	3500000	3228000	पेंशन वितरण
29	इ.गा.रा विधवा (सा)	900000	899700	900000	900000	1000000	921000	
30	इ.गा.रा विधवा (अजा)	4500000	4500000	4000000	3653100	3980000	3653100	
31	इ.गा.रा विधवा (अजा)	710000	709800	800000	739200	1000000	739200	पेंशन वितरण
32	इ.गा.रा विधवा (अजा)	200000	193500	200000	168300	200000	168300	
33	इ.गा.रा विधवा (अजजा)	6600000	6600000	6000000	6000000	6500000	6035700	
34	इ.गा.रा विधवा (अजजा)	1050000	1050000	1300000	1197900	1200000	1197900	पेंशन वितरण
35	इ.गा.रा विधवा (अजजा)	350000	314400	350000	337800	300000	273900	
36	इ.गा.रा वृद्धा (सा)	50000000	51873300	47000000	46999800	51500000	47458200	
37	इ.गा.रा वृद्धा (सा)	3400000	3399800	3400000	3400000	3800000	3555300	पेंशन वितरण
38	इ.गा.रा वृद्धा (सा)	1200000	1199900	1200000	1200000	1500000	1347800	
39	इ.गा.रा वृद्धा (अजजा)	22300000	20815600	24500000	22941600	22500000	20607400	
40	इ.गा.रा वृद्धा (अजजा)	1000000	1000000	1500000	1500000	1300000	1251800	पेंशन वितरण
41	इ.गा.रा वृद्धा (अजजा)	500000	494800	500000	461000	500000	455400	
42	इ.गा.रा वृद्धा (अजा)	12200000	12199800	15000000	15000000	16000000	16000000	
43	इ.गा.रा वृद्धा (अजा)	900000	899900	800000	799900	800000	763300	

क्र.	मद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (20 फरवरी 2025)		कार्य/प्रयोजन
		प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	
44	इ.गा.रा.वृद्धा (अंज)	300000	300000	300000	298000	300000	186000	
45	रा0 परिवार सहायता योजना	200000	180000	200000	200000	200000	40000	
46	रा0 परिवार सहायता योजना	4500000	3520000	4500000	1880000	4500000	360000	
47	रा0 परिवार सहायता योजना	500000	420000	500000	220000	500000	400000	
48	रा0 परिवार सहायता योजना	1000000	940000	1000000	280000	1000000	160000	मृतक कमाऊ मुखियाकी मृत्यु पर एक मुश्त सहायता राशि वितरण
49	रा0 परिवार सहायता योजना	100000	80000	100000	40000	100000	20000	
50	रा0 परिवार सहायता योजना	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
51	रा0 परिवार सहायता योजना	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1400000	
52	रा0 परिवार सहायता योजना	200000	200000	200000	200000	200000	200000	
53	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	11300000	11414950	20100000	17428950	20300000	17903800	
54	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4000000	4025400	7200000	5952050	6700000	6068900	पेंशन वितरण
55	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	167000000	165890900	249600000	230990200	261500000	229758000	
56	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	55000000	54995150	101700000	101661900	103000000	92512250	
57	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	2200000	2199750	4250000	3651500	3600000	2990500	पेंशन वितरण
58	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	500000	499800	1000000	990650	1200000	905500	
59	सुखद सहारा योजना	32000000	315493350	41800000	41544650	45200000	37628000	
60	सुखद सहारा योजना	5500000	5479950	9000000	73793350	8000000	7066500	पेंशन वितरण
61	सुखद सहारा योजना	1500000	1399650	2500000	1951550	2200000	1826000	
62	कृत्रिम अंग सहायक उपकरण	100000	99920	100000	99899	400000	99600	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण
63	कृत्रिम अंग उपकरण	200000	199950	200000	199760	1200000	1087900	
64	कृत्रिम अंग उपकरण	100000	99854	100000	100000	300000	99400	
65	मेला शिविर	100000	99971	600000	599466	100000	99907	शिवर आयोजन
66	बिजली एवं जलप्रभार	60000	57850	60000	51320	60000	42712	बिजली जल प्रभार
67	सिविल सेवा प्रोत्साहन	50000	30000	50000	20000	40000	0	प्रोत्साहन राशि

क्र.	मद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (20 फरवरी 2025)		कार्य / प्रयोजन
		प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	
68	दिव्यांगजन दिवस हेतु	0	0	0	0	20000	20000	दिव्यांग दिवस आयोजन
69	विवाह प्रोत्साहन योजना	1250000	1250000	850000	850000	1000000	600000	दिव्यांगजनों के विवाहोपरांत एक मुश्त प्रोत्साहन राशि वितरण
70	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	350000	331680	621000	596700	600000	366780	दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित
71		300000	242220	0	0	0	0	
72		340000	234300	250000	230100	230000	149160	
73		280000	158300	160000	151900	160000	107460	
74	भारत माता वाहिनी	100000	99920	100000	99995	100000	99990	नशामुक्ति अभियान हेतु जागरूकता कार्यक्रम
75	पुस्तकें एवं नियतकालीन	3000	2900	3000	3000	11000	6150	कार्यालय उपयोग हेतु पुस्तकें क्रय
76	पुस्तकें एवं नियतकालीन	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
77	प्रशासकीय व्यय मद	100000	99952	50000	50000	50000	48121	1 दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु यू.डीआईडी एवं चिन्हांकन शिविर 2. पेंशन सत्यापन एवं समाधान शिविर का आयोजन 3. कम्प्यूटर ऑपरेटर, मजदूरी भुगतान 4. फर्नीचर एवं अन्य कार्य पर व्यय
78	प्रशासकीय व्यय मद	1300000	1299931	150000	150000	1350000	1244997	
79	प्रशासकीय व्यय मद	500000	499530	50000	50000	550000	541969	
80	प्रशासकीय व्यय मद	0	0	50000	50000	50000	48462	

क्र.	मद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (20 फरवरी 2025)		कार्य/प्रयोजन
		प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	
81	स्वयंसेवी संस्था को अनुदान फार्चून फाउंडेशन	1983820	1956200	2159440	2159440	1165040	1165040	स्वैच्छिक संस्था को अनुदान
82	सूचना प्रौद्योगिकी	8000	7965	8000	7851	36000	35963	कार्यालय कम्प्यूटर संबंधित कार्यों पर व्यय
83	सूचना प्रौद्योगिकी	4000	3989	4000	4000	6000	6000	
84	डाकतार पर व्यय	10000	10000	10000	10000	20000	0	कार्यालय उपयोग हेतु डाकतार क्रय
85	डाकतार पर व्यय	2000	2000	2000	2000	2000	0	
86	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	50000	50000	428000	428000	200000	103000	दिव्यांगजनों छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि
87	छात्रगृह योजना	0	0	50000	0	0	0	दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रगृह प्रदाय राशि
88	दूरभाष पर व्यय	40000	20208	40000	19812	40000	13396	कार्यालय उपयोग हेतु दरभाष पर व्यय
89	दूरभाष पर व्यय	3000	0	3000	0	3000	0	
90	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	1026968	726971	654800	654740	654800	654417	वृद्धाश्रम संचालन
91	वर्दियां	12000	12000	12000	11964	12000	9104	वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु वर्दियां
92	फर्नीचर एवं उपकरण	5000	4800	0	0	20000	18450	कार्यालय उपकरण हेतु फर्नीचर पर व्यय
93	फर्नीचर एवं उपकरण	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
94	अन्य आकस्मिक व्यय	15000	14931	15000	14992	40000	39983	
95	अन्य आकस्मिक व्यय	3000	2950	3000	2990	3000	2965	कार्यालयीन आवश्यकता अनुरूप कार्य
96	अन्य आकस्मिक व्यय	15000	14960	15000	14700	15000	14870	

क्र.	मद का नाम	2022-23		2023-24		2024-25 (20 फरवरी 2025)		कार्य/प्रयोजन
		प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	प्राप्त आंबटन	व्यय	
97	सहायक अनुदान	0	0	0	0	1167072	1167072	स्वैच्छिक संस्था को अनुदान
98	लेखन सामग्री एवं फर्मों की छपाई	10000	9998	60000	59944	79000	79000	कार्यालय उपकरण हेतु लेखन सामग्री एवं फर्मों की छपाई संबंधित व्यय
99		3000	2952	3000	3000	3000	3000	
100		10000	9915	10000	9991	40000	40000	
101	संस्था एवं शालारे मानदेय भत्ता रूपेश कुमार झुल्ये	42000	42000	42000	42000	0	0	मानदेय
102	यात्रा भत्ता	20000	19955	20000	11340	20000	0	शासकीय कर्मचारियों का यात्रा भत्ता
103	यात्रा भत्ता	5000	4970	5000	4920	5000	0	
104	यात्रा भत्ता	40000	24760	40000	20490	0	0	
105	यात्रा भत्ता स्थानान्तरण	15000	0	15000	0	0	0	
	योग :-	433786788	426504816	589588945	558546147	615163912	542704777	



 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा खणपुर अहम नगर

प्रपत्र-अ

धमतरी जिले में वर्ष 2023 से दिसंबर 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही की वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखंड का नाम	प्राप्त शिकायत	की गई कार्यवाही
1	2023	धमतरी	राशनकार्ड क्र.- 223773489633, को राशनदुकान क्रमांक- 592003028(नव जागृति स्व-सहायता समूह नारी) के दुकानदार द्वारा नवम्बर माह का राशन प्रदाय नहीं किया जाना	जांच में खाद्य निरीक्षक द्वारा हितग्राही को 30 नवम्बर 2023 को राशन वितरण किया जाना पाया गया ।
2	2023	धमतरी	सोसायटी क्रमांक-592001079, ग्राम-उरपुटी, ग्राम पंचायत- अरौद डु, द्वारा राशनकार्ड क्रमांक-223775161822 एवं राशनकार्ड क्रमांक-22377837389 पर चना प्रदाय नहीं किया जाना	जांच में खाद्य निरीक्षक द्वारा दोनों हितग्राही को 09 अप्रैल 2023 को चना वितरण किया जाना पाया गया।
3	2023	धमतरी	दुकान क्रमांक 592001082 (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति छाती/ उडेना) की दुकान समय पर नहीं खुलने के कारण राशन प्रप्ति में समस्या होना	जांच में खाद्य निरीक्षक द्वारा हितग्राही को 15 अप्रैल 2023 को राशन वितरण किया जाना पाया गया ।
4	2023	नगरी	पंचायत-काटाकुरीडीह की दुकान क्र-592004082 द्वारा जहां फोर्टिफाइड चावल के बजाय साधारण चावल का वितरण किया जाना।	जांच में बीपीएल राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाना पाया गया।
5	2024	नगरी	ग्राम पंचायत-बेलरगांव,की दुकान से राशन कार्ड क्रमांक - 223776438081 पर विगत 4-5 माह से चावल प्रदाय नहीं किया जाना	जांच में हितग्राही का राशन कार्ड अन्यत्र निवासरत होने के कारण निरस्त किया गया था । हितग्राही से संपर्क कर राशन कार्ड को रिस्टोर कर दिया गया है माह जनवरी 2025 से हितग्राही को राशन वितरण किया जा रहा है।

क्र.	वर्ष	विकासखंड का नाम	प्राप्त शिकायत	की गई कार्यवाही
6	2024	मगरलोड	पंचायत-हसदा की दुकान क्रमांक-592002022(प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खिसोरा हसदा), से राशन सामग्री का वितरण समय पर नहीं करना।	जांच में खाद्य निरीक्षक द्वारा हितग्राही को 29 नवम्बर 2024 को राशन वितरण किया जाना पाया गया तथा वर्तमान में भी हितग्राही को प्रति माह राशन वितरण किया जा रहा है।
7	2024	धमतरी	शिकायतकर्ता को ग्राम पंचायत-मुजगहन, की सोसायटी विक्रेता के द्वारा माह नवंबर का खादयान्न प्रदाय नहीं किया जाना।	जांच में खाद्य निरीक्षक द्वारा हितग्राही को 22 नवम्बर 2024 को राशन वितरण किया जाना पाया गया।
8	2024	नगरी	पंचायत-छिपली से शिकायत की गई कि राशन कार्ड क्र-223773707477 तथा अधिकांश राशनकार्डधारियों को जुलाई माह का चावल प्राप्त नहीं होना।	जांच में हितग्राही को माह जुलाई एवं अगस्त 2024 का राशन दिनांक 12 अगस्त 2024 को वितरण किया जाना पाया गया।
9	2024	धमतरी	ग्राम पंचायत-मुजगहन, से प्राप्त शिकायत में राशनकार्ड क्रमांक-223771751321 पर खादयान्न प्राप्त नहीं होना।	जांच में हितग्राही को 27 जुलाई 2024 को राशन वितरण किया जाना पाया गया।
10	2024	नगरी	ग्राम पंचायत-कट्टीगांव, से प्राप्त शिकायत में ग्राम पंचायत की सोसायटी विक्रेता के द्वारा अप्रैल, मई एवं जून माह का चना का वितरण नहीं किया जाना।	जांच में हितग्राही को माह मई, जून, जुलाई एवं अगस्त 2024 का चना एक साथ वितरण 18 अगस्त 2024 को किया जाना पाया गया है।
11	2024	नगरी	रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक-06, नगरीय निकाय-नगरी, से प्राप्त शिकायत में राशनकार्ड क्रमांक-223775004912 पर खादयान्न प्रदाय नहीं किया जाना।	जांच में हितग्राही को 29 जून 2024 को राशन वितरण किया जाना पाया गया।


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य धारिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-व

धमतरी जिले में वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2025 तक उचित मूल्य दुकानों में पाये गए खाद्यान्न शॉर्टेज एवं वसूली की दुकानवार जानकारी

क्र.	उचित मूल्य दुकान की आईडी	शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम	भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न में पाई गई कमी (मात्रा क्विंटल में)				कमी पाई गई खाद्यान्न की वसूली की जानकारी खाद्यान्न/राशि के रूप में (मात्रा क्विंटल/राशि रूपये में)				
			चावल	शक्कर	नमक	चना	खाद्यान्न के रूप में				राशि के रूप में
							चावल	शक्कर	नमक	चना	
1	591001027	उज्जवल स्व सहायता समूह / नयापारा बार्ड	19.52	0.72	9.19	0	1.46	0.27	9.19	0	69323
2	592003052	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सेमरा / सपेला	143.57	1.87	3.20	0	0	0.00	0.00	0	567179
3	592003078	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सेमरा / सिलीडीह	41.05	0.57	0.47	0	0	0.00	0.00	0	161843
4	592004055	माँ गंगादेवी स्व सहायता समूह, झुरातराई	118.22	1.68	0.00	1.22	0	1.68	0	1.22	52256

टीप:- शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 592004055 (झुरातराई) में 104.74 क्विंटल चावल की वसूली शेष है जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202406130600014 दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य भोजनिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष्ट - बत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2458) की जानकारी

पृष्ठ

महिला एवं बाल विकास द्वारा क्रय सामग्री

क्र.	वित्तीय वर्ष	सामग्री का नाम	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	क्रयदेश क्रमांक	क्रयदेश की तिथि	क्रय की गई सामग्री की संख्या	उक्त सामग्री किस स्तर से खरीदी की गई है	क्रयकर्ता अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022-23	कढ़ाई	अर्बन सप्लायर्स	323012100027	21.01.2023	162	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
2	2022-23	भंगाना	अर्बन सप्लायर्स	323012100027	21.01.2023	90	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
3	2022-23	क्कर	ए.के. इंटरप्राइजेस	323012100061	21.01.2023	165	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
4	2022-23	शाली	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	323012300003	23.01.2023	711	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
5	2022-23	कटोरी	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	323012300003	23.01.2023	1421	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
6	2022-23	ग्लास	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	323012300003	23.01.2023	237	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
7	2022-23	मसाला बाक्स	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	323012300003	23.01.2023	436	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
8	2022-23	पंखा तथा रेगुलेटर	अर्बन सप्लायर्स	323012100028	21.01.2023	40	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
9	2022-23	बाट्टी	एम.पी. इंजीनियरिंग एण्ड सप्लायर्स	323012000048	20.01.2023	426	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
10	2022-23	मग	एम.पी. इंजीनियरिंग एण्ड सप्लायर्स	323012000048	20.01.2023	426	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
11	2022-23	टब	एम.पी. इंजीनियरिंग एण्ड सप्लायर्स	323012000048	20.01.2023	426	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
12	2022-23	डस्टबिन	एम.पी. इंजीनियरिंग एण्ड सप्लायर्स	323012000048	20.01.2023	852	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
13	2022-23	वाईपर	एम.पी. इंजीनियरिंग एण्ड सप्लायर्स	323012000048	20.01.2023	426	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
14	2022-23	बेबी वैईग स्केल	ए.के. इंटरप्राइजेस	323011800087	18.01.2023	47	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
15	2022-23	साड़ी कार्यकर्ता	संचालक ग्रामोद्योग	17206	29.03.2023	942	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
16	2022-23	साड़ी सहायिका	संचालक ग्रामोद्योग	17206	29.03.2023	874	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
17	2022-23	मोडिसन किट	एच.एल.एल लार्डफेकेयर लिमिटेड	16773	20.03.2023	473	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
18	2022-23	फूड कंटेनर	श्री राम क्रेयेशन रायपुर		08.09.2022	4257	जिला स्तर	श्री मनोज कुमार	जिला कार्यक्रम
19	2022-23	स्वच्छता किट	मातोश्री मार्ट जदगलपुर		10.03.2023	72	परियोजना स्तर	श्रीमती अर्चना सेमसन	परियोजना अधिकारी
20	2023-24	दरी	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	6499	29.03.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	जगदलपुर उप संचालक

क्र.	वित्तीय वर्ष	सामग्री का नाम	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	क्रयदेश क्रमांक	क्रयदेश की तिथि	क्रय की गई सामग्री की संख्या	उक्त सामग्री किस स्तर से खरीदी की गई है	क्रयकर्ता अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2023-24	रेक	केशरी वायर प्रोडक्ट्स	323100700002	07.10.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
22	2023-24	स्ट्रैंट टेबल	केशरी वायर प्रोडक्ट्स	323100700002	07.10.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
23	2023-24	स्ट्रैंट चेयर	केशरी वायर प्रोडक्ट्स	323100700002	07.10.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
24	2023-24	प्रि-स्कूल किट	बाबूलाल जायसवाल एण्ड कंपनी	323100600102	06.10.2023	473	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
25	2023-24	राइटिंग बोर्ड सफेद	अर्बन सप्लायर्स	323100900288	09.10.2023	134	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
26	2023-24	राइटिंग बोर्ड काला	अर्बन सप्लायर्स	323100900288	09.10.2023	134	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
27	2023-24	पंखा तथा रेगुलेटर	अर्बन सप्लायर्स	323100500039	05.10.2023	67	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
28	2023-24	60 लीटर फुड गेन	ए.के. इंटरप्राइजेस	323092900036	29.09.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
29	2023-24	25 इंच तगाड़ी	ए.के. इंटरप्राइजेस	323092900036	29.09.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
30	2023-24	प्लास्टिक झाड़ू	ए.के. इंटरप्राइजेस	323092900036	29.09.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
31	2023-24	15 लिटर बाल्टी	ए.के. इंटरप्राइजेस	323092900036	29.09.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
32	2023-24	ब्लैक राइटिंग बोर्ड	अर्बन सप्लायर्स	323100500054	05.10.2023	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
33	2023-24	प्लास्टिक बाल्टी	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	113	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
34	2023-24	मग	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	543	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
35	2023-24	प्लास्टिक टप	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	543	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
36	2023-24	इस्टबिन	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	390	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
37	2023-24	डास्ट कलेक्शन	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	986	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
38	2023-24	जाला झाड़ू	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	494	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
39	2023-24	झाड़ू	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	494	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
40	2023-24	शौचालय ब्रश	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	395	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
41	2023-24	वाईपर	गोल्ड लॉर्ड इंस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड	323091300035	15.09.2023	533	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक

क्र.	वित्तीय वर्ष	सामग्री का नाम	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	क्रयादेश क्रमांक	क्रयादेश की तिथि	क्रय की गई सामग्री की संख्या	उक्त सामग्री किस स्तर से खरीदी की गई है	क्रयकर्ता अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	2023-24	टीवी	यूनिवर्सल सर्विसेस	323100400072	04.10.2023	124	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
43	2023-24	थाली	बाहुबली मार्केटिंग	323090800044	08.09.2023	1361	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
44	2023-24	कटोरी	बाहुबली मार्केटिंग	323090800044	08.09.2023	2864	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
45	2023-24	गिलास	बाहुबली मार्केटिंग	323090800044	08.09.2023	1910	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
46	2023-24	भगोना	बाहुबली मार्केटिंग	323090800044	08.09.2023	96	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
47	2023-24	चम्मच	बाहुबली मार्केटिंग	323090800044	08.09.2023	4775	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
48	2023-24	मशाला डब्बा	बाहुबली मार्केटिंग	323090800044	08.09.2023	96	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
49	2023-24	कूकर	श्री राम क्रिएशन्स	323091500071	15.09.2023	192	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
50	2023-24	वेईंग स्केल	श्री राम क्रिएशन्स	323090500080	05.09.2023	72	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
51	2023-24	राटिंग बोर्ड सफेद	अर्बन सप्लायर्स	324022900218	29.02.2024	134	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
52	2023-24	राटिंग बोर्ड काला	अर्बन सप्लायर्स	324022900218	29.02.2024	134	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक
53	2024-25	वाटर फिल्टर	रिदधि सिद्धि सॉल्यूशन्स	GEMC- 511687795205976	14.01.2025	125	आईसीडीएस शाखा, संचालनालय	सुनील कुमार शर्मा	उप संचालक

परीशेष - तैतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2462) की जानकारी

प्रपत्र

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

क्र.	आं.बा.केंद्र का नाम जहां सहायिका पद रिक्त है	क्र	आं.बा.केंद्र का नाम जहां सहायिका पद रिक्त है	क्र	आं.बा.केंद्र का नाम जहां सहायिका पद रिक्त है	क्र	आं.बा.केंद्र का नाम जहां कार्यकर्ता पद रिक्त है
1	स्याही पीपर पारा	39	अलका बीचपारा	77	दर्रापारा	1	पोखरा पूरबपारा
2	मिथिलापुर खास	40	चलगली दौना	78	मसगा महुआरीपारा	2	पण्डरी बछरूडूबा
3	गोबरा-बहेराडाइ	41	कोल्हुआ कुशवाहापारा	79	कोटेया हरिजनपारा	3	जनकपुर कुम्हारपारा
4	बिरेन्द्रनगर सरहवापारा	42	पेण्डरी बसुरियापारा	80	सडकपारा मिनी	4	हंसुवानदी
5	भगवानपुर-नवापारा	43	पेण्डरी तेनवारी-2	81	बरपारा मिनी	5	मदननगर नावापारा
6	वाड्डफनगर नावापारा	44	पोखरा पूरबपारा	82	महुआरीपारा मिनी	6	चाचीपारा भरदा
7	वाड्डफनगर कालीमंदीर-2	45	कोटराही बेलटिकरा	83	बगड़ा पण्डोपारा	7	कोलतापारा
8	बसूलापाट उत्तरपारा	46	पशुपतिपुर केरवापारा	84	बच्छराजपारा		
9	बसूलापाट बीचपारा	47	मिथिलापुर पलगीपारा	85	खुटहनपारा		
10	जमई पश्चिमपारा	48	ककनेशा घसियापारा	86	पिपरझरीया मिनी		
11	बसंतपुर रौनियारपारा	49	ककनेशा कोढापुरवा	87	महादेवपारा		
12	बसंतपुर महुआरीपारा-2	50	ककनेशा मंगहरपारा	88	रामपुर मिनी		
13	बसंतपुर सिन्धवारीपारा-2	51	सरुवत धोड्डूबापारा	89	चाचीडांड मिनी		
14	फुलीडूमर आमापारा-2	52	चलगली खास	90	मिठाईपारा मिनी		
15	रुपपुर पोयामपारा	53	बसंतपुर बाजारपारा-2	91	गुड्डरूडांड मिनी		
16	धनवार नीमडांड	54	ढोलपखना पीपरपारा	92	नेटीपारा		
17	धनवार पूरबटोला	55	रघुनाथनगर-तेलीपारा	93	बसदेवपुर मिनी		
18	मुरकौल हरिजनपारा	56	रघुनाथनगर-जोगीदहपारा	94	जागीरपारा		
19	मुरकौल पहाड़पारा	57	बभनी-आमापारा	95	वाई 14		
20	मुरकौल घुटरापारा	58	चरचरी-महुआरीपारा	96	वाई 6		
21	लमोरी पैरामहुआ	59	कोगवार, यादवपारा	97	वाई 11		
22	लमोरी डोकरीखाइ	60	पण्डरी-भूतहापारा	98	नवापारा मिनी		
23	गोन्दला धोबीपारा	61	पण्डरी-भादेपतरा	99	पतरापारा 1 मिनी		
24	बैकुण्डपुर उत्तरपारा	62	पण्डरी, बछरूडूबा	100	पतरापारा 2 मिनी		
25	बैकुण्डपुर कोरवापारा	63	पण्डरी, परसाटोला	101	केनापारा मिनी		
26	करमडीहा ब गुडीपारा-2	64	रामनगर, बाजीपारा	102	बटुरपारा मिनी		
27	सुरहुल पूरबपारा	65	चंवरसरई-घुटरापारा	103	पुरबपारा मिनी		
28	सुरहुल बीचपारा	66	जनकपुर-डोंगापथरा	104	पुरबपारा		
29	सुलसुली तितलीपारा	67	करमडीहा-क, बसोरपारा	105	पण्डरीपारा		
30	बिरेन्द्रनगर सफिपारा	68	भरूहीबांस, चौकपारा	106	नावापारा		
31	बरतीकला दलदलीयापारा	69	शंकरपुर-पहाड़टोला	107	उरांवपारा		
32	शिवरी तिवारी पारा	70	रमेशपुर-पण्डोपारा	108	जुनाडीह		
33	सावित्रीपुर अगरियापारा	71	पटेवा-चिरईकुण्ड	109	चर्च कॉलोनी		
34	इंजानी बचवानी	72	पटेवा, पीपराडीहपारा	110	गेरूआमुडा		
35	ओदारी नदिपारा	73	चकदेही पटेलपारा				
36	पनसारा चाचीडाइ	74	माझापारा				
37	बड़कागांव नवापारा-2	75	बाबापारा				
38	रामपुर घुटरापारा	76	कदमपारा ब				

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्य - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1152) की जानकारों

प्रपत्र - 'अ'

क्र0	योजना का नाम	स्व-सहायता समूहों को ऋण राशि प्रदाय हेतु शर्तों का विवरण
1	2	3
1	छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1. महिला स्व-सहायता समूह का गठन हुए एक वर्ष पूर्ण हो गया हो एवं ग्रेड 'ए' समूह हो। 2. समूह कम से कम 01 वर्ष से सक्रिय रूप में संचालित हो। 3. समूह में 10-20 महिला सदस्य हो, राष्ट्रीकृत बैंक में समूह का बैंक खाता जीवित अवस्था में हो। 4. बैंक खाता का संचालन कम से कम 02 सदस्य द्वारा किया जा रहा हो। 5. आपसी लेन-देन में सदस्यों में ऋण वापसी की प्रवृत्ति हो। 6. प्रथम बार प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण प्राप्ति हेतु पात्र होंगे

प्रपत्र - 'ब'

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	ऋण हेतु आवेदन किये गये स्व-सहायता	ऋण दिये गये स्व-सहायता समूहों की संख्या	जिले द्वारा स्व-सहायता समूह को प्रदायित ऋण राशि	प्रदायित अधिकतम ऋण राशि	अधिकतम ऋण प्राप्त समूहों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना	2019-20	985	980	45185000	200000	1
		2020-21	1564	1555	70125000	200000	8
		2021-22	907	882	46315005	200000	9
		2022-23	1123	1109	78000000	400000	15
		2023-24	1280	1241	121810000	600000	1
		2024-25	701	602	57715000	600000	2
योग			6560	6369	419150005		36

परोशेष्ट - पेंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 1181) की जानकारी



प्रपत्र अ

राज्य में वर्ष 2022-23 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) तक उपभोक्ता विवादों के दर्ज प्रकरण, निराकृत प्रकरण एवं लंबित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी

क्र.	उपभोक्ता आयोग का नाम	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या
	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	28	16	12
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर	1305	135	1170
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिलासपुर	689	239	450
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग	1531	422	1109
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजनांदगांव	438	255	183
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सरगुजा अंबिकापुर	215	160	55
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सूरजपुर	78	52	26
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बस्तर-जगदलपुर	202	102	100
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़	641	507	134
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरिया- बैकुंठपुर	337	242	95
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जशपुर	79	59	20
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर चांपा	363	291	72
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मुंगेली	33	22	11
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा	344	184	160
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कबीरधाम	81	66	15
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धमतरी	147	110	37
16	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग महासमुंद	252	151	101
17	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कांकेर	126	91	35
18	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दंतेवाडा	30	17	13
19	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गरियाबंद	20	10	10
20	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद	121	28	93
21	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलोदाबाजार	61	5	56
	योग	7121	3164	3957

अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर




प्रपत्र "ब"

राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में पदस्थ सदस्यों की जानकारी

1.	छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य	श्री प्रमोद कुमार वर्मा
----	-----------------------------------	-------------------------

क्र.	जिला उपभोक्ता आयोग का नाम	पदस्थ सदस्यों का नाम
1.	रायपुर	श्रीमती निरूपमा प्रधान एवं श्री अनिल अग्निहोत्री
2	महासमुन्द	श्री गिरीश श्रीवास्तव एवं श्री टी. ज्योति दुर्गा राव
3	धमतरी	कु रूपा शर्मा एवं श्री अरविन्द सिंह परिहार
4.	दुर्ग	श्री नीलू ठाकुर एवं श्रीमती संघ्या बाजपेयी
5.	राजनांदगांव	डॉ श्री आनन्द ए वर्गीस एवं कुमारी यामिनी रमेश
6.	कबीरधाम	कुमारी शीबा खान
7.	बिलासपुर	श्री आलोक कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती पूर्णिमा सिंह
8	अम्बिकापुर	श्री नवनीकांत दत्ता एवं श्रीमती अर्चना सिन्हा
9	रायगढ	श्री राजेन्द कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल
10	कोरबा	सुश्री ममता दास एवं श्री पंकज कुमार देवड़ा
11	जांजगीर-चांपा	श्री विशाल तिवारी
12	बैकुण्ठपुर	श्री चूरामनदास एवं श्रीमती ममता तिवारी
13	जगदलपुर	श्री आलोक कुमार दुबे एवं श्रीमती सीमा गोलछा
14	कांकेर	श्री डाकेश्वर सोनी
15	बलोद	श्री इन्दरचन्द राकेचा
16	बलौदाबाजार	श्री हरजीत सिंह चावला एवं श्रीमती शारदा सोनी
17	गरियाबंद	श्रीमती महिमा सिंह


 अनुभाग अधिकारी
 कक्षा क्रमांक-2
 खाद्य न्यायिक आपूर्ति एवं

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रपत्र-सं



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220551
CG-DL-E-16072020-220551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]
No. 348]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/आषाढ 24, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASHADHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 452(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (ड) और (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 है। परि
(2) ये 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

- परिभाषाएं.— जब तक कि संदर्भ, इन नियमों में (1) —में अन्यथा आवश्यक न हो- ,

(क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019) 2019, का (35 अभिप्रेत है;

(ख) 'चयन समिति' से नियम 6 के उप-नियम (1) में संदर्भित चयन समिति अभिप्रेत है;

- इनमें उपयोग किए गए ऐसे शब्दों और पद जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है, और अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में परिभाषित किया गया हो।

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

3. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा;

(2) कोई व्यक्ति, जिसकी आयु चालीस वर्ष से कम हो और निम्नलिखित का धारक न हो, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा; --

(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव:

परन्तु नियुक्ति किए जाने वाले सदस्यों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; अथवा

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम बीस वर्ष का अनुभव;

(3) राज्य आयोग का कम-से-कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।

4. जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा;.

(2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्ह होगा जब वह -

क) कम-से-कम पैंतीस वर्ष की आयु का हो;

ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो; और

ग) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो;

(3) जिला आयोग का कम-से-कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।

5. राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति के लिए अनर्हता.—कोई व्यक्ति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदि वह -

(1) ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो; अथवा

(2) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो; अथवा

(4) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो; अथवा

(5) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

6. नियुक्ति की प्रक्रिया.—(1) राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् --

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नाम विदेशित उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश - अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव - सदस्य;

(ग) राज्य के मुख्य सचिव के नामिति - सदस्य।

- (2) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिव चयन समिति के संयोजक होंगे।
- (3) चयन समिति के अध्यक्ष की रिक्ति अथवा अनुपस्थिति के सिवाय चयन समिति में किसी रिक्ति अथवा अनुपस्थिति के कारण मात्र से अध्यक्ष अथवा सदस्य की कोई भी नियुक्ति अवैध नहीं होगी।
- (4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पद रिक्त होने से कम से कम छः पूर्व आरम्भ की जाएगी।
- (5) यदि कोई पद सदस्य द्वारा त्यागपत्र अथवा उसकी मृत्यु अथवा किसी नए पद के सृजन के कारण रिक्त होता है, तो पद को भरने की प्रक्रिया पद के रिक्त होने अथवा नया पद सृजित होने, जैसा भी मामला हो, के तत्काल पश्चात् आरम्भ की जाएगी।
- (6) किसी पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु रिक्ति विज्ञापन को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे अन्य रीति से परिचालित किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाएं।
- (7) ऐसे आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए आवेदनों की जांच के पश्चात्, पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची उनके आवेदनों सहित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (8) चयन समिति उसे अग्रेषित पात्र आवेदकों के सभी आवेदनों पर विचार करेगी और यदि समिति, यदि आवश्यक समझे, तो स्वयं द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदकों की छंटनी कर सकती है।
- (9) चयन समिति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और उपयुक्तता, विगत कार्य-निष्पादन के अभिलेख, सत्यनिष्ठा और अधिनिर्णयन अनुभव पर विचार करते हुए अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।
- (10) चयन समिति राज्य सरकार के विचारार्थ मेरिट के क्रम में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।
- (11) राज्य सरकार अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और पूर्ववृत्तों का सत्यापन करेगी अथवा कराएगी।
- (12) प्रत्येक अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाईंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन होगी।
- (13) नियुक्त के पूर्व, चयनित अभ्यर्थी एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

7. राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी भी समय, अपनी हस्तलिपि में राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित पत्र द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है:

परन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कार्यालय को शीघ्र छोड़ने की अनुमति न दी जाए, ऐसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त किसी व्यक्ति के उसका पदभार ग्रहण करने तक अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी हो, पद पर बना रहेगा।

8. राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटाया जाना.—(1) राज्य सरकार किसी ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटाएगी, जो —

- (क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा
- (ख) किसी ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, में अभियोजित किया गया हो; अथवा
- (ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा
- (घ) ऐसे वित्तीय अथवा अन्य लाभों का अधिग्रहण किया हो जिनसे किसी सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो; अथवा

(ड) पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया गया हो जिससे लोक हित में उसका पद पर बना रहना हानिकारक हो:

परन्तु जब किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य को खंड (ग) से (ड) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, अध्यक्ष अथवा सदस्य को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपों के संबंध में उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

9. राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की जांच की प्रक्रिया.—

(1) यदि राज्य सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है जिसमें राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के संबंध में पद के कार्यों का निष्पादन करने के लिए दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के किसी निश्चित आरोप के लिए आरोपित किया गया हो, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्राथमिक संवीक्षा करेगी।

(2) यदि प्राथमिक जांच के बाद, राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के किसी दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के सत्य में जांच करने के तर्कसंगत आधार हैं, तो यह राज्य आयोग के मामले में राष्ट्रीय आयोग को तथा जिला आयोग के मामले में राज्य आयोग को जांच करने के लिए संदर्भित करेगी।

(3) राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, तीन माह की अवधि के भीतर अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा।

(4) जांच पूरी होने के पश्चात्, राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें वह पृथक रूप से प्रत्येक आरोप के संबंध में अपने निष्कर्षों और उसके कारणों के साथ सम्पूर्ण मामले पर उन प्रेक्षणों का उल्लेख करेगा, जो वह उचित समझे।

(5) राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं होगा परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा तथा उसके पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने सहित उसकी जांच के लिए तारीख, स्थान और समय का निर्धारित करने की शक्तियां होंगी।

10. अध्यक्ष अथवा सदस्य का कार्यकाल.—राज्य आयोग तथा जिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि अथवा पैसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा पैसठ वर्ष की आयु के अध्यक्षीन चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे तथा ऐसी पुनःनियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

[फा. सं. जे-10/7/2018-सीपीयू]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

[नियम 6 (12) देखें]

शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र

मैं विधिवत प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री की जांच की है और मैंने उनमें के सिवाय कोई बीमारी (संक्रामक अथवा अन्यथा), शारीरिक निर्बलता अथवा शारीरिक अशक्तता नहीं पाई है। मैं इसे राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में चार वर्ष की अवधि अथवा पैसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य के रूप में नियोजन के लिए उनकी अनर्हता नहीं मानता हूँ।

तारीख.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पदनाम

(सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी)


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य शारीरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया दिल्ली

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238864
CG-DL-E-15092022-238864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]
No. 624]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 704(अ).—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (ड) और (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020, में नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-


10. अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल- (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष चार वर्ष की अवधि के लिए या सरसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और सरसठ वर्ष की आयु सीमा के अध्यक्षीन अगले चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

(2) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और जिला आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पैसठ वर्ष की आयु-सीमा के अध्यक्षीन अगले चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

[फा.सं. जे-10/7/2018-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा. का. नि. 452 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 1604) की जानकारी

प्रपत्र

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हांकित दिव्यांगजनों को प्रदत्त सहायता की विकासखण्डवार जानकारी।

क्र	प्रदत्त सहायता/योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	
		प्रतापपुर	वाङ्गफनगर
1	2	3	4
1	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	32	23
2	सामर्थ्य विकास योजना	7	11
3	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	3	9
4	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	185	256
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	6	254
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8	604
7	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	2
8	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	0	2
9	उत्थान सब्सिडी योजना	0	1
10	मोटोराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना	7	13
	कुल	248	1175



अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - सैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1720) की जानकारी

प्रपत्र

बीजापुर जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में दिनांक 15.02.2025 तक दिव्यांगजनों के लिए क्रय सामग्री, वितरण एवं शेष सामग्री की संख्यात्मक जानकारी

—:0:—

वर्ष :- 2022-23

क्र.	सामग्री का नाम	क्रय सामग्री	वितरित सामग्री	शेष सामग्री
1	बैशाखी साइज-1	20	20	0
2	बैशाखी साइज-मिडीयम	20	20	0
3	बैशाखी साइज-लॉर्ज	30	30	0
4	बी.टी.ई. श्रवण यंत्र	10	10	0
5	ब्रेल केन	28	28	0
6	स्मार्ट केन	02	2	0
7	एम.एस.आई.ई.डी. कीट	01	01	0
8	रोलेटर (छोटा)	10	10	0
9	रोलेटर (बड़ा)	10	10	0
योग		131	131	0

वर्ष :- 2023-24

क्र.	सामग्री का नाम	क्रय सामग्री	वितरित सामग्री	शेष सामग्री
1	ट्रायसायकल	04	04	0
2	व्हील चेर (बड़ा)	04	04	0
3	बी.टी.ई. श्रवण यंत्र	10	10	0
4	बैशाखी साइज-स्मॉल	10	10	0
5	बैशाखी साइज-मिडीयम	10	10	0
6	बैशाखी साइज-लॉर्ज	10	10	0
7	वाकिंग स्टीक	08	08	0
8	एम.एस.आई.ई.डी. कीट	02	02	0
9	ब्रेल केन	02	02	0
योग		60	60	0

वर्ष :- 2024-25

क्र.	सामग्री का नाम	क्रय सामग्री	वितरित सामग्री	शेष सामग्री
1	ट्रायसायकल	06	06	0
2	मोटसाइज्ड ट्रायसायकल	03	03	0
3	व्हील चेर (बड़ा)	04	04	0
4	वाकिंग स्टीक	39	24	15
5	बैशाखी	18	14	04
6	एम.एस.आई.ई.डी. कीट	10	10	0
7	रोलेटर	08	08	0
8	बी.टी.ई. श्रवण यंत्र	13	11	02
9	ट्रायपोड	02	02	0
10	ब्रेल किट	01	01	0
11	सुगम्य केन	01	01	0
योग		105	84	21


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पॉरीशेष्ट - अडतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1756) की जानकारी

प्रपत्र

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों के भवन की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड / नगरीय निकाय	दुकान आई.डी.	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	पी.डी.एस. गोदाम / अन्य शासकीय भवन / निजी भवन	भवन का नाम
1	नवागढ़	542001040	सेवा सहकारी समिति केसला	निजी भवन	निजी भवन
2	नवागढ़	542001042	जय संतोषी महिला स्व सहायता समूह मुडपार शी	निजी भवन	निजी भवन
3	नवागढ़	542001043	विकास महिला स्व सहायता समूह दूरपा	निजी भवन	निजी भवन
4	नवागढ़	542001056	शांति महिला स्व. सहायता समूह मुडपार (खि)	निजी भवन	निजी भवन
5	नवागढ़	542001063	सत्य गंगा महिला स्व सहायता समूह, गंगाजल	निजी भवन	निजी भवन
6	नवागढ़	542001070	मेघी बाई महिला स्व सहायता समूह खैरताल	निजी भवन	निजी भवन
7	नवागढ़	542001072	जानकी बाई महिला स्व सहायता समूह कटौद	निजी भवन	निजी भवन
8	नवागढ़	542001029	दीक्षा महिला स्व सहायता समूह कुकदा	निजी भवन	निजी भवन
9	नवागढ़	542001080	नवजागृती महिला स्व सहायता समूह खैरा	निजी भवन	निजी भवन
10	नवागढ़	542001082	जयगौरिया पाठ महिला स्व सहायता समूह कचंदा	निजी भवन	निजी भवन
11	नवागढ़	542001083	गंगा महिला स्व सहायता समूह गिधा	निजी भवन	निजी भवन
12	नवागढ़	542001084	जय कंकाली माँ महिला स्व सहायता समूह नेगुरडीह	निजी भवन	निजी भवन
13	नवागढ़	542001034	सेवा सहकारी समिति तुलसी	निजी भवन	निजी भवन
14	नवागढ़	542001035	अंकिता विश्वा महिला स्व सहायता समूह भठली	निजी भवन	निजी भवन
15	नवागढ़	542001038	विकास महिला स्व सहायता समूह दूरपा (मिस्टा)	निजी भवन	निजी भवन
16	न.प. शिवरीनारायण	541009001	शबरी प्राथमिक सह.उप.भण्डार	निजी भवन	निजी भवन
17	न.प. शिवरीनारायण	541009002	सामुदायिक विकास समिति शिवरीनारायण	निजी भवन	निजी भवन
18	न.प. शिवरीनारायण	541009003	लक्ष्मी स्व.सहायता समूह	निजी भवन	निजी भवन
19	न.प. शिवरीनारायण	541009004	लक्ष्मी स्व सहायता समूह शिवरीनारायण	निजी भवन	निजी भवन
20	नवागढ़	542001027	सेवा सहकारी समिति खिसोरा	अन्य शासकीय भवन	ग्राम पंचायत भवन
21	नवागढ़	542001041	मां काली महिला स्व सहायता समूह तुस्मा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
22	नवागढ़	542001045	सेवा सहकारी समिति कनस्टा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
23	नवागढ़	542001046	सेवा सहकारी समिति सिंधुल संलग्न कन्स्टा	अन्य शासकीय भवन	ग्राम पंचायत भवन
24	नवागढ़	542001047	सेवा सहकारी समिति नवागढ़ संलग्न	अन्य शासकीय भवन	ग्राम पंचायत भवन
25	नवागढ़	542001053	मोतिम महिला स्व सहायता समूह किरित	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
26	नवागढ़	542001062	ग्राम पंचायत बेल्हा	अन्य शासकीय भवन	ग्राम पंचायत भवन
27	नवागढ़	542001067	ग्राम पंचायत तेंदूभांठा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
28	नवागढ़	542001069	सेवा सहकारी समिति केरा (देवरी)	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
29	नवागढ़	542001071	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह कुरियारी	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
30	नवागढ़	542001073	जागृति महिला स्व सहायता समूह कामता	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
31	नवागढ़	542001076	अम्बे विश्वा महिला स्व सहायता समूह बोरदा	अन्य शासकीय भवन	ग्राम पंचायत भवन
32	नवागढ़	542001081	खाद्य पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या.दर्दी	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन

क्र.	विकासखण्ड / नगरीय निकाय	दुकान आई.डी.	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	पी.डी.एस. गोदाम / अन्य शासकीय भवन / निजी भवन	भवन का नाम
33	नवागढ़	542001088	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह घुठिया	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
34	नवागढ़	542001089	त्रिवेणी महिला स्व सहायता समूह रोगदा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
35	नवागढ़	542001033	सेवा सहकारी समिति बरगांव	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
36	नवागढ़	542001091	जय मां महामाया महिला स्व सहायता समूह, कांसा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
37	नवागढ़	542001036	श्रीतला महिला स्व सहायता समूह बरभांठा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
38	पामगढ़	542002007	जय माना बाबा महिला स्व सहायता समूह कोसा	निजी भवन	निजी भवन
39	पामगढ़	542002014	शांति नगर महिला स्व सहायता समूह कोसला	निजी भवन	निजी भवन
40	पामगढ़	542002018	जय मां चण्डी महिला स्व सहायता समूह बोरसी	निजी भवन	निजी भवन
41	पामगढ़	542002019	किरण महिला स्व सहायता समूह कोडाभांठ	निजी भवन	निजी भवन
42	पामगढ़	542002021	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह, तनौद	निजी भवन	निजी भवन
43	पामगढ़	542002024	ग्राम पंचायत बिलारी	निजी भवन	निजी भवन
44	पामगढ़	542002035	शांति नगर महिला स्व सहायता समूह कोसला	निजी भवन	निजी भवन
45	पामगढ़	542002036	माँ मनकादई महिला स्व सहायता समूह बुंदेला	निजी भवन	निजी भवन
46	पामगढ़	542002041	खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सह समिति भुईगांव	निजी भवन	निजी भवन
47	पामगढ़	542002046	सेवा सहकारी समिति (लोहर्सी) उपकेन्द्र धरदेई	निजी भवन	निजी भवन
48	पामगढ़	542002047	शारदा महिला स्व सहायता समूह पेण्डी	निजी भवन	निजी भवन
49	पामगढ़	542002048	दीप स्व सहायता समूह सिल्ली	निजी भवन	निजी भवन
50	पामगढ़	542002049	चंद्रहासिनी महिला स्व सहायता समूह ससहा	निजी भवन	निजी भवन
51	पामगढ़	542002054	ज्वालामूर्खी महिला स्व सहायता समूह पकरिया (म)	निजी भवन	निजी भवन
52	पामगढ़	542002055	पुस्तक धारणी महिला स्व सहायता समूह खोरसी	निजी भवन	निजी भवन
53	पामगढ़	542002056	एकता महिला स्वसहायता समूह कोसा	निजी भवन	निजी भवन
54	पामगढ़	542002057	माँ लक्ष्मी स्वसहायता समूह चुरतेला	निजी भवन	निजी भवन
55	पामगढ़	541008001	जय भैरो बाबा महिला स्व सहायता समूह खरौद	निजी भवन	निजी भवन
56	पामगढ़	541008002	कालिंद्री महिला बहुदेशिय सहकारी संस्था खरौद	निजी भवन	निजी भवन
57	पामगढ़	541008003	खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सह समिति खरौद पंजी.क्र.75	निजी भवन	निजी भवन
58	पामगढ़	541008004	जय भैरो बाबा महिला स्व सहायता समूह खरौद	निजी भवन	निजी भवन
59	पामगढ़	541008005	जय शबरी महिला स्व सहायता समूह खरौद	निजी भवन	निजी भवन
60	पामगढ़	542002003	अनमोल महिला सेवा सहा. समूह झुलन	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
61	पामगढ़	542002023	मां अम्बे महिला स्व सहायता समूह चोरभटठी	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
62	पामगढ़	542002025	महिला स्व सहायता समूह पड़रिया	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
63	पामगढ़	542002031	ग्राम पंचायत जोगीडीपा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
64	पामगढ़	542002032	ग्राम पंचायत हिर्ही	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
65	पामगढ़	542002034	ग्राम पंचायत मुड़पार (ब)	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
66	पामगढ़	542002044	जय माँ लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह डुडगा	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
67	पामगढ़	542002058	जय चंडी महिला स्व.सहा. समूह झिलमिली	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
68	पामगढ़	542002059	ग्राम पंचायत महका	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन

क्र.	विकासखण्ड / नगरीय निकाय	दुकान आई.डी.	संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	पी.डी.एस. गोदाम / अन्य शासकीय भवन / निजी भवन	भवन का नाम
69	पामगढ़	542002061	ग्राम पंचायत खरगहनी	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
70	पामगढ़	542002062	सचिव ग्राम पंचायत सिर्री	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
71	पामगढ़	542002063	ग्राम पंचायत चेउडीह	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
72	पामगढ़	542002064	बहुदेशीय पब्लिक सेवा समिति रीवापार	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
73	पामगढ़	541011016	जागृति महिला बहुदेशीय सहकारी समिति राहौद	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
74	पामगढ़	542002015	कमल वाहिनी स्वसहायता समूह राहौद	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
75	पामगढ़	542002004	सेवा.सह.समिति मुलमुला	अन्य शासकीय भवन	सेवा सहकारी समिति भवन
76	पामगढ़	542002005	ग्राम पंचायत (कोनारगढ़)	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
77	पामगढ़	542002006	चन्द्रसेनी महिला स्वसहायता समूह नंदेली	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
78	पामगढ़	542002008	जय चंडी महिला स्व.सहा. समूह झिलमिली	अन्य शासकीय भवन	सामुदायिक भवन
79	पामगढ़	542002009	सेवा.सह.समिति सेमरिया	अन्य शासकीय भवन	सेवा सहकारी समिति भवन
80	पामगढ़	542002011	सेवा.सह.समिति लगरा	अन्य शासकीय भवन	सेवा सहकारी समिति भवन
81	पामगढ़	542002016	सेवा.सह.समिति मेंहदी	अन्य शासकीय भवन	सेवा सहकारी समिति भवन
82	पामगढ़	542002020	शारदा महिला स्व सहायता समूह लोहर्सी	अन्य शासकीय भवन	सेवा सहकारी समिति भवन
83	पामगढ़	542002001	सेवा सह समिति पामगढ़	अन्य शासकीय भवन	सेवा सहकारी समिति भवन



अनुभाग अधिकारी
नगरिक आभूति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

बसना विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में
खाद्यान्न की पात्रता एवं उपभोक्ता दर की जानकारी

क्रमांक	राशनकार्ड का प्रकार	मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर				
		चावल	शक्कर	नमक	चना	केरोसिन
1	प्राथमिकता राशनकार्ड	01 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 10 किलो, प्रति कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क	01 किलो 17 रुपये प्रति किलो की दर पर	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो प्रति कार्ड एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति कार्ड निःशुल्क	(माडा क्षेत्र में) 02 किलो 05 रुपये प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह	शहरी क्षेत्र में अधिकतम 01 लीटर, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 02 लीटर प्रति कार्ड उपभोक्ता दर 62.04 रुपये से 64.04 रुपये प्रति लीटर
		02 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 20 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क				
		03 से 05 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क				
		05 से अधिक सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क				
2	अंत्योदय राशनकार्ड	35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क				
3	निःशक्तजन राशनकार्ड	10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क				
4	निराश्रित राशनकार्ड	10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क				
5	सामान्य राशनकार्ड	01 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 10 किलो 10 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह		निरंक		
		02 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 20 किलो 10 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				
		03 या अधिक सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 35 किलो 10 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह				

अनुभाग अधिकारी
पद संख्या क्रमांक-2
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
संचालनालय, नवा रायपुर

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नवा रायपुर


परोशिष्ट - चालीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2005) को जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक समाज कल्याण
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत प्राप्त राशि की योजनावार
जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	(राशि लाख में) प्राप्त राशि
1	2	3
1	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	19.00
2	सामर्थ्य विकास योजना	26.00
3	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	42.00
4	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	25.20
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	146.60
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1152.12
7	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	1.88
8	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	1.20
9	निःशक्तजन छात्रगृह योजना	0.50
10	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम	232.33
	योग	1646.83


अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 तक निराश्रितों के लिए मद संचालित नहीं है, किन्तु विभागीय योजनाओं के तहत प्राप्त, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त	व्यय	शेष
1	2	3	4	5
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3285.00	3003.30	281.70
2	सुखद सहारा पेंशन	1281.00	1139.72	141.28
3	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	4704.00	4495.78	208.22
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	1525.00	1425.59	99.41
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	817.90	746.35	71.55
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	146.60	133.41	13.19
7	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	19.00	19.00	0.00
8	सामर्थ्य विकास योजना	26.00	26.00	0.00
9	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	42.00	30.50	11.50
10	निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना	25.20	25.20	0.00
11	निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	1.88	1.80	0.08
12	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	1.20	0.40	0.80
13	निःशक्तजन छात्रगृह योजना	0.50	0.00	0.50
	योग	11875.28	11047.05	828.23

Anshu
 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - इकतालीस
अतारोकेत प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2194) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023 से वर्ष 2024 दिसंबर तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपलब्ध
संसाधन की जानकारी।

क्र	जिला	दिव्यांग छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान	
		वर्ष 2023	वर्ष 2024 दिसंबर अंत तक
1	2	3	4
1	रायपुर	1852500	424700
2	बलौदाबाजार	1227100	968100
3	गरियाबंद	717900	354750
4	महासमुंद	978700	373440
5	धमतरी	839900	645400
6	कबीरधाम	647100	769800
7	राजनांदगांव	1851200	801660
8	दुर्ग	581600	698800
9	बेमेतरा	258100	223000
10	बालोद	672200	565500
11	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	जिला गठित नहीं हुआ था।	198500
12	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	जिला गठित नहीं हुआ था।	207900
13	बस्तर	1655900	1493800
14	कोण्डागांव	1051680	401700
15	नारायणपुर	551700	236800
16	दन्तेवाड़ा	1238790	1222140
17	सुकमा	0	150000
18	बीजापुर	803000	711210
19	कांकेर	1234000	1262500
20	बिलासपुर	1781250	1401300
21	मुंगेली	184500	69600
22	कोरबा	398100	144500
23	जांजगीर-चांपा	1166900	271900
24	रायगढ़	551700	146560
25	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	277970	119130
26	सक्ती	जिला गठित नहीं हुआ था।	242100
27	सारंगढ़-बिलाईढ़	जिला गठित नहीं हुआ था।	163500
28	सरगुजा	1214300	179950
29	जशपुर	258400	39680
30	बलरामपुर	374200	330400
31	कोरिया	536700	105000
32	सुरजपुर	55020	518400
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	जिला गठित नहीं हुआ था।	200000
योग		23455590	15641720


अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पॉरीशेष्ट - बयालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 2335) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षको की ब्लॉकवार नाम सहित जानकारी

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	ब्लॉक का नाम	परियोजना का नाम	पर्यवेक्षक का नाम
1	2	3	4	5
1	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	श्रीमती बिगनी पैकरा
2	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	श्रीमती अन्ना खेस
3	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	श्रीमती सुनीता पावले
4	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	श्रीमती वेदमती भतपहरे
5	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	सुश्री नेहा रानी धनकी
6	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	श्रीमती सरस्वती कंवर
7	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	सुश्री प्रीति कश्यप
8	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	सुश्री पुष्पलता पैकरा
9	सीतापुर	मैनपाट	मैनपाट	श्रीमती अर्चना पैकरा
10	सीतापुर	मैनपाट	मैनपाट	श्रीमती सुनीता पैकरा
11	सीतापुर	मैनपाट	मैनपाट	सुश्री एलिस खाखा
12	सीतापुर	मैनपाट	मैनपाट	श्रीमती रमा दत्त राय
13	सीतापुर	मैनपाट	मैनपाट	सुश्री अनिता मिंज
14	सीतापुर	मैनपाट	मैनपाट	सुश्री स्वर्ण सुन्दरी कंवर
15	सीतापुर	बतौली	बतौली	सुश्री राजेश्वरी पोर्ते
16	सीतापुर	बतौली	बतौली	श्री पी.आर. एक्का
17	सीतापुर	बतौली	बतौली	सुश्री सहोद्रा आजाद
18	सीतापुर	बतौली	बतौली	श्रीमती सुषमा तिकी
19	सीतापुर	बतौली	बतौली	सुश्री सुबंती
20	सीतापुर	बतौली	बतौली	श्रीमती मारिया गोरेती तिकी
21	सीतापुर	बतौली	बतौली	सुश्री गीता सिंह
22	सीतापुर	अम्बिकापुर	दरिमा	श्रीमती हीरामनी
23	सीतापुर	अम्बिकापुर	दरिमा	सुश्री मीना पाण्डेय
24	सीतापुर	अम्बिकापुर	दरिमा	सुश्री रामकुमारी खाखा

प्रस्ताव

संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (fax) email : dirwcd.cg@gov.in

क्रमांक / 15223 मबावि / स्थापना / 2022-23 नवा रायपुर, दिनांक: 15/02/2023
प्रति,

1. संचालक,
राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र
जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. उप संचालक,
क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान
बिलासपुर / जगदलपुर (छ.ग.)
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला-समस्त (छ.ग.)
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त (छ.ग.)

विषय:- पर्यवेक्षकों के कार्यदायित्व के संबंध में।

विषयान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों के कार्यदायित्व निर्धारित किये गये हैं जो निम्नानुसार है :-

1. परिक्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, लक्ष्य समूह को पहचानने, ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड (अभिलेख) तैयार करने, हितग्राही वर्ग की सूची बनाने, विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए निर्धारित पंजियों के संधारण हेतु, प्रशिक्षण सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. सेक्टर अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कराना, आंगनबाड़ी की सेवाओं एवं विभागीय योजनाओं का हितग्राही वर्ग की सूची के सही होने की जांच करना और इनका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं इसकी देख-रेख करना।
3. कुपोषित और बीमार बच्चों को पहचानने, बच्चों की सही आयु एवं वजन निर्धारित करने वृद्धिचार्ट सही तरीके से तैयार करने, वृद्धि निगरानी करने, कुपोषित बच्चों का श्रेणीकरण, साधारण दवाओं को बांटने, गंभीर कुपोषित एवं बीमार बच्चों को उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, पोषण पूर्ववास केन्द्र भेजने, बाल संदर्भ योजना अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को शासकीय चिकित्सालय अथवा बाल संदर्भ शिविर में लाभान्वित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. आंगनबाड़ी केन्द्रों का क्षेत्र भ्रमण द्वारा नियमित निरीक्षण करना। भारत सरकार के नवीन मापदण्डों के अनुसार माह में कम से कम 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना। निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना, इसके अतिरिक्त प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के कम से कम 3 हितग्राहियों के घर भेट

करना एवं प्रतिवेदन देना, विशेष कर गंभीर कुपोषित बच्चों एवं खतरों के लक्षण वाली माताओं को घर भेंट देकर परिवार को सही देखभाल संबंधी जानकारी/मार्गदर्शन देना एवं पोषण आहार भंडारण केन्द्रों का निरीक्षण करना। निरीक्षण के पूर्व अग्रिम दौरा कार्यक्रम का परियोजना अधिकारी को प्रेषित करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ वास्तविक दौरा कार्यक्रम (दैनिक दैनिकी) बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित करना।


5. स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा से संबंधित प्रचार सामग्री का उपयोग करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करना।
6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मासिक प्रगति प्रतिवेदन, संकलित करना। इसे सेक्टरवार तैयार कर परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।
7. प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए निर्धारित पंजी/अभिलेखों के संधारण नगद राशि, शेष सामग्री तथा वस्तुओं की जांच करना और इस संबंध में उन्हें समय-समय पर सुझाव, निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
8. प्रतिमाह एकीकृत बाल विकास सेवा एवं विभागीय योजना की प्रगति का पुनरावलोकन करना, क्रियात्मक समस्याओं पर चर्चा और विचार करके उनका समाधान करना।
9. सेक्टर अन्तर्गत कार्यकर्ताओं को ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर महिला समूह, महिला मंडल, महतारी पंचायत समिति बनाने एवं चलाने, हितग्राही वर्ग परिवार एवं अन्य वर्ग का बैठक आहूत करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सहयोग देना तथा समितियों एवं जनप्रतिनिधियों के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
10. आंगनबाड़ी केन्द्रों में शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा/संस्कार अभियान का अवलोकन करना तथा यह देखना कि साप्ताहिक समय-सारिणी का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं तथा कार्यकर्ता को इस संबंध में आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
11. जिन बच्चों/गर्भवती माता/किशोरी बालिका को टीके नहीं लगे हैं, उनकी संख्या का पता लगाकर बाल विकास परियोजना अधिकारी को सूचित करना व स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर वंचित हितग्राहियों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण करने हेतु दिन एवं समय सुनिश्चित कराना।
12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उत्तरदायित्व संबंधी समस्या का पता लगाना, निराकृत करने में इनका मार्गदर्शन करना तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत कराना।
- ✓ 13. संचालनालय के पत्र क्रमांक 11268 दिनांक 19.01.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार सेक्टर स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं

- का समीक्षा बैठक का आयोजन करना एवं कार्यवाही विवरण तैयार कर संबंधितों को प्रेषित करना।
14. आंगनबाड़ी केन्द्रों में खाद्य सामग्री का भंडारण, नास्ता/गरम भोजन तैयार करने तथा वितरण की व्यवस्था तथा पूरक पोषाहार, दवाईयों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
 15. पर्यवेक्षक द्वारा डायरी का संधारण करना जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के समय किये गए कार्य का रिकॉर्ड, अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ियों की जनसंख्या, गर्भवती और शिशुवती माताओं की संख्या, विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों की संख्या, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या आदि के आंकड़े रखना।
 16. अपने परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय तैयार करने हेतु उपस्थिति पत्रक परियोजना कार्यालय को समय पर उपलब्ध कराना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अवकाश पर जाने की स्थिति में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाली सुविधाओं यथा वेतन, अवकाश, यात्रा सुविधा भत्ता, अनुग्रह राशि, बीमा आदि के संबंध में जानकारी देना।
 17. कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेना एवं अपने परिक्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत करना।
 18. विभाग द्वारा अथवा विभाग के अनुरोध पर अन्य विभाग/एंजेसी द्वारा अथवा अन्य विभाग/एंजेसी के अनुरोध पर विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में जिसमें उन्हे नामांकित किया गया हो, भाग लेना।
 19. विभाग अन्तर्गत संचालित राज्य अथवा केन्द्र शासित योजना यथा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, किशोरी बालिका योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छ.ग. महिला कोष की समूहों के लिए ऋण योजना, सक्षम योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, बाल संदर्भ योजना, मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य से जुड़ी योजनाओं के लिए हितग्राही का चयन, प्रचार प्रसार एवं बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास करना व योजनाओं में पर्यवेक्षकों के लिए उल्लेखित कार्यदायित्व का पालन करना।
 20. भारत शासन के पोषण ट्रेकर एप में पूरक पोषण आहार के हितग्राहियों की प्रविष्टि नियमित रूप से कराने एवं हितग्राहियों का आधार सत्यापन कराने के साथ ही जो भी नवीन हितग्राही पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत शामिल होते हैं, तो उनका भी आधार सत्यापन कराना। पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्य सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु मांग पत्र की निर्धारित सॉफ्टवेयर में परीक्षण कर नियमित रूप से प्रविष्टि सुनिश्चित कराना।
 21. ग्राम स्तर पर आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, समुदाय आधारित कार्यक्रम जन आंदोलन आदि में भाग लेना एवं हितग्राहियों व जन समुदाय को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना।

22. पोषण अभियान अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रेकर ऐप के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना, पोषण ट्रेकर ऐप में दैनिक प्रविष्टि करवाना, कमजोर प्रदर्शन करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का निरन्तर फॉलोअप करना, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका विकसित करवाना, आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण चौपाल गतिविधि का आयोजन करवाना, पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा के दौरान निर्धारित कैलेण्डर अनुसार गतिविधियों का आयोजन करवाना।
23. आंगनबाड़ी भवन की उपलब्धता, आंगनबाड़ी भवन में मूलभूत सुविधा यथा बिजली, पानी, शौचालय सुविधा आंगनबाड़ी भवन की सुधार/मरम्मत एवं दुर्घटना, निर्माण कार्य का अवलोकन निर्माण के स्तर से परियोजना कार्यालय को अवगत कराना तथा आंगनबाड़ी भवन हेतु उपयुक्त स्थान का चयन में संबंधित एजेंसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। ग्राम सभा में आंगनबाड़ी भवन और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित किसी प्रकार की मांग को ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजना (G.P.D.P.) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव देना।
24. मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत पंचायत एवं नगरीय निकायों में गठित बाल संरक्षण समितियों की बैठक में आवश्यकतानुसार उपस्थित होकर समिति के सदस्यों को कार्यदायित्व के लिए प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना एवं क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह की सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारों को देने बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना एवं बाल विवाह रोकने के लिए सतत् प्रयास करना।
25. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनबाड़ी सहायिकाओं/आशा/ए.एन.एम. को प्रशिक्षित करना, फार्मों को एकत्रित करना, सत्यापन करना, पावती प्रदान करना एवं परियोजना कार्यालय/स्वास्थ्य ब्लॉक कार्यालय में फार्म को प्रस्तुत करना।
26. नोनी सुरक्षा योजना अन्तर्गत लाभार्थी का खाता खुलवाना, लाभार्थी का आवेदन फार्म भरवाना, फार्मों को एकत्रित करना, सत्यापन करना, पावती प्रदान करना, अभिलेखों का मिलान करना, योजना का प्रचार-प्रसार करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम को प्रशिक्षित करना तथा अभिलेखों का सत्यापन करना,
27. शक्ति सदन, नारी निकेतन, सखी वन स्टाप सेन्टर, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ के बारे में सेक्टर अन्तर्गत प्रचार-प्रसार करना एवं इसके पात्र हितग्राहियों को इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन करना।
28. छ.ग. महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना/सक्षम योजना के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के महिलाओं एवं महिला समूहों को अवगत कराना समूह के लिए ऋण योजना एवं सक्षम योजना के तहत आवेदन पत्र भरवाना, ऋण स्वीकृति की सूचना देना एवं किश्त की वसूली कर जिला प्रबंधक अथवा बैंक खाते में जमा करना तथा समूह/महिलाओं को वसूली किश्त प्राप्त करने का पावती प्रदान करना।
29. महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानून यथा टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का कार्यस्थल

कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना अधिनियम 2013, किशोर न्याय अधिनियम 2015, संशोधन 2021 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं दत्तक से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों के संबंध क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं नागरिकों को प्रावधानों से अवगत कराना एवं प्रचार-प्रसार करना।

30. बाल विकास परियोजना अधिकारी को परियोजना, प्रशासन तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहयोग देना। आवश्यकता होने पर परियोजना कार्यालय से सामग्री आबंटित कराके सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देना। परियोजना अधिकारी को अपने परिक्षेत्र की किसी विशेष घटना, समस्या या उपलब्धि की सूचना देना।
31. उपरोक्त कार्यदायित्वों के अतिरिक्त समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।



(दिव्या अनेश मिश्रा) 15/2/23
संचालक

महिला एवं बाल विकास

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ / मबावि/स्थापना/2022-23 नवा रायपुर, दिनांक: 15/02/2023
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा प्रभारी की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संचालक
महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

परिशेष - तिरालीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2350) की जानकारी

प्रपत्र

क्रं	जिले का नाम	विधानसभा वार	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	एन.जी.ओ. का नाम एवं पूरा पता	गतिविधियां जिनके संचालन के लिये एन.जी.ओ. को कार्यदेश दिया गया	एन.जी.ओ. को भुगतान हेतु दिया गया अनुदान या भुगतान राशि (रूपये)	एन.जी.ओ. को भुगतान की गई राशि का दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव	2022-23	सृजन सामाजिक संस्था, ममता नगर राजनांदगांव	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के तहत सेवाप्रदाता नियुक्त	115000.00	35000.00 की राशि दिनांक 22 मार्च 2023 एवं 80000.00 की राशि दिनांक 24 मार्च 2023			
					स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था पता-साई सदन, नया ढाबा, वार्ड नं. 04 मोतीपुर रोड, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	बालिका गृह का संचालन	2301040 /-	राशि 1301040 दिनांक 23-06-2022 राशि 1000000 दिनांक 27-03-2023			
2	माहला- मानपुर - अं. चौकी	माहला- मानपुर	माहला- मानपुर	2022-23	बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया पता-मातृछाया मां तुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड केम्प के सामने, कुदुण्ड बिलासपुर (छ.ग.)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन	1058000 /-	राशि 558000 दिनांक 23-06-2022 राशि 500000 दिनांक 27-03-2023			
					सोशल आर्गनाइजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ (सोच) सामाजिक संस्था डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के तहत सेवाप्रदाता नियुक्त किया गया है।	90000.00	60000.00 की राशि दिनांक 22 मार्च 2023 को एवं 30000.00 की राशि दिनांक 24 मार्च 2023			
					डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	निरंक	निरंक			
					डोंगरगढ़	खुज्जी	खुज्जी	निरंक	निरंक		

क्रं	जिले का नाम	विधानसभा वार	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	एन.जी.ओ. का नाम एवं पूरा पता	गतिविधियां जिनके संचालन के लिये एन.जी.ओ. को कार्यदेश दिया गया	एन.जी.ओ.को भुगतान हेतु दिया गया अनुदान या भुगतान राशि (रुपये)	एन.जी.ओ.को भुगतान की गई राशि का दिनांक
1		3	4	5	6	7	8	9
					एन.जी.ओ. का नाम एवं पूरा पता	गतिविधियां जिनके संचालन के लिये एन.जी.ओ. को कार्यदेश दिया गया	एन.जी.ओ.को भुगतान हेतु दिया गया अनुदान या भुगतान राशि (रुपये)	एन.जी.ओ.को भुगतान की गई राशि का दिनांक
					सृजन सामाजिक संस्था, ममता नगर राजनांदगांव	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के तहत सेवाप्रदाता नियुक्त किया गया है।	60000.00	60000.00 की राशि 29 दिसंबर 2023
					स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था पता-साई सदन, नया ढाबा, वार्ड नं. 04 मोतीपुर रोड, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	बालिका गृह का संचालन	4510950 /-	राशि 700000 दिनांक 02-6-2023 राशि 1461018 दिनांक 14-08-2023 राशि 2279295 दिनांक 10-11-2023 राशि 70637 दिनांक 07-03-2024
1	राजनांदगांव			2023-24	बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया पता-मातृछाया मां तुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड बिलासपुर (छ.ग.)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन	1944327 /-	राशि 400000 दिनांक 01-8-2023 राशि 381968 दिनांक 14-08-2023 राशि 859162 दिनांक 10-11-2023 राशि 303197 दिनांक 07-03-2024
					सोशल आर्गनाइजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ (सोच) सामाजिक संस्था डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के तहत सेवाप्रदाता नियुक्त किया गया है।	95000.00	60000.00 की राशि 29 दिसंबर 2023 को एवं 35000.00 की राशि 15/03/2024
						निरंक		
						निरंक		

क्रं	जिले का नाम	विधानसभा वार	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	एन.जी.ओ. का नाम एवं पूरा पता	गतिविधियां जिनके संचालन के लिये एन.जी.ओ. को कार्यदेश दिया गया	एन.जी.ओ. को भुगतान हेतु दिया गया अनुदान या भुगतान राशि (रूपये)	एन.जी.ओ.को भुगतान की गई राशि का दिनांक
1	2 महिला-	3 खुज्जी	4 अं.चौकी	5 2023-24	6 2023-24	7 निरंक	8 9	
2	मानपुर - अं.चौकी	माहला- मानपुर	माहला- मानपुर			निरंक		
					सृजन सामाजिक संस्था, ममता नगर राजनांदगांव	घरलू तहसा स माहलाआ का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के तहत सेवाप्रदाता नियुक्त किया गया है।	0.00	-
					स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था पता-साई सदन, नया ढाबा, वार्ड नं. 04 मोतीपुर रोड, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	बालिका गृह का संचालन	3182292 /-	राशि 600000 दिनांक 01-7-2024 राशि 1561020 दिनांक 19-09-2024 राशि 500000 दिनांक 30-10-2024 राशि 521272 दिनांक 19-12-2024
1	राजनांदगांव			2024-25 (31.01.2025 तक)	बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया पता-मातृछाया मां तुलजा भवानी मंदिर के पास, होम गार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड बिलासपुर (छ.ग.)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन	981970 /-	राशि 400000 दिनांक 01-7-2024 राशि 381970 दिनांक 19-09-2024 राशि 200000 दिनांक 30-10-2024
					सोशल आर्गनाइजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ (सोच) सामाजिक संस्था डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव	घरलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के तहत सेवाप्रदाता नियुक्त किया गया है।	0.00	-
						निरंक		
						निरंक		

क्रं	जिले का नाम	विधानसभा वार	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	एन.जी.ओ. का नाम एवं पूरा पता	गतिविधियां जिनके संचालन के लिये एन.जी.ओ. को कार्यदेश दिया गया	एन.जी.ओ.को भुगतान हेतु दिया गया अनुदान या भुगतान राशि (रूपये)	एन.जी.ओ.को भुगतान की गई राशि का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	मोहला- मानपुर - अं. चौकी	खुज्जी मोहला- मानपुर	अं. चौकी मोहला- मानपुर	2024-25 (31.01.20 25 तक)		निरंक		
						निरंक		

परिशेष - चवालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2351) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विधानसभा क्षेत्र खुज्जी अंतर्गत शामिल जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र खुज्जी अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	अनुबंधित रेडी टू ईट का वितरण कर रहे महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता
1	राजनांदगांव	छुरिया-01	मां गायत्री स्व. सहायता समूह खोभा
2			मां बम्लेश्वरी संतोषी स्व सहायता समूह, कल्लूटोला
3			मां शीतला समूह कुहीकला
4			मां वैष्णव देवी महिला समूह, पांडेटोला
5		छुरिया-02	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, केसाल
6			लक्ष्मी स्व शक्ति समूह, बीजेपार
7			मां बम्लेश्वरी स्व. सहायता समूह, रतनभाट
8			मां अम्बे महिला स्व. सहायता समूह, मनहोरा
9	मानपुर-मोहला-अं. चौकी	अम्बागढ़ चौकी	तुलसी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह ग्राम कौडूटोला
10			महिला स्व सहायता समूह ग्राम रेगाकठेरा
11			निधि मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह ग्राम मेरेगांव
12			सतगुरु कृपा स्व सहा. समूह ग्राम झिटिया

परिशेष - पेंतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2355) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	योजना का नाम	जिले का नाम	योजना जिले में किसके माध्यम से संचालित है
1	2	3	4
1	मिशन शक्ति	प्रदेश के 33 जिले - बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, गौरैला-पेण्ड्रा-भरवाही, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरिया, कोरबा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, महासमुंद, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर, सुकमा, सक्ती एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़।	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है।
2	शक्ति सदन	बिलासपुर	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है।
		सरगुजा	स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित है।
		कोरिया	
		कोरबा	
3	सखी निवास	बिलासपुर	जिले में 02 सखी निवास में से 01 स्वैच्छिक संस्था एवं 01 नगर पालिका, बिलासपुर के माध्यम से संचालित है।
		रायपुर	जिले में 02 सखी निवास स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
		रायगढ़	स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालित है।
		धमतरी	स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालित है।

पारिशेष - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क. 2358) की जानकारी

प्रपत्र


बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 31 मार्च 2024 की स्थिति में किये गये भौतिक सत्यापन में कम पायी गयी राशन सामग्री वाले उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

मात्रा टन में

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	कम पाए गए खाद्यान्न की मात्रा		
			चावल	शक्कर	नमक
1	441008001	सेवा सहकारी समिति सिमगा	3	0	0
2	441008002	सेवा सहकारी समिति सिमगा	3.5	0	0
3	441014002	सेवा सहकारी समिति लवन दुकान नं. 02	16.145	0	0.773
4	442005001	सेवा सहकारी समिति रिसदा - रिसदा	33	0.6	0.5
5	442005017	सेवा सहकारी समिति लाहौद - गिंदोला	0.52	0	0
6	442005023	सत्यम स्व सहायता समूह करदा	2.035	0	0
7	442005029	सेवा सहकारी समिति खैरा - तुरमा	4.971	0.082	0.022
8	442005030	सेवा सहकारी समिति सिरियाडीह - सिरियाडीह	5.884	0.11	0.12
9	442005044	ग्राम पंचायत भरसेली - भरसेली	14.808	0	0
10	442005046	सेवा सहकारी समिति रिसदा - कोकडी	18.838	0.3	0.3
11	442005056	सेवा सहकारी समिति तिल्दा - तिल्दा	5.729	0.172	0.188
12	442005065	सेवा सहकारी समिति सिरियाडीह - मरदा	10.699	0.111	0.274
13	442005071	सेवा सहकारी समिति लाहौद - डोटोपार	2.041	0	0
14	442006038	सेवा सहकारी समिति कोसमदा	5.569	0	0
15	442006050	चमन महिला स्व.सहा.समूह बिजराडीह	10	0.2	0.2
16	442006057	ग्राम पंचायत धमनी	5	0	0
17	442009027	सतनाम महिला स्वा सहायता समूह	4.352	0	0
18	442009036	सेवा सहकारी समिति केसला-करहीबाजार	4.8	0	0
19	442009041	संलग्न महामाया महिला स्वा सहायता समूह मेकरी	5.8	0	0
20	442009051	सेवा सहकारी समिति केसला-केसला	2.9	0	0
21	442010001	ऑचल महिला स्व सहायता समूह में संलग्न-बिलाईडबरी	1	0	0
22	442010003	सेवा सहकारी समिति जांगड़ा-दावनबोड	4.1	0	0
23	442010005	आचल महिला स्वसहायता समूह बिलाईडबरी	1	0	0
24	442010006	जय माँ दुर्गा महिला स्वसहायता समूह भवरगड में संलग्न	3.5	0	0

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	कम पाए गए खाद्यान्न की मात्रा		
			चावल	शक्कर	नमक
25	442010007	सेवा सहकारी समिति खिलौरा-संकरी भैंसा	1.5	0	0
26	442010008	जय मौली स्व सहायता समूह मनोहरा में संलग्न	1.5	0	0
27	442010009	जय माँ लक्ष्मी देवी सहायता समूह	1.4	0	0
28	442010012	दीक्षा स्व सहायता समूह -जरौद	5.603	0	0
29	442010014	दीक्षा स्व सहायता समूह -जरौद में संलग्न	2.212	0	0
30	442010016	सेवा सहकारी समिति हथबंद-हथबंद	2	0	0
31	442010017	रोशनी स्व सहायता समूह	1.5	0	0
32	442010018	अन्नपूर्णास्व सहायतासमूह -डोंगरिया	4.699	0.493	0.017
33	442010020	सेवा सहकारी समिति सकलोर-भटभेरा	1	0	0
34	442010022	सेवा सहकारी समिति मोहरा-मोहरा	3	0	0
35	442010023	सेवा सहकारी समिति मोहरा-हिरमी	2.8	0	0
36	442010024	सेवा सहकारी समिति मोहरा-कुथरौद	2.9	0	0
37	442010025	सेवा सहकारी समिति रावन	2.5	0	0
38	442010029	जय माँ गोरी स्व सहायता समूह पड़कीडीह में संलग्न	2.6	0	0
39	442010031	ग्राम पंचायत रानीजरौद-रानीजरौद	6	0	0
40	442010033	सेवा सहकारी समिति सुहेला-बासीन	1.8	0	0
41	442010034	रोशनी स्व सहायता समूह -कचलोन	3	0	0
42	442010041	कर्मा माता स्व सहायता समूह दरचुरा	4	0	0
43	442010045	मितानिन स्व सहायता समूह लिमतरा में संलग्न	3	0	0
44	442010047	मिनी माता स्व सहायता समूह करहुल	2.5	0	0
45	442010048	ग्राम पंचायत -चक्रवाय	3	0	0
46	442010055	सेवा सहकारी समिति दामाखेड़ा	3	0	0
47	442010059	सेवा सहकारी समिति रोहरा-दौरेंगा	1.5	0	0
48	442010062	प्रगति दिव्यांग स्व सहायता समूह	2	0	0
49	442010063	सेवा सहकारी समिति सकलोर-बरडीह	3	0	0
50	442010064	सेवा सहकारी समिति हथबंद-नेवधा	1.6	0	0
51	442010070	मितानीन स्व सहायता समूह लिमतरा	1.96	0	0
52	442010071	सेवा सहकारी समिति दामाखेड़ा-मोटियारीडीह	1	0	0

क्रमांक	उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	कम पाए गए खाद्यान्न की मात्रा		
			चावल	शक्कर	नमक
53	442010072	जय बुदादेव म.स्व.स.समूह, अकलतरा	3	0	0
54	442010074	जय दुर्गे स्व सहायता समूह झिरिया में संलग्न	1	0	0
55	442010076	जय माँ शारदा महिला स्व सहायता समूह सीतापार	1.3	0	0
56	442010081	जय माँ गौरी स्व सहायता समूह-पडकीडीह	1	0	0
57	442010082	सेवा सहकारी समिति मोहरा	0.7	0	0
58	521002011	मिनी माता महिला स्व सहायता समूह भाटापारा	3	0	0
59	521008003	मिनी माता महिला स्व सहायता समूह सिमगा	3	0	0
60	521008004	श्री कृष्णा महिला स्व सहायता समूह सिमगा	2	0	0
61	521008005	जय माँ गायत्री महिला स्व सहायता समूह सिमगा	4.9	0	0
62	521015002	माँ शीतला महिला स्व सहायता समूह पलारी	5.4	0	0
63	522005103	जय माँ संतोषी स्व सहायता समूह चितावर	2.985	0	0
64	522005107	मोंगरा महिला स्व सहायता समूह सरखोर	4.5	0.094	0.091
65	522005108	माँ शीतला देवी महिला स्व सहायता समूह अहिल्दा	5.573	0.119	0.064
66	522006090	जय सत महिला स्व सहायता समूह, परसवानी	5.383	0.116	0.075
67	522006097	त्रिवेणी संगम महिला स्व सहायता समूह, छेरकाडीह (छ)	8.116	0	0
68	522009074	महामाया महिला स्व सहायता समूह, मेकरी- मेकरी	5.7	0	0
69	522010085	जय दुर्गे स्व सहायता समूह झिरिया में संलग्न	2	0	0
70	522010087	जय मौली स्व सहायता समूह मनहोरा में संलग्न	0.8	0	0
71	522010089	जय बुदादेव महिला स्व सहायता समूह, अकलतरा में संलग्न है	1.368	0	0
72	522010090	जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह	2.8	0	0
73	522010094	माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, रवेली	1.4	0	0
74	522010096	गीता महिला स्व सहायता समूह, डिग्गी	0.214	0	0
75	522010099	ऐजल महिला स्व सहायता समूह	2.4	0	0
76	522010101	माँ भगवती महिला स्व सहायता समूह, अडबंधा	0.7	0	0
77	522010106	जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह धोबनी	0.844		0


 अनुभव अधिकारी
 जय नगरिक आपूर्ति एवं उन्नोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशेष - सेंटालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2359) की जानकारी

प्रपत्र- अ

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 01 जनवरी 2024 से 15.02.2025 तक प्रचलित योजनावार राशनकार्डधारी परिवारों एवं चावल के मासिक आबंटन की जानकारी

मात्रा टन में

माह	वर्ष	योजनावार राशनकार्डधारी परिवारों की संख्या		चावल की मासिक आवश्यकता (माहवार आबंटन)	
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
जनवरी	2024	248105	100739	5338	6229
फरवरी	2024	247836	103525	5333	6317
मार्च	2024	248269	104470	5333	6365
अप्रैल	2024	248294	104634	5335	6375
मई	2024	248294	104634	5335	6375
जून	2024	247492	104089	5322	6378
जुलाई	2024	247491	104072	5322	6382
अगस्त	2024	247965	104184	5321	6406
सितम्बर	2024	251196	105102	5330	6499
अक्टूबर	2024	254835	106740	5342	6616
नवम्बर	2024	257555	107250	5352	6686
दिसम्बर	2024	261770	107799	5370	6778
जनवरी	2025	262646	109362	5368	6844
फरवरी	2025	263178	111043	5365	6910



अनुभाग अधिकारी

राज्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भंडारालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में वर्तमान में प्रचलित योजनावार निःशुल्क चावल की पात्रता वाले राशनकार्डों की संख्या एवं निःशुल्क चावल के मासिक आबंटन की विकासखण्डवार जानकारी

मात्रा टन में

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	योजनावार राशन कार्ड की संख्या		चावल आबंटन	
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
1	बलौदाबाजार	63779	19854	1285	1497
2	पलारी	53774	15049	1030	1200
3	कसडोल	55405	18462	1128	1311
4	भाटापारा	43587	14784	961	1016
5	सिमगा	46852	15275	963	1113
योग		263397	83424	5365	6137



अनुभाग अधिकारी
राज्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशेष - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2366) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

रोड क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षा मांगने वाले घुमंतु बच्चों एवं उनका पुनर्वास

क्र.	जिला	चिन्हांकित बच्चों का विवरण		पुनर्वास हेतु की गयी कार्यवाही		रिमार्क
		विकासखण्ड का नाम	चिन्हांकित बच्चों की संख्या	परिवार में पुनर्वासित	बाल देखरेख संस्था में पुनर्वासित	
1	बालोद	बालोद	0	0	0	—
		गुरुर	0	0	0	—
		गुण्डरदेही	0	0	0	—
		डौण्डीलोहारा	0	0	0	—
		डौण्डी	0	0	0	—
2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	4	4	0	—
		सिमगा	10	10	0	—
3	बलरामपुर	बलरामपुर	0	0	0	—
		बदर	1	1	0	—
		पस्ता	1	1	0	—
		राजपुर	1	1	0	—
4	बस्तर	बस्तर	0	0	0	—
		बकावण्ड	0	0	0	—
		लोहण्डीगुडा	0	0	0	—
		बस्तानार	0	0	0	—
		दरभा	0	0	0	—
		तोकापाल	0	0	0	—
		जगदलपुर	0	0	0	—
5	बेमेतरा	बेमेतरा	0	0	0	—
		बेरला	0	0	0	—
		साजा	0	0	0	—
		नवागढ़	0	0	0	—
6	बीजापुर	बीजापुर	0	0	0	—
		भैरमगढ़	0	0	0	—
		भोपालपटनम	0	0	0	—
		उसूर	0	0	0	—
7	बिलासपुर	बिल्हा	0	0	0	—
		कोटा	0	0	0	—
		तखतपुर	0	0	0	—
		मस्तूरी	0	0	0	—
8	दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	0	0	0	—
9	धमतरी	धमतरी	2	2	0	—
			1	1	0	—
10	दुर्ग	पाटन	0	0	0	—
		धमधा	0	0	0	—
		दुर्ग	0	0	0	—
11	गरियाबंद	—	0	0	0	—

क्र.	जिला	चिन्हांकित बच्चों का विवरण		पुनर्वास हेतु की गयी कार्यवाही		रिमार्क
		विकासखण्ड का नाम	चिन्हांकित बच्चों की संख्या	परिवार में पुनर्वासित	बाल देखरेख संस्था में पुनर्वासित	
12	गौरेला पेंड्रा मारवाही	—	0	0	0	—
13	जांजगीर चांपा	—	2	0	2	—
		नवागढ़	0	0	0	—
14	जशपुर	जशपुर	0	0	0	—
		बगीचा	0	0	0	—
		पत्थलगांव	0	0	0	—
		फरसाबहार	0	0	0	—
		दुलदुला	0	0	0	—
		कुनकुरी	0	0	0	—
		मनोरा	0	0	0	—
		कांसाबेल	0	0	0	—
15	कवर्धा	कवर्धा, बोड़ला, पण्डरिया, सहसपुर लोहारा	0	0	0	—
16	कांकेर	कांकेर	0	0	0	—
		नरहरपुर	0	0	0	—
		चारामा	0	0	0	—
		भानुप्रतापपुर	0	0	0	—
		दुगूकोदल	0	0	0	—
		पखांजूर	0	0	0	—
		अन्तागढ़	0	0	0	—
17	कोण्डागांव	—	0	0	0	—
		—	0	0	0	—
18	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	0	0	0	0	—
19	कोरबा	कोरबा	3	2	1	—
20	कोरिया	बैकुण्ठपुर	1	0	1	—
21	महासमुंद	महासमुंद	0	0	0	—
		बागबाहरा	0	0	0	—
		पिथौरा	0	0	0	—
		बसना	0	0	0	—
		सरायपाली	0	0	0	—
22	मनेंद्रगढ़ चिरमिरि भरतपुर	मनेंद्रगढ़	0	0	0	—
		भरतपुर	0	0	0	—
		खडगवा	0	0	0	—
23	मोहला मानपुर चौकी	—	0	0	0	—

क्र.	जिला	चिन्हांकित बच्चों का विवरण		पुनर्वास हेतु की गयी कार्यवाही		रिमार्क
		विकासखण्ड का नाम	चिन्हांकित बच्चों की संख्या	परिवार में पुनर्वासित	बाल देखरेख संस्था में पुनर्वासित	
24	मुंगेली	मुंगेली	1	1	0	—
		पथरिया	0	0	0	—
		लोरमी	5	5	0	—
		मुंगेली	2	2	0	—
		पथरिया	7	7	0	—
		लोरमी	0	0	0	—
		मुंगेली	0	0	0	—
		पथरिया	0	0	0	—
25	नारायणपुर	नारायणपुर	0	0	0	—
		ओरछा	0	0	0	—
26	रायगढ़	रायगढ़	0	0	0	—
		पुसौर	0	0	0	—
		खरसिया	0	0	0	—
		घघोडा	0	0	0	—
		तमनार	0	0	0	—
		लैलूंगा	0	0	0	—
		धरमजयगढ़	0	0	0	—
27	रायपुर	धरसीवा	7	7	0	—
28	राजनांदगांव	—	0	0	0	—
29	सारंगढ़ बिलाईगढ़	सारंगढ़	0	0	0	—
		बरमकेला	0	0	0	—
		बिलाईगढ़	0	0	0	—
30	शक्ति	—	0	0	0	—
31	सुकमा	सुकमा	0	0	0	—
		छिन्दगढ़	0	0	0	—
		कोटा	0	0	0	—
32	सूरजपुर	सूरजपुर	1	0	0	01 बालक अन्य राज्य में स्थानांतरित
33	सरगुजा	अम्बिकापुर	4	2	2	—
		बतौली	1	1	0	—
		अम्बिकापुर	1	1	0	—
Total			55	48	6	1


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र"ब"

रोड क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षा मांगने वाले घुमंतु बच्चों एवं उनका पुनर्वास की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन पर किये गये व्यय रु. में
1.	बालोद	0
2.	बलौदाबाजार	0
3.	बलरामपुर	0
4.	बस्तर	43,567/-
5.	बेमेतरा	0
6.	बीजापुर	0
7.	बिलासपुर	0
8.	दंतेवाड़ा	0
9.	धमतरी	0
10.	दुर्ग	0
11.	गरियाबंद	0
12.	गौरैला पेंडा मरवाही	0
13.	जांजगीर चाम्पा	15,698/-
14.	जशपुर	79,000/-
15.	कबीरधाम	0
16.	कांकेर	0
17.	कोंडागांव	44,974/-
18.	खैरागढ़ छुड़खदान गंडई	0
19.	कोरबा	34,289/-
20.	कोरिया	46,600/-
21.	महासमुंद	9,150/-
22.	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0
23.	मोहला मानपुर चौकी	0
24.	मुंगेली	0
25.	नारायणपुर	0
26.	रायगढ़	0
27.	रायपुर	0
28.	राजनांदगांव	0
29.	सारंगढ़ बिलाईगढ़	0
30.	सक्ती	0
31.	सुकमा	0
32.	सूरजपुर	0
33.	सरगुजा	0
योग-		2,73,278/-


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पॉरीशेट - उन्नास

अतारोकेत प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2370) की जानकारी

प्रपत्र - अ

प्रदेश में माप, कांटे, बाट एवं अन्य मापक यंत्रों के सुधार हेतु अनुबंधित अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस धारी) की जानकारी

स.क्र.	अनुज्ञप्ति क्रमांक	संस्था का नाम	जिला
1	RKAW101N12	कृष्णा राम साहू	कवर्धा
2	RKAW160N07	विजय कुमार लुनिया	कवर्धा
3	RKAW466N11	अबिद कुरेशी	कवर्धा
4	RKAW530N23	माँ भगवती वेईंग	कवर्धा
5	RKAN318N16	मेसर्स गौतम वर्कशाप	कांकेर
6	RKAN332N95	मेसर्स श्रवण कुमार गजपाल	कांकेर
7	RKAN317N16	मेसर्स राजेश इलेक्ट्रानिक्स	कांकेर
8	RKAN450N22	माँ दत्तेश्वरी इलेक्ट्रानिक कांटा	कांकेर
9	RKDG285N14	मनोष रिपेरिंग वर्कशाप	कांडागांव
10	RKDG449N22	मेसर्स बाबा इंटरप्राइजेस	कांडागांव
11	RKDG518N23	गौरव रिपेरिंग वर्कशाप	कांडागांव
12	RKRB167N06	मेसर्स संजय कुमार सिंह	कोरबा
13	RKRB251N12	मेसर्स हाजी जी हाडवेयर	कोरबा
14	RKRB172N20	छत्तीसगढ़ सेल्स इलेक्ट्रानिक वेईंग स्कूल	कोरबा
15	RKRB263N20	मेसर्स महंत रिपेरिंग कांटा वर्कशाप	कोरबा
16	RKRB171N00	मेसर्स बालाजी रिपेरिंग वर्कशाप	कोरबा
17	RKRB254N85	मेसर्स एस एस इंटरप्राइजेस	कोरबा
18	RKRB168N09	आनंद कुमार अग्रवाल	कोरबा
19	RKRB256N77	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी	कोरबा
20	RKRB499N22	एस के रिपेरिंग वर्कशाप	कोरबा
21	RKOR270N08	महामाया रिपेरिंग वर्कशाप	कोरिया
22	RGRB033N14	मेसर्स शर्मा इलेक्ट्रानिक्स	गरियाबंद
23	RGRB021N12	मेसर्स देवांगन इलेक्ट्रानिक्स, उत्तम कुमार	गरियाबंद
24	RGRB035N12	मेसर्स देवांगन इलेक्ट्रानिक्स, सुनील कुमार	गरियाबंद
25	RJAS125N18	श्री विश्वकर्मा वर्कशाप	जशपुर
26	RJAS474N22	शुभम इलेक्ट्रानिक वर्कशाप	जशपुर
27	RJAS513N23	मेसर्स केडिया मार्केटिंग	जशपुर
28	RJAS531N23	इकोनोटिव वेचर्स प्राइवेट लिमिटेड	जशपुर
29	RJAN190N19	श्री राम रिपेरिंग वर्कशाप	जाजगीर-चाम्पा
30	RJAN187N19	मेसर्स आत्मा रिपेरिंग वर्कशाप	जाजगीर-चाम्पा
31	RJAN179N19	मेसर्स अशोक कुमार एंड ब्रदर्स	जाजगीर-चाम्पा
32	RJAN177N19	मेसर्स माँ काली ब्रदर्स	जाजगीर-चाम्पा
33	RJAN180N19	मेसर्स कृष्णा रिपेरिंग वर्कशाप	जाजगीर-चाम्पा
34	RJAN189N19	मेसर्स मयूर गोयल रिपेरिंग वर्कशाप	जाजगीर-चाम्पा
35	RJAN188N19	मेसर्स हर्षित गट्टानी	जाजगीर-चाम्पा
36	RJAN183N19	मेसर्स श्री गणेश रिपेरिंग वर्कशाप	जाजगीर-चाम्पा
37	RJAN174N19	मेसर्स अशोक कुमार अजय कुमार गट्टानी	जाजगीर-चाम्पा
38	RJAN182N19	मेसर्स श्री मनोज कुमार गट्टानी	जाजगीर-चाम्पा
39	RJAN186N19	मेसर्स जगदम्बा मेटल	जाजगीर-चाम्पा
40	RJAN175N19	मेसर्स गोयल रिपेरिंग वर्कशाप	जाजगीर-चाम्पा
41	RJAN176N91	मेसर्स ओमप्रकाश संजय कुमार	जाजगीर-चाम्पा
42	RJAN407N17	मेसर्स वेईंग शाप इलेक्ट्रानिक कांटावाला	सक्ती
43	RJAN178N14	मेसर्स श्री त्रिरूपती बालाजी इलेक्ट्रानिक्स	जाजगीर-चाम्पा
44	RJAN546N24	ओम साई इलेक्ट्रानिक्स कांटा लक्ष्मी इंटरप्राइजेस	सक्ती

स.क्र.	अनुज्ञप्ति क्रमांक	संस्था का नाम	जिला
45	RJAN557N25	श्री बाँके बिहारी ट्रेडर्स	जाजगीर-चाम्पा
46	RDAN307N00	मै. सुरेन्द्र सिंह	दन्तवाड़ा
47	RDAN309N01	रोमन सिंह ठाकुर	दन्तवाड़ा
48	RDUR145N12	मेसर्स ओम इलेक्ट्रॉनिक स्केल वर्क्स	दुर्ग
49	RDUR272N12	मेसर्स जय अम्बे स्केल वर्क्स	दुर्ग
50	RDUR105N12	मेसर्स सियाराम इंटरप्राइजेस	दुर्ग
51	RDUR095N16	मेसर्स आरना इंटर प्राइजेस	दुर्ग
52	RDUR142N20	मेसर्स मॉडर्न कांटावाला	दुर्ग
53	RDUR149N20	ए टू जेड इंटरप्राइजेस	दुर्ग
54	RDUR161N95	मै. आकांक्षा इंटरप्राइजेस	दुर्ग
55	RDUR156N64	स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	दुर्ग
56	RDUR090N16	मेसर्स न्यू छत्तीसगढ़ रिपेयरिंग वर्क शॉप	दुर्ग
57	RDUR096N12	मेसर्स आर .के. स्केल	दुर्ग
58	RDUR261N10	मेसर्स गिलबाको विदर रूट इंडिया प्रा. लि.	दुर्ग
59	RDUR151N20	मेसर्स टाटसुनो इंडिया प्रा० लि०	दुर्ग
60	RKRB166N20	मेसर्स स्पान टेक्नोलॉजी	दुर्ग
61	RDUR152N03	मेसर्स अनुपम एरोमेटिक्स	दुर्ग
62	RDUR080N18	साउथन वेइंग इंस्ट्रुमेंट प्रा. लिमिटेड	दुर्ग
63	RDUR011N06	एकमे ऑटोमेशन प्रा. लि.	दुर्ग
64	RDUR104N19	मै० श्री इंटरप्राइजेस	दुर्ग
65	RDUR144N07	जनरल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम प्रा; लि.	दुर्ग
66	RDUR086N11	मेसर्स माइक्रो ऑटोमेशन & साफ्टवेयर साल्यूसन	दुर्ग
67	RDUR347N21	साई कृपा इंटरप्राइजेस	दुर्ग
68	RDUR441N22	मेसर्स ओरिबेट्स टेक्नोवर्क्स सेंटर	दुर्ग
69	RDUR386N21	मेसर्स लिब्रा स्केल वर्क्स	दुर्ग
70	RDUR522N23	मां करमा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल एवं कांटा बाट रिपेयरिंग शाप	दुर्ग
71	RDUR527N23	न्यू केंजीएन इंटरप्राइजेस	दुर्ग
72	RDHM023N12	पंकज रिपेयरिंग वर्कशॉप	धमतरी
73	RDHM036N05	केश कुमार सोनी	धमतरी
74	RDHM028N12	सूरज लाल रिपेयरिंग वर्कशॉप	धमतरी
75	RDHM468N13	श्री बनवारी लाल सोनी	धमतरी
76	RDHM489N22	समता इंटरप्राइजेस	धमतरी
77	RBMT075N12	अनुपम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स	बेमेतरा
78	RBMT141N96	मेसर्स क्वालिटी स्केल वर्कशाप	बेमेतरा
79	RBMT078N20	मेसर्स बालाजी स्केल	बेमेतरा
80	RBRP116N12	मेसर्स राजवीर इलेक्ट्रॉनिक वर्कशाप	बलरामपुर
81	RBRP110N91	मेसर्स रिपेयरिंग वर्कशॉप	बलरामपुर
82	RBLB457N19	परवीन वेइंग सिस्टम	बलोदा बाजार-भाटापारा
83	RBLB020N20	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस	बलोदा बाजार-भाटापारा
84	RBLB288N17	तम्बोली रिपेयरिंग वर्कशॉप	बलोदा बाजार-भाटापारा
85	RBLB034N94	कुमार रिपेयरिंग वर्कशॉप	बलोदा बाजार-भाटापारा
86	RBLB032N05	प्रताप रिपेयरिंग वर्कशॉप	बलोदा बाजार-भाटापारा
87	RBLB344N21	छत्तीसगढ़ वर्कशॉप सेंटर	बलोदा बाजार-भाटापारा
88	RBLB349N21	कुमार वेइंग सिस्टम	बलोदा बाजार-भाटापारा
89	RBST325N15	मुणाल इंटरप्राइजेस	बस्तर
90	RBST283N18	मै. समदु बघेल	बस्तर
91	RBST452N81	सोमचंद ठाकुर	बस्तर
92	RBST390N10	वाई.पी. इंटरप्राइजेस	बस्तर
93	RBST314N18	आर बी इंटरप्राइजेस	बस्तर
94	RBST544N24	समदु राम बघेल	बस्तर

स.क्र.	अनुज्ञप्ति क्रमांक	संस्था का नाम	जिला
95	RBLD067N19	मेसर्स श्री गणेश हरिकृपा इंटरप्राइजेस प्रो. श्री आकाश शर्मा	बालाद
96	RBLD106N15	मेसर्स गंगा मैया रिपेरिंग वर्कशॉप	बालाद
97	RBLD091N18	मेसर्स कामता प्रसाद साहू	बालाद
98	RBLD089N16	मेसर्स पन्ना इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप	बालाद
99	RBSP207N95	गोपाल रिपेरिंग वर्कशॉप	बिलासपुर
100	RBSP216N00	जय माता दी रिपेरिंग वर्कशॉप	बिलासपुर
101	RBSP219N95	मा भवानी रिपेरिंग वर्कशॉप	बिलासपुर
102	RBSP214N16	मेसर्स प्रभात स्केल एंड सिर्विस	बिलासपुर
103	RBSP206N18	मा भगवती टेक्नो साल्यूसन	बिलासपुर
104	RBSP212N13	इलेक्ट्रान वेइंग स्ट्रुमेंट	बिलासपुर
105	RBSP199N18	श्री सत्या साई ट्रेडर्स	बिलासपुर
106	RBSP017N11	डीजी वें प्रा. लिमिटेड	बिलासपुर
107	RBSP197N17	मेसर्स राजेश राजपूत	बिलासपुर
108	RBSP245N05	एन वी मार्केटिंग	बिलासपुर
109	RBSP204N92	आर आर इंजीनियर्स & कंसलटेंट	बिलासपुर
110	RBSP001N98	डिजिटल वेइंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	बिलासपुर
111	RBSP221N95	मेसर्स तारा स्केल इंटरप्राइजेस	बिलासपुर
112	RBSP136N18	शांति इंटरप्राइजेस	बिलासपुर
113	RBSP004N07	गिरीश चन्द्रा घोष & जी जी एस	बिलासपुर
114	RBSP195N18	आर जी रिपेरिंग वर्कशॉप	बिलासपुर
115	RBSP224N11	डेल्टान वेइंग सिस्टम	बिलासपुर
116	RBSP205N05	बसंत ट्रेडर्स	बिलासपुर
117	RBSP202N72	श्री राम स्केल कंपनी	बिलासपुर
118	RBSP203N99	बालाजी रिपेरिंग वर्कशॉप	बिलासपुर
119	RBSP196N11	अरूण कुमार रिपेरिंग वर्कशॉप	बिलासपुर
120	RBSP008N11	साई ट्रेडर्स	बिलासपुर
121	RBSP133N06	इगल इंटरप्राइजेस	बिलासपुर
122	RBSP006N10	इ. एम.टी.आई.सी.आई. इंजीनियर्स लिमि.	बिलासपुर
123	RBSP473N22	यूबेका इंजीनियरिंग कंपनी	बिलासपुर
124	RBSP526N23	राइस लॉक वेइंग सिस्टम्स इंडिया लिमि.	बिलासपुर
125	RMGL252N20	मा शारदा रिपेरिंग वर्कशॉप	मुंगेली
126	RMGL269N20	अविनाश रिपेरिंग वर्कशॉप	मुंगेली
127	RMGL253N13	मेसर्स साहू रिपेरिंग वर्कशॉप	मुंगेली
128	RMGL258N00	मेसर्स मनोरमा रिपेरिंग वर्कशॉप	मुंगेली
129	RMGL191N19	मेसर्स अपूर्णा सुगंध भंडार	मुंगेली
130	RMGL432N22	मेसर्स मा भगवती वेइंग	मुंगेली
131	RMAH392N01	आजाद स्केल वर्कशॉप	महासमुंद
132	RMAH031N91	रायपुर स्केल वर्कशॉप	महासमुंद
133	RMAH030N07	हादिक रिपेरिंग वर्कशॉप	महासमुंद
134	RMAH077N01	जय हिन्द स्केल रिपेरिंग वर्कशॉप	महासमुंद
135	RMAH337N21	श्रीराम कांटा	महासमुंद
136	RMAH342N21	हादिक रिपेरिंग वर्कशॉप	महासमुंद
137	RMAH389N21	जय अम्बे इलेक्ट्रिकल एंड स्केल्स	महासमुंद
138	RMAH422N19	स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम प्रो.श्री सफदर हुसैन	महासमुंद
139	RMAH464N22	हर्ष इलेक्ट्रॉनिक	महासमुंद
140	RMAH520N23	सौरभ कांटावाला	महासमुंद
141	RMAH511N23	कमला स्केल	महासमुंद
142	RRJN070N16	मेसर्स -रामराज इंटरप्राइजेस	राजनादगाव
143	RRJN088N14	मेसर्स-दिव्या मार्केटिंग	राजनादगाव
144	RRJN108N18	मेसर्स तिवारी कांटावाला	राजनादगाव

स.क्र.	अनुशक्ति क्रमांक	संस्था का नाम	जिला
145	RRJN109N13	मेसर्स- साहू इंटरप्राइजेस	राजनांदगाव
146	RRJN150N03	मेसर्स महेश कुमार साकुरे	राजनांदगाव
147	RRJN099N97	मेसर्स- साहू रिपेरिंग शाप	राजनांदगाव
148	RRJN147N90	मेसर्स- रामप्रसाद रमेश कुमार वकेशॉप	राजनांदगाव
149	RRJN154N90	मेसर्स- लक्ष्मी नारायाण साहू रिपेरिंग शाप	राजनांदगाव
150	RRJN159N97	मेसर्स मोहम्मद राफिक रिपेरिंग शाप	राजनांदगाव
151	RRIG126N07	मै.परमेश्वर रिपेरिंग वकेशॉप	रायगढ़
152	RRIG127N14	ओम साई इंजीनियरिंग वकेशॉप	रायगढ़
153	RRIG123N10	मै.बसंत कुमार वर्मा	रायगढ़
154	RRIG128N12	मेसर्स अमित कुमार गोयल रिपेरिंग वकेशॉप	रायगढ़
155	RRIG131N20	मै.विनय इंटरप्राइजेज	रायगढ़
156	RRIG129N13	मेसर्स.राजेश इंजीनियरिंग वकेशॉप	रायगढ़
157	RRIG244N10	मेसर्स अग्रसेन डिजिटल स्कूल	रायगढ़
158	RRIG228N10	मेसर्स आयुष रिपेरिंग वकेशॉप	रायगढ़
159	RRIG277N96	मेसर्स भारत रिपेरिंग वकेशॉप	रायगढ़
160	RRIG118N15	मेसर्स.ओसिन वेइंग सिस्टम	रायगढ़
161	RRIG364N21	वेइंग शाप	रायगढ़
162	RRIG434N17	मेसर्स गोयल वेइंग स्कूल	रायगढ़
163	RRAI296N15	श्री इलेक्ट्रॉनिक्स	रायपुर
164	RRAI048N08	एस.एल. वेइंग सिस्टम	रायपुर
165	RRAI299N00	लक्ष्मी इंडस्ट्रीज	रायपुर
166	RRAI059N68	एवरी इंडिया प्रा; लि.	रायपुर
167	RRAI057N16	इलेक्ट्रो वेइंग मशीन	रायपुर
168	RRAI060N07	श्री श्याम टेक्नो	रायपुर
169	RRAI354N19	ठाकुर वेइंग स्कूल	रायपुर
170	RRAI514N96	रायल रिपेरिंग वकेशॉप	रायपुर
171	RRAI041N14	सन वेइंग सिस्टम	रायपुर
172	RRAI042N05	दिव्याशु ट्रेडिंग	रायपुर
173	RRAI279N10	मिलाप ट्रेडर्स	रायपुर
174	RRAI356N18	मेसर्स भारत रिपेरिंग वकेशॉप	रायपुर
175	RRAI355N90	संतोष कुमार यादव	रायपुर
176	RRAI323N90	मेसर्स ठाकुर रिपेरिंग वकेशॉप	रायपुर
177	RRAI294N15	वेटेक स्कूल प्रा. लिमि.	रायपुर
178	RRAI305N98	रायपुर वेटेक इंस्ट्रुमेंट प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर
179	RRAI367N08	सावर कुंडला स्कूल	रायपुर
180	RRAI360N11	न्यू दिव्या मार्केटिंग	रायपुर
181	RRAI379N05	मोहम्मद अक्तर	रायपुर
182	RRAI380N94	वेरायटी एंड मेजरिंग इंजीनियर्स	रायपुर
183	RRAI039N04	नीतिराज इंजीनियर्स लिमिटेड	रायपुर
184	RRAI446N19	भट्टाचार्य रिपेरिंग वकेशॉप	रायपुर
185	RRAI445N11	मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राइजेस	रायपुर
186	RRAI022N18	श्रीबालाजी स्कूल	रायपुर
187	RRAI076N08	डीजिटल सिस्टम्स	रायपुर
188	RRAI062N20	ए.एस.वेइंग सिस्टम्स	रायपुर
189	RRAI061N06	एस.एस. टेक्नो साल्यूसन	रायपुर
190	RRAI043N20	गायत्री इंफ्रा सर्विस	रायपुर
191	RRAI319N12	कांटावाला इंटरप्राइजेस	रायपुर
192	RRAI052N06	हाई-टेक वेइंग सिस्टम	रायपुर
193	RRAI290N06	मेसर्स वेंटानिक वेइंग सिस्टम	रायपुर
194	RMAH404N94	छत्तीसगढ़ रिपेरिंग वकेशॉप	रायपुर
195	RRAI276N04	लियोट्रॉनिक स्कूल प्रा. लिमि.	रायपुर

स.क्र.	अनुज्ञप्ति क्रमांक	संस्था का नाम	जिला
196	RRAI302N11	आदित्य टेक्नोलॉजी	रायपुर
197	RRAI378N16	के.जी.एन स्केल वर्कशॉप	रायपुर
198	RRAI438N19	जनता स्केल वेइंग कंपनी	रायपुर
199	RRAI365N21	रजत वाधवानी	रायपुर
200	RRAI369N21	वावेल कंपनी	रायपुर
201	RRAI383N21	परफेक्ट साल्यूसन	रायपुर
202	RRAI463N22	यासिका स्केल	रायपुर
203	RRAI472N22	श्री महावीर डिजिटल स्केल	रायपुर
204	RRAI478N22	महानदी रिपेरिंग वर्क	रायपुर
205	RRAI498N22	यूनिक सर्विस	रायपुर
206	RRAI542N24	एनालाजिक वेइंग & आटोमेशन	रायपुर
207	RRAI558N25	एन के एम इंटरप्राइजेस	रायपुर
208	RRAI560N25	ए के इंटरप्राइजेस	रायपुर
209	RRAI561N25	श्री राम क्रियेशन	रायपुर
210	RSGJ163N18	मेसर्स विक्रम रिपेरिंग सेंटर	सरगुजा
211	RSGJ162N16	मेसर्स अनिवास इलेक्ट्रॉनिक रिपेरिंग वर्क	सरगुजा
212	RSGJ164N16	मेसर्स रावे इलेक्ट्रॉनिक वर्क	सरगुजा
213	RSGJ231N96	ताज रिपेरिंग वर्क्स	सरगुजा
214	RSGJ316N12	महावीर इंटरप्राइजेस	सरगुजा
215	RSGJ417N22	मेसर्स महामाया डिजिटल वेइंग रिपेरिंग सेंटर	सरगुजा

अनुज्ञप्ति अधिकारी
अस्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र -ब

2024-2025 मे नवीनीकृत विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी की जानकारी

क्र.	अनुज्ञप्ति क्र.	संस्था का नाम	जिला
1	DDHM549N24	साहू जी कांटावाला	धमतरी
2	DRAI476N17	ब्रम्हाण्ड इंटरप्राइजेज	रायपुर
3	DRAI543N24	रोहिणी इंटरप्राइजेज	रायपुर
4	DRAI539N24	एनालाजिक वेइंग एवं ऑटोमेशन	रायपुर
5	DRAI536N24	साहेब इंटरप्राइजेज	रायपुर
6	DRAI538N24	आर एस यु ए टू जेड हेल्थ प्राइवेट लिमि	रायपुर
7	DRAI550N24	जय महाकाल साहिब इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोवेट	रायपुर
8	DRAI548N24	जूही स्विचगियर एंड सेल्स कॉरपोरेशन	रायपुर
9	DBLB301N19	शशीकांत वेइंग सिस्टम	बलौदा बाजार-भाटापारा
10	DRJN103N15	रामराज इंटरप्राइजेज	राजनांदगांव
11	DBSP540N24	जे के इलेक्ट्रॉनिक स्केल	बिलासपुर
12	DBSP552N24	माँ भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स	बिलासपुर
13	DMGL553N24	डी के इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन	मुंगेली

2024-2025 मे नवीनीकृत सुधारक अनुज्ञप्तिधारी की जानकारी


क्र.	अनुज्ञप्ति क्र.	संस्था का नाम	जिला
1	RRAI354N19	ठाकुर वेइंग स्केल	रायपुर
2	RRAI294N15	वेटेक स्केल प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर
3	RRAI446N19	भट्टाचार्य रिपेयरिंग वर्कशाप	रायपुर
4	RRAI542N24	एनालाजिक वेइंग एवं ऑटोमेशन	रायपुर
5	RBLB288N17	तम्बोली रिपेयरिंग वर्कशॉप	बलौदा बाजार-भाटापारा
6	RJAN175N19	मेसर्स गोयल रिपेयरिंग वर्कशॉप	जांजगीर-चाम्पा

अनुभाग अधिकारी
राज्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र -स

नवीनीकरण हेतु लंबित अनुज्ञप्तियों की कारण सहित जिलेवार जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	जिला	नवीनीकरण हेतु लंबित होने के कारण
1	एचआरए फायर इंजीनियरिंग एसोसिएट	रायपुर	शुल्क भुगतान हेतु लंबित
2	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
3	ग्रीन अर्थ एंटरप्राइजेज	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
4	अंबिका स्केल	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
5	मेसर्स वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
6	पवन ऑटोमोबाइल्स	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
7	आदित्य टेक्नोलॉजीज	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
8	आदित्य टेक्नोलॉजीज	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
9	न्यू दिव्या मार्केटिंग	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
10	न्यू दिव्या मार्केटिंग	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
11	मेसर्स वेइंग सिस्टम	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
12	एसेल ट्रेडर्स	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
13	सावर कुंडला वैङ्ग सिस्टम	रायपुर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
14	मे० श्री इंटरप्राइजेस	दुर्ग	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
15	में० श्री इंटरप्राइजेस	दुर्ग	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
16	मेसर्स मा इंटरप्राइजेस	राजनांदगांव	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
17	मेसर्स साहू इंटरप्राइजेस	राजनांदगांव	अनुज्ञप्ति जारी हेतु लंबित
18	में श्री साई इंटरप्राइजेस	राजनांदगांव	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
19	योगी इंटरप्राइजेज	कवर्धा	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
20	मेसर्स श्री गणेश हरिकृपा इंटरप्राइजेज	बालोद	अनुज्ञप्ति जारी हेतु लंबित
21	मेसर्स श्री संतोषी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोप.श्री चुरामन साहू	बालोद	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
22	जितेन्द्र इंजीनियरिंग और वेल्लिंग वर्क्स	कोरबा	शुल्क भुगतान हेतु लंबित
23	समदु राम बघेल	बस्तर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
24	मेसर्स अयान डिजिटल स्केल	जशपुर	शुल्क भुगतान हेतु लंबित
25	मेसर्स ओशिन वेइंगिंग सिस्टम	रायगढ़	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
26	महावीर इंटरप्राइजेस	सरगुजा	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
27	आर. बी. इंटरप्राइजेस	बस्तर	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित
28	ओम साई इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा लक्ष्मी इंटरप्राइजेस	जांजगीर-चाम्पा	अनुज्ञप्ति जारी हेतु लंबित
29	मेसर्स अशोक कुमार अजय कुमार गट्टानी	जांजगीर-चाम्पा	अनुज्ञप्ति जारी हेतु लंबित



अनुभाग अधिकारी

राज्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभा.
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परोक्ष - पचास

अतारोकेत प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2371) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष	विकास खंड का नाम	छात्रवृत्ति हेतु छात्र-छात्राओं को कुल प्रदाय राशि	लाभान्वित छात्रों की जानकारी	पात्रता के लिए अर्हता
वर्ष 2022-23	जनपद पांचायत अकलतरा	122900.00	75	छ.ग. राज्य के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को :- कक्षा 1वीं से 5वीं तक 150 रु. प्रतिमाह कक्षा 6वीं से 8वीं तक 170 रु. प्रतिमाह कक्षा 9वीं से 12वीं तक 190 रु. प्रतिमाह
	जनपद पांचायत बलौदा	84900.00	53	
	जनपद पांचायत बम्हनीडीह	0.00	0	
	जनपद पांचायत नवागढ़	9600.00	6	
	जनपद पांचायत पामगढ़	191200.00	118	
	जनपद पांचायत सक्ति	196900.00	119	
	जनपद पांचायत मालखरौदा	1500.00	1	
	जनपद पांचायत जैजैपुर	54400.00	32	
	जनपद पांचायत डभरा	131700.00	79	
वर्ष 2023-24	जनपद पांचायत अकलतरा	110100.00	67	
	जनपद पांचायत बलौदा	110900.00	67	
	जनपद पांचायत बम्हनीडीह	96100.00	59	
	जनपद पांचायत नवागढ़	90500.00	59	
	जनपद पांचायत पामगढ़	199600.00	122	
	जनपद पांचायत सक्ति	150600.00	92	
	जनपद पांचायत मालखरौदा	110200.00	68	
	जनपद पांचायत जैजैपुर	169500.00	105	
	जनपद पांचायत डभरा	133500.00	79	
वर्ष 2024-25 (15.02.2025 तक)	जनपद पांचायत अकलतरा	0.00	0	
	जनपद पांचायत बलौदा	151500.00	91	
	जनपद पांचायत बम्हनीडीह	0.00	0	
	जनपद पांचायत नवागढ़	13800.00	8	
	जनपद पांचायत पामगढ़	261300.00	159	

जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला सक्ति को वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर 2024 से आहरण-वितरण अधिकार प्राप्त होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में छात्रवृत्ति के राशि का आहरण जिला जांजगीर-चांपा से किया गया है। अतः जानकारी जिला जांजगीर-चांपा द्वारा संयुक्त रूप से (जिला जांजगीर चांपा एवं सक्ति का) प्रेषित किया गया है।


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर


परिशेष - इनक्यावन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2377) की जानकारी

प्रपत्र

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में 31 जनवरी 2025 की स्थिति में स्वयं के दुकान-सह-गोदाम तथा अन्य भवन में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी

क्र.	नगरीय निकाय/ विकासखंड	स्वयं के दुकान-सह- गोदाम में संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	अन्य भवन में संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	योग
1	रायपुर शहर	0	3	3
2	कूरा	0	2	2
3	धरसीवा	3	62	65
4	खरोरा	0	3	3
5	तिल्दा	10	41	51
	योग	13	111	124



अनुभाग अधिकारी

राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगिता संरक्षण वि.
संभालय, नया रायपुर, अटल नगर


पौरिशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2386) की जानकारी

प्रपत्र

भौतिक सत्यापन में स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के भण्डारण केन्द्रों में पायी गयी कमी एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

भौतिक सत्यापन अवधि	सत्यापन में कम पाए गए मात्रा एवं मूल्य	की गई कार्यवाही
30 सितम्बर 2023 के समापन पर	शाखा भानुप्रतापपुर में शक्कर स्कंध 17 बोरी वजन 8.50 क्विंटल तथा चना स्कंध 48 बोरी वजन 24.00 क्विंटल कम पाये गये। कुल मूल्य रूपये 1,48,047.00	तत्कालीन शाखा प्रबंधक भानुप्रतापपुर को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के कारण आर्थिक क्षति की राशि 1,48,047/- रूपये वसूली किये जाने हेतु मुख्यालय आदेश क्रमांक 10028 दिनांक 05.09.2024 जारी किया गया।
31 मार्च 2024 के समापन पर	निरंक	निरंक
30 सितम्बर 2024 के समापन पर	निरंक	निरंक


 अनुभाग अधिकारी
 आद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - तिरपन

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 30 (क. 2389) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उठाव के विरूद्ध चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों की जानकारी

(मात्रा में. टन में)

क्र.	जिला	धान उठाव के विरूद्ध चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों की संख्या	जमा हेतु शेष चावल
1	बस्तर	41	292907
2	बीजापुर	2	14135
3	दन्तेवाड़ा	5	39577
4	कांकेर	68	854600
5	कोडागांव	29	253578
6	नारायणपुर	3	31133
7	सुकमा	8	50296
8	बिलासपुर	167	3806026
9	गोरेला पेन्डा मरवाही	21	412304
10	जांजगीर चाम्पा	167	3368132
11	कोरबा	122	2137773
12	मुंगेली	73	1487692
13	रायगढ़	126	2206401
14	सक्ती	152	2253953
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	116	1943060
16	बालोद	124	2400741
17	बेमतरा	109	1746462
18	दुर्ग	150	4003586
19	कवधा	82	1383136
20	राजनांदगांव	85	2311181
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	14	359814
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	9	213227
23	बलोदाबाजार	84	1990159
24	धमतरी	216	3422046
25	गरियाबंद	53	841589
26	महासमुंद	180	3559176
27	रायपुर	251	6002173
28	बलरामपुर	49	673089
29	जशपुर	72	1198565
30	कोरिया	14	273766
31	सरगुजा	69	1330707
32	सुरजपूर	50	1468238
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	11	323731
	योग	2722	52652950

अनुभाग अधिकारी

नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अन्ध्र प्रदेश

परोशेष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2393) की जानकारी

प्रपत्र

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2023 की स्थिति में प्रचलित राशनकार्ड, जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक बनाये गये नवीन राशनकार्ड तथा वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों की योजनावार जानकारी

क्रमांक	राशनकार्ड का प्रकार	दिसंबर 2023 की स्थिति में प्रचलित राशनकार्ड	जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक बनाये गये नवीन राशनकार्ड	वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड
1	अंत्योदय राशनकार्ड	12,428	6,167	12,869
2	प्राथमिकता राशनकार्ड	74,038	668	81,452
3	निराश्रित राशनकार्ड	553	14	495
4	निःशक्तजन राशनकार्ड	316	15	337
5	सामान्य एपीएल राशनकार्ड	7,548	223	7,646


 अनुभाग अधिकारी
 राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - पचपन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2408) की जानकारों

प्रपत्र

कबीरधाम जिला में महिला पर्यवेक्षको के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विकासखंडवार जानकारी

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद संख्या	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	8	0	कवर्धा परियोजना में 02 पर्यवेक्षक अतिशेष रूप से पदस्थ है।
2			दशरंगपुर	7	0	
3		बोड़ला	बोड़ला	8	0	
4			तरेगांव जंगल	4	0	
5			चिल्फी	5	2	
6		पंडरिया	पंडरिया	7	0	
7			कुकदूर	7	0	
8			कुण्डा	7	1	
9		सहसपुर लोहारा	सहसपुर लोहारा	10	1	स. लोहारा परियोजना में 01 पर्यवेक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।
योग				63	4	

पारोक्ष - छप्पन

अताराजित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2409) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिले का नाम	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत दर्ज हितग्राहियों की संख्या		मुख्यमंत्री सुपोषण योजनांतर्गत दर्ज हितग्राहियों की संख्या		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत दर्ज हितग्राहियों की संख्या
		गर्भवती महिलाएं	शिशुवती माताएं	गर्भवती महिलायें	एनीमिक शिशुवती महिलाएं	
1	बालोद	5276	4976	6131	5852	7032
2	बालौदाबाजार	8748	7213	10630	1500	7488
3	बलरामपुर	8204	5419	10466	0	4993
4	बस्तर	7711	6248	8531	4193	7364
5	बेमेतरा	6180	5477	6255	5678	6506
6	बीजापुर	1847	1272	233	197	825
7	बिलासपुर	12968	10885	14859	0	11670
8	दंतेवाड़ा	2366	1564	2992	2761	1005
9	धमतरी	5304	4480	6556	946	7611
10	दुर्ग	8382	6987	8849	106	9694
11	गरियाबंद	4972	3912	5880	1028	4831
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	2768	2291	3120	31	2877
13	जांजगीर-चांपा	7703	6412	9085	8894	7954
14	जशपुर	6238	4844	6456	1189	4106
15	कबीरधाम	7150	5928	8205	77	4940
16	कांकेर	5438	3939	5803	5697	4510
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2959	2393	2635	0	3495
18	कोण्डागांव	4985	3585	6100	5927	2642
19	कोरबा	8798	7082	11045	9192	9115
20	कोरिया	2112	1384	2440	690	1622
21	महासमुंद्र	8426	7037	9019	0	7275
22	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	2815	1593	3154	1669	1233
23	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	2338	1866	1889	172	1944

क्र.	जिले का नाम	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत दर्ज हितग्राहियों की संख्या		मुख्यमंत्री सुपोषण योजनांतर्गत दर्ज हितग्राहियों की संख्या		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत दर्ज हितग्राहियों की संख्या
		गर्भवती महिलाएं	शिशुवती माताएं	गर्भवती महिलायें	एनीमिक शिशुवती महिलाएं	
24	मुंगेली	6638	5474	7801	0	4734
25	नारायणपुर	1418	998	1873	1598	130
26	रायगढ़	6642	5162	6778	0	6613
27	रायपुर	11856	10014	13063	0	12006
28	राजनांदगांव	6165	4991	5715	2190	7396
29	सक्ती	4658	3547	5345	0	2463
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	4333	3248	5526	1329	4499
31	सुकमा	2210	1658	3154	0	692
32	सूरजपुर	7261	4629	5652	825	6389
33	सरगुजा	7806	5485	10056	9761	6360

पॉरिशेष्ट - सनतावन
अताराकेत प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2412) को जानकारी

प्रपत्र

आंगनबाडी केंद्र भवन निर्माण हेतु जारी राशि।

क्र.	विकासखण्ड का नाम	जारी राशि	कार्य की भौतिक स्थिति	
			पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष 2023-24				
1	बागबाहरा	63.349	5	4
2	बसना	62.880	6	4
3	महासमुन्द	11.000	3	3
4	पिथौरा	23.980	2	4
5	सरायपाली	19.680	0	4
	योग:-	180.889	16	19

वित्तीय वर्ष 2024-25				
1	बागबाहरा	6.950	0	2
2	बसना	23.720	0	6
3	महासमुन्द	5.872	0	2
4	पिथौरा	11.240	0	1
5	सरायपाली	20.100	0	12
	योग:-	67.882	0	23

पारिशेष्य - अनठावन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2416) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	जिला	उचित मूल्य दुकान, जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
1		खैराडीह	31.07.2024	दुकान संचालक द्वारा नियमित रूप से राशन वितरण नहीं करने तथा ई पास मशीन में अंगूठा लगावा कर राशन नहीं देने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2		अंजनी	04.09.2024	तीन वर्ष पहले 86 लोगों को राशन पात्रता अनुसार वितरण नहीं करने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3		मझगांव	11.09.2023	हितग्राहियों को चावल कम तौल कर देने तथा शक्कर एक किलो ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देना एवं कीमत अधिक लेने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
4		दवनकरा	11.09.2023	उचित मूल्य दुकान दवनकरा के पूर्व विक्रेता विजय रजक के द्वारा माह मई जून जुलाई 2024 का चावल, शक्कर, चना एवं नमक का वितरण नहीं करने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
5		नरोला	15.10.2024	शक्कर अधिक रेट में मिलाना, अंगूठा लगवाने के बाद चावल चना शक्कर नहीं देने तथा समय पर दुकान नहीं खोलने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
6		पहिया	02.06.2023	माह अप्रैल मई 2023 का राशन वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
7	सुरजपुर	बड़वार	02.03.2024	राशन वितरण में मनमानी, राशन सामग्री का गबन एवं अंगूठा लगा कर हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में।	उचित मूल्य दुकान में चावल, शक्कर, नमक तथा चना की कमी होना पाया गया तथा इस दुकान को शासकीय उचित मूल्य दुकान दुलदुली में संलग्न किया गया है।
8		मकनपुर	14.03.2024	सेल्स मन द्वारा हितग्राहियों का पैसा गबन करने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
9		मटिगढ़ा	30.12.2024	दिसम्बर 2024 में 200 राशन कार्ड धारियों को राशन वितरण नहीं करने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
10		मसगा	20.12.2024	विक्रेता द्वारा 2 माह से ई पास में अंगूठा लगा कर राशन कार्ड धारियों को राशन प्रदाय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
11		धुमाडांड	18.09.2024	शासकीय उचित मूल्य दुकान धुमाडांड के संचालक अजय कुमार द्वारा विलंब से दुकान खोलने तथा दो तीन माह से ई पास में अंगूठा लगावा कर बाद में राशन देने के सम्बन्ध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान संचालक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
12		धुमाडांड	10-07-2024	दुकान क्र-392014006 अधिकतम बंद रहता है जिससे राशन लेने में परेशानी होती है।	शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1000 राशन कार्ड होने के कारण एक साथ हितग्राहियों की ज्यादा संख्या होने की वजह से शिकायतकर्ता को राशन नहीं मिल सका जिसे बाद में उन्हें खाद्यान्न दे दिया गया था वर्तमान में शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है।

क्रमांक	जिला	उचित मूल्य दुकान, जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
13	सूरजपुर	धुमाडांड	11-07-2024	दुकान के अनियमित खुलने से राशन प्राप्ति में समस्या	शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1000 राशन कार्ड हाने के कारण एक साथ हितप्राप्तियों की ज्यादा संख्या होने की वजह से शिकायतकर्ता को राशन नहीं मिल सका जिसे बाद में उन्हें खाद्यान्न दे दिया गया था वर्तमान में शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है
14		धुमाडांड	19-10-2023	दुकान संचालक द्वारा समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना	शिकायतकर्ता को माह अक्टूबर का चना, शक्कर नहीं मिला था जिसे चना, शक्कर वितरण कर दिया गया है जिससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है
15		प्रतापपुर	30-11-2023	शिकायतकर्ता का आधार नंबर गुजरात, में किसी के राशनकार्ड में जोड़ दिया गया है, इस कारण से इनका नाम इनके राशनकार्ड में नहीं जुड़ रहा है, इनका इस राशनकार्ड में नाम नहीं जुड़ने के कारण इनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।	शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत किया गया था कि आधार नंबर अन्य राज्य में जुड़ने से परेशानी हो रही थी लेकिन अब आधार सुधर जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है
16		गोंदा	12-06-2024	राशनकार्डधारी के द्वारा शिकायत किया गया है, कि इनको माह-जून का 20 किलो राशन कम दिया जा रहा है, राशन के लिये बोलने पर मूई का अंगूठा नहीं लगा था और राशन दे दिया था, ऐसा बोलने के यहां का सैल्समैन इनको राशन कम दे रहा है।	दुकान संचालक द्वारा हितप्राप्ति को राशन सामग्री प्राप्त हो चुका है अतः वर्तमान में शिकायतकर्ता को किसी प्रकार का शिकायत नहीं होना पाया गया
17		रेवती	16-08-2024	दुकान के समय पर न खुलने के कारण राशन प्राप्ति में समस्या होना	राशन का भंडारण 13 अगस्त को हुआ था जिसके कारण राशन वितरण देरी से प्रारंभ हुआ 31 अगस्त 2024 तक वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है
18	बलरामपुर- रामानुजगंज	करमडीहा(क),	15/05/2023	उचित मूल्य दुकान के संचालक द्वारा मनमानी राशि लेने के संबंध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
19		गैना,	09-06-2023	ग्राम पंचायत गैना में चावल वितरण में धाधली करने बाबत।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
20		आसनडीह,	22/09/2024	शासकीय उचित मूल्य को दुकान को सही वितरण नहीं करने के संबंध में।	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
21		कड़िया,	11-02-2025	उचित मूल्य दुकान कड़िया में हितप्राप्तियों का कम चावल एवं शक्कर देने के संबंध में।	उचित मूल्य दुकान के आबंटन को निरस्त किया गया।
22		कमलपुर,	12-05-2023	सही से खाद्यान्न का वितरण नहीं करने एवं स्टॉक का वितरण नहीं करने के संबंध में।	उचित मूल्य दुकान के आबंटन को निरस्त किया गया।
23		विरेंदनगर	22/06/2024	विक्रेता द्वारा शक्कर वितरण में अनियमितता किया जाना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है। मा0उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के आधार पर दुकान का आबंटन पुनः बहाल किया गया।
24		शंकरपुर	30/05/2024	कुछ हितप्राप्तियों को माह मई का खाद्यान्न विक्रेता द्वारा नहीं दिया जाना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।

क्रमांक	जिला	उचित मूल्य दुकान, जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
25		कोगवार	17-05-2024	विक्रेता द्वारा राशन वितरण में अनियमितता किया जाना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
26		कोगवार	28-04-2024	विक्रेता द्वारा शक्कर वितरण में अनियमितता किया जाना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
27		कोगवार	08-01-2024	विक्रेता द्वारा शक्कर वितरण में अनियमितता किया जाना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
28		कोगवार	17-09-2023	विक्रेता द्वारा सक्कर बंद होने के आधार पर राशन वितरण नहीं करना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
29		कोगवार	21-08-2023	बहुत से हितग्राहियों को जून व जुलाई माह में चावल वितरण नहीं किया जाना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
30		कोगवार	31-07-2023	विक्रेता द्वारा आंबटन प्राप्त होने के बाद भी वितरण नहीं करना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
31		कोगवार	31-07-2023	विक्रेता द्वारा सक्कर बंद होने के आधार पर राशन वितरण नहीं करना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
32		कोगवार	30-06-2023	विक्रेता द्वारा एपीएल कार्डधारियों को जून माह में आंबटन नहीं प्राप्त होने के आधार पर वितरण नहीं करना	जाँच में शिकायत सही पाई गयी तथा दुकान के आबंटन को निलंबित किया गया है।
33		कोटी	11-11-2024	दुकान के समय पर न खुलने से राशन प्राप्ति में समस्या	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
34	बलरामपुर-रामानुजगंज	रमेशपुर	19-10-2024	राशन वितरण में अनियमितता किया जाना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
35		कोटी	17-08-2024	राशनदुकानदार अगस्त माह में मशीन खराब होने के आधार पर किसी भी हितग्राही को राशन प्रदाय नहीं किया गया	उक्त माह की दुकान संचालक द्वारा 12 दिन दुकान खोल कर खाद्यन्न वितरण किया गया। अतः शिकायत निराधार है।
36		जवराही	29-07-2024	सासायटी विक्रेता के द्वारा इनको खराब एवं खुला हुआ नमक प्रदाय किया जाना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
37		महुली	25-07-2024	दुकानदार द्वारा 02 माह से राशन वितरण नहीं करना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
38		महुली	24-07-2024	सक्कर बंद हैं कहकर 02 माह से राशन प्रदाय नहीं किया जाना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
39		विरेंद्रनगर	17-06-2024	दुकान के नियमित न खुलने से राशन प्राप्ति में समस्या	खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दुकान नियमित रूप से खुलता है परन्तु सक्कर समस्या या विलम्ब से भण्डारण होने के कारण स्थिति अनुसार सभी को वितरण किया जाता है। अतः शिकायत निराधार है।
40		मुंडिया	28-05-2024	दुकान के नियमित न खुलने से राशन प्राप्ति में समस्या	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
41		वाडफनगर	23-04-2024	अन्य जिलों से आये हितग्राहियों को राशन वितरित न करना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
42		रमेशपुर	12-04-2024	सासायटी विक्रेता के द्वारा शक्कर 20 रूपये प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जाना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
43		कछिया	05-02-2024	लोगों से अंगुठा लगवाकर राशन नहीं दिया जाना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
44		रमेशपुर	24-01-2024	दुकानदार द्वारा पिछले 02 माह से पंचायत में शक्कर वितरण नहीं किया जाना	जाँच में शिकायत सही नहीं पाई गयी

क्रमांक	जिला	उचित मूल्य दुकान, जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गयी कार्यवाही
45		गोबरा	21-01-2024	राशनकार्ड करमडीहा-बी में और गोबरा में राशन नहीं मिलता है।	खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शिकायतकर्ता का नाम राशनकार्ड क्रमांक एवं पता नहीं होने के कारण जांच कर पाना संभव नहीं है। अतः शिकायत निराधार है।
46		जमई	19-01-2024	दुकानदार राशन देने मना कर रहे हैं राशनदुकानदार तभी देंगे जब तक परिवार के सभी सदस्य उपस्थित न हों।	शिकायतकर्ता को EKYC हेतु दुकान संचालक द्वारा बोला गया परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा मेरे घर कोई EKYC करने नहीं आयोगी बोला गया तथा साथ ही शिकायतकर्ता को जांच के दौरान फोन किया गया परन्तु नहीं उठाया गया। अतः शिकायत निराधार है।
47		केसारी	29-12-2023	अन्य जिलो से आये हितग्राहियों को राशन वितरित न करना	खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शिकायतकर्ता जांच दौरान उपस्थित नहीं हुआ। ग्रामवासियो ने बताया जिस दिन शिकायतकर्ता आया उस दिन सर्वर समस्या थी दूसरे दिन खाद्यान्न लेने आने को कहा गया परन्तु शिकायतकर्ता नहीं आया। अतः शिकायत निराधार है।
48		इंजानी	04-11-2023	विगत माह का उठाव नहीं किया गया राशन प्रदाय करने के सम्बन्ध में	खाद्य निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शिकायतकर्ता का नाम पता राशनकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच कर पाना संभव नहीं है। अतः शिकायत निराधार है।
49	बलरामपुर- रामानुजगंज	बसंतपुर	25-10-2023	राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता किया जाना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
50		पंडरी	16-09-2023	राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता किया जाना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
51		सोनहत	15-09-2023	राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता किया जाना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
52		हरिगवा	14-09-2023	दुकान के नियमित न खलने से राशन प्राप्त में समस्या	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
53		महेवा	08-09-2023	अन्य जिलो से आये हितग्राहियों को राशन वितरित न करना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
54		कोटराही	31-08-2023	दुकान के नियमित न खलने से राशन प्राप्त में समस्या	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
55		महुली	29-08-2023	दुकान के नियमित न खलने से राशन प्राप्त में समस्या	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
56		सरना	04-07-2023	दुकान के नियमित न खलने से राशन प्राप्त में समस्या	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
57		डोंगरी	26-06-2023	अन्य दुकान के हितग्राहियों को राशन वितरित न करना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
58		जनकपुर/मोदिया	19-04-2023	अन्य जिलो से आये हितग्राहियों को राशन वितरित न करना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
59		कोटराही	18-04-2023	दुकान के नियमित न खलने से राशन प्राप्त में समस्या	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
60		हरिगवा	06-04-2023	दुकान के नियमित न खलने से राशन प्राप्त में समस्या	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
61		हरिगवा	25-02-2023	राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता किया जाना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
62		शंकरपुर	23-02-2023	राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता किया जाना	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
63		पड़ौली	24-08-2021	उचित मूल्य कौ दुकान कभी भी अपने निर्धारित समय नहीं खुलती है	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी
64		शारदापुर सू	23-12-2023	डौलर का ब्यवहार एवं काय सही नहीं है	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गयी


अनुभाग अधिकारी

न कारिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भारत, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - ब

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
प्रचलित राशनकार्डों में खाद्यान्न की पात्रता की जानकारी

क्रमांक	राशनकार्ड का प्रकार	मासिक पात्रता			
		चावल	शक्कर	नमक	चना
1	प्राथमिकता राशनकार्ड	01 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 10 किलो, प्रति कार्ड प्रतिमाह	01 किलो	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो प्रति कार्ड एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति कार्ड	(माडा क्षेत्र में) 02 किलो प्रतिमाह
		02 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 20 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह			
		03 से 05 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह			
		05 से अधिक सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह			
2	अंत्योदय राशनकार्ड	35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह			
3	निःशक्तजन राशनकार्ड	10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह			
4	निराश्रित राशनकार्ड	10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह			
5	सामान्य राशनकार्ड	01 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 10 किलो प्रतिमाह		निरंक	
		02 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 20 किलो प्रतिमाह			
		03 या अधिक सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड 35 प्रतिमाह			


 अनुभाग अधिकारी
 खाद्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - उन्सठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 40 (क. 2417) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना प्रारंभ में मार्च 2024 की स्थिति में पंजीकृत हितग्राही	योजना प्रारंभ में पंजीकृत हितग्राहियों में से फरवरी 2025 की स्थिति में पात्र हितग्राही
बस्तर	बकावण्ड	41021	40554
बस्तर	बास्तानार	10165	10065
बस्तर	दरभा	14225	14114
बस्तर	लोहाण्डीगुड़ा	18579	18409
बस्तर	तोकापाल	19632	19372
बस्तर	बस्तर	40365	39838
बस्तर	जगदलपुर	50524	49992
योग			192344

प्रपत्र-ब

बस्तर जिले में महतारी वंदन योजना से लाभ हेतु अनुमोदित हितग्राहियों की माहवार जानकारी

जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	मार्च 2024	अप्रैल 2024	मई 2024	जून 2024	जुलाई 2024	अगस्त 2024	सितम्बर 2024	अक्टूबर 2024	नवंबर 2024	दिसम्बर 2024	जनवरी 2025	फरवरी 2025
बस्तर	बकावण्ड	40916	40916	40903	40878	40878	40800	40796	40788	40777	40724	40497	40554
बस्तर	बास्तानार	10156	10155	10154	10147	10147	10130	10130	10127	10128	10128	10104	10065
बस्तर	दरभा	14212	14212	14210	14197	14197	14185	14183	14176	14177	14175	14145	14114
बस्तर	लोहाणडीगुड़ा	18563	18563	18563	18556	18556	18534	18534	18534	18525	18519	18477	18409
बस्तर	तोकापाल	19557	19557	19553	19538	19538	19511	19508	19492	19487	19485	19435	19372
बस्तर	बस्तर	40242	40242	40236	40188	40188	40097	40089	40037	40018	39999	39843	39838
बस्तर	जगदलपुर	50325	50325	50323	50296	50284	50209	50206	50186	50183	50173	50021	49992
योग		193971	193970	193942	193800	193788	193466	193446	193340	193295	193203	192522	192344

परिशेष - साठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2418) की जानकारी

प्रपत्र

विभाग अंतर्गत बस्तर संभाग में संचालित एन.जी.ओ. की जानकारी

क्र.	जिला	एन.जी.ओ. का नाम
1	बस्तर	बस्तर दिव्यांग सेवा समिति
2	बस्तर	बस्तर धर्म क्षेमा समिति
3	बस्तर	भारतीय रेडक्रास सोसायटीआस्था निकुंज
4	बस्तर	स्नहेगिरी मिशनरी सिस्टर्स
5	बस्तर	बस्तर दिव्यांग सेवा समिति
6	कोण्डागांव	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान
7	कोण्डागांव	बस्तर रिवाइवल सोसायटी
8	कोण्डागांव	शांति फाउण्डेशन
9	दंतेवाड़ा	माँ दंतेश्वरी समन्वय समिति
10	दंतेवाड़ा	गुण्डाधुर सेवा शिक्षण संस्था
11	कांकेर	बुलबुल शिक्षण प्रशिक्षण संस्था
12	कांकेर	कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गेनाईजेशन


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष्य - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क. 2429) की जानकारी

प्रपत्र

दुर्ग सभाग के जिला बालोद, दुर्ग, राजनादगांव एवं कबीरधाम में जिला उपभोक्ता आयोग वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के दर्ज प्रकरण एवं निराकृत प्रकरणों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्रमांक	उपभोक्ता आयोग का नाम	वर्ष 2022				वर्ष 2023				वर्ष 2024				वर्ष 2025 (फरवरी 2025 तक)		
		पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या	पंजीकृत प्रकरण की संख्या	निराकृत प्रकरण की संख्या	लंबित प्रकरण की संख्या
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग	646	127	519	821	297	524	304	31	273	2	0	2			
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजनादगांव	16	16	0	237	214	23	179	39	140	20	0	20			
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कबीरधाम	41	41	0	29	29	0	24	8	16	2	0	2			
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद	47	23	24	48	17	31	51	3	48	0	0	0			

अनुभाषा अधिकारी
दुर्ग सभाग-2
राज्य जम्बुद्विप आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परीशेष्ट - बेंसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 45 (क. 2443) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रश्नांश 'क' अवधि को जारी प्रावधिक लागत पत्रक अनुसार मदवार व वर्षवार स्वीकृत दर
भारत सरकार से केन्द्रीय पूल एवं विकेन्द्रीकृत पूल में अरवा एवं उसना के लिए स्वीकृत प्रावधिक सी.एम.आर. दर की जानकारी निम्नानुसार है-
(रु. प्रति कि.)

क्रमांक	विवरण	खरीफ वर्ष 2022.23				खरीफ वर्ष 2023.24				खरीफ वर्ष 2024.25			
		अरवा		उसना		अरवा		उसना		अरवा		उसना	
		कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए	कॉमन	ग्रेड-ए
1	न्यूनतम समर्पन मूल्य	2040.00	2060.00	2040.00	2060.00	2183.00	2203.00	2183.00	2203.00	2300.00	2320.00	2300.00	2320.00
2	वैधानिक चार्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1 मंडी फीस	40.80	41.20	40.80	41.20	43.66	44.06	43.66	44.06	34.50	34.80	34.50	34.80
	2.2 कृषक कल्याण शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.60	11.50	11.60
	2.3 निराश्रित शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	मंडी लेबर चार्ज	9.13	9.13	9.13	9.13	17.17	17.17	17.17	17.17	22.05	22.05	22.05	22.05
4	परिवहन चार्ज	23.32	23.32	23.32	23.32	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36
5	सुखत	10.20	10.30	0.00	0.00	10.92	11.02	0.00	0.00	11.50	11.60	0.00	0.00
6	समिति कमीशन	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00	31.25	32.00
7	सुरक्षा एवं रख-रखाव चार्ज	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
8	ब्याज	25.08	25.32	25.08	25.32	30.80	31.07	30.94	31.22	35.17	35.46	35.31	35.60
9	मिलिंग चार्ज	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00
10	प्रधानसकीय चार्ज	20.40	20.60	20.40	20.60	21.83	22.03	21.83	22.03	23.00	23.20	23.00	23.20
11	1 कि धान की मिलिंग लागत	2214.98	2236.67	2214.78	2236.37	2367.79	2389.51	2367.01	2388.64	2498.13	2519.87	2496.77	2518.41
12	ऑउट टर्न रेशियो	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68
13	उप-योग	3305.93	3338.32	3257.02	3288.78	3534.01	3566.43	3480.90	3512.70	3728.55	3761.00	3671.72	3703.54
14	नया बारदाना की लागत	140.30	140.30	140.30	140.30	128.58	128.58	128.58	128.58	129.52	129.52	129.52	129.52
15	बारदाना उपयोगिता चार्ज	12.66	12.66	12.30	12.30	12.66	12.66	12.30	12.30	12.66	12.66	12.30	12.30
16	बारदाना अतिरिक्त परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
17	कुल उपार्जन लागत	3458.89	3491.28	3409.62	3441.38	3677.06	3709.48	3623.59	3655.39	3870.73	3903.18	3813.54	3945.36

अनुभाग अधिकारी

नगरिक आपूर्ति एवं उपभोगिता संस्थान दि

प्रपत्र-ब

जमा सीएमआर की कुल राशि एवं प्राप्त राशि की जानकारी
(मात्रा में टन एवं राशि करोड़ में)

खरीफ वर्ष	नागरिक आपूर्ति निगम (स्टेट पूल)		नागरिक आपूर्ति निगम (केन्द्रीय पूल)		भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल)		राज्य शासन से प्राप्त	
	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि	जमा सीएमआर की कुल राशि	प्राप्त राशि	हानि प्रतिपूर्ति की राशि	अतिरिक्त व्यय की राशि
2022-23	4965.89	4412.79	5675.30	5043.18	14440.96	12109.63	0.00	1561.52
2023-24	5248.79	4899.78	5998.61	5599.75	22423.01	20896.92	800.00	600.00
2024-25	1363.78	745.73	1558.61	852.27	1032.51	0.00	0.00	0.0



अनुपम अधिकारी
राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - तैरसठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 46 (क. 2446) की जानकारी

प्रपत्र

बिलासपुर जिले में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं नियम शर्तें व प्रक्रिया की जानकारी

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
 - 1.1 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध ।
 - 1.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो ।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
 - 2.1 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिला ।
 - 2.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो ।
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना
 - 3.1 18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुदिव्यांगता । गंभीर दिव्यांग से तात्पर्य किसी एक प्रकार की दिव्यांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो । बहुदिव्यांगता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता ।
 - 3.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो ।
4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
 - 4.1 6-17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे । जिसमें 6-14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी ।
 - 4.2 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति ।
 - 4.3 बौने व्यक्ति ।
 - 4.4 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो ।
5. सुखद सहारा योजना
 - 5.1 18-39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा ।
 - 5.2 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें ।
 - 5.3 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो ।
6. मुख्यमंत्री पेंशन योजना
 - 6.1 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध ।
 - 6.2 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें ।

6.3 ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,

6.3.1 स्वतः सम्मिलित सूचकांक :- निम्नलिखित स्थिति का परिवार स्वतः सम्मिलित परिवार की सूची में अनिवार्यतः सम्मिलित हो जावेंगे -

1. बेघर परिवार ।
2. निराश्रित/भिक्षुक
3. मैला ढोने वाले
4. आदिम जनजाति समूह
5. कानूनी रूप से विमुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

6.3.2 वंचन सूचकांक :- निम्नलिखित स्थिति का परिवार सात वंचन सूचकांक में सम्मिलित परिवार की सूची में आएंगे-

- D-1 कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार ।
- D-2 परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है ।
- D-3 महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है ।
- D-4 दिव्यांग सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- D-5 अ.जा./अ.ज.जा. परिवार ।
- D-6 ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है ।
- D-7 भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं ।

6.4 नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित -

- 6.4.1 घास का छत/ छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
- 6.4.2 प्लास्टिक/पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
- 6.4.3 पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
- 6.4.4 बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो ।

उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है ।

पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया निम्नानुसार है -

- आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर शहरी क्षेत्र की दशा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत में जमा करेंगे। ग्राम पंचायत, प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की यथा आवश्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित 07 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।
- शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन-पत्रों के परीक्षण उपरांत शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय के अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें अपनी टीम के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार है।
- स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन-पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा।

जिला- बिलासपुर में लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार एवं विधानसभावार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विधानसभावार लाभान्वित हितग्राही						योग
		बिल्हा	बिलासपुर	बेलतरा	मस्तुरी	तखतपुर	कोटा	
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	4,663	8,244	4,942	12,761	7,509	5,158	43,277
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1,091	2,444	1,569	3,139	1,862	2,800	12,905
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	179	213	199	1,852	1,285	619	4,347
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2,877	8,518	3,872	10,455	5,780	4,493	35,995
5.	सुखद सहारा योजना	920	8,121	1,341	2,091	1,628	1,358	15,459
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	4,496	2,403	4,801	2,667	11,516	8,679	34,562
	योग	14,226	29,943	16,724	32,965	29,580	23,107	1,46,545


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारोशिए - चौसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2447) की जानकारी

प्रपत्र

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान की विकासखण्डवार जानकारी

स.क्र	दुकान की आई डी	विकासखंड/ नगरीय निकाय	वार्ड/पंचायत	दुकान	क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेन्सी
1	402003066	कोटा	कलमीटार	मूल दुकान	1	महामाया महिला स्व सहायता समूह कलमीटार
2	402003100	कोटा	भरदेयाडीह	संलग्न दुकान		
3	402003068	कोटा	नवागाँव करां	-	2	लक्ष्मी महिला समूह
4	402003075	कोटा	करां	-	3	संगलन करां कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह रतनपुर
5	402003106	कोटा	रमदेई	-	4	महामाया सागर स्व सहायता समूह रमदेई
6	401001070	बिलासपुर	56 -विजय नगर वार्ड	-	5	बूढ़ी माई महिला स्व सहायता समूह, रामायण चौक चाँटीडीह
7	401001101	बिलासपुर	53- कमला नेहरु वार्ड	-	6	पाल स्व सहायता समूह
8	401001102	बिलासपुर	54 - भक्त माता कर्मा नगर वार्ड	मूल दुकान	7	विश्व अम्बे स्व सहायता समूह
9	401001079	बिलासपुर	62- शास्त्री नगर वार्ड	संलग्न दुकान		
10	401001103	बिलासपुर	41 - विवेकानंद नगर वार्ड	-	8	करुणा महिला स्व सहायता समूह
11	401001104	बिलासपुर	54 - भक्त माता कर्मा नगर वार्ड	-	9	हम साथ महिला स्व सहायता समूह
12	402001007	बिलासपुर	बिजौर	मूल दुकान	10	माँ लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह बिजौर
13	401001122	बिलासपुर	48- बिसाहू दास महंत नगर	संलग्न दुकान		
14	401001129	बिलासपुर	49- बी आर यादव नगर	-	11	अरपांचल स्व सहायता समूह
15	401001130	बिलासपुर	68- रामकृष्ण परमहंस नगर	-	12	ज्योति स्व सहायता समूह कोनी
16	401001135	बिलासपुर	13- पीडित दीनदयाल मंगला नगर	-	13	सखी महामाया बचत समूह
17	401001138	बिलासपुर	47- पीडित रामगोपाल तिवारी नगर	-	14	माँ शारदा महिला स्व सहायता समूह मोपका
18	401001139	बिलासपुर	64- महामाया नगर	-	15	जय माँ काली स्व सहायता समूह बिरकोना
19	402001003	बिलासपुर	कोनी	-	16	माणि स्व सहायता समूह ग्राम कोनी
20	402001006	बिलासपुर	खमतराई	-	17	दीप महिला स्व सहायता समूह खमतराई
21	402001122	बिलासपुर	मंगला (बी)	-	18	ओम साई महिला स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत मंगला बी
22	402001123	बिलासपुर	मंगला (बी)	-	19	कमल नैनी म.स्व.सहा.समूह
23	402001130	बिलासपुर	लिंगियाडीह	-	20	राशम महिला मण्डल, लिंगियाडीह बिलासपुर
24	402001131	बिलासपुर	लिंगियाडीह	-	21	लक्ष्मी म.मंडल लिंगियाडीह
25	402001138	बिलासपुर	लिंगियाडीह	-	22	एकता महिला प्रा.उ.भण्डार लिंगियाडीह
26	402001139	बिलासपुर	लिंगियाडीह	-	23	तुलसी महिला.बहू.प्रा.स.उ.भण्डार लिंगियाडीह
27	402001075	बिलासपुर	मोपका	-	24	कृष्णा महिला स्व सहायता समूह मोपका
28	402001010	बिल्हा	नगाई	-	25	नारी शक्ति स्व सहायता समूह नगाई
29	402001060	बिल्हा	बेमा	मूल दुकान	26	जागरूक स्व सहायता समूह बेमा
30	402001065	बिल्हा	पोंसरा	संलग्न दुकान		
31	402001064	बिल्हा	सेमरताल	-	27	जय माँ शक्ति स्व सहायता समूह, सेमरताल
32	402001069	बिल्हा	गोदइया	-	28	शरावाली महिला स्व सहायता समूह गोदइया
33	402001074	बिल्हा	कछार	-	29	सत्य ज्योति महिला स्व सहायता समूह कछार
34	402001078	बिल्हा	उडतुम	-	30	जय श्री शिवशक्ति स्व सहायता समूह उरतुम
35	402001080	बिल्हा	मोहरा	-	31	श्री साईनाथ महिला स्व सहायता समूह मोहरा
36	402001083	बिल्हा	धूमा	मूल दुकान	32	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह धूमा
37	402001087	बिल्हा	सिलपहरी	संलग्न दुकान		
38	402001089	बिल्हा	सेमरा	-	33	जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह सेमरा
39	402001090	बिल्हा	लोफेदी	-	34	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह लोफेदी
40	402001092	बिल्हा	जलसा	-	35	जय दुर्गा मां.महिला बहू.सह.समिति जलसा
41	402001095	बिल्हा	मदनपुर	-	36	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह मदनपुर
42	402001098	बिल्हा	सलखा	-	37	भवानी महिला स्व सहायता समूह सलखा
43	402001099	बिल्हा	बेलतरा	-	38	उन्नति महिला स्व सहायता समिति बेलतरा
44	402001107	बिल्हा	बिटकुली	-	39	जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह बिटकुली-उ
45	402001109	बिल्हा	मंजूरपहरी	-	40	जय बुदादेव महिला स्व सहायता समूह मंजूरपहरी

स.क्र	दुकान की आई डी	विकासखंड/ नगरीय निकाय	वार्ड/पंचायत	दुकान	क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकता एजेन्सी
46	402001110	बिल्हा	बसहा	-	41	बहिनी दुर्गा स्व सहायता समूह बसहा
47	402001113	बिल्हा	डगनिया	-	42	बिलासा दाई स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत डगनिया
48	402001115	बिल्हा	गढवट	-	43	जय माता दी स्व सहायता समूह गडवट
49	402001116	बिल्हा	भरवीडीह	-	44	जय मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत भरवीडीह
50	402001118	बिल्हा	टेकर	-	45	जय छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता समूह टेकर
51	402001120	बिल्हा	खेरा डी.	-	46	राही एकता महिला समिति खेरा डी
52	402001149	बिल्हा	पेडरुवा उ	-	47	आस्था महिला स्व सहायता समूह पेडरुवा उ
53	402001163	बिल्हा	नवागांव	मूल दुकान	48	किसानी मितानी महिला स्व सहायता समूह नवागांव
54	402001072	बिल्हा	गतौरी	संलग्न दुकान		



अनुभाग अधिकारी
 राज्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परीशेष्ट - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 2455) की जानकारी

प्रपत्र

01 जनवरीए 2024 से 20 फरवरीए 2025 की अवधि में कुपोषण दूर करने हेतु महासमुंद जिले में पोषण आहार पर व्यय की जानकारी

क्रण	विकासखण्ड का नाम	संचालित योजना का नाम	01 जनवरीए 2024 से 31 मार्च 2024 तक व्यय	सामग्री विवरण	01 अप्रैल 2024 से 20 फरवरी 2025 तक व्यय	सामग्री विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महासमुंद	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	7304851	आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता एवं 03 वर्ष से 06 के बच्चों को गर्म पका भोजन पर व्यय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को चावल प्रदाय पर व्यय।	12856714	आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता एवं 03 वर्ष से 06 के बच्चों को गर्म पका भोजन पर व्यय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को चावल प्रदाय पर व्यय।	
2	बागबाहरा		5829607		10130693		
3	पिथौरा		4761537		12405190		
4	बसना		5193360		9801678		
5	सरायपाली		3767054		8996348		
6	महासमुंद	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	25478490	आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष बच्चोंए गर्भवती महिलाओं एवं 15 से 49 वर्ष आयु के एनीमिक महिलाओं को गर्म पका भोजन प्रदाय तथा 06 माह से 06 वर्ष के कुपोषित बच्चोंए गर्भवती महिलाओं व 15 से 49 वर्ष आयु एनीमिक महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदाय पर व्यय।	6515058	आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष के कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदाय पर व्यय।	वित्तीय वर्ष 23. 24 का बचत शेष बटना।
7	बागबाहरा		5079409		0		
8	पिथौरा		6105062		0		
9	बसना		7327537		0		
10	सरायपाली		5917294		0		
योग .			76764201		60705681		

पारिशेष - छैसठ

अताराजकेत प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2457) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	जिले का नाम	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3
1	बालोद	63021
2	बस्तर	106001
3	बलौदाबाजार	106819
4	बलरामपुर	116199
5	बिलासपुर	156688
6	पेण्ड्रा	33746
7	बीजापुर	37804
8	बेमेतरा	74654
9	दंतेवाड़ा	32427
10	दुर्ग	89937
11	धमतरी	59043
12	गरियाबंद	63210
13	जांजगीर	96858
14	जशपुर	79376
15	कोण्डागांव	70605
16	कांकेर	77041
17	कबीरधाम	86514
18	कोरबा	142017
19	कोरिया	30587
20	महासमुंद	120581
21	मुंगेली	86614
22	नारायणपुर	18483
23	राजनांदगांव	73508
24	रायगढ़	89539
25	रायपुर	141006
26	सरगुजा	96960
27	सूरजपुर	92082
28	सुकमा	34626
29	सक्ती	61713
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	53612
31	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	33033
32	मानपुर-मोहला-अं. चौकी	36990
33	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	38492

पुपत्र-ब

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

/आदेश/

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 26/11/2021

कमांक एफ 3-55/2016/50 राज्य शासन एतद्वारा निर्णय लेता है कि,

"छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत टेकहोम राशन में रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के स्थान पर अब कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित यूनिट के माध्यम होगा।"

2/ अतः पूर्व में इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों को निरस्त किया जाता है।

3/ यह आदेश 01 फरवरी 2022 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पू.कमांक एफ 3-55/2016/50

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 26/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
5. समस्त संभाग आयुक्त।

6. संचालक, महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, बीज भवन, तेलीबांधा, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-समस्त (छ.ग.)।
9. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-समस्त (छ.ग.)।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त(छ.ग.)।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला-रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक - 18.01.2022

क्रमांक एफ 3-55/2016/50 :: राज्य शासन पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार आदेश जारी करता है कि,

- 1/ छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत टेकहोम राशन में रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं वितरण कार्य के संबंध में जारी आदेश क्रमांक एफ 3-55/2016/50 दिनांक 26.11.2021 अब 01 अप्रैल 2022 से प्रभावशील होगी।
- 2/ अतः जब तक नवीन व्यवस्था लागू नहीं होती तब तक पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी।
- 3/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधीन समस्त याचिकाओं में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अधीन रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-55/2016/50

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.01.2022

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।

3. मुख्य सचिव, के उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
5. समस्त संभाग आयुक्त।
6. संचालक, महिला एवं बाल विका, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, बीज भवन, तेलीबांधा, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-समस्त (छ.ग.)।
9. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-समस्त (छ.ग.)।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त(छ.ग.)।

Jina
18.1.22
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पॉरीशेष्ट - सड़सठ

अतारारुकेत प्रश्न संख्या 50 (क. 2459) की जानकारुी

प्रपत्र

बस्तर जिले में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं
नियम शर्तें व प्रक्रिया की जानकारी

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
 - 1.1 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध ।
 - 1.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
 - 2.1 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिला ।
 - 2.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना
 - 3.1 18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुदिव्यांगता । गंभीर दिव्यांग से तात्पर्य किसी एक प्रकार की दिव्यांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो । बहुदिव्यांगता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता ।
 - 3.2 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो ।
4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
 - 4.1 6-17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे । जिसमें 6-14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी ।
 - 4.2 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति ।
 - 4.3 बौने व्यक्ति ।
 - 4.4 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
5. सुखद सहारा योजना
 - 5.1 18-39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा ।
 - 5.2 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें ।
 - 5.3 आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
6. मुख्यमंत्री पेंशन योजना
 - 6.1 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध ।
 - 6.2 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें ।

6.3 ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,

6.3.1 स्वतः सम्मिलित सूचकांक :- निम्नलिखित स्थिति का परिवार स्वतः सम्मिलित परिवार की सूची में अनिवार्यतः सम्मिलित हो जावेगे -

1. बेघर परिवार
2. निराश्रित/भिक्षुक
3. मैला ढोने वाले
4. आदिम जनजाति समूह
5. कानूनी रूप से विमुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

6.3.2 वंचन सूचकांक :- निम्नलिखित स्थिति का परिवार सात वंचन सूचकांक में सम्मिलित परिवार की सूची में आएंगे-

- D-1 कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार ।
- D-2 परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है ।
- D-3 महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है ।
- D-4 दिव्यांग सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
- D-5 अ.जा./अ.ज.जा. परिवार ।
- D-6 ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है ।
- D-7 भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं ।

6.4 नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित -

- 6.4.1 घास का छत/ छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
- 6.4.2 प्लास्टिक/पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
- 6.4.3 पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
- 6.4.4 बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो ।

उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है ।

पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया निम्नानुसार है -

- आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर शहरी क्षेत्र की दशा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत में जमा करेंगे। ग्राम पंचायत, प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की यथा आवश्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित 07 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।
- शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन-पत्रों के परीक्षण उपरांत शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय के अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें अपनी टीम के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- शहरी क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार है।
- स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन-पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा।

जिला- बस्तर में फरवरी, 2025 की स्थिति में लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्डवार लाभान्वित हितग्राही						
		जगदलपुर	बकावंड	बस्तर	लोहंडीगुडा	तोकापाल	बास्तानार	दरभा
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5970	3087	2884	2385	1897	905	1890
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	3646	1215	859	1152	791	737	959
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	453	91	43	84	102	19	78
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3435	1177	879	522	1114	445	448
5.	सुखद सहारा योजना	1892	320	364	293	235	382	542
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	795	5157	3915	2883	2874	651	795
	योग	16191	11047	8944	7319	7013	3139	4712


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर